



# वार्षिक प्रतिवेदन

2013—14



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण  
कृषि एवं सहकारिता विभाग  
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार  
एनएएससी काम्पलैक्स, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली—110012  
[www.plantauthority.gov.in](http://www.plantauthority.gov.in)



# विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

आमुख

v

आभार ज्ञापन

vii

विशेष सारांश

ix

1.	सामान्य पृष्ठभूमि	1
2.	पौधा किस्म रजिस्ट्री की प्रगति	7
3.	कृषकों के अधिकारों से संबंधित क्रियाकलाप	45
4.	डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास	61
5.	भारतीय पौधा किस्म जरनल, पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर और प्राधिकरण के प्रकाशन	83
6.	डेटाबेसों, इंडस, एनओआरवी और वेबसाइट का विकास	85
7.	विधायी कोष्ठ तथा आरटीआई संबंधी मामले	89
8.	प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम	91
9.	प्राधिकरण के सामान्य क्रियाकलाप	117
10.	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	137
11.	प्राधिकरण के वित्तीय विवरण 2013–14	141
12.	नागरिक आचार संहिता	147

## अनुबंध (I to XII)

I	पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के सदस्य (31 मार्च 2014 को)	149
II	प्राधिकरण के स्वीकृत पद	150
III	मानव संसाधनों का विवरण (मुख्यालय तथा शाखा कार्यालय)	152
IV	वर्ष 2013–14 के दौरान विद्यमान डीयूएस केन्द्रों को जारी की गई निधियों का विवरण	154
V	वर्ष 2013–14 के दौरान नए डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं और 2013–14 के दौरान संदर्भ प्रयोगशालाओं को जारी की गई निधियों का विवरण	157
VI	वर्ष 2013–14 के दौरान फील्ड जीन बैंक (बैंकों) को जारी की गई निधियों का विवरण	161
VII	वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न संगठनों के लिए जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु दी गई वित्तीय सहायता	162
VIII	कृषक किस्मों के फसल वार और अंचल वार आवेदन	168
IX	पौधा किस्म फार्म	170
X	पंजीकरण अधीन फसल प्रजातियां	172
XI	वर्ष 2013–14 के दौरान प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण—पत्र	174
XII	संक्षिप्तियां	194





डॉ. आर.आर. हंचिनाल

अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण  
नई दिल्ली



## आमुख

मुझे पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी और एफआर) प्राधिकरण की वर्ष 2013–14 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है। भारत विश्व के उन प्रथम देशों में से हैं जहां राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार पीपीवी और एफआर अधिनियम की सू जेनेरेशन प्रणाली को लागू किया गया है। यह अधिनियम बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित समझौते (ट्रिप्स) जो विश्व व्यापार संगठन का एक अंग है और आईटीपीजीआरएफए की भावना के अंतर्गत हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

अपने अधिदेश के अनुसार कार्य करते हुए प्राधिकरण ने पौधा किस्मों के संरक्षण, कृषकों, अनुसंधानकर्ताओं और पादप प्रजनकों के अधिकारों के लिए प्रभावी प्रणाली हेतु और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक ढांचा सफलतापूर्वक उपलब्ध कराया है। अल्प समय में ही प्राधिकरण ने पौधा किस्मों की विभिन्न श्रेणियों की सुरक्षा के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाएं सृजित की हैं तथा पौधा किस्म रजिस्ट्री, राष्ट्रीय जीन बैंक, फैल्ट जीन बैंक, डीयूएस परीक्षण केन्द्रों की स्थापना की है; विद्यमान किस्मों के डेटाबेस सृजित किए हैं; सामान्य ज्ञान की किस्मों और पंजीकृत किस्मों का भी डेटाबेस सृजित किया है तथा यह भारतीय पौधा किस्म जरनल प्रकाशित कर रहा है। साथ ही किसानों को उनकी किस्मों के पंजीकरण में हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने तथा पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व टिकाऊ उपयोग के लिए कृषक कोष्ठ की स्थापना की है। विधायी कोष्ठ प्राधिकरण के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए न्यायालय संबंधी विभिन्न मुकदमों में प्राधिकरण के हितों का बचाव करता है और पौधा किस्मों के पंजीकरण में सहायता पहुंचाता है। प्राधिकरण ने पिछले वर्ष के मुकाबले किस्मों के पंजीकरण के मामले में विस्तार किया है जो पिछले वर्ष 59 फसल प्रजातियां अधिसूचित थीं वो अब बढ़कर 79 अधिसूचित फसलें/प्रजातियां हो गई हैं। 9 फसलों का एक सैट जिसमें नींबूवर्गीय फल (3), पुष्प (2), केला, खरबूजा, तरबूज और चाय भी शामिल हैं, तैयार है तथा इसे इनकी अधिसूचना के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग को भेजा गया है।

प्राधिकरण ने कृषि जैव-विविधता के हॉट-स्पॉट में संरक्षण के लिए कृषक समुदायों के योगदानों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय जीन निधि से 'पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार 2011–12, कृषकों के लिए पुरस्कार व सम्मान' प्रदान किए हैं। अंतरराष्ट्रीय जीवविज्ञानी विविधता दिवस की पूर्व संध्या अर्थात् 22 मई 2013 को प्राधिकरण ने नई दिल्ली में पांचवें पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर श्री तारीक अनवर, राज्य मंत्री (कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग) ने कृषक समुदायों/किसानों को पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, प्रबंध और सुधार में उनके समर्पित और अथक प्रयासों के लिए जीनोम संरक्षक पुरस्कार, प्रतिदान और सम्मान प्रमाण-पत्र प्रदान किए।

वर्ष के दौरान डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं की समीक्षा बैठक कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ में आयोजित हुई जिसमें

डीयूएस केन्द्रों / परियोजनाओं के नोडल व सह—नोडल वैज्ञानिक उपरिथत थे। इस बैठक में परियोजनाओं के विकास का जायजा लिया गया और इस मामले में कोई समस्याएं थीं तो उन्हें हल किया गया। प्राधिकरण ने विभिन्न संस्थाओं/स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर बड़ी संख्या में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं तथा कृषि जैवविविधता के हॉट—स्पॉट क्षेत्रों में जागरूकता पर विशेष अभियान चलाया है। प्राधिकरण ने विभिन्न स्थानों पर आयोजित किसान मेलों और किसान उत्सव में भी भाग लिया जिसमें भा.कृ.अ.स., गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर; केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर; प्रगति मैदान, नई दिल्ली शामिल हैं। यहां प्राधिकरण ने मास मिडिया मोड्यूलों के द्वारा अपनी गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल लगाए। प्राधिकरण ने कृषि एवं सहकारिता विभाग से प्राप्त कृषि द्विपाक्षिक सहयोग से संबंधित अनेक प्रस्तावों पर अपनी टिप्पणियां दी हैं। रिपोर्टार्धीन वर्ष के दौरान अनेक विदेशी प्रतिनिधि मंडलों ने प्राधिकरण का दौरा किया तथा भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने भी मस्कट, ओमान में 22–28 सितम्बर 2013 को आयोजित आईटीपीजीआरएफए की 5वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने श्रीलंका में 25–26 नवम्बर 2013 को आयोजित उपोव सेमिनार में भाग लिया तथा बॉरलॉग रस्ट इनिशिएटिव की पहल पर 22–28 मार्च 2014 को सिमिट, मैक्सिको का भी दौरा किया। पीपीवी और एफआरए के अध्यक्ष इन प्रतिनिधि मंडलों में मौजूद थे।

मैं प्राधिकरण की वृद्धि और विकास के लिए मा. केन्द्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री शरद पवार द्वारा उपलब्ध कराए गए मार्गदर्शन और दिशानिर्देश के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री तारिक अनवर द्वारा प्राधिकरण के प्रति दिखाई गई गहरी रुचि का भी अत्यंत आभारी हूँ।

मैं श्री आशीष बहुगुणा, सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग और डॉ. एस.अय्यप्पन, सचिव, डेयर तथा महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नेतृत्व प्रदान करने और निरंतर सहायता देने के लिए ऋणी हूँ। मैं श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग व श्री अतनु पुरकायस्थ, संयुक्त सचिव (बीज) का प्राधिकरण में उनकी गहन रुचि तथा बहुमूल्य सहायता के लिए आभारी हूँ। मैं प्राधिकरण के उन माननीय सदस्यों व अन्य विशेषज्ञों के योगदानों की सराहना करता हूँ जिन्होंने प्राधिकरण को इसके लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता की है तथा समर्पण के साथ विभिन्न समितियों/कार्य बलों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

मैं पूर्व अध्यक्षों का उनकी प्रेरणादायी भूमिका, दूरदृष्टि, नेतृत्व व उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण के प्रगामी विकास में निरंतर सहायता पहुँचाने के लिए अत्यंत आभारी हूँ। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान के डीयूएस केन्द्रों के नोडल अधिकारियों को प्राधिकरण को इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आईसीएफआरई, सीएसआईआर, विधि एवं न्याय मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को समय—समय पर सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन व्यूरो व उनके क्षेत्रीय केन्द्रों को प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर सौंपे गए दायित्वों को निर्वाहित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने प्रतिष्ठित बैंकों अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक व सिंडिकेट बैंक को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं और सहायताओं के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सीएजी का विभिन्न मामलों में समय पर उपलब्ध कराई जाने वाले परामर्श के लिए अत्यंत आभारी हूँ।

मैं वार्षिक प्रतिवेदन को समय पर संकलित व प्रकाशित करने के लिए सम्पादन दल की सराहना करता हूँ और उसे बधाई देता हूँ। श्री डी.एस. मिश्रा और उनके दल को प्रभावी समन्वयन व प्रतिवेदन को समय पर निकालने के लिए मैं उनकी विशेष रूप से सराहना करता हूँ।

आर.आर. हंचिनाल  
(आर.आर. हंचिनाल)  
अध्यक्ष

# आभार ज्ञापन

मैं पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल का प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन 2013–14 को तैयार करने में उनके द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता, प्रेरणा, उत्साह तथा व्यापक विचारों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा।

मैं पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष डॉ. पी.एल. गौतम तथा भा.कृ.अ.प. के उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) डॉ. एस.के. दत्ता तथा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष (19 दिसम्बर 2012 से) का उनके मूल्यवान सहयोग, मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

मैं श्री डी.एस. मिश्रा का प्राधिकरण की पिछले तीन वर्षों के प्रतिवेदनों की पांडुलिपि को लिखने, उसका संकलन करने व उसे तैयार करने में उनके द्वारा किए गए गंभीर प्रयासों के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं श्री दीपल राय चौधरी, संयुक्त रजिस्ट्रार का प्राधिकरण की वार्षिक प्रतिवेदन के लिए उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियां तथा बहुमूल्य सुझाव देने के लिए उनकी सराहना करता हूँ।

मैं के सभी पंजीकारों डॉ. मनोज श्रीवास्तव, डॉ. तेजवीर सिंह और डॉ. रवि प्रकाश सहित प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन की विषय वस्तु को सुधारने में दिए गए आवश्यक योगदान के लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। मैं गुवाहाटी तथा रांची रिस्थित कार्यालय के दोनों उप पंजीकारों, श्री डी.एस. राजगणेश और श्री रवि रमन प्रधान, विधिक सलाहकारों, डॉ. डी.एस. पिलानिया, तकनीकी सहायक, सुश्री शिप्रा माथुर और श्री श्याम नारायण, कम्प्यूटर सहायता के लिए उनकी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने परामर्शकों श्री टी.डी. तिवारी और श्री रोशन लाल को भी धन्यवाद देता हूँ।

मैं श्री जतिन कुमार, कार्यालय सहायक को प्राधिकरण की 2013–14 के वार्षिक प्रतिवेदन के टंकण, इसकी फार्मटिंग तथा इसकी डिजाइन तैयार करने में समयबद्ध रूप से सचिवीय सहायता के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। प्राधिकरण कृषि एवं सहकारिता विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राप्त होने वाली सहायता और सहयोग के लिए भी इहें धन्यवाद देता है।

हम पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा भा.कृ.अ.प., राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा आईसीएफआई के विभिन्न संस्थानों/केन्द्रों पर डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं के साथ इस अवधि के दौरान विकसित सम्पर्क को सराहते हैं तथा इस वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करने में समय पर दिए गए उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

2159

आर.सी. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



## विशिष्ट सारांश

भारत विश्व व्यापार संगठन के बोर्डिंग सम्पदा अधिकारों के व्यापार से जुड़े पहलुओं पर समझौते (ट्रिप्स) के सदस्यों में से एक है। ट्रिप्स के अनुच्छेद 27(3)(ख) में यह कहा गया है कि सदस्यों को सूक्ष्मजीवों के अतिरिक्त पौधों और पशुओं व गैर-जीवविज्ञानी और सूक्ष्म जीवविज्ञानी प्रक्रियाओं के अतिरिक्त पौधों या प्राणियों के उत्पादन के लिए अनिवार्य जीवविज्ञानी क्रियाओं को अपनाने की स्वतंत्रता है और इसके लिए उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता। तथापि, ये सदस्य या तो पेटेंट द्वारा या प्रभावी सु जेनेरिस प्रणाली द्वारा अथवा इन दोनों के माध्यम से पौधा किस्मों की सुरक्षा के लिए प्रावधान उपलब्ध कराएंगे। भारत ने 2001 में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी और एफआर) अधिनियम (2001 का 53) सु जेनेरिस प्रणाली अपनाकर लागू किया। पीपीवी और एफआर अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना तथा कृषकों और पादप प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए पौधा किस्मों की सुरक्षा हेतु एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना करना है। यह एक अनूठा अधिनियम है जिसमें जहां एक ओर खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि की भावना को पूरा किया गया है, वहीं दूसरी ओर उपोव, 1978 के समझौते को भी पूरा किया गया है। इसमें राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार प्रजनकों तथा कृषकों के अधिकारों के बीच एक संतुलन रखा गया है। इस अधिनियम के उद्देश्य से 11 नवम्बर 2005 को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की स्थापना हुई। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकरण ने पौधा किस्मों के पंजीकरण, कृषकों के अधिकारों, राष्ट्रीय जीन निधि, राष्ट्रीय जीन बैंक आदि के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित कीं।

अब तक भारत सरकार ने पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की अनुशंसाओं पर पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु 79 फसल प्रजातियों को अधिसूचित किया है। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान प्राधिकरण ने विभिन्न फसलों के लिए 20 नए डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया

है। ये दिशानिर्देश संबंधित कार्यबलों की अनुशंसाओं के पश्चात पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित किए गए हैं। ये दिशानिर्देश केन्द्र सरकार के परामर्श से अधिसूचित किए जाने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग को अग्रेषित किए जा चुके हैं। ये फसल प्रजातियां शुष्क फलों, सब्जियों, बीज मसालों, अनाजों व वानिकी सहित पुष्प और फल का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन फसलों को पंजीकरण में शामिल किए जाने से विदेशी कंपनियां सेब, अंगूर, अनार, नाशपाती, खुबानी, चेरी व आर्किडों के वाणिज्यीकरण के लिए अपनी रोपण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए आकर्षित होंगी।

वर्ष के दौरान 40 फसलों के 2318 आवेदन पंजीकरण हेतु व अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किए गए। ये आवेदन 3 श्रेणियों में थे, नामतः नई (338), विद्यमान (257) और कृषक किस्में (1641) तथा अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्में (82)। सर्वाधिक आवेदन कृषक श्रेणी (1641) के अंतर्गत थे जिसके बाद क्रमशः निजी (538) और सार्वजनिक (138) श्रेणियों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का स्थान था। कुल 338 नई श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में से 36 आवेदन सार्वजनिक क्षेत्र से, 301 निजी क्षेत्र से थे तथा नई श्रेणी के अंतर्गत एक कृषक द्वारा दाखिल किया गया एक आवेदन शामिल नहीं था।

प्राप्त किए गए आवेदन अनाजों, मोटे अनाजों, दलहनों, वाणिज्यिक फसलों, तिलहनों, सब्जियों, मसालों, फूलों और पुष्पों के थे। सर्वाधिक आवेदन अनाजों के प्राप्त हुए (1511) जिसके पश्चात् क्रमशः सब्जियों (261), रेशा फसलों (183), तिलहनों (155), दलहनों व मोटे अनाजों (117) तथा अन्य फसलों (91) का स्थान था।

चावल की किस्मों, के संबंध में सर्वाधिक आवेदन 1357 प्राप्त हुए और यह सूची में चोटी पर था जिसके पश्चात् क्रमशः कपास (182), टमाटर (102), मक्का (86), भिण्डी (65), बैंगन (59), सरसों (49), ज्वार (42), आम (31), उड्ड (27), गेहूं (26), मूंगफली (26), फूलगोभी, अरहर और सूरजमुखी (प्रत्येक 25), बाजरा (23), तिल (17), हल्दी (16), अदरक (12), मटर और सेम (प्रत्येक

10) तथा अन्य फसलों (103) का स्थान था।

वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाले विद्यमान अधिसूचित किस्मों के 213 आवेदनों में से 158 सार्वजनिक क्षेत्र के थे जिसमें 22 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, 49 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा 6 निजी क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे। अनुशंसित किस्मों के पासपोर्ट आंकड़े जन-सामान्य की सूचना तथा उनके विचार, यदि कोई हों तो प्रकाशन के 90 दिनों के अंतर्गत प्राप्त किए जाने के लिए भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित किए गए।

खरीफ 2013 और रबी 2013–14 के दौरान विभिन्न डीयूएस परीक्षण केन्द्रों में प्रथम वर्ष विभिन्न फसलों की कुल 485 प्रत्याशी किस्मों का परीक्षण किया गया। इनमें 236 नई किस्में, 188 सामान्य ज्ञान की किस्में और 61 कृषक किस्में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नई श्रेणी के अंतर्गत आने वाली 208 किस्में परीक्षण के दूसरे वर्ष में थीं। नई किस्म की श्रेणी के अंतर्गत 79 प्रत्याशी किस्मों ने डीयूएस परीक्षण के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्राधिकरण ने देश के विभिन्न भागों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के संस्थानों में स्थित नई परियोजनाओं सहित 133 डीयूएस केन्द्रों को सहायता प्रदान की है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को डीयूएस परीक्षण करने, डीयूएस मानदंडों/परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास करने व प्रजनन अनुरक्षण के लिए प्रयोगशाला व खेत सुविधाओं को सबल बनाने के लिए ₹ 682.60 लाख की राशि जारी की गई जिसका विवरण अनुबंध IV और V में दिया गया है।

प्राधिकरण ने रिपोर्टधीन अवधि के दौरान 330 पंजीकरण प्रमाण—पत्र जारी किए (अनुबंध XI)। इनमें से 148 विद्यमान श्रेणी में आने वाली किस्मों तथा 60 नई किस्मों, 76 कृषक किस्मों और शेष 46 अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न श्रेणी में आने वाली किस्मों के लिए थे। सर्वाधिक प्रमाण—पत्र चावल के लिए जारी किए गए (138), जिसके पश्चात क्रमशः बाजरा (31), कपास (29), गन्ना (25), ज्वार (23), सरसों (17), सूरजमुखी (12), मूँगफली (10), मक्का (9), तोरिया (9), गेहूं (7), चना और सोयाबीन (प्रत्येक 6), पटसन और अलसी (प्रत्येक

2), बैंगन, अरण्ड, फूलगोभी, कुसुम और तिल (प्रत्येक 1) का स्थान था।

प्राधिकरण ने सुरक्षित किस्मों के बीजों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त डॉ. बाला साहेब सावंत कोंकण विद्यापीठ, धपोली, महाराष्ट्र; बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची, झारखण्ड; अलैंगिक/वानस्पतिक प्रवर्धित फसलों के लिए क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केन्द्र, मशोबरा (डॉ. वाई.एस.परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत), सोलन, हिमाचल प्रदेश तथा केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में शुष्क क्षेत्र प्रजातियों के लिए चार फील्ड जीन बैंक स्थापित किए गए हैं (अनुबंध VI)।

प्राधिकरण ने डीयूएस विवरणों के सत्यापन, डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास तथा संदर्भ किस्मों के डेटाबेसों के सृजन के लिए अलंकारिक एवं बागवानी फसलों में नए डीयूएस केन्द्रों को स्थापित कर उन्हें सहायता प्रदान की है। इसके अंतर्गत आने वाली फसलें हैं – बोगेनवीलिया, ग्लेडियोलस, केली, चाइना एस्टर, चमेली, ट्यूबरोज़ या रजनीगंधा, गेंदा, क्रोसेंड्रा, स्ट्राबेरी, ताङ, जामुन, आंवला, बेल, आड़, आलूचा, पैपी और शरीफा, केला, नींबूवर्गीय फल, खरबूज और तरबूज, जई, लोबिया और गिनी घास, लघु मोटे अनाज, पान की बेल, कार्नेशन, चौलाई, पालक, तोरई, मिर्च, स्वीट पेपर, पैपरिका, खीरा—ककड़ी, जीमीकंद और तारे, नोनी, चिरौंजी व इमली।

रिपोर्टधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण की दो बैठकें हुईं तथा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनमें प्रमुख थे – नई ईवीआरसी समिति का गठन, पंजीकरण हेतु विद्यमान अधिसूचित किस्मों का अनुमोदन, प्राधिकरण के वार्षिक खातों का अनुमोदन और पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों (2011–12), प्रतिदानों व सम्मानों को दिया जाना।

प्राधिकरण के विधिक कोष्ठ ने भारत के विभिन्न न्यायालयों में दायर मुकदमों की पैरवी की। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण के विरुद्ध 33 मुकदमे लंबित थे जिनमें से 4 का निपटारा किया गया और 31 मार्च 2014 को प्राधिकरण के विरुद्ध 29 मामले लंबित हैं।

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के कृषक कोष्ठ

ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कृषकों के अधिकारों को कार्यान्वित किया तथा देशभर में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए विभिन्न संस्थानों डीयूएस केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों और स्टेक होल्डरों को धनराशि उपलब्ध कराई। प्राधिकरण ने विभिन्न स्थानों पर आयोजित किसान मेलों, उत्सवों, कृषि मेलों में भाग लिया, ताकि विभिन्न पण्धारियों के बीच पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत कृषकों के अधिकारों, किस्मों के पंजीकरण जिसमें कृषक किस्में भी शामिल हैं, से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार किया जा सके। भू-प्रजातियों सहित परंपरागत और कृषक किस्मों के पंजीकरण के लिए किसानों को प्रेरित करने हेतु उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। भा.कृ.अ.प. नेटवर्क की कृषि विज्ञान केन्द्र प्रणाली को सहायता प्रदान की गई।

पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार (2011–12) तथा प्रतिदान व सम्मान भी पात्र व्यक्तियों को प्रदान किए गए। पादप जीनोम संरक्षक सम्मान पुरस्कारों (2012–13) के लिए देश के महत्वपूर्ण समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करके और प्राधिकरण की वेबसाइट द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए। प्राधिकरण ने पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार समारोह 22 मई 2013 को एनएएससी परिसर स्थित नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री तारीक अनवर थे जिन्होंने वर्ष 2011–12 के लिए पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार वितरित किए तथा मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए। ये पुरस्कार कृषकों, कृषकों के समुदायों व आदिवासी लोगों को प्रदान किए गए।

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान प्राधिकरण के तीन अधिकारियों ने इटली, नीदरलैंड्स और ओमान में प्रशिक्षण/बैठकों में भाग लिया। नीदरलैंड्स, जर्मनी

तथा अंतरराष्ट्रीय बायोडायर्सिटी से आए विदेशी प्रतिनिधि मण्डलों ने पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के कार्यालय का दौरा किया तथा यहां के अधिकारियों के साथ पौधा किस्मों की सुरक्षा, पादक प्रजनक अधिकारों (पीबीआरएस), क्षमता निर्माण तथा पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व टिकाऊ उपयोग आदि के बारे में चर्चा की।

भारत तथा जर्मनी के बीच द्विपक्षीय सहयोग को सरकारी स्तर पर उच्च प्राथमिकता दी जा रही है और जर्मनी से उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया तथा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के प्रतिनिधि मंडल के साथ-साथ कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के साथ एक परिचर्चा बैठक आयोजित की, ताकि बीज विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा सकें।

प्राधिकरण ने 2013–14 के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग से अनुदान सहायता के रूप में 1511.96 लाख रुपये प्राप्त किए जिनमें से 1525.38 लाख रुपयों का 31 मार्च 2014 तक उपयोग हुआ और पिछले वर्ष गैर खर्च हुए 13.51 लाख रुपये को समायोजित करते हुए 0.09 लाख रुपये शेष हैं। प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने के लिए समय पर अग्रेषित किया गया।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा प्रबंधन के साथ लेखापरीक्षित लेखों को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की नई दिल्ली में दिनांक 31 अक्तूबर, 2014 को आयोजित 21वीं बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई।

लेखापरीक्षित लेखे तथा लेखापरीक्षा की रिपोर्ट तथा प्रबंधन संबंधी उत्तर मंत्रालय को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए अलग से भेजे जा रहे हैं। ताकि संसद के चालू शरदकालिन दोनों सदनों के समक्ष रखा जा सके।





# 1. सामान्य पृष्ठभूमि

पादप प्रजनन मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने तथा उसके विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पादप आनुवंशिक संसाधन पौधों की नई किस्में विकसित करने के लिए कच्ची सामग्री हैं। पादप प्रजनक कृषि तथा बागवानी में मूल अनुसंधान प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में आवश्यक सम्पर्क के रूप में कार्य करते हैं। यदि पादप प्रजनन को विद्यमान किस्मों में आनुवंशिक स्तर के छोटे परिवर्तनों को बनाए रखने के लिए जारी रखना है और यदि इससे जननद्रव्य संसाधनों पर और अधिक उत्तरदायित्व आ जाता है तो यह दीर्घावधि वित्तीय सहायता पर निर्भर होगी। इसके साथ ही इसके अंतर्गत अनुसंधान, शिक्षा, नियोजन और परिदृश्य के लिए भी वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराना होगा। पादप प्रजनन के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, ताकि जीवविज्ञानी संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके और अधिक से अधिक पर्यावरणीय संतुलन के साथ कृषि की उत्पादकता को बढ़ाए रखना सुनिश्चित किया जा सके। पादप प्रजनकों के अधिकार ऐसे पर्यावरण को सृजित करने का साधन हैं जिनमें निजी निवेशक जननद्रव्य तथा प्रौद्योगिकी संसाधनों के लिए दीर्घावधि आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ पादप प्रजनकों के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा सके। पादप प्रजनकों के अधिकारों से अनेक विधियों से संसाधनों के निवेश पर अधिक लाभ प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

आर्थिक पौधों की उपयुक्त किस्में उत्पन्न करने में पादप प्रजनकों और कृषक समुदायों द्वारा पादप प्रजनन में नवोन्मेष की कानूनी सुरक्षा को लागू करने, अनुसंधान के लिए निवेश उपलब्ध कराने, व्यापार को बढ़ावा देने तथा पादप आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग को नियमित करने के लिए कानूनी सुरक्षा दिलाना आवश्यक है। पादप प्रजनकों के अधिकारों को लागू करके पौधा किस्मों की सुरक्षा का मुद्दा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (गैट) के अंतर्गत विशेष रूप से ध्यान में लाया गया था जिसके परिणामस्वरूप 1995 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना हुई। भारत ने डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार से संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) संबंधी समझौते की पुष्टि की है। अतः इससे यह अपेक्षा की गई थी कि यह पौधा

किस्मों की सुरक्षा से संबंधित कथित समझौते के अनुच्छेद 27(3) (ख) से संबंधित प्रावधानों को लागू करे।

भारत सरकार ने आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नई पौधा किस्मों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए तथा पौधा किस्मों, कृषकों व पौधा प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सु जेनेरिस प्रभावी प्रणाली की स्थापना के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी और एफआर) अधिनियम, 2001 (2001 का 53) में लागू किया। पीपीवी और एफआर नियमावली 12 सितम्बर 2003 में अधिसूचित की गई। अंततः अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा(1) के अंतर्गत 11 नवम्बर 2005 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की।

## 1.1 पीपीवी और एफआर अधिनियम के उद्देश्य

उक्त अधिनियम के उद्देश्य हैं :

- ❖ पौधा किस्मों, कृषकों और प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना।
- ❖ नई पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराने तथा किसी भी समय उसके संरक्षण व उसके सुधार में किसानों द्वारा दिए गए योगदान के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना व उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।
- ❖ नई पौधा किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक व निजी, दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु पादप प्रजनक के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना।
- ❖ देश में बीज उद्योग की प्रगति को सुगम बनाना जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

## 1.2 अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

यह अधिनियम एक सु जेनेरिस प्रणाली पर आधारित है और इस दृष्टि से अनूठा है कि इसमें प्रजनकों, किसानों, कृषक समुदायों व अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों को पूर्ण

मान्यता दी गई है। इसके अंतर्गत किसी प्रजनक या उसके अधिकारी, उसके एजेंट या लाइसेंसी को पंजीकृत किस्म के बीज को उत्पन्न करने, बेचने, उसका विपणन करने, वितरण करने, आयात और निर्यात का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। जहां तक कृषकों के अधिकारों का संबंध है, यह अधिनियम कृषकों को किस्म उगाने वाले, संरक्षक और प्रजनक के रूप में मान्यता प्रदान करता है और यह प्रावधान करता है कि कृषक किस्मों को पंजीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में पंजीकृत किस्म के अनिवार्य लाइसेंस का उस स्थिति में प्रावधान है जब बीज/रोपण सामग्री उपयुक्त मूल्य अथवा मात्रा में जन-सामान्य को उपलब्ध न कराई गई हो। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा कोई संगठन लाभ में भागीदारी का दावा कर सकता है, बशर्ते कि पादप आनुवंशिक सामग्री उसकी हो तथा उसने पंजीकृत किस्म के विकास में भागीदारी की हो। अनुसंधानकर्ताओं को प्रयोग अथवा अनुसंधान करने के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म के उपयोग करने का अधिकार है तथा ऐसी किस्म का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा किस्म के आरंभिक स्रोत के रूप में अन्य किस्मों के सृजन के उद्देश्य से किया जा सकता है। भारत वह विशिष्ट देश है जहां कृषकों के अधिकारों को स्थापित करने व सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विधान को लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत कृषक समुदाय के भूत, वर्तमान तथा भावी योगदानों को मान्यता प्रदान की गई है तथा इसमें कृषक समुदायों/कृषकों को कृषि-जैव विविधता के संरक्षण में किए गए उनके योगदानों के लिए पुरस्कृत करने का अवसर भी उपलब्ध कराया गया है।

### 1.3 पीपीवी और एफआर प्राधिकरण

प्राधिकरण एक निकाय कॉर्पोरेट है जिसका वैधानिक दर्जा है तथा इसे चल तथा अचल सम्पत्तियों को अधिगृहीत करने, बनाए रखने तथा उनके निपटान का अधिकार है और साथ ही इसके लिए ठेका करने का भी अधिकार है तथा इस संबंध में यह कोई भी कानूनी कार्यवाही कर सकता है अथवा इस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह सोसायटीज ब्लॉक, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा परिसर, नई दिल्ली में किराए के भवन में कार्य कर रहा है। 31 मार्च 2014 को प्राधिकरण का एक अध्यक्ष तथा 15 सदस्य हैं।

### 1.4 पौधा किस्मों का पंजीकरण

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने 79 फसल प्रजातियों के विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व (डीयूएस) परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है तथा उनका पंजीकरण किया है। ये फसल प्रजातियां अनाजों, दालों, मोटे अनाजों, तिलहनों, मसालों, सब्जियों, पुष्टों, फलों, औषधीय व संगंधीय पौधों तथा रेशा फसलों की हैं। प्राधिकरण ने रिपोर्टाईन वर्ष के दौरान (31 मार्च 2014 तक) पौधा किस्मों (नई, विद्यमान अधिसूचित और कृषक किस्म की श्रेणी में) के अंतर्गत 330 पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए हैं। और अधिक आवेदकों को आकर्षित करने के लिए प्राधिकरण विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लाभ के लिए नियमित रूप से जागरूकता तथा क्षमता निर्माण संबंधी कार्यक्रम आयोजित करता है।

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने पीपीवी और एफआर अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम के अंतर्गत देशभर में डीयूएस परीक्षण केन्द्रों का नेटवर्क स्थापित किया है, ताकि आवेदकों द्वारा प्रत्याशी किस्मों के दावों को सत्यापित किया जा सके, अनुरक्षण प्रजनन हो सके, बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत संदर्भ/उदाहरण किस्मों/अधिसूचित किस्मों के अनुरक्षण प्रजनन, प्रगुणन और डीयूएस फसल विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार किस्मों के गुणों के डेटाबेस का सृजन किया जा सके। इसके अतिरिक्त फसल विशिष्ट केन्द्रों में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण किए जा रहे हैं। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए गए आंकड़े और विश्लेषण के लिए इन केन्द्रों द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राधिकरण ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के परामर्श से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सक्षम फसल प्रजातियों की पहचान की है तथा डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए परियोजनाओं को सहायता भी प्रदान की है। प्राधिकरण ने अपना राष्ट्रीय जीन बैंक तथा देशभर में फील्ड जीन बैंक स्थापित किए हैं। यह नियमित रूप से भारतीय पौधा किस्म जरनल प्रकाशित कर रहा है तथा मुख्यालय और अपने शाखा कार्यालयों में पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव कर रहा है।

### 1.5 पादप प्रजनकों के अधिकार

प्रजनकों का अधिकार इस अधिनियम का अत्यंत प्रमुख प्रावधान है जिसका भारतीय कृषि तथा वैशिक परिदृश्य के संदर्भ में दूरगमी प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रजनक को

भी अपनी किस्म के विरुद्ध अनंतिम सुरक्षा का अधिकार है ताकि, पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने तथा प्राधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय लेने के बीच की अवधि के दौरान किसी तीसरे पक्ष द्वारा कोई गलत कार्य न किया जा सके। इसी प्रकार, अनुसंधानकर्ताओं को भी अधिकार दिए गए हैं। तथापि, किसी नई किस्म का बार-बार उपयोग करने पर उस पंजीकृत किस्म के प्रजनक से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है। जैसा कि इस अधिनियम में उल्लेख है पौधा किस्मों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और इसमें किसी नई किस्म के मामले में विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व (डीयूएस) की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति निम्न श्रेणियों के अंतर्गत किसी भी किस्म के पंजीकरण हेतु आवेदन दे सकता है :

- अधिनियम की धारा 29(2) के अंतर्गत विशिष्टीकृत ऐसे गणों या प्रजातियों की नई किस्म
- विद्यमान किस्म,
  - > बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित,
  - > सामान्य ज्ञान की किस्म (वीसीके)
- कृषक किस्म
  - > किसानों द्वारा उनके खेत में परंपरागत रूप से उगाई गई और विकसित की गई किस्म,
  - > ऐसी वन्य संबंधी या भू-प्रजाति है जिसके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है।
- अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म (ईडीवी)

सुरक्षा की कुल अवधि फसलों के मामले में नई किस्म या सामान्य ज्ञान और कृषक किस्मों के मामले में पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष तथा वृक्षों और लताओं के मामले में 18 वर्ष है। विद्यमान किस्मों के मामले में यह अवधि बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा उस किस्म की अधिसूचना की तिथि से 15 वर्ष है।

## 1.6 कृषकों के अधिकार

अधिनियम में कृषकों को निम्न अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं :

- **बीज का अधिकार :** अपनी फसल से अपने बीज को बचाकर रखने, उसे बुआई, पुनः बुआई, आदान-प्रदान करने और अन्य किसानों के साथ साझीदारी करने या

बेचने का अधिकार बशर्ते कि वह किसान किसी सुरक्षित किस्म के ब्रांडेड बीज की बिक्री न करे।

- **अपनी किस्मों के पंजीकरण का अधिकार :** किसानों द्वारा विकसित या संरक्षित परंपरागत किस्में या उनके द्वारा विकसित नई किस्में मान्यता की पात्र हैं।
- **पुरस्कार एवं सम्मान का अधिकार :** जो किसान पादप आनुवंशिक संसाधनों के चयन और परिरक्षण के माध्यम से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों और उनके वन्य संबंधियों के सुधार के साथ भू-प्रजातियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में रत हैं, उन्हें पुरस्कार व सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है।
- **कृषक किस्म का प्राधिकृतिकरण :** यदि कृषक किस्म का उपयोग किसी नई किस्म के विकास में किया जाना है तो कृषक से इसकी अनुमति लेनी होगी।
- **समुदायों का अधिकार :** किसी किस्म के मूल्यांकन में किसी गांव या स्थानीय समुदायों के लोगों के योगदान पर उनका अधिकार होगा।
- **लाभ में भागीदारी का अधिकार :** नई पौधा किस्मों के प्रजनन के लिए कृषक किस्मों की महत्वपूर्ण भूमिका के मामले में।
- **अनजाने में किए गए नियम उल्लंघन से सुरक्षा**
- **शुल्क से छूट**

## 1.7 किस्मों का पंजीकरण

किसी पौधा किस्म और इसके नाम के पंजीकरण के लिए आवेदन निम्न श्रेणियों में दिया जा सकता है :

- **नई किस्म :** यदि कोई किस्म अपनी पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने की तिथि से एक वर्ष से कम अवधि के लिए वाणिज्यीकृत की गई है तो यह नई किस्म है।
- **विद्यमान किस्म :** इसमें निम्नलिखित श्रेणियां हैं :

### **क. बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म :**

**बीज अधिसूचित विद्यमान किस्म :** बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित किस्में इस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण की पात्र हैं।

**ख. कृषक किस्म :** कृषकों द्वारा विकसित और उनके खेतों में परंपरागत रूप से उगाई गई जिसमें वे वन्य संबंधी या भू-प्रजातियां या किस्में भी शामिल हैं जिनके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है।

**ग. सामन्य ज्ञान की किस्म :** जो बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित नहीं की गई है और एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए वाणिज्यिकृत श्रृंखला में हैं।

**घ. सार्वजनिक क्षेत्र की किस्म :** ये पंजीकरण की पात्र नहीं हैं क्योंकि ये पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में हैं।

अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म : वह किस्म जो किसी आरंभिक किस्म से प्रमुखतः व्युत्पन्न है और इसे नई या विद्यमान किस्म के अंतर्गत आना चाहिए।

### 1.8 किस्मों के फील्ड परीक्षण की अवधि

आवेदन पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है और आवेदक को डीयूएस परीक्षण शुल्क जमा कराना होता है। वांछित शुल्क और बीज प्राप्त करने के पश्चात् किस्म को डीयूएस परीक्षण करने के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र भेजा जाता है। डीयूएस परीक्षण केन्द्र की अवधि निम्नानुसार है :

**क. नई किस्में :** दो स्थानों पर दो समान फसल वर्ष

**ख. कृषक किस्म और वीसीके :** दो स्थानों पर एक फसल मौसम

**ग. बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म :** डीयूएस परीक्षण नहीं किया जाता है लेकिन किस्म की ईवीआरसी समिति द्वारा जांच की जाती है जो इसके पंजीकरण की सिफारिश करती है।

**घ. ईडीवी :** डीयूएस परीक्षण अनिवार्य नहीं है लेकिन डीयूएस मानदंडों की पुष्टि के लिए फील्ड परीक्षण किया जाता है।

डीयूएस परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के बाद आवेदन पर फिर कार्रवाई की जाती है और यदि दावा किए गए गुण तथा डीयूएस परीक्षण में ज्ञात किए गए गुण समान होते हैं तो उस किस्म का विज्ञापन किया जाता है। यदि दावा किए गए गुण और डीयूएस परीक्षण द्वारा निर्धारित गुण भिन्न होते हैं तो आवेदक को आवेदन में संशोधन करने की आवश्यकता होती है।

आवेदन को भारतीय पौधा किस्म जरनल में विज्ञापित किया जाता है जिसमें प्रकाशन की तिथि से 3 माह की अवधि तक आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। यदि कोई आपत्ति दाखिल नहीं होती है या कोई विरोध दर्ज नहीं कराया जाता है या दाखिल की गई आपत्ति को रद्द कर

दिया जाता है तो आवेदन का पंजीकरण किया जाता है। सुरक्षा की अवधि निम्नानुसार है :

### 1.9 सुरक्षा अवधि तथा सुरक्षा के लिए पात्र फसलें/प्रजातियां

**फील्ड फसलें** – 15 वर्ष

**वृक्ष और लताएं** – 18 वर्ष

**बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म :** बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचना की तिथि से 15 वर्ष।

सुरक्षा के लिए पात्र फसलों/प्रजातियों की संख्या – 79 (अनुबंध X)

### 1.10 दिए गए अधिकार

पंजीकरण से कृषक को किसी किस्म के नाम को उत्पन्न करने, बेचने, उसका विपणन करने, आयात–निर्यात करने का एकमात्र अधिकार मिल जाता है और कृषक पंजीकृत किस्म के बीज को किसी भी रूप में प्रयुक्त कर सकता है, बशर्ते कि वह ब्रांडेड न हो।

### 1.11 कृषकों/कृषक समुदायों को पुरस्कार

पीपीवी और एफआर नियमावली, 2003 के नियम 70(2)(क) के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 45(2) में विशेष रूप से कृषि जैवविविधता हॉट स्पॉट्स के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों व उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार तथा परिरक्षण में लगे आदिवासी तथा ग्रामीण समुदायों के किसानों, किसान समुदायों को राष्ट्रीय जीन निधि से सहायता प्रदान करने तथा पुरस्कृत करने का प्रावधान है। इन प्रावधानों को परिचालित करने के लिए 2009–10 से पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष अधिकतम पांच पुरस्कार दिए जाते हैं। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपये नकद, एक उद्घरण तथा एक स्मृति चिह्न प्रदान किया जाता है। चार कृषक समुदायों अर्थात् सीड सेवर फार्मस ग्रुप, नंदुरबार, महाराष्ट्र; राईस फार्मिंग कम्प्युनिटीज, पालकाड, केरल; संजीवनी रुरल डेवलपमेंट सोसायटी (एसआरडीसी), विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश और दीपाओली वीमेन्स सैल्फ हैल्प ग्रुप, तिरुवनमलय, तमिल नाडु को 2011–12 के लिए पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त दस किसानों को पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार प्रदान किए

गए जिनके अंतर्गत प्रत्येक को 1 लाख रुपये, उद्घरण तथा स्मृति चिह्न दिए गए व 15 किसानों को पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मान प्रमाण-पत्र दिए गए। इन पुरस्कार

प्राप्तकर्ताओं का चयन किसी विशेषज्ञ वैज्ञानिक के नेतृत्व में अत्यधिक व्यापक विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की समिति द्वारा किया जाता है।



## 2. पौधा किस्म रजिस्ट्री की प्रगति

### 2.1 फसल प्रजातियों के लिए फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का प्रकाशन

अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण ने भारतीय पौधा किस्म जरनल में निम्नलिखित 12 फसल प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण करने हेतु दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं (सारणी 1)।

**सारणी-1 : 2013–14 के दौरान प्रकाशित फसल प्रजातियां**


क्र.	अंग्रेजी नाम	हिन्दी/स्थानीय नाम	वानस्पतिक नाम	प्रकाशित
1.	ग्रेप	अंगूर	विटिस प्रजातियां	अप्रैल 2013
2.	बारले	जौ	हॉर्ड्यम वल्नोयर एल.	मई 2013
3.	कोरिएंडर	धनिया	कोरिएंडर सेटाइवम एल.	
4.	फेनुग्रीक	मेथी	ट्राइगोनेला फोएनम ग्रीकम एल.	
5.	अल्मांड	बादाम	प्रूनस डल्किस (मिल) डी.ए. वैब	जुलाई 2013
6.	एप्पल	सेब	मैलस डोमेस्टिका बॉर्क	
7.	पियर	नाशपाती	पाइरस कम्युनिस एल.	
8.	एप्रीकॉट	खुबानी	प्रूनस एर्मेनियाका एल.	
9.	चेरी	चेरी	प्रूनस एवियम एल.	
10.	वाल्नट	अखरोट	जुग्लांस रेगिया एल.	
11.	इंडियन जुजुबे	बेर	जिजिफस माऊरीटियाना लाम्क	सितम्बर 2013
12.	टी	चाय	कैमेलिया प्रजातियां	जनवरी 2014

ये फसल प्रजातियां अनाजों, मसालों, फलों व पेय पदार्थों की हैं। ऐसी अपेक्षा है कि उपरोक्त फसलों के पंजीकरण से कृषि में विविधता के अवसर उपलब्ध होंगे


तथा वैधानिक सुरक्षा के अलावा इन फसलों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

### 2.2 प्राप्त आवेदन

प्राधिकरण ने अधिनियम के अंतर्गत पौधा किस्मों की सुरक्षा के लिए अब तक अधिसूचित 79 फसल प्रजातियों में से 40 फसलों के 2318 आवेदन प्राप्त किए (चित्र 1 और 2)। ये आवेदन नई (338), विद्यमान (257), कृषक (1642) और अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न या ईडीवी (82) श्रेणियों के अंतर्गत थे।



चित्र 1 : श्रेणीवार प्राप्त आवेदन



चित्र 2 : क्षेत्रवार प्राप्त आवेदन

पंजीकरण हेतु पौधा किस्मों के संबंध में जो आवेदन प्राप्त हुए वे 18 विभिन्न पौधा कुलों से संबंधित किस्मों के थे जो इस प्रकार हैं :

## सारणी—2: पंजीकरण हेतु प्राप्त फसलों के पौधों के कुलों की सूची

क्र.सं.	पादप कुल	फसलें
1	पोएसी	चपाती गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार और गन्ना
2	फैबेसी	अरहर, राजमा, सोयाबीन, मूँगफली
3	मालवेसी	कपास और भिण्डी
4	टिलिएसी	पटसन
5	सोलेनेसी	बैंगन, टमाटर और आलू
6	ब्रैसिकेसी	भारतीय सरसों, तोरिया, फूलगोभी और बंदगोभी
7	जिंजीबरेसी	हल्दी, अदरक और छोटी इलायची
8	एस्टरेसी	सूरजमुखी, गुलदाउदी
9	यूफोरबिएसी	अरण्ड
10	पिडेलिएसी	तिल
11	पाइपरेसी	काली मिर्च
12	एमाराइलिडेसी	प्याज
13	रोसेसी	गुलाब
14.	पाइपेरेसी	काली मिर्च
15.	पिडेलिएसी	तिल
16.	ऑर्किडेसी	ऑर्किड
17.	लिनेसी	अलसी
18.	एलिएसी	लहसुन

ये आवेदन विभिन्न स्वरूपों जैसे अनाजों, मोटे अनाजों, दालों, वाणिज्यिक फसलों, तिलहनों, सब्जियों, मसालो तथा पुष्पों व फलों के लिए प्राप्त हुए थे। सर्वाधिक आवेदन अनाज (1511) के प्राप्त हुए थे जिसके पश्चात सब्जियों (261), रेशा फसलों (183), तिलहनी फसलों (155), दलहनों और मोटे अनाजों (117) तथा अन्य फसलों (91) के थे (सारणी 3)।

## सारणी—3 : पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों का फसलवार विवरण

फसल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कृषक किस्म	कुल
उड्ड	02	01	24	27
बैंगन	03	39	17	59

काली मिर्च	—	—	04	04
बंदगोभी	—	02	—	02
अरण्ड	02	02	01	05
फूलगोभी	02	23	—	25
चना	01	—	06	07
नारियल	—	—	05	05
द्विगुणित कपास	—	04	04	08
खेत मटर	—	01	09	10
लहसुन	—	—	05	05
अदरक	—	—	12	12
मूँग	01	—	06	07
मूँगफली	24	—	02	26
सरसों	20	05	24	49
तोरिया	—	—	5	05
पटसन	—	—	01	01
सेम	—	—	10	10
मसूर	—	—	08	08
अलसी	—	—	08	08
मक्का	06	33	47	86
आम	—	—	31	31
भिण्डी	—	60	05	65
प्याज	01	—	01	02
ऑर्किड	—	—	03	03
बाजरा	—	20	03	23
अरहर	01	01	23	25
आलू	02	—	04	06
चावल	28	47	1282	1357
गुलाब	—	01	—	01
कुसुम	04	—	02	06
तिल	01	—	16	17
छोटी इलायची	—	—	07	07
ज्वार	12	02	28	42
सोयाबीन	03	04	02	09
गन्ना	03	02	07	12
सूरजमुखी	01	24	—	25
चतुर्गुणित कपास	04	169	01	174

टमाटर	01	95	6	102
हल्दी	—	—	16	16
गेहूं	16	03	07	26
<b>कुल</b>	<b>138</b>	<b>538</b>	<b>1642</b>	<b>2318</b>

सर्वाधिक आवेदन चावल के लिए (1357) प्राप्त हुए जिसके पश्चात क्रमशः कपास (182), टमाटर (102), मक्का (86), भिण्डी (65), बैंगन (59), सरसों (49), ज्वार (42), आम (31), उड़द (27), गेहूं (26), मूंगफली (26), फूलगोभी, अरहर और सूरजमुखी (प्रत्येक 25), बाजरा (23), तिल (17), हल्दी (16), अदरक (5), मटर और सेम (प्रत्येक 10) तथा अन्य फसलों (103) के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे।

### 2.3 नई/अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों का पंजीकरण

वर्ष 2013–14 के दौरान प्राप्त 338 आवेदनों में से 36 आवेदन सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से, 301 निजी क्षेत्र से और केवल 1 कृषक किस्म के लिए नई श्रेणी के अंतर्गत दाखिल किए गए। ईडीवी के अंतर्गत निजी क्षेत्र से 82 आवेदन भी प्राप्त हुए इसमें से 80 आवेदन निजी क्षेत्र से थे तथा 2 सार्वजनिक क्षेत्र से थे। नई/ईडीवी किस्मों के अंतर्गत दाखिल किए गए आवेदनों की जांच पादप किस्म रजिस्टरी द्वारा की गई और जहां कहीं आवश्यक था, स्पष्टीकरण मांगा गया। सामान्य रूप से किस्मों की बिक्री के प्रमाण से यह पाया गया कि अधिकांश स्पष्टीकरण किस्मों की बिक्री के प्रमाण, पूर्वज सामग्री को कानूनी रूप से प्राप्त करने के प्रमाण, तकनीकी प्रश्नावली के विवरणों (समूहीकरण/विशिष्ट/अन्य गुण), पूर्वजता, प्रजनन तकनीकों, संदर्भ किस्मों की तुलना आदि से संबंधित थे। प्राधिकरण समस्याओं, यदि कोई हों तो हल करने के लिए विभिन्न मंचों का उपयोग करके बीज उद्योग सहित स्टेक होल्डरों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क बनाए हुए हैं। साथ ही पंजीकरण प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूरा कर रहा है।

अब तक बाजार से उत्पादों के वापस होने के कारण प्रजनकों द्वारा पंजीकरण हेतु दिए गए 95 आवेदन वापस ले लिए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के 122 आवेदन भी बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत उनकी अधिसूचना की तिथि से सुरक्षा की 15 वर्ष की अवधि के पूरा होने पर निरस्त कर दिए गए हैं। अपेक्षाओं को पूरा करने वाले प्रत्याशी किस्मों के आवेदनों के मामले में पंजीकरण व डीयूएस परीक्षण हेतु

निर्धारित शुल्क के साथ—साथ बीज सामग्री की विशिष्ट मात्रा तथा प्राधिकरण के फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार बीज विश्लेषण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इसके पश्चात् संबंधित बीज नमूनों को संबंधित केन्द्रों को भेजा गया ताकि दो रथानों पर दो समान फसल मौसमों में डीयूएस परीक्षण किए जा सकें।

### 2.4 विद्यमान किस्मों का पंजीकरण

विद्यमान किस्मों में वे किस्में सम्मिलित हैं जो बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 (1966 का 54) के अंतर्गत अधिसूचित हैं, या कृषक किस्में हैं या वे किस्में हैं जिनके बारे में सामान्य ज्ञान है। अधिनियम में बताया गया है कि कृषक का अर्थ कोई भी वह व्यक्ति है जो,

- (i) अपनी स्वयं की भूमि जोतकर फसलें उगाता है, अथवा
- (ii) किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भूमि में खेती करने के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के द्वारा फसलों की खेती करता है, अथवा
- (iii) कोई व्यक्ति अलग—अलग या सम्मिलित रूप से वन्य प्रजातियों या परंपरागत किस्मों को संरक्षित व परिरक्षित करता है, अथवा
- (ii) उपयोगी गुणों की पहचान करके और चयन के माध्यम से ऐसी वन्य प्रजातियों या परंपरागत किस्मों का मूल्यवर्धन करता है।

अधिनियम के अनुसार कृषक किस्म का अर्थ है (i) वह किस्म जो परंपरागत रूप से किसानों द्वारा उनके खेत में उगाई जाती है या विकसित की गई है, (ii) किस्म की वन्य संबंधी या भू—प्रजाति है जिसके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने सामान्य ज्ञान की किस्म (वीसीके) को भी परिभाषित किया है जो भारतीय पौधा किस्म जरनल के 3 सितम्बर 2009 के अंत में प्रकाशित की गई है। इसमें शामिल है (i) वह किस्म जो जारी नहीं हुई है और बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है, लेकिन प्रकाशनों के माध्यमों से भली प्रकार प्रलेखित है और किस्म की परिभाषा को संतुष्ट करने में सक्षम है या (ii) प्रत्याशी किस्म को या तो किस्मों के आधिकारिक रजिस्टर में प्रविष्ट होना चाहिए या वह प्रविष्ट होने की प्रक्रिया के अंतर्गत होनी चाहिए या (iii) प्रत्याशी किस्म को संदर्भ संकलन में स्थान प्राप्त होना चाहिए या प्रकाशन में उल्लिखित विशुद्ध परिभाषा के अनुसार होना चाहिए, या (iv) किसी भी अन्य तरीके से वह किस्म सामान्य

ज्ञान की किस्म हो गई हो तथा किस्म उगाई जा रही हो या पंजीकरण के लिए आवेदन के दाखिल किए जाने के दौरान उसका विपणन हो रहा हो।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान विद्यमान किस्मों के अंतर्गत पंजीकरण हेतु 1898 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें 101 आवेदन अधिसूचित श्रेणी के अंतर्गत, 156 सामान्य ज्ञान की किस्म के अंतर्गत और 1641 कृषक किस्मों के अंतर्गत थे। अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए पीपीवी और एफआर विनियमन, 2006 के नियम, 6 के अनुसार बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत जारी की गई किस्मों के आवेदनों की जांच करने तथा पंजीकरण हेतु इन किस्मों की उपयुक्तता हेतु अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकरण ने विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति (ईवीआरसी) गठित की है।

#### 2.4.1 अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म (ईडीवी) विशेषज्ञ समिति

प्राधिकरण ने डॉ. बी.एस. ढिल्लो, कुलपति, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना की अध्यक्षता में ईडीवी किस्मों के पंजीकरण हेतु विशेषज्ञ समिति पहले ही गठित कर दी है। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान समिति ने ईडीवी की कोई बैठक नहीं हुई इसलिए किसी भी किस्म के पंजीकरण की अनुशंसा नहीं की गई।

#### 2.4.2 विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति (ईवीआरसी)

प्राधिकरण ने उपयुक्त किस्मों के पंजीकरण हेतु उनकी जांच और अनुशंसा करने के लिए सात सदस्यीय ईवीआरसी का गठन किया है।

##### अध्यक्ष

- डॉ. ए.आर. पाठक, कुलपति, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात

##### सदस्य

- डॉ. जी.एन. हजारिका, अनुसंधान निदेशक, असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट
- डॉ. बी. सिंह, परियोजना समन्वयक (सब्जी), भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी
- डॉ. एम. रामासामी, सीएमडी, रासी सीड़स (प्रा.) लि., तमिल नाडु
- श्री प्रकाश गौड़ा एस. पाटिल (कृषक प्रतिनिधि), बीजापुर, कर्नाटक

##### सदस्य—सचिव

- डॉ. मनोज श्रीवास्तव, पंजीकार, पौ.कि. और कृ.अ.सं.प्रा., नई दिल्ली

ईवीआरसी ने 2013–14 के दौरान तीन बैठकें आयोजित कीं तथा बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण के उद्देश्य से 213 आवेदनों को अनुशंसित किया। इन 213 आवेदनों में से 150 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, 57 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा 6 निजी क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे। अनुशंसित किस्मों की फसलवार स्थिति नीचे दी गई है (सारणी 4):

**सारणी—4 : ईवीआरसी द्वारा फसलवार अनुमोदित आवेदन**

क्र. सं.	फसल	आवेदनों की संख्या	क्र. सं.	फसल	आवेदनों की सं.
1.	उड़द	2	15.	आलू	13
2.	बैंगन	8	16.	चावल	35
3.	अरण्ड	1	17.	कुसुम	5
4.	चना	4	18.	तिल	2
5.	खेत मटर	4	19.	ज्वार	3
6.	मूंग	6	20.	सोयाबीन	9
7.	मूंगफली	17	21.	गन्ना	8
8.	सरसों	53	22.	सूरजमुखी	5
9.	सेम	2	23.	चतुर्गुणित कपास	1
10.	तिल	1	24.	टमाटर	3
11.	अलसी	5	25.	हल्दी	2
12.	मक्का	3	26.	गेहूं	18
13.	बाजरा	1			
14.	अरहर	2		<b>कुल</b>	<b>213</b>

स्टेक होल्डरों की सूचना के लिए तथा यदि कोई आपत्तियां हों तो उन्हें 90 दिनों के अंदर आमंत्रित करने के लिए अनुशंसित किस्मों के पासपोर्ट आंकड़े भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित किए गए। इसके पश्चात आवेदकों को सुरक्षा की अवधि के दौरान राष्ट्रीय जीन बैंक में मध्यम अवधि भंडारण के लिए बीज सामग्री की विशिष्ट मात्रा प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।

बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्मों का पंजीकरण मुख्यतः राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (नार्स) के अंतर्गत भा.कृ.अ.प./राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/अन्य अनुसंधान संगठनों और उद्योगों के अंतर्गत प्रजनित की

जाने वाली फसल किस्मों की सुरक्षा और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के अंतर्गत बहुस्थानिक परीक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान उपलब्ध कराता है। ये किस्में केन्द्रीय बीज समिति द्वारा पहले से ही जारी की जा चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि यह समिति कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य कर रही है। यह विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में अथक रूप से कार्य करने वाले पादप प्रजनकों को सम्मानित करने के लिए है और इस प्रावधान का विस्तार करके पादप प्रजनकों/संस्थानों को उनकी किस्मों के लिए वैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है तथा ये लाइसेंस लेकर रायलटी/राजस्व कमा सकते हैं जिसका उपयोग भविष्य में अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्रियाकलापों में हो सकता है।

## 2.5 किस्मों के पंजीकरण की प्रगति


वर्ष 2013–14 के दौरान प्राधिकरण ने 21 फसल प्रजातियों के पंजीकरण के लिए 330 प्रमाण—पत्र जारी किए जिन्हें सारणी 5 में दर्शाया गया है (अनुबंध XI)।

सारणी— 5 : फसलवार जारी किए प्रमाण—पत्र

क्र. सं.	फसल	प्रमाण—पत्रों की संख्या	क्र. सं.	फसल	प्रमाण—पत्रों की संख्या
1.	बैंगन	1	12.	चावल	138
2.	अरण्ड	1	13.	तोरिया	8
3.	फूलगोभी	1	14.	कुसुम	1
4.	चना	6	15.	तिल	1
5.	द्विगुणित कपास	2	16.	ज्वार	23
6.	मूँगफली	10	17.	सौयाबीन	6
7.	सरसों	17	18.	गन्ना	25
8.	पटसन	2	19.	सूरजमुखी	12
9.	अलसी	2	20.	चतुर्गुणित कपास	27
10.	मक्का	9	21.	गेहूं	7
11.	बाजरा	31		कुल	330

सर्वाधिक प्रमाण—पत्र चावल के मामले में जारी किए गए (138) जिसके बाद क्रमशः बाजरा (31), चतुर्गुणित कपास (27), गन्ना (25), ज्वार (23), सरसों (17), सूरजमुखी (12), मूँगफली (10), मक्का (9), तोरिया (8), गेहूं (7), चना (6),

सौयाबीन (6), द्विगुणित कपास (2), पटसन (2), अलसी (2), बैंगन (1), अरण्ड (1), फूलगोभी (1), कुसुम (1), तिल (1) का स्थान था।



वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किए गए 330 पंजीकरण प्रमाण—पत्रों में से 60 नई श्रेणी के, 148 विद्यमान अधिसूचित, 46 विद्यमान वीसीके और 76 कृषक किस्मों की श्रेणी के थे।

## 2.6 सामान्य ज्ञान की किस्में (वीसीके)

सामान्य ज्ञान की किस्मों के पंजीकरण हेतु मानदंड भारतीय पौधा किस्म जरनल (पीवीजे, खण्ड 3, अंक 9) दिनांक 1 सितम्बर 2009 में प्रकाशित हुए। वृक्षों और लताओं के मामले में 18 वर्ष तक और अन्य मामलों में 15 वर्ष तक (आवेदन दाखिल होने के पूर्व) अवधि को बढ़ाने के लिए कथित शासकीय सूचना का एक संशोधन जुलाई 2013 (पीवीजे, खण्ड 7, अंक 7) में प्रकाशित हुआ।

## 2.7 विशेष परीक्षण

नियम 29(1)(य) में प्रावधान है कि यदि डीयूएस परीक्षण किसी किस्म के लिए विशिष्टता को स्थापित करने में असफल हो जाता है तो प्राधिकरण आवेदक के अनुरोध पर जैव—रासायनिक तथा आण्विक तकनीकों के माध्यम से किसी विशेष गुण का पता लगाने के लिए विशेष परीक्षण कर सकता है। प्राधिकरण ने ऐसी संस्थाओं की पहचान से संबंधित मांग पर एक कार्य दल का गठन किया है जो विशेष परीक्षण करने के लिए संदर्भ प्रयोगशालाओं का निर्देश दे सकता है। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने विशेष परीक्षण के लिए प्रस्तावों पर विचार किया तथा जैसा कि अनुबंध V में दर्शाया गया है संदर्भ प्रयोगशाला के उद्देश्य से एक संस्थान को धनराशि जारी की गई है।

## 2.8 डीयूएस परीक्षण केन्द्र/परियोजनाएं

### 2.8.1 बाजरा पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, जोधपुर

इस परियोजना के अंतर्गत केन्द्र ने बाजरा की 60 किस्मों का अनुरक्षण और लक्षण वर्णन किया है जिसमें जनक वंशक्रम/बी वंशक्रम शामिल हैं जो भा.कृ.अ.प./राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा इक्रीसेट से प्राप्त किए गए थे। डीयूएस परीक्षणों की प्रगति तथा डीयूएस परीक्षणों की निगरानी निम्ननुसार है : (सारणी-6)

**सारणी-6 :** वित्त वर्ष 2013-14 में डीयूएस परीक्षणों की प्रगति

फसलें	नई		वीसीके	कुल	की गई निगरानी	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
बाजरा	25	19	11	55	1 अक्टूबर 2014	डॉ. ओ. पी. यादव, पीड़ी, मक्का



डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार अत्यधिक संतोषजनक ढंग से किए गए जारी की गई और अधिसूचित विद्यमान किस्मों के पंजीकरण की प्रगति निम्नानुसार है :

फसले	बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित किस्म (1992 से)	पंजीकरण हेतु दाखिल आवेदन	जारी प्रमाण-पत्र	टिप्पणी
बाजरा	65 (केवल सार्वजनिक क्षेत्र से)	45	33	लम्बित: 5 विचार नहीं किया गया: 3 अनिर्णित: 4

### 2.8.2 वन आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर

वन आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर ने सफेदा और कैसुरीना के लिए डीयूएस दिशानिर्देश सफलता पूर्वक विकसित किए हैं। इन प्रजातियों के पंजीकरण हेतु तैयार होने के लिए प्रमुख गतिविधियां जारी रखते हुए जननद्रव्य बैंक स्थापित किया गया, आकृतिविज्ञानी गुणों पर और पर्यवेक्षण किए गए, कोयम्बत्तूर तथा नईवेली में डीयूएस केन्द्र स्थापित किया गया। उदाहरण किस्मों के पौधों को पर्याप्त संख्या में प्रवर्धित किया गया, उन्हें डीयूएस केन्द्रों में रोपा गया, क्लोनों का डेटाबेस विकसित करके डीयूएस परीक्षण के लिए तैयारी की गई और डीयूएस गुण निर्धारित किए गए।

कैसुरीना और सफेदा क्लोनों का जननद्रव्य बैंक आईएफजीटीबी परिसर में स्थित है और वहां इसका रखरखाव किया जा रहा है। कैसुरीना तथा सफेदा, दोनों के क्लोनों में डीयूएस गुणों के लिए परीक्षण किए गए। डीयूएस केन्द्र की स्थापना के लिए नईवेली में लगभग 5 हैक्टर भूमि की पहचान की गई है। कैसुरीना के 30 क्लोनों की उदाहरण किस्मों को प्रगुणित किया गया है तथा डीयूएस केन्द्रों में संदर्भ संकलन की स्थापना हेतु लगभग 5,000 पौधे तैयार हैं। इसी प्रकार, सफेदा के 44 क्लोनों को प्रगुणित किया गया है और रोपाई के लिए लगभग 4, 400 पौधे तैयार हैं। कैसुरीना के सभी 20 क्लोनों और सफेदा के 10 क्लोनों के लिए डीयूएस गुण मैट्रिक्स तैयार किया गया है ताकि आंकड़ा आधार का उन्नयन किया जा सके।

### 2.8.3 केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान संस्थान (सीआरआरआई), कटक

सीआरआरआई, कटक चावल के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों में से एक है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान केन्द्र में चावल की 12 किस्मों का अनुरक्षण किया गया है जो भा.कृ.अ.प. प्रणाली और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की थी। डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नानुसार है :

### सारणी-7 : वित्त वर्ष 2013–14 में डीयूएस परीक्षण की प्रगति

फसलें	नई		वीसीके	कृषक	कुल	निगरानी की तिथि	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष					
चावल (ओराइज़ा स्टाइवर एल.)	18	11	8	16	53	16–17 अक्टूबर 2013	डॉ. धूआ, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक, सीआर–आरआई

डीयूएस परीक्षणों की निगरानी डॉ. एस.आर. धूआ की अध्यक्षता में 16–17 अक्टूबर 2013 को फसल की पछेती पुष्पन अवस्था के दौरान की गई। श्री डी.एस. मिश्रा, संयुक्त पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने भी एक निजी कंपनी के प्रतिनिधि के साथ इसमें भाग लिया। परीक्षण अत्यधिक संतोषजनक ढंग से आयोजित किए गए थे। सोलह कृषक किस्में ग्रोआउट परीक्षणों के अधीन थीं। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान केन्द्र ने चावल के 33 आवेदन प्रस्तुत किए जिनमें से 17 विद्यमान और 16 नई किस्मों के थे। प्राधिकरण ने 5 प्रमाण–पत्र जारी किए और 28 आवेदन प्रमाण–पत्र हेतु लंबित थे।

#### 2.8.4. भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर, कानपुर)

‘भा.कृ.अ.प. और राज्य कृषि विश्वविद्यालय प्रणालियों के अंतर्गत डीयूएस परीक्षण के माध्यम से पीवीपी विधान का कार्यान्वयन’ शीर्षक की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत आईआईपीआर, कानपुर को दलहनी फसलों के डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र निर्धारित किया गया है। खरीफ 2013 में मूंग की 69 किस्में व उड्डद की 34 किस्में का रखरखाव किया गया। रवी 2013–14 में मसूर की 36, खेत मटर की 55 और राजमा की 13 किस्में अनुरक्षित की गईं।

### सारणी-8 : अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत संदर्भ किस्में

क्र. सं.	फसल प्रजातियां	सं.	किस्मों का नाम
1.	मूंग (विग्ना रेडियाटा (एल. विल्क जैक)	69	पीडीएम 54, पीडीएम 139, पंत एम 1, पंत एम 2, पंत एम 3, पंत एम 4, पीएस 10, पूसा 105, ओबीजीजी 52, पूसा 9531, पूसा बैशाखी, पूसा पीएस 16, पूसा 9072, पूसा रत्ना, प्रताप, आरएमजी 62, आरएमजी 268, आरएमजी 344, सुजाता, सालीमार एम 1, सोना, एसएमएल 32, एसएमएल 134, एसएमएल 668, टीएआरएम 1, टीएआरएम 2, टीएआरएम 18, टी 44, वम्बन 1, आशा, एकेएम 8802, एकेएम 9910, एचयू 34, बीएम 4, बीपीएमआर 145, बीडीएन 2, सीओ 4, ओयूएम 11–5, धोली गंगा 1, जीएम 3, जीएम 4, एचयूएम 1, एचयूएम 6, एचयूएम 12, आईपीएम 99–125, जेएम 721, के 851, लैम एम 2, एलजीजी 407, एलजीजी 450, एलजीजी 460, एमएल 5, एमएल 131, एमएल 267, एमएल 613, एमएल 818, एमजीजी 295, एमएच 96–1, एमयूएम 2, एनडीएम 1, आईपीएम 02–3, केएम 2, एचएमएम 16, पीकेवीएकेए 4, पेयरी मूंग, एन 605, बीएम 2002–1, बीएम 2003–2
2.	उड्डद (विग्ना मुंगो (एलत्र) हैप्पर)	34	आजाद यू 1, आजाद यू 2, जेयू 2, केयू 96–3, एलबीजी 17, एलबीजी 611, एलबीजी 623, एलबीजी 645, एलबीजी 648, एलबीजी 685, मणिक्या, मैश 1, नवीन, एनडीयू 1, पंत यू 30, शेखर यू 1, शेखर यू 2, शेखर यू 3, सरला, टीयू 94–2, टीपीयू 4, उत्तरा (आईपीयू 94–1), डब्ल्यूबीयू 108, जी 338, एलबीजी 20, मैश 414, यूजी 1008, पंत यू 40, आईपीयू 2–43, जीयू–1, आरजीयू 10, आरजीयू 44, वल्लभ यू–1, यूजी 218, विरसा यू 1, एनडीयू 5–7, मैश 4–4
3.	मसूर (लैंस क्यूलीनेरिस मेडिक)	36	डीपीएल 15, डीपीएल 62, आईपीएल 81, पीएल 406, पीएल 639, पीएल 4, पीएल 5, पीएल 234, एल 4147, एल 4076, आशा, रंजन, सुभ्रता, जेएल 1, जेएल 3, एलएच 84–8, के–75, एनडीएल 1, वीएल 1, वीएल 4, वीएल 103, पीएल 77–12, एलएल 56, एलएल 147, एलएल 699, वीएल 507, केएलएस 218, आईपीएल 406, वीएल 126, एचयूएल 57, पीएल 24, पीएल 63, डब्ल्यूबीएल 77, बरैया लोकल, एसईएल नं.5, आईपीएल 315

4.	मटर (गाइसम स्टाइवम एल.)	55	आर्केल, आजाद पी 1, आजाद पी2, आजाद पी3, आजादी पी4, आजाद पी5, आजाद पी 31, अगेता 6, डीडीआर 23, डीडीआर 27, वीआरपी 3, वीआरपी 5, वीआरपी 6, वीआरपी 7, वीआरपी 22, वीआरपीएमआर 9, डीडीआर 44, एचयूडीपी 15, एचएफपी 4, एचएफपी 529, एचएफपी 8909, आईपीएफडी 99–13, आईपीएफडी 1–10, आईपीएफडी 6–3, ज्यंति, केपीएमआर 144–1, केपीएमआर 400, केपीएमआर 522, एलएफपी 48, पीजी 3, पंत पी 74, स्वाति, वीएल 3, बी 22, डीएमआर 7, एचयूपी 2, आईएम 9101, आईएम 9102, आईपीएफ 99–25, आईपीएफ 4–9, आईपीएफ 4–26, आईपीएम 5–19, जेएम 6, जेपी 885, केएफपी 103, पंत पी 5, पंत पी 42, रचना, टीआरसीपी 8, वीएल 1, वीएल 42, वीएल 45, वीएल 46, एचएफपी 9426, एचएफपी 9907बी
5.	राजमा (फैसियोलेस वल्गोरिस एल.)	13	पीडीआर 14, एचयूआर 15, एचयूआर 137, आईपीआर 98–5, एचपीआर 35, आईपीआर 98–3–1, एचयूआर 203, आईवीएफबी 1, अर्का अनूप, स्वीधा, अर्का कोमल, गुजरात राजमा 1, अर्का बोल्ड

जहां तक डीयूएस परीक्षण का संबंध है मूँग की एक किस्म (एनवीएल 1) और उड़द की तीन किस्मों (एनयूएल 7, सीओबीजी 653 और खाखरिया) का परीक्षण संदर्भ किस्मों के साथ किया गया तथा डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार खरीफ 2013 में आंकड़े रिकॉर्ड किए गए। राजमा की एक किस्म (चम्बा राजमा) का परीक्षण रबी 2013 में संदर्भ किस्मों के साथ किया गया और आंकड़े रिकॉर्ड किए गए। डीयूएस परीक्षणों की निगरानी डॉ. संजीव गुप्ता, परियोजना समन्वयक, मुलार्प की अध्यक्षता में की गई।

#### 2.8.5 अरहर पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी)

अरहर में सदर्भ किस्मों के अनुरक्षण प्रजनन, लक्षण वर्णन में प्रगति निम्नानुसार है। ये संदर्भ किस्में मुख्यतः भा.कृ.अ.प. प्रणालियों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से प्राप्त की गई थीं :

#### सारणी—9 : अनुरक्षण प्रजनन/लक्षण वर्णन में प्रगति

प्रजातियों का नाम	संख्या	किस्मों की संख्या
कैजानस कैजान (एल.) मिल्स्प	53	एनडीए 1, एनडीए 2, एमए 6, एमए 3, एमएएल 13, टी-7, डीए 11, बहार, आजार, अमर, जीटी 1, जेए 4, बीडीएन 2, बीडीएन 708, बिरसा अरहर-1, बीआरजी 2, डब्ल्यूआरजी 27, डब्ल्यूआरजी 53, जेकेएम 7, जेकेएम 189, विपुला, डब्ल्यूआरपी-1, टीएस 3, जीसी 11–39, एके 101, एकेपी 1, सीओ 6, सीओ 5, एके 022, जीएस 1, टीवी 1, एलआरजी 38, एलआरजी 30, पीटी 221, टी 15 15, आशा, सी 11, एचवाई 3 सी, टीटीबी 7, आईसीपएल 85063, आईसीपीएल 332, वम्बान-2, एएल 15, एएल 201, टीजेटी 501, बनास, जीटी-101, सीओआरजी 9701, आईसीपी 84031 टीएटी- 10, आईसीपीएल 151, जीटी-100 और पारस
	7	पूसा 9, पूसा 84, पूसा 2001, पूसा 992, पूसा 33, पूसा 991 और पूसा 855

जहां तक अरहर में डीयूएस परीक्षण का संबंध है यह कहा जा सकता है कि डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत किस्मों के 11 आवेदनों में से चार आवेदक किस्में जो नई श्रेणी के अंतर्गत थीं, परीक्षण के पहले वर्ष में, 7 परीक्षण के दूसरे वर्ष में और कृषक श्रेणी की दो आवेदक किस्में तथा वीसीके की एक किस्म का भी परीक्षण किया गया।



## सारणी-10 : वित्तीय वर्ष 2013-14 में डीयूएस परीक्षण की प्रगति

फसलें	नई		वीसीके	कृषक	कुल
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष			
अरहर	4	7	1	2	14

पीपीवी और एफआरए से प्राप्त ग्यारह प्रत्याशी किस्मों नामतः एनटीएल 30, केपीपी 004, केपीपी 006, एनटीएल 2, केपीपी008, कावेरी सम्पदा, एनटीएल 554, निर्मल 539, जेकेपीएच 9111, सफेद तुआरा तथा एरेमाचचकांडी को नौ संदर्भ किस्में (मारुती, आईसीपीएल 87, मानक, एलआरजी 41, यूपीएएस 120, बीएसएमआर 853, बीएसएमआर 736, बीएसएमआर 853, बीएसएमआर 736, एकेटी 8811 तथा वाम्बन 1) के साथ आरबीडी में 4 प्रतिकृतियों में बोया गया और अरहर पर विशिष्टता, एकरूपता और स्थायीत्व की जांच करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 21 विवरणों के लिए लक्षण—वर्णन किया गया। अरहर की एक किस्म, फुले टी- 0012 (राजेश्वरी) को भी पंजीकरण के लिए दाखिल किया गया। अरहर की 49 अधिसूचित किस्मों में से 25 को प्राधिकरण में पंजीकरण हेतु दाखिल किया गया तथा केवल 18 आवेदकों को प्रमाण—पत्र जारी किए गए हैं।

## 2.8.6 केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई), शिमला

सीपीआरआई विभिन्न समूहों में स्व—स्थाने और बहिस्थाने स्थितियों के अंतर्गत शिमला तथा मोदीपुरम में 167 संदर्भ किस्मों का संकलन कर रहा है जो निम्न सारणी में दर्शायी गई हैं :

## सारणी-11 : अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों सहित आलू के जीनप्ररूप

समूह	किस्मों की संख्या
सी पी आर आई किस्में	46
राज्य किस्में	3
अन्य देशों में भारतीय संख्याएं	5
भारत में विदेशी किस्में	20
उपोव उदाहरण किस्में	29
देशज नमूना/किस्में	64
<b>कुल</b>	<b>167</b>

सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के संदर्भ में आलू में डीयूएस परीक्षण की प्रगति इस प्रकार है :

## सारणी-12 : डीयूएस परीक्षण की स्थिति

संस्थान	परीक्षित/पंजीकृत किस्मों की संख्या	परीक्षित/पंजीकृत की जाने वाली किस्मों के नाम	समूह
केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपी-आरआई)	2	कुफरी गरिमा, कुफरी गौरव	नई
	13	कुफरी गिरधारी, कुफरी सदाबहार, कुफरी ख्याति, कुफरी सूर्या, कुफरी चिपसोना 3, कुफरी कंचन, कुफरी आनंद, कुफरी हिमसोना, कुफरी गिरिराज, कुफरी अरुण, कुफरी शैलजा, कुफरी हिमालिनी, कुफरी पुष्कर	विद्यमान
महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमि.	9	इंवोरा, मेपिस, कारटेली, क्रिस्पा 4 आल, संगीता, पनामेरा, टौरस, लुसिंडा, एचजैडडी 01-58	वीसीके
पेप्सी कं. लिमि.	2	एफएल 1867, एफएल 2027	वीसीके

विभिन्न केन्द्रों में डीयूएस परीक्षणों की निगरानी करने का विवरण निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	स्थान	निगरानी दल
1	सी पी आर आई सी, मोदीपुरम, मेरठ	डॉ. विनोद कुमार डॉ. वी. के गुप्ता डॉ. विनय भारद्वाज डॉ. डी. एस. पिलानिया
2	सी पी आर एस, जालंधर	डॉ. दलामू डॉ. विनोद कुमार डॉ. राज कुमार डॉ. अजय
3	सी पी आर एस, कुफरी	डॉ. दलामू डॉ. विनोद कुमार डॉ. राज कुमार

### 2.8.7 मक्का अनुसंधान संस्थान (डीएमआर), नई दिल्ली

डीएमआर ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान भा.कृ.अ.प., राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (मक्का) से प्राप्त मक्का की 75 किस्मों का अनुरक्षण किया है। वर्ष 2013–14 के दौरान दो स्थानों अर्थात् डीएमआर, नई दिल्ली और एसआरटीसी, हैदराबाद में डीयूएस परीक्षण में 16 संदर्भ किस्मों का उपयोग किया गया। संदर्भ किस्मों में 6 संकर, 2 ओपीवी और 8 अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के आनुवंशिक रूप से शुद्ध बीज का अनुरक्षण किया जा रहा है और मक्का पर संबंधित अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना केन्द्रों नामतः सीसीएचएयू, उचानी, करनाल; पीएयू, लुधियाना; एपीकेवी, कोल्हापुर; अंगारा, हैदराबाद; वीपीकेएएस, अल्मोड़ा और डीएमआर, नई दिल्ली में इन्हें आपूर्त किया जा रहा है।



वर्ष 2013 के दौरान डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नानुसार है :

#### सारणी 13 : डीयूएस परीक्षण की प्रगति

नई				वीसीके निजी	कृषक	कुल	निगरानी की तिथि	अध्यक्ष	नई	
प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष						प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
सार्व— जनिक	निजी	सार्व— जनिक	निजी						6	21
									8	35
27		43		16	5	91	18 सितम्बर 2013 डी एम आर, नई दिल्ली	डॉ. आर. सी. शर्मा, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक		
							30 सितम्बर 2013 एस आर टी सी, हैदराबाद			

डीयूएस परीक्षण की निगरानी दोनों केन्द्रों में सितम्बर 2013 के दौरान की गई तथा इन्हें संतोषजनक प्रबंधन विधियों में उगाते हुए पाया गया। संकरों के गुणों की अभिव्यक्ति सामान्य रूप से वही थी जिसका प्रजनकों ने दावा किया था लेकिन ओपीवी के मामले में ऐसा नहीं था। हिमालयी पट्टी से प्राप्त होने वाले कृषक में जीग ई की उच्च अंतरक्रिया थी तथा ये दिल्ली की स्थितियों में उच्च तापमान के अंतर्गत असफल रहीं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण तथा डॉ. अतनु पुरकायस्थ, संयुक्त सचिव (बीज) ने खेतों में डीयूएस परीक्षणों का दौरा किया और डीएमआर प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया।

### 2.8.8 केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बत्तूर

सीपीसीआरआई क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बत्तूर, कपास में डीयूएस परीक्षण के लिए सह नोडल केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। इस केन्द्र में जी. हिस्टर्टम (98), जी. बार्बेंडेस (6) और जी. आर्बोरियम (15) की संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण किया है और उनका लक्षण—वर्णन भी किया है। डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नानुसार है :

सारणी—14 : वित्तीय वर्ष 2013–14 में डीयूएस परीक्षण की प्रगति

फसलें	नई		वीसीके निजी	कुल	निगरानी की तिथि	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
	84	21		68	173	23–24 दिसम्बर 2013

सीआईसीआर, क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बत्तूर रिथेत परियोजना के नोडल केन्द्र की निगरानी 23–24 दिसम्बर 2013 को डॉ. एस.एस. पाटिल, प्रधान वैज्ञानिक और अध्यक्ष, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (कपास), कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ की अध्यक्षता में की गई और उस दौरान डॉ. के. रतिनावेल, प्रधान वैज्ञानिक व नोडल अधिकारी (डीयूएस) सीआईसीआर (अनुसंधान केन्द्र), कोयम्बत्तूर भी सदस्य के रूप में मौजूद थे। इस प्रक्रिया में निजी कंपनियों के नौ प्रतिनिधि भी शामिल थे जिन्होंने नई



प्रत्याशी किस्मों और सामान्य ज्ञान की किस्मों की श्रेणी के अंतर्गत उनकी किस्मों, संकरों, जनक वंशक्रमों के निष्पादन को देखा। वर्ष 2013 के शरद मौसम के दौरान 21 नई चतुर्गुणित प्रत्याशी किस्में परीक्षण के दूसरे वर्ष में थीं, 59 नई चतुर्गुणिक प्रत्याशी किस्में परीक्षण के प्रथम वर्ष में, 4 नई द्विगुणित किस्में परीक्षण के प्रथम वर्ष में, सामान्य ज्ञान की 68 नई चतुर्गुणित किस्में परीक्षण के प्रथम वर्ष में थीं जबकि 47 संदर्भ किस्में बुआई के लिए ली गई थीं। इनमें से बॉल गॉर्ड I और II की 85 प्रविष्टियां थीं और शेष गैर-बीटी थीं। पौधे पुष्पन, गोला परिपक्वन तथा गुलों के फटने की अवस्थाओं में थे क्योंकि सभी की बुवाई 5 विभिन्न तिथियों में की गई थी। प्रत्येक किस्म के लिए निगरानी पीपीवी और एफआरए द्वारा उपलब्ध कराए प्रोफार्म के अनुसार अलग-अलग की गई। आवेदक द्वारा दावा किए गए विशिष्ट गुण तथा फील्ड रिकॉर्ड से उपलब्ध गुण व पाठों की अभिव्यक्त गुण परीक्षण दिशानिर्देशों के अनिवार्य गुणों के अंतर्गत मिलते हुए पाए गए। परीक्षण क्रमशः चतुर्गुणित और द्विगुणित कपास के राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया। दल परीक्षण के ले—आउट, गुणों के मूल्यांकन, डेटा रिकॉर्डिंग की विधि से संतुष्ट था क्योंकि ये डीयूएस परीक्षण अपेक्षाओं के अनुरूप थे। प्रो. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने रिपोर्टधीन अवधि के दौरान यहां का दौरा किया। प्राधिकरण में किस्मों के पंजीकरण की प्रगति निम्नानुसार है :



सारणी 15: कपास किस्मों के पंजीकरण की प्रगति

फसलें	बीज अधिनियम, 1966 (1992 से) के अंतर्गत अधिसूचित किस्में	फाइल किए गए आवेदन	जारी किए गए प्रमाण-पत्र
जी. हिस्टर्टम	विद्यमान नई	54 5	22
जी. आर्बोरियम	विद्यमान नई	23 2	9
जी. हर्बेसियम	विद्यमान	3	2

### 2.8.9 विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (वीपीकेएस), अल्मोड़ा

इस केन्द्र को मक्का, सोयाबीन और राजमा के डीयूएस परीक्षण का अधिदेश दिया गया है। डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नानुसार है :

### सारणी—16 : वर्ष 2013–14 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसलें	नई		कृषक
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां	
1. मक्का	1 (विवेक हाइब्रिड 45)	2 (विवेक हाइब्रिड 39, विवेक हाइब्रिड 43)	
2. राजमा	—	—	चम्बा राजमा

अनुरक्षण व लक्षण—वर्णन की प्रगति निम्नानुसार है :

### सारणी—17 : अनुरक्षण/लक्षण—वर्णन के अंतर्गत किस्में

क्र. सं.	फसल प्रजातियां	किस्मों के स्रोत	सं.	किस्मों का नाम
1.	सोयाबीन	भा.कृ. अ.प.	12	(डीएस 228, डीएस 97–12, पूसा 16, पूसा 20, पूसा 22, पूसा 24, पूसा 37, पूसा 40, एनआरसी 2, एनआरसी 7, एनआरसी 12, एनआरसी 37)
		स्वयं की	7	(वीएलएस 1, वीएलएस 2, वीएलएस 21, वीएलएस 59, वीएलएस 63, वीएलएस 65)

	अन्य (विशिष्ट)	72	(एडीटी 1, अलंकार, अंकुर, बिरसा सोया 1, ब्राग, सीओ 1, सीओ 3, सीओ सोया 2, दुर्गा, गुजरात सोया 1, गुजरात सोया 2, गौरव, हरा सोया, हार्डी, इम्प्रूब्ड पेलिकन, इंदिरा सोया 9, जेएस 2, जेएस 71–05, जेएस 75–46, जेएस 76–205, जेएस 79–81, जेएस 80–21, जेएस 90–41, जेएस 93–05, जेएस– 95–60, जेएस–97–52, जेएस 335, केबी 79, केएचएसबी 2, कालीतुर, ली, एलएसबी 1, एमएसीएस 13, एमएसीएस 57, एमएसीएस 58, एमएसीएस 124, एमएसीएस 450, एमएयूएस 1, एमएयूएस 2, एमएयूएस 32, एमएयूएस 47, एमएयूएस 61, एमएयूएस 61–2, एमएयूएस 71, एमएयूएस 81, मोनेटा, पालम सोया, पीके 262, पीके 308, पीके 327, पीके 471, पीके 416, पीके 472, पीएस 564, पीएस 1024, पीएस 1029, पीएस 1042, पीएस 1092, पीएस 1241, पीएस 1347, पीएस 1368, पंजाब 1, आरएयूएस 5, शिलागीत, शिवालिक, एसएल 96, एसएल 295, एसएल 525, एसएल 688, टीएएमएस 38, टीएएमएस 98, टाईप 49)		विवेक हाइब्रिड 25, विवेक हाइब्रिड 27, विवेक हाइब्रिड 33, विवेक हाइब्रिड 39, विवेक हाइब्रिड 43, विवेक हाइब्रिड 45, हिम 129, विवेक क्यूपीएम 9)
		21	अंतरप्रजनक (सीएम 126, सीएम 127, सीएम 128, सीएम 129, सीएम 141, सीएम 145, सीएम 152, सीएम 153, सीएम 212, सीएम 502, वी 25, वी 335, वी 345, पी 346, वी 351, पी 372, वी 373, पीक्यूएल 1, वीक्यूएल 2, वीक्यूएल 17)		
		6	मिश्रित (विवेक संकुल मक्का 1, विवेक संकुल मक्का 31, विवेक संकुल मक्का 35, विवेक संकुल मक्का 37, वीएल एम्बर पॉप कॉर्न, वीएल बेबी कॉर्न 1)		
3.	राजमा	स्वयं की	2	वीएल 63, वीआर 125	
		अन्य (विशिष्ट)	2	कृषक किस्म – सेफ़ड सावंत, सेफ़ड झुलु सावंत	


### 2.8.10 तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय (डीआरएमआर), भरतपुर

इस केन्द्र को डीयूएस परीक्षण के लिए निम्न फसलें दी गई हैं :

1. भारतीय सरसों (ब्रैसिका जुंसिया)
2. करन राई (ब्रैसिका कैरिनाटा)
3. तोरिया (ब्रैसिका रापा)
4. गोभी–सरसों (ब्रैसिका नैपस)

भारतीय सरसों (ब्रैसिका जुंसिया एल.) की 6 किस्मों जिनमें नई श्रेणी के अंतर्गत दो किस्मों (निर्मल 42 और कोरल 437) तथा वीसीके श्रेणी के अंतर्गत चार (44 एस 01, बीएस 2, निर्मल बोल्ड और कृष्णा क्रांति) का परीक्षण डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का पालन करते हुए 2013–14 के दौरान डीयूएस गुणों के लिए परीक्षण किया गया। निगरानी बीज भरने की अवस्था में की गई। छह किस्मों में से तीन किस्मों नामतः निर्मल 42, निर्मल बोल्ड और बीएस

2 में मुख्य प्ररोह पर फलियों की अभिव्यक्ति कम हुई, अन्य तीन किस्मों, नामतः कोरल 437, 44एस 01 और कृष्णा क्रांति में खुले प्रकार की फलियां थीं (चित्र 1)। निगरानी दल ने पाया कि बीएस 2 को वीसीके के रूप में तथा निर्मल 42 को नई किस्म के रूप में परीक्षित किया जा रहा था और ये विद्यमान किस्म क्रमशः भागीरथी और ईजे 9912-13 से गुण-प्ररूप में अत्यधिक समान थीं। अतः इन्हें भागीरथी और ईजे 9912-13 के साथ एक वर्ष और परीक्षण करने के लिए अनुशंसित किया गया।



1. डीयूएस दिशानिर्देशों, यदि लागू हों तो, के अनुसार अनुरक्षण प्रजनन/लक्षण-वर्णन/विकास में प्रगति वाली किस्मों की संख्या

#### सारणी-18 : अनुरक्षण/लक्षण वर्णन में प्रगति

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत (स्वयं जारी/भा.कृ.अ.प./रा.कृ.वि.वि.)		
		स्वयं जारी	भा.कृ.अ.प. (भा.कृ.अ.सं./सी एस एस आर आई)	रा.कृ.वि.वि.
ब्रैसिका जुंसिया	82	5	22	55

		स्वयं जारी	भा.कृ.अ.प. (भा.कृ.अ.सं./सी एस एस आर आई)	रा.कृ.वि.वि.
बी. रापा	28	1	1	26
बी. नैपस	06	—	—	6
बी. कैरीनाटा	05	—	2	3

डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नानुसार है :

#### सारणी-19 : वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान डीयूएस परीक्षण की स्थिति

फसल	नई		वीसीके	कुल	निगरानी की तिथि	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
ब्रैसिका जुंसिया	निर्मल 42	कोरल 437	निर्मल बोल्ड, बीएस 2, कृष्णा क्रांति 44एस 01	06	5 फरवरी 2014	डॉ. डी. के. यादव, प्रधान वैज्ञानिक, आनुवंशिकी संभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली
<b>कुल</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>6</b>		

#### 2.8.11 अनार पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीपी), सोलापुर

अनार पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र ने पिछले वर्ष सौंपे गए अधिदेश के अनुसार डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित किए हैं। एनबीपीजीआर के माध्यम से यूएसडीए, कैलिफोर्निया से प्राप्त 55 विदेशी संकलनों का एक नया जीन बैंक जनवरी 2014 में स्थापित किया गया जिसका उपयोग डीयूएस परीक्षण हेतु संदर्भ संकलन के लिए किया जाएगा। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान इस राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र ने अनार जननद्रव्य का फोटो पुस्तकालय तैयार किया है और आकृति मितीय गुणों का डेटा सृजित किया है। उगाई गई किस्मों के पुष्प संबंधी गुणों और बीजचोल के रंग संबंधी विशिष्ट गुण निम्नानुसार दर्शाएं गए :



**सारणी— 20 : पुष्प लक्षणों में विभिन्नता**

क्र. स. किस्म	पंखुड़ी का रंग	पंखुड़ी लंबाई (मि.मी.)	पंखुड़ी की चौड़ाई (मि.मी.)	अंखुड़ी का रंग	अंखुड़ी की लंबाई (मि.मी.)	अंखुड़ी की चौड़ाई (मि.मी.)
1) अर्कता	नारंगी	23.6	19.3	गहरा लाल	36.4	12.9
2) भगवा	नारंगी	24.0	19.3	लाल	41.2	13.6
3) काबुली येलो	पीला	23.3	18.9	पीला	39.8	14.2
4) गणेश	नारंगी	23.6	19.6	नारंगी	37.6	14.4

### 2.8.12 बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीयूएस और टी), तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर

यह केन्द्र चावल और सूरजमुखी के डीयूएस परीक्षण के लिए निर्धारित किया गया है। डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नानुसार है :



### चावल

पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली से प्राप्त 21 कृषक किस्मों के धान के बीज ग्रो आउट परीक्षण करने के लिए उगाए गए। ग्रो आउट परीक्षण उर्जनीकायम, जिसने कोई अंकुरण नहीं दर्शाया था, को छोड़कर केवल 20 किस्मों पर किए गए। खेत में फसल अच्छी खड़ी थी और उसे अच्छी तरह रखा गया था। यहां नए किस्म का खरपतवार भी देखा गया। कुछ किस्मों में समरूपता की कमी थी तथापि, कुछ मामलों में रंजकता को छोड़कर दावा किया गया गुणों की भली प्रकार अभिव्यक्ति हुई थी।

### सूरजमुखी

सूरजमुखी पर डीयूएस परीक्षण बहुत सुसम्बद्ध तरीके से किए गए थे तथा फसल प्रबंध की श्रेष्ठ विधियां अपनाई गई थीं जिससे प्लॉट में पौधे बहुत अच्छी तरह लगे थे। कम्पनी के प्रतिनिधि गुणों की अभिव्यक्ति तथा परीक्षण करने के तरीके से संतुष्ट थे। दावा किए गए गुणों और निगरानी दल के पर्यवेक्षणों में कुछ प्रविष्टियों में बहुत कम अंतर देखे गए और इन अंतरों को नोट करके रिपोर्ट किया गया। निगरानी दल के सदस्य ने सुझाया कि यह निगरानी डीओआर के साथ—साथ की जानी चाहिए और बेहतर हो कि इसे फसल के पुष्पन के समय किया जाए, ताकि फसल की बेहतर अभिव्यक्ति पर निर्णय लिया जा सके। डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नानुसार है :

### सारणी—21 : वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान डीयूएस परीक्षण की प्रगति

फसलें	नई		वीसी के	एफ वी	संदर्भ प्रविष्टियां	कुल	निगरानी की तिथि	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष						
चावल	—	—	—	21	—	21	13 नवम्बर 2013	डॉ. एस.आर. धुआ, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक, सीआर आरआई, कर्कट
सूरजमुखी	3	13	9	—	12	37	4–5 मार्च 2014	डॉ. मंगेश वाई. धुधे वैज्ञानिक / फसल सहायी डीओआर, हैदराबाद
कुल	3	13	9	21	12	58		

## 2.8.13 चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएसएचएयू), हिसार

एचएयू हरियाणा को कपास और चने के डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र के रूप में निर्धारित किया गया है। रिपोर्टार्थीन अवधि के दौरान नोडल केन्द्र की प्रगति निम्नानुसार है :

### कपास

**द्विगुणित कपास :** इस परीक्षण में कुल आठ प्रविष्टियों का परीक्षण किया गया। इनमें से 5 प्रत्याशी किस्में थीं और 3 संदर्भ किस्में थीं। सभी 8 प्रविष्टियों को 3 प्रतिकृतियों में बेतरतीब ब्लॉक डिज़ाइन (आरबीडी) में बोया गया और बीजपत्रक रंजकता, पत्तियों के रंग, पत्ती तारुण्यता, पत्ती नेक्टरीज, पुष्पवृत्त की रंजकता, पत्ती की आकृति, पौधे के तने पर रोमिलता, पौधे के तने पर रंजकता, पुष्पन के समय, पुष्प पंखुड़ी के रंग, पुष्प पंखुड़ी धब्बे, पुष्प वर्तिकाग्र, परागकोष तंतु के रंग, पराग के रंग, नर वंध्यता, गुले के रंग, गुले की आकृति, गुले की सतह, गुला नोक की प्रमुखता, गुले के खिलने, बीज/गुले के भार, बीज आभा, आभा रंग, बीज सूचकांक, ओटाई प्रतिशत, रेशे के रंग, रेशे की लंबाई, रेशे की शक्ति, रेशे के महीनपन, रेशे की समरूपता और रेशे की परिपक्वता पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए।



**चतुर्गुणित कपास :** इस परीक्षण में कुल 76 प्रविष्टियों की जांच की गई। इनमें से 47 प्रत्याशी किस्में थीं और 29 संदर्भ किस्में थीं। प्रत्याशी किस्मों में से 9 परीक्षण के दूसरे वर्ष में थीं तथा 38 परीक्षण के प्रथम वर्ष में थीं।

सभी 76 प्रविष्टियों को तीन प्रतिकृतियों में बेतरतीब ब्लॉक डिज़ाइन (आरबीडी) में बोया गया तथा पुष्प संबंधी प्राचलों जैसे बीजपत्रक की रंजकता, पत्ती के रंग, पत्ती रोमिलता, पत्ती की दिखावट, पत्ती गोसिपॉल ग्रथियों, पत्ती नेकट्रीज़, पत्ती डंठल की रंजकता, पत्ती की आकृति, पौधे

के तने की रोमिलता, पौधे के तने की रंजकता, पौधे की ऊंचाई, पौधे के वृद्धि स्वभाव, ब्रैकट प्रकार, पुष्पन के समय, पंखुड़ी के रंग, पंखुड़ी धब्बे, पुष्प वर्तिकाग्र, परागकोष तंतु के रंग, पराग के रंग, नर वंध्यता, गुले के लगने के स्वभाव, गुले के रंग, गुले की आकृति, गुले की नोक की प्रमुखता, गुले की सतह, गुले के खिलने, बिनौले/गुले के भार, बीज आभा, आभा रंग, बीज सूचकांक, ओटाई प्रतिशत, रेशे के रंग, रेशे की लंबाई, रेशे की शक्ति, रेशे के महीनपन, रेशे की समरूपता और रेशे की परिपक्वता पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए।

### चना

इस परीक्षण में 6 प्रविष्टियां (जीएनजी 1581, एचसी-1, पूसा 256, पूसा 261, पंत जी-114, डीसीपी 92-3) आईआईपीआर, कानपुर को आपूर्त की गई और प्रयोग रबी 2013-14 के दौरान चने के डीयूएस परीक्षण हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार 3 प्रतिकृतियों में आरबीडी में बुआई करके किया गया। तने के एंथोसियानिन रंग, प्रथम पुष्प निकलने पर तने की ऊंचाई, पुष्पन के समय (कम से कम 50 प्रतिशत पौधे खिले हुए पुष्प युक्त), पौधे के वृद्धि स्वभाव, पत्तियों के रंग, उप पत्ती के आकार (लंबाई) (पौधे के मध्य भाग और पत्ती के मध्य भाग की), पत्ती पैट्रन, पुष्पवृत्त पर पुष्पों की संख्या, पुष्प के रंग, मानक के अनुसार पुष्प पर धारियों, पुष्पवृत्त की लंबाई, पौधे की ऊंचाई, फली के आकार, बीजों की संख्या, बीजों के रंग, बीज के आकार (10 प्रतिशत नमी अंश पर 100 बीजों का भार), बीज की आकृति, बीज कवच की बनावट, बीज धारियों तथा बीज प्रकार पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए।

## 2.8.14 डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ (डीपीकेवी), अकोला

पीपीवी विधान के कार्यान्वयन की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत इस केन्द्र को अरहर और कुसुम के डीयूएस परीक्षण का कार्य सौंपा गया है। इस केन्द्र में लक्षण-वर्णन के लिए कुसुम की 27 संदर्भ किस्मों और अरहर की 63 संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण किया जा रहा है। कुसुम के 27 जीनप्ररूपों में से 7 जीनप्ररूपों को छोटे बीज के रूप में, 10 जीनप्ररूपों को मध्यम तथा शेष 10 को बड़े बीज आकार के जीनप्ररूपों के रूप में समूहीकृत किया गया है। अरहर के मामले में पर्यवेक्षण और गुणों के लिए कुल 21 गुणों को रिकॉर्ड किया गया जैसे एंथोसियानिन : बीजचोल के रंग को पौद अवस्था में रिकॉर्ड किया गया

जिसमें से किस्म जे०-4, बीएसएमआर-736 और डी०-11 में एंथोसियानिन रंग अनुपस्थित पाया गया जबकि शेष 60 किस्मों में बीजचोल का एंथोसियानिन रंग पौद अवस्था में उपस्थित पाया गया। पौधे की शाखन का पैट्रन 63 किस्मों के प्रथम पुष्प श्रेणीकरण की अवस्था में सीधा, अर्ध-सीधा या फैलावदार तथा फैलावदार प्रकार का रिकॉर्ड किया गया। अनिवार्य गुण के रूप में पुष्पन के समय रिकॉर्ड किए गए पर्यवेक्षणों से देखा गया कि वर्तमान सामग्री में किसी भी एक किस्म में बहुत अगेती 50 प्रतिशत पुष्पन नहीं हुआ, 16 जीनप्ररूप अगेती समूह के, 36 जीन प्ररूप मध्यम समूह के और 7 पछेती प्रकार के थे तथा 4 जीनप्ररूप अति पछेती प्रकार के थे जिनके पूर्ण 50 प्रतिशत पुष्पन में 160 दिन लगे। अनिवार्य गुण के रूप में पौधे के वृद्धि स्वभाव का श्रेणीकरण एएल-15, जीटी-100, आईसीपीएल-151, आईसीपीएल-87, वम्बन-1, पीटी-221, एके-022, डी०-1 आई, पूसा 33 और जीसी-11-39 किया गया तथा इन्हें निर्धारक समूह में समूहीकृत किया गया जबकि अन्य 53 किस्मों को अनिर्धारित समूह में रखा गया। 50 किस्मों के तने के रंग को हरे समूह में और 13 किस्मों के तने के रंग को बैंगनी समूह में रखा गया। पत्ती की आकृति के मामले में 5 किस्मों अर्थात् जीटी-100, सीओ-6, बहार, आज़ाद, टीएस-3 और जीसी-11-39 की पत्तियां प्रतिअंडाकार प्रकार की थीं जबकि मानक, टीएटी-10, वाम्बन-1, एनडी०-1, आईसीपीएल-85063 और पीटी-221 ने तिल के प्रकार की पत्तियों का प्रदर्शन किया जबकि शेष 51 किस्मों ने दीर्घ वृत्ताकार पत्तियां दर्शायीं। पुष्प पंखुड़ी के रंग में हल्के पीले से बैंगनी रंग की विविधता देखी गई। केवल एक किस्म आईसीपीएल-87 में हल्का पुष्प रंग देखा गया। तीन किस्मों डी०-11, एनडी०-1 और जीसी-11-39 ने नारंगी पीले रंग के पुष्प दर्शाए। किस्म एमए-3 ने बैंगनी रंग के पुष्प, किस्म एचवाई-3सी, बीएसएमआर-853 ने लाल रंग के पुष्प जबकि शेष 58 किस्मों ने पीले रंग के पुष्प प्रदर्शित किए। पंखुड़ी पर धारियों के पुष्प पैटर्न में विविधता देखी गई जो पंखुड़ी पर विरल से सघन था। फली के रंग में बहुत भिन्नता थी जो गहरे हरे से हरे रंग के साथ-साथ भूरी धारियों से युक्त, बैंगनी धारियों से हरा, बैंगनी से गहरा बैंगनी तक विभिन्न किस्मों में मौजूद था। पंखुड़ी संबंधी अन्य गुण भी पर्यवेक्षित व रिकॉर्ड किए गए। एएल-15 और आईसीपीएल-87 किस्मों को पौधे के ऊंचाई आकार के गुण के अंतर्गत छोटे प्रकार में और पूसा-33, आईसीपीएल-151 और जीसी-11-39 को मध्यम श्रेणी में

समूहीकृत किया गया तथा इनकी ऊंचाई 100-150 सें.मी. के बीच अलग-अलग थी जबकि शेष 58 किस्मों को लंबी श्रेणी में समूहीकृत किया गया।

बीज रंग और बीज रंग के पैट्रन संबंधी आंकड़ों से यह प्रदर्शित हुआ कि 63 जीनप्ररूपों में से 8 जीनप्ररूपों के बीज का रंग क्रीम जैसा, 13 जीनप्ररूपों का रंग भूरा, 8 जीनप्ररूपों का धूसर, 8 जीनप्ररूपों का रंग बैंगनी और शेष जीनप्ररूपों के बीज का रंग गहरा भूरा था। समरूप बीज रंग पैट्रन के अंतर्गत 42 जीनप्ररूपों को समूहीकृत किया गया और शेष 21 को चित्तीदार बीज रंग पैटर्न के अंतर्गत समूहीकृत किया गया।

#### 2.8.15 केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), नागपुर

केन्द्र में जी. आर्बोरियम की 25 संदर्भ किस्मों और जी. हर्बेसियम की 3 किस्मों का अनुरक्षण किया गया है जो मुख्यतः भा.कृ.अ.प. और रा.कृ.वि.वि. प्रणाली से प्राप्त की गई थी। डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नानुसार है :

#### सारणी-22 : डीयूएस परीक्षण की प्रगति

फसल	नई		कुल
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	
कपास	40	15	55

निगरानी समिति का गठन डॉ. एम.एस. कैरो, पूर्व निदेशक, सीआईसीआर, नागपुर की अध्यक्षता में किया गया था और इसके अन्य सदस्य डॉ. के. रतिनेवल, प्रधान वैज्ञानिक व नोडल अधिकारी, डीयूएस परियोजना, सीआईसीआर, अनुसंधान केन्द्र, कोयम्बत्तूर हैं तथा डॉ. के. आर. क्रांति, निदेशक, सीआईसीआर, नागपुर के अलावा फसल सुधार, फसलोत्पादन और फसल सुरक्षा प्रभाग के अध्यक्ष इसके सदस्य हैं। इस दल ने गुला बनने की अवस्था में 6 नवम्बर 2013 को खेत परीक्षण को देखा। डॉ. वी. शांति, सह-नोडल अधिकारी, सीआईसीआर केन्द्र के डीयूएस भी इस अवसर पर उपस्थित थे। परीक्षण डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार संतोषजनक ढंग से आयोजित किए गए थे। फसल की वृद्धि तथा आकृतिविज्ञानी गुणों की अभिव्यक्ति अधिकांश किस्मों में आकृतिविज्ञानी गुणों के संदर्भ में समरूप नहीं थीं। बेमेल प्रकार के पौदों की अनुपस्थिति के कारण गुले की आकृति, पत्ती की रोमिलता आदि जैसे गुणों में प्रत्याशी किस्मों में विविधता देखी गई। कुछ प्रत्याशी जीनप्ररूपों में दावा किए गए गुण और पर्यवेक्षित गुणों में परस्पर मेल नहीं

था। फसल वृद्धि, परीक्षण करने की विधि तथा पर्यवेक्षणों को रिकॉर्ड करने के संदर्भ में सकल निष्पादन श्रेष्ठ था।




### 2.8.16 केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान (सीपीसीआरआई), कैसरगोड

सीपीसीआरआई को नारियल (कोकस न्यूसीफेरा एल.) के डीयूएस परीक्षण के नोडल केन्द्र के रूप में निर्धारित किया गया है। केन्द्र में भा.कृ.अ.प. और रा.कृ.वि.वि. से प्राप्त की गई 11 संदर्भ किस्में अनुरक्षित की गई हैं। चुनी गई संदर्भ/जारी की गई, विद्यमान नारियल किस्मों नामतः सीओडी, डब्ल्यूसीटी, कल्प प्रतिभा, कल्प धेनु, कल्प मित्र, चन्द्र कल्प, केरा चन्द्रा, चन्द्र संकरा, केरा संकरा, चन्द्र लक्ष्य, कल्परक्षा, गंगाबोंदम ड्वार्फ, लैकट्रीप माइक्रो टाल, स्पिकाटा टाल, कल्प सूर्य, कल्पश्री, कल्पज्योति को डीयूएस परीक्षण हेतु पौद तैयार करने के लिए पॉली बैगों में बोया गया तथा अंकुरण के दिनों और पौद के आकृति विज्ञान अर्थात् पौद पर्णवृत्त के रंग, पौद की लंबाई, पत्तियों की संख्या, पौद स्कंध की मोटाई, पत्ती के फटने के अगेतीपन पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए, ताकि डेटाबेस विकसित किया जा सके।

इसके अलावा पुष्पक्रम (पुष्पक्रम की लंबाई, पुष्पक्रम डंठल की लंबाई, पुष्पक्रम डंठल की मोटाई, पंखुड़ी की लंबाई और चौड़ाई, पुंकेसर की लंबाई, परागकोष की लंबाई) और फल के गुणों (फल का भार, फल की आकृति – ध्रुवीय और भूमध्य रेखा के समान, जटाहीन फल – भार और आकृति, मोटाई और भार – खोल और जटाएं, ताजे भ्रूणपोष – मोटाई और भार, शुष्क भ्रूणपोष – भार, मुलायम गिरि का जल–मात्रा) को 11 जारी की गई/विद्यमान किस्मों नामतः सीओडी, डब्ल्यूसीटी, कल्प प्रतिभा, कल्प धेनु, कल्प मित्र, चन्द्र कल्प, केरा चन्द्रा, केरा संकरा, चन्द्रा संकरा, कल्प

तरु, कल्प रक्षा पर रिकॉर्ड किया गया और विद्यमान/जारी किस्मों के लिए डीयूएस विवरणों पर डेटाबेस विकसित किया गया।



### 2.8.17 केन्द्रीय पटसन एंव सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान (क्रीजैफ), बैरकपुर

केन्द्र में कॉर्करस ओरिटोरियस एल. की 20 संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण किया है। इन 20 संदर्भ किस्मों में से 14 उनकी स्वयं की जारी की गई हैं जबकि 6 रा.कृ.वि.वि. की हैं। कार्करस कैप्सुलेरिस एल. के मामले में केन्द्र ने 17 संदर्भ किस्में अनुरक्षित की हैं जिनमें से 10 उन्होंने स्वयं जारी की हैं जबकि 7 रा.कृ.वि.वि. की हैं। डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नानुसार है :

**सारणी-23 : वित्त वर्ष 2013-14 में डीयूएस परीक्षण की प्रगति**

फसलें	नई		कुल	निगरानी की तिथि	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष			
पटसन (सी.ओली-टोरियस)	जेआरओ 2407	सीओ 58	02	सीआरआई—जेएएफ, बैरकपुर में 23 अगस्त 2013 को तथा सीएसआर—एसजेएएफ, बुदबुद में 24 अगस्त 2013 को	डॉ. डी. के. डे, पूर्व प्राध्यापक, पादप प्रजनन विभाग, बीसीकेवी, कल्याणी
कुल	01	01	02		



डीयूएस परीक्षणों की निगरानी के संबंध में प्रत्याशी किस्म जेआरओ 2407 (सम्पत्ति) ने प्रकाश के सुसंगत आपतन के अंतर्गत संदर्भ किस्मों (एस 19 और जेआरओ 878) की तुलना में तने में अधिक रंजकता प्रदर्शित की। अन्य प्रत्याशी किस्म, सीओ-58 (सौरभ) ने पत्ती आकृति लैंस के प्रकार की दर्शायी जबकि संदर्भ किस्मों की पत्ती की आकृति अंडाकार-लैंस प्रकार की थी। अन्य सभी गुण विचाराधीन किस्मों में समरूप पाए गए। केन्द्र ने पटसन (कार्कोरस ओलिटोरस एल.) के 14 पंजीकरण आवेदन और पटसन (कार्कोरस कैप्सुलेरिस) के 12 आवेदन विद्यमान श्रेणी में दाखिल किए हैं। कार्कोरस ओलिटोरियस एल. की 4 किस्मों और कार्कोरस कैप्सुलेरिस एल. की 6 किस्मों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

#### 2.8.18 केन्द्रीय औषधीय एवं सगंधीय पौधा संस्थान (सीएसआईआर— सीआईएमएपी), लखनऊ

इस केन्द्र को मेंथॉल, पुदीना, सदाबहार, दमस्क गुलाब और ब्रह्मी के डीयूएस परीक्षण का कार्य सौंपा गया है। उपरोक्त सभी औषधीय फसलों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं। केन्द्र ने संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया है तथा विभिन्न आकृति विज्ञानी व गुणप्ररूपी गुणों का लक्षण-वर्णन करते हुए आंकड़े रिकॉर्ड किए हैं। अनुरक्षण की प्रगति निम्नानुसार है :



#### सारणी—24 : अनुरक्षण प्रजनन की प्रगति

प्रजातियों का नाम	किस्मों का नाम	निगरानी के अंतर्गत प्रजनन किस्मों के नाम	स्रोत (स्वयं जारी किए गए / भा. कृ.अ.प. / रा.कृ.वि.वि.)
मैंथा (मैंथा आर्वेन्सिस)	10	कोसी, एमएएस-1, कालका, शिवालिक, गोमती, संभव, हिमालय, सक्षम, कुशाल, सीआईएमएपी सरयू	स्वयं जारी की गई
पेरिविंकल (कैथरेन्थस रोजियस)	3	धवल, निर्मल, परबल	—वही—
दमस्क गुलाब (रोजा डेमासेना)	4	रानीसाहिबा, नूरजहां, अलीगढ़, कन्नौज	—वही—
ब्रह्मी (बैकोपा मोनिएरी)	2	सीआईएम— जागृति, सुबोधक	—वही—

#### 2.8.19 भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), हैसरगट्टा, बंगलुरु

##### गुलाब और गुलदाउदी

केन्द्र ने गुलाब की 110 किस्मों का रखरखाव किया है जिसमें से 10 आईआईएचआर की, 80 भा.कृ.अ.प. के अन्य संस्थानों की तथा शेष 20 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की हैं। गुलदाउदी के मामले में 12 संदर्भ किस्में आईआईएचआर की, 65 अन्य राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की हैं। डीयूएस परीक्षण की प्रगति के संदर्भ में गुलाब की दो किस्मों नामतः मेर्झफ्लेमिंग्यू और कोरेलैल का वीसीके के रूप में परीक्षण किया गया। डीयूएस परीक्षण की निगरानी 18 नवम्बर 2013 को की गई। मेर्झफ्लेमिंग्यू का परीक्षण डीयूएस गुणों के लिए किया गया और इसके लिए संदर्भ किस्म ताजमहल थी। दावा किए गए गुणों और पर्यवेक्षित गुणों में कुछ भिन्नताएं थीं। यह पाया गया कि यह किस्म ताजमहल के समान है। कोरिलैल को डीयूएसगुणों के जांचा गया और इस मामले में फर्स्ट रैड को संदर्भ किस्म के रूप में प्रयुक्त किया गया। कोरिलैल समरूप नहीं है और पुष्प के रंग के संदर्भ में

अस्थाई पाई गई है। पंखुड़ी पर दिखाई देने वाले विशिष्ट अनियमित धब्बे समरूप नहीं थे। गुलदाउदी में डीयूएस परीक्षण के लिए कोई आवेदन नहीं था।



डॉ. रमेश कुमार, निदेशक, पुष्पविज्ञान अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली ने 6 जुलाई 2013 को और डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महापंजीकार, पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली ने 17 जून 2013 को यहां का दौरा किया।

#### 2.8.20 प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय (डीओआरजी), राजगुरुनगर, पुणे

डीओजीआर लहसुन और प्याज के लिए डीयूएस केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। वीसीके की श्रेणी के अंतर्गत आने वाली 6 किस्मों का डीयूएस उद्देश्य से परीक्षण किया गया। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान अनुरक्षण प्रजनन और लक्षण—वर्णन की प्रगति निम्नानुसार है :

#### सारणी—25 : अनुरक्षण प्रजनन और लक्षण—वर्णन

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत
सामान्य प्याज (एलियम सीपा एल.)	20	भा.कृ.अ.प. + स्वयं
	8	स्वयं (भा.कृ.अ.प.)
	25	रा.कृ.वि.वि./अन्य
प्रगुणक प्याज (एलियम सीपा एल.)	5	एस. ए. यू.
लहसुन (एलियम सेटाइवम एल.)	4	भा.कृ.अ.प. + स्वयं
	2	स्वयं (भा.कृ.अ.प.)
	16	एस ए यू/ अन्य

प्रो. आर.आर. हंचिनाल, पीपीवी और एफआरए के अध्यक्ष तथा डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार ने 11 जनवरी 2014 को संस्थान का दौरा किया और उन्होंने प्याज तथा लहसुन के

डीयूएस परीक्षणों की निगरानी की। इसके अलावा उन्होंने डॉ. जयगोपाल, निदेशक; डॉ. ए.जे. गुप्ता, नोडल अधिकारी, डीयूएस; तथा अन्य वैज्ञानिकों के साथ एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की।



#### 2.8.21 तिलहन अनुसंधान निदेशालय (डीओआर), राजेन्द्र नगर, हैदराबाद

डीओआर अरण्ड (रिसीनस कम्प्युनिस एल.) सूरजमुखी (हेलियथस ऐन्स एल.) और कुसुम (कार्थेमस्स टिंक्टोरियस एल.) के डीयूएस परीक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान अरण्ड और सूरजमुखी, प्रत्येक की 3 संदर्भ किस्में अनुरक्षित करते हुए उनका लक्षण—वर्णन किया गया। डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नानुसार है :

#### सारणी—26 : वित्त वर्ष 2013–14 में डीयूएस परीक्षण की प्रगति

फसलें	नई		वीसीके	कुल	निगरानी की तिथि	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
अरण्ड		1 (निजी)	—	2	22 जनवरी 2014	डॉ. डी. एम. हेगडे, पूर्व निदेशक, डी ओ आर, हैदराबाद
		1 (सार्व—जनिक)				
सूरजमुखी	3 (निजी)	13 (निजी)	9 (निजी)	25		
कुल	3	15	9	27		

**अरण्ड :** दो पृथक प्रतिकृति परीक्षण 9 जुलाई 2013 को बोए गए। संकर परीक्षण में 12 संदर्भ संकरों के साथ एक प्रत्याशी प्रविष्टि को लिया गया। एक प्रत्याशी किस्म के

किस्मगत परीक्षण दो संदर्भ प्रविष्टियों के साथ किए गए। सभी 30 गुणों पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए।

अरण्ड संकर के एक वीसीके के लिए डीयूएस आंकड़ों की समेकित रिपोर्ट खरीफ 2012–13 के लिए दो केन्द्रों के संदर्भ में वांछित फार्मेट में प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट प्राधिकरण को दावा किए गए गुणों के फोटोग्राफों के साथ भेजी गई।

**सूरजमुखी :** रबी 2013–14 के दौरान तीन अलग–अलग प्रतिकृत परीक्षण किए गए, बुआई के तिथि 22 नवम्बर 2013–ए–वंशक्रमों के लिए, संकरों तथा आर–वंशक्रमों सहित परीक्षणों के लिए रखी गई। संकर परीक्षण में 6 प्रत्याशी किस्म में थीं जिनमें 5 वीसीके और 1 नई प्रत्याशी किस्म (1 वर्ष) तथा 3 संदर्भ प्रविष्टियां शामिल हैं। आर–वंशक्रम परीक्षण में 6 प्रत्याशी थे जिनमें 3 का दो वर्ष के लिए, 1 का 1 वर्ष के लिए लक्षण–वर्णन किया गया और 2 वीसीके के रूप में 4 संदर्भ प्रविष्टियों के साथ परीक्षण किया गया।



ए–वंशक्रम परीक्षण में 13 प्रत्याशी थे जिनमें 10 का 2 वर्ष के लिए और 1 का 1 वर्ष के लिए तथा 2 का 5 संदर्भ प्रविष्टियों के साथ वीसीके के रूप में लक्षण–वर्णन किया गया। 26 परीक्षणों के पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए जिनमें से एक पौद निकलने की अवस्था में, 8 पूर्ण विकसित पत्तियों पर कलिका अवस्था के पश्चात लेकिन पुष्ट आने के पूर्व, 10 को पुष्ट अवस्था में रिकॉर्ड किया गया, 1 को बीज बनने की अवस्था में तथा 6 को परिपक्व अवस्था में रिकॉर्ड किया गया। फसल की कटाई की जा चुकी है और बीज सबधीं पर्यवेक्षणों का कार्य प्रगति पर था।

## 2.8.22 चावल अनुसंधान निदेशालय (डीआरआर), हैदराबाद

डीआरआर चावल में डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र है। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान केन्द्र में चावल की 150 संदर्भ किस्में अनुरक्षित की गई हैं जो मुख्यतः डीआरआर द्वारा प्रजनित की गई हैं और इसके साथ–साथ भा.कृ.अ.प. के अन्य संस्थानों से भी प्राप्त की गई हैं। डीयूएस परीक्षण

की प्रगति निम्नानुसार है :

**सारणी–27 : वित्त वर्ष 2013–14 में डीयूएस परीक्षण की प्रगति**

फसलें	नई		वीसीके	कृषक	कुल	निगरानी की तिथि	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष					
चावल	12	21	8	51	92	29–30 अक्टूबर 2013	डॉ. एस.आर. दुआ, पूर्व वैज्ञानिक, सीआरआरआई, कटक
<b>कुल</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>51</b>	<b>92</b>		

डीआरआर ने विद्यमान अधिसूचित श्रेणी के अंतर्गत 16 किस्मों के पंजीकरण हेतु प्राधिकरण को आवेदन दिया है। पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रगति निम्नानुसार है :

**सारणी–28: नई/वीसीके/विद्यमान अधिसूचित/कृषक किस्मों की स्थिति**

फसलें	बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित किस्म (1992 से)	पंजीकरण हेतु दाखिल आवेदन	जारी प्रमाण–पत्र	टिप्पणी
चावल	डीआरआर 16 आल– 430	152	76	9 लंबित हैं शेष की जांच और परीक्षा की जा रही है

फसल	श्रेणी	स्थिति
चावल	ईएनवी	16 किस्में दाखिल की गई

डीआरआर को एसोसिएशन फार एडवांसमेंट ऑफ बायोडायर्सिटी साइंस (एएसबी) द्वारा मैसूर में 30–31 जनवरी 2014 को जैव–विविधता, जैव संसाधनों व जैव–प्रौद्योगिकी पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ‘भारत के पूर्वी क्षेत्रों से चावल की कृषक किस्मों में आनुवंशिक विविधता के मूल्यांकन’ के लिए सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार प्रदान किया गया।


## 2.8.23 सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय (डीएसआर), इंदौर

डीएसआर में सोयाबीन की 10 संदर्भ किस्मों का रखरखाव करते हुए उनका लक्षण–वर्णन किया गया है। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नानुसार थी :

**सारणी-29 : वित्त वर्ष 2013-14 में डीयूएस परीक्षण की प्रगति**

फसलें	नई		निगरानी की तिथि	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		
सोयाबीन	—	1 (एनएसओ 84)	29 अगस्त 2013	डॉ. ओ.पी. जोशी, पूर्व ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक, सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, इंदौर

दावे के अनुसार पादप वृद्धि स्वभाव के संदर्भ में दावा किया गया अर्ध सीधे रहने का गुण प्रत्याशी किस्म के मामले में निगरानी की अवस्था में सही नहीं पाया गया। खेत पर्यवेक्षणों से इसे सीधा पाया गया। पिछले वर्ष सीधे रहने के गुण की पुष्टि धारवाड़ केन्द्र पर डीयूएस परीक्षण प्लॉट की निगरानी के दौरान हुई थी। यद्यपि प्रत्याशी किस्म में फली की तारुण्यता अनुपस्थित थी, फली की तारुण्यता का रंग धूसर होने का दावा किया गया था जो सिद्ध नहीं किया जा सका। तारुण्यता की अनुपस्थिति के कारण फली तारुण्यता का रंग लागू नहीं होता है।



डीएसआर ने सोयाबीन के 8 आवेदन दाखिल किए हैं जिनमें से 5 को प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए हैं तथा 3 लंबित हैं।

#### **2.8.24 गेहूं अनुसंधानशाला निदेशलय (डीडब्ल्यूआर), करनाल**

डीडब्ल्यूआर करनाल को डीयूएस परीक्षण के लिए गेहूं और जौ, दो फसलों का अधिदेश दिया गया है। अनुरक्षण प्रजनन और लक्षण-वर्णन की प्रगति निम्नानुसार है :

**सारणी-30 : अनुरक्षण/लक्षण की प्रगति**

प्रजातियों का नाम	किस्मों की सं.	स्रोत (स्वयं जारी/ भा.कृ.अ.प./ रा.कृ.वि.वि.)	प्रजातियों का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत (स्वयं जारी/ भा.कृ.अ.प./ रा.कृ.वि.वि.)
टी. एस्टीवम	298	जारी की गई किस्में	टी. डाइकोकम	05	जारी की गई किस्में
	34	पुरानी खेती	ट्रिटिकल	05	जारी की गई किस्में
टी. ड्यूरम	45	जारी की गई किस्में	एच. वल्गायर	83	जारी की गई किस्में

रबी मौसम 2013-14 के दौरान करनाल में जौ (हॉर्डेयम वल्गायर एल.), के 83 जीनप्ररूप तथा फैजाबाद और दुर्गापुर में 25 जीनप्ररूप बोए गए और इनका मूल्यांकन 3 प्रतिकृतियों में आरसीबीडी डिजाइन में किया गया। इस प्रकार, डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार 32 गुण रिकॉर्ड किए गए। गेहूं की तीन किस्मों जिनमें निजी क्षेत्र की दो किस्में और एक कृषक किस्म शामिल है, क) डीयूएस उद्देश्य से परीक्षण किया गया और डॉ. एस.एस. अटवाल, अध्यक्ष, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, करनाल की अध्यक्षता में निगरानी की गई। केन्द्र में प्राधिकरण के साथ गेहूं किस्मों के पंजीकरण की प्रगति निम्नानुसार है :

**सारणी-31 : नई/वीसीके/विद्यमान अधिसूचित**

फसलें	बीज अधिनियम, 1966 (1992 से) के अंतर्गत अधिसूचित किस्में	पंजीकरण के लिए फाइल किए गए आवेदन	जारी किए गए प्रमाण-पत्र	टिप्पणी (जैसे लम्बित)
चपाती गेहूं	160	102	87	
ड्यूरम गेहूं	26	6	—	
डाइकोकम	6	1	—	
गेहूं	3	—	—	

डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष; डॉ. आर.सीअग्रवाल, महापंजीकार और डॉ. मनोज श्रीवास्तव, पंजीकार ने केन्द्र का दौरा किया।

### 2.8.25 गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जीबीपीयूर और टी), पंतनगर

यह केन्द्र चारा ज्वार (सॉरघम बाइकलर) (एल.) मोयंक के लिए डीयूएस केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय की स्वयं की किस्मों के अलावा डीएसआर, हैदराबाद और इक्रीसैट के साथ-साथ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, विशेष रूप से राहुड़ी; जीएयू, सूरत; जबलपुर; अकोला; राजमाता विजय राजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय (आरवीएसकेवीवी), इदोर तथा भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली की कुल 53 संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण प्रजनन और लक्षण-वर्णन किया गया। प्राधिकरण से प्राप्त 6 आवेदनों के बारे में डीयूएस केन्द्र की प्रगति निम्नुनसार है :

### सारणी-32 : डीयूएस लक्षण-वर्णन की प्रगति

क्र.सं.	किस्म/संकर/पैतृक वंशक्रमों का नाम	स्थिति
1	यूटीएमसीएच 1310	एवीटी II में ज्वार संकर के चारे की बहु कटाई (सम्पूर्ण भारत)
2	104 ए	यूटीएमसीएच 1310 के मादा पैतृक
3	104 बी	रखरखाव वंशक्रम
4	यूटीएमसी 539	Multicut forage sorghum variety पद AVT II (State)
5	पंत चरी 7	State released forage sorghum variety (Notified पद 2012)
6	पंत चरी 8	State released forage sorghum variety (Notified पद 2012)

विश्वविद्यालय ने अब तक 4 आवेदन दाखिल किए हैं जिसमें वीसीके के अंतर्गत तीन तथा एक नया चारा ज्वार का है। ये अवेदन पंजीकरण हेतु दाखिल किए गए हैं तथा तीन वीसीके को प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं।

### 2.8.26 सब्जी विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली

यह फूलगोभी और बंदगोभी के लिए डीयूएस केन्द्र है और रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नुनसार है :

### सारणी-33 : वित्त वर्ष 2013-14 में डीयूएस परीक्षण की स्थिति

फसलें	नई		कुल	निगरानी की तिथि	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष			
फूलगोभी	1	7	8	20 दिसम्बर 2013 तथा 24 फरवरी 2014	डॉ. पी. कालिया, अध्यक्ष, सब्जी विज्ञान संभाग, पूसा, नई दिल्ली
बंदगोभी	—	6	6		
<b>कुल</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>		

### 2.8.27 क्षेत्रीय केन्द्र (सब्जियाँ), कटराई, कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश

आईएआरआई के सब्जी संभाग का क्षेत्रीय केन्द्र हिमाचल प्रदेश में कटराई में है। कटराई में पुष्पों तथा बीजों से संबंधित आकृति विज्ञानी गुण रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस केन्द्र में बंदगोभी की 13 संदर्भ किस्मों और फूलगोभी की 11 किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है जो मुख्यतः भा.कृ.अ.प. / रा.कृ.वि.वि. प्रणाली की हैं। डीयूएस परीक्षण के संदर्भ में निजी बीज कंपनी की नई श्रेणी के अंतर्गत आने वाली फूलगोभी की एक किस्म का परीक्षण किया गया।

### 2.8.28 क्षेत्रीय केन्द्र (चावल), करनाल

क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, चावल, भा.कृ.अ.सं. करनाल चावल के लिए डीयूएस केन्द्र में से एक है। अनुरक्षण प्रजनन व लक्षण-वर्णन के लिए केन्द्र में चावल की 10 उदाहरण किस्में ली गई हैं। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नानुसार है :

**सारणी-34 : वित्त वर्ष 2013-14 में डीयूएस परीक्षण की प्रगति**

फसलें	नई		कृषक	निगरानी की तिथि	निगरानी दल
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष			
चावल	1 (सावंजनिक क्षेत्र)	3 (निजी क्षेत्र)	2	21 अक्टूबर 2013	डॉ. एस. एस. अटवाल, अध्यक्ष, करनाल क्षेत्रीय केन्द्र
<b>कुल</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		



एक कृषक किस्म नामतः करद दो प्रकारों (बैंगनी शूकी और सफेद शूकी वाले पौधों) की मिश्रित जनसंख्या वाला था। डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली ने 16 अक्टूबर 2013 को डीयूएस परीक्षण केन्द्र क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल का दौरा किया।

#### **2.8.29 भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), बंगलुरु**

**सब्जी प्रभाग :** यह टमाटर, बैंगन, भिण्डी और हरी मटर के लिए डीयूएस केन्द्र है। इसमें अनुरक्षण प्रजनन और लक्षण-वर्णन के लिए इन संदर्भ किस्मों को रखा गया है और इनकी स्थिति इस प्रकार है :

**सारणी-35 : अनुरक्षण प्रजनन/लक्षण-वर्णन की प्रगति**

प्रजाति का नाम	किस्मों की सं.	स्रोत (स्वयं जारी किए गए/भा.कृ.अ.प./एस ए यू)
टमाटर	28	स्वयं जारी-8, भा.कृ.अ.प.-9 तथा एस ए यू-11

बैंगन	35	स्वयं जारी-8, भा.कृ.अ.प.-9 तथा एस ए यू-15
भिण्डी	19	स्वयं जारी, भा.कृ.अ.प. तथा एस ए यू
खेत मटर	26	स्वयं जारी-11, भा.कृ.अ.प.-6 तथा एस ए यू-9

रिपोर्टार्धीन वर्ष के दौरान डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नानुसार है :

**सारणी-36 : वित्त वर्ष 2013-14 में डीयूएस परीक्षण की स्थिति**

फसलें	नई		कुल	निगरानी की तिथि	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष			
टमाटर	21	39	60	20 जनवरी 2014	डॉ. ओ. श्रीदेवी
बैंगन	64	23	87	5 फरवरी 2014	डॉ. बी. फकरुद्दीन
भिण्डी	15	8	23	28 सितम्बर 2013	डॉ. ओ. पी. दत्ता
खेत मटर	—	—	—		
<b>कुल</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>170</b>		

#### **निगरानी के दौरान संक्षिप्त पर्यवेक्षण**

**भिण्डी:** पर डीयूएस निगरानी समिति के अध्यक्ष डॉ. दत्ता तथा अन्य सदस्य फसल की वृद्धि तथा विकास से संतुष्ट थे।

**टमाटर :** दस कंपनियों ने निगरानी में भाग लिया तथा खेत में 20 जनवरी 2014 को प्रविष्टियों की जांच की। यह निगरानी डॉ. ओ. श्रीदेवी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, पीबी और जी, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ की अध्यक्षता में की गई।



**बैंगन :** पांच निजी बीज कंपनियों ने निगरानी में भाग लेकर डॉ. बी. फकरुद्दीन, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष,

जैवप्रौद्योगिकी विभाग, यूएचएस बागलकोट, जीकेवीके परिसर की अध्यक्षता में इन प्रविष्टियों की जांच की।



### 2.8.30 भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर), काजीकोड

आईआईएसआर काली मिर्च, छोटी इलायची, अदरक और हल्दी के लिए डीयूएस केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान उपरोक्त वर्णित फसलों के अनुरक्षण प्रजनन और लक्षण वर्णन की प्रगति निम्नानुसार है :



सारणी 37 : अनुरक्षण प्रजनन/लक्षण—वर्णन की प्रगति

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत (स्वयं जारी की गई/ भा.कृ.अ.प./ रा.कृ.वि.वि.)
काली मिर्च (पाइपर नाइग्रम एल.)	21	जारी की गई/ वीसीके/ एसएयू/ जननद्रव्य

छोटी इलायची (एलटेरिया कार्डमोमम मैटन)	15	जारी की गई/ वीसीके/ एसएयू
अदरक (जिंजिबर ऑफिसिएनेट रॉक)	29	जारी की गई/ वीसीके/ एसएयू/ जननद्रव्य
हल्दी (करक्यूमा लोंगा एल.)	36	जारी की गई/ वीसीके/ एसएयू/ जननद्रव्य

काली मिर्च और छोटी इलायची के प्राधिकरण में किस्मों के पंजीकरण की प्रगति निम्नानुसार है :

### सारणी 38 : पंजीकरण हेतु दाखिल किए गए आवेदन

फसल	श्रेणी	स्थिति
काली मिर्च-3	कृषक किस्में	स्थल पर डीयूएस परीक्षणों के लिए अनुदेश प्राप्त करने की संभावना
छोटी इलायची-4	कृषक किस्में	स्थल पर डीयूएस परीक्षणों के लिए अनुदेश प्राप्त करने की संभावना

### 2.8.31 जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय (जेएयू), जामनगर

बाजरा अनुसंधान केन्द्र, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जामनगर अरण्ड के डीयूएस परीक्षण के लिए सह—नोडल केन्द्र है। भा.कृ.अ.प. और निजी कंपनी की अरण्ड की 2 संदर्भ किस्मों का रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लक्षण—वर्णन किया गया। नई किस्म की श्रेणी के अंतर्गत आने वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की तथा एक अन्य निजी क्षेत्र की और इस प्रकार कुल मिलाकर दो नई किस्में डीयूएस परीक्षणाधीन थीं। बाजरा अनुसंधान केन्द्र, जेएयू, जामनगर द्वारा पुस्तिका के स्वरूप में दो प्रकाशन नामतः ‘गुजरांता मुखी पकोनी बीज उत्पादन टैक्नोलॉजी’ और ‘रिसर्च एचीवमेंट्स इन पर्लमिलेट’ निकाले गए।

### 2.8.32 (परियोजना समन्वयक, तिल तथा नाइजर), जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जेएनकेवीवी), जबलपुर

परियोजना समन्वयक, तिल तथा नाइजर, जेएनकेवीवी,

जबलपुर को डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र के रूप में निर्धारित किया गया है। तिल (सीसेमम इंडिकम एल.) की 85 किस्में तथा नाइजर (गुइजोटिया एबीसिनिका) की 15 किस्में जो राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की थीं, को अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत रखते हुए उनका लक्षण—वर्णन किया गया। नाइजर के स्व: असंगतता प्रकृति के होने के कारण यह पर—परागित फसल है। अतः इस प्रकार की खुली परागित किस्मों का अनुरक्षण और लक्षण—वर्णन कठिन है। इस प्रकार, विवरणों तथा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को विकसित करने के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

### 2.8.33 बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान इकाई, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ (एमपीकेवी), राहुड़ी

ज्वार, बाजरा और चना पर डीयूएस परीक्षण सह—नोडल केन्द्र के रूप में यहां तथा नोडल केन्द्र के रूप में डीएसआर, हैदराबाद में किया गया। रिपोर्टार्धीन वर्ष के दौरान 21 उदाहरण किस्मों का अनुरक्षण प्रजनन / लक्षण—वर्णन किया गया। डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नानुसार है :

**सारणी—39 : वित्त वर्ष 2013–14 में डीयूएस परीक्षण की स्थिति**

फसल	नई		वीसीके	कुल	निगरानी की तिथि	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
ज्वार (खरीफ)	9	7	6	22	3–4 अक्टूबर 2013	डॉ. पी.ए. नवाले
बाजरा	25	19	11	55		
ज्वार (रबी)	3	5	1	09	30 जनवरी 2014/2014	डॉ. जे.वी. पाटिल
<b>कुल</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>86</b>		

परीक्षण के लिए भेजी गई सभी प्रविष्टियां नोडल केन्द्र में परीक्षणों में शामिल की गई और ये परीक्षण फसल विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए। सभी प्रतिकृतियों में परीक्षण के अंतर्गत प्रत्येक प्रविष्टि जनसंख्या को उचित रूप से बनाए रखा गया। परीक्षण की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। दावेदार द्वारा सुझाए गए सभी गुणों को रिकॉर्ड किया गया तथा विस्तृत पर्यवेक्षणों को निर्धारित फार्म में दर्ज किया गया। रबी परीक्षणों को अनिवार्य रूप से मध्य सितम्बर

में रोक दिया जाना चाहिए, ताकि रबी ज्वार सही—सही प्रदर्शित हो सके और इसके बीज केन्द्र को ज्यादा से ज्यादा 31 अगस्त तक पीपीवी और एफआरए द्वारा उपलब्ध करा दिए जाने चाहिए। डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआरए; डॉ. रबी प्रकाश और डॉ. तेजबीर सिंह, दोनों पंजीकारों ने 3–4 अक्टूबर 2013 को यहां का दौरा किया।



### 2.8.34 राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीओ), पाकयांग, सिकिम

ऑर्किडों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र ने नोडल केन्द्र के परामर्श से एक राष्ट्रीय कोर समिति के माध्यम से कैम्बिडियम, डैंड्रोबियम और बांडा के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित किए हैं। कार्यबल द्वारा इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने और स्वीकृति प्रदान करने के बाद पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की अनुशंसा पर कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने इन तीन प्रजातियों को अधिसूचित किया है। ऑर्किडों की 4 अन्य प्रजातियों, नामतः फैलियोनॉप्सिस, पैफियोपैडिलम, ऑन्सिडियम और कैटेलिया को उनके डीयूएस दिशानिर्देश विकसित करने के लिए लिया गया है। अनुरक्षण प्रजनन और लक्षण—वर्णन की रिपोर्टार्धीन अवधि के दौरान प्रगति निम्नानुसार है :

**सारणी—40 : अनुरक्षण प्रजनन/लक्षण—वर्णन की प्रगति**

प्रजाति का नाम	किस्मों का नाम	स्रोत (स्वयं जारी की गई/ भा.कृ.अ.प. /एसएयू)	प्रजाति का नाम	किस्मों का नाम	स्रोत (स्वयं जारी की गई/ भा.कृ.अ.प. /एसएयू)
सिम्बिडियम	30	वीसीके	कैटेलिया	8	वीसीके
डैंड्रोबियम	14	वीसीके	ऑन्सिडियम	24	वीसीके

वांडा	23	वीसीके	पाफियोपेडी लम	8	प्रजाति (आंशिक लक्षण—वर्णन के लिए)
	50	वीसीके			
<b>कुल</b>	<b>117</b>			<b>40</b>	

### 2.8.35 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना को 2011 से कपास और गेहूं के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र के रूप में निर्धारित किया गया है। बीज प्रौद्योगिकी केन्द्र कपास की प्रत्याशी किस्मों का परीक्षण कर रहा है और इसके साथ ही गेहूं की संबंधित संदर्भ किस्मों का भी उनके पंजीकरण और सुरक्षा के लिए परीक्षण किया जा रहा है। कपास बीज या बिनोले की 80 किस्में प्राप्त की गई जिनमें 72 चतुर्गुणित कपास की (47 प्रत्याशी और 25 संदर्भ किस्में) तथा 8 द्विगुणित (6 प्रत्याशी और 2 संदर्भ किस्में) प्राप्त की गई जो प्राधिकरण से मिली थीं। फसल को 16, 17, 23 और 27 मई 2013 को बोया गया। कपास परीक्षण के डीयूएस परीक्षण की निगरानी 25 सितम्बर 2013 को की गई और निगरानी दल द्वारा संतोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

### 2.8.36 गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान केन्द्र, अगाली, पालकाड़

छह नई और शामिल की गई किस्मों सहित उष्णकटिबंधी गन्ना की 182 संदर्भ और उदाहरण किस्मों का अनुरक्षण गन्ना प्रजनन संस्थान अनुसंधान केन्द्र, अगाली में किया गया। जिन किस्मों के पौधे अच्छी तरह नहीं स्थापित हुए उन्हें पुनः रोपा गया और सभी किस्मों को खेत में बनाए रखा गया। 240 दिनों व 300 दिनों बाद डीयूएस परीक्षण रिकॉर्ड किए गए तथा इन गुणों की अभिव्यक्ति के लिए स्थायित्व संबंधी गुण का अध्ययन 50 किस्मों में किया गया। जिन गुणों का अध्ययन किया गया वे थे भीतरी ऑरिकल, कलिका गद्दी की उपस्थिति, बढ़वार छल्ले और कलिका आकार की वृद्धि के संदर्भ में कलिका की नोक तथा कली का आकार, ये गुण कुछ किस्मों में भिन्न पाए गए। बाहरी ऑरिकल की अभिव्यक्ति कुछ किस्मों में अस्थिर पाई गई तथा इसकी आकृति भी डेल्टा के समान या लैंस के समान थी। जोड़ी गई नई किस्मों सहित कुल 185 संदर्भ किस्मों को एकल कलिका सैट के रूप में आरंभ में पॉलीबैगों में रोपा गया और फिर उन्हें फरवरी 2014 को खेत में रोपा गया। ये सभी किस्में खेत में भली प्रकार स्थापित हुईं। गन्ना

प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर से प्राप्त गन्ना की तीन किस्में नामत: सीओ 06027, सीओ 06030 (उष्णकटिबंधी) तथा सीओ 05009 (उपोष्ण) जारी किए जाने के लिए अधिसूचित किया गया।

### 2.8.37 केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान (सीआईएएच), बीकानेर

इस संस्थान ने पिछले वर्ष बेर (जिजिफस मोरिटियाना लांक) के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित कर लिए हैं जिन्हें पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा अधिसूचित भी किया जा चुका है। रिपोर्टार्धीन वर्ष के दौरान संस्थान में भा.कृ.अ.प. के विभिन्न संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालय आदि से प्राप्त किए गए बेर की सामान्य ज्ञान की 25 किस्मों (वीसीके) का अनुरक्षण किया है तथा डेटाबेस विकसित करने के लिए विभिन्न गुणों को रिकॉर्ड किया गया है। यह केन्द्र खजूर के लिए डीयूएस दिशानिर्देश विकसित कर रहा है।

### 2.8.38 भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर), लखनऊ

केन्द्र ने भा.कृ.अ.प./रा.कृ.वि.वि. से प्राप्त किए गए गन्ना की 142 संदर्भ संकलनों का अनुरक्षण व लक्षण—वर्णन किया है। गन्ना की दो किस्मों नामत: सीओ 0118 और सीओ 0238 का लखनऊ तथा गन्ना प्रजनन संस्थान के करनाल स्थित क्षेत्रीय केन्द्र में रिपोर्टार्धीन वर्ष के दौरान परीक्षण किया गया। निगरानी पूरी करने के पश्चात् परिणामों को प्राधिकरण को भेजने के लिए अंतिम रूप दिया गया। अब तक प्राधिकरण में दाखिल किए गए 36 आवेदनों में से 35 को प्रमाण—पत्र जारी किए जा चुके हैं और केवल एक आवेदन लंबित है।

### 2.8.39 बीज अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (एसआरटीसी), आधि प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद

इस केन्द्र को मक्का, उड्डद और मूँग के डीयूएस परीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है तथा यह इस उद्देश्य से संदर्भ किस्मों के रखरखाव का कार्य भी कर रहा है। रिपोर्टार्धीन वर्ष के दौरान डीयूएस परीक्षण की स्थिति निम्नानुसार है :

### सारणी-41 : वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान डीयूएस परीक्षण की प्रगति

फसलें	नई		कृषक	कुल	निगरानी की तिथि	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
मक्का						
संकर	30	28	5 (प्रथम वर्ष)	63	30 सितम्बर 2013 एवं 1 अक्टूबर 2013	डॉ. आर.सी. शर्मा, पूर्व डीन, बागवानी कॉलेज, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन
अंतर—प्रजनित	13	15		28		
उड्ड	1		1	1		

परीक्षण आयोजित किए गए तथा लक्षण वर्णन पीपीवी और एफआरए द्वारा निर्धारित डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए और खेत का भी बेहतर अनुरक्षण हुआ।

#### 2.8.40 कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएस), धारवाड़



सच्चा प्रकार: वर्तिकाग्र धंसा हुआ बेमेल प्रकार: वर्तिकाग उभरा हुआ

विश्वविद्यालय को सह—नोडल केन्द्र के रूप में कपास, सोयाबीन और गेहूं के डीयूएस परीक्षण का कार्य सौंपा गया है और यह उपरोक्त फसलों की संदर्भ किस्मों का भी रखरखाव कर रहा है। खरीफ 2013–14 के दौरान कपास



कपास के गुल्ले की आकृति


की 33 किस्मों जिनमें 21 अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्में भी थीं, का परीक्षण किया गया। इसके अलावा गेहूं की 132 किस्मों और सोयाबीन की 98 किस्मों व प्रत्याशी किस्मों का उनके डीयूएस गुणों के लिए परीक्षण किया गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नानुसार है :

### सारणी-42 : वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान डीयूएस परीक्षण की प्रगति

फसलें	नई	निगरानी की तिथि		अध्यक्ष
कपास	33 (निजी / प्रत्याशी)	16	29–30 नवम्बर 2013	डॉ. एस.एस. पाटिल
सोयाबीन		2 (एनएसओ—84 एवं अंजलि)	3 अक्टूबर 2013	डॉ. एम.के. कुचलान
गेहूं	1 (जीजी—04)		12 दिसम्बर 2013	डॉ. सुशीला कुंद्रा डी डब्ल्यू आर, करनाल
कुल	34	18		

#### मॉनिटरिंग के दौरान किए गए संक्षिप्त पर्यवेक्षण

**क. कपास :** पौधे के तने की रोमिलता, पौधे के वृद्धि स्वभाव, 50 प्रतिशत पुष्पन के दिन, तने की रंजकता, पत्ती की दिखावट, पुष्प पंखुड़ी के रंग, पुष्प पराग के रंग, गुले की आकृति, गुले की नोक की प्रमुखता, पत्ती की आकृति, जैसे गुणों का पर्यवेक्षण करते हुए उन्हें रिकॉर्ड किया गया।



गुले की आकृति के संदर्भ में बेमेल प्रकार

- ख. सोयाबीन** : बीज पत्राधर की रंजकता, पौधे के वृद्धि स्वभाव, 50 प्रतिशत पुष्पन के दिन, पत्ती की आकृति, पत्ती के रंग, पुष्प पंखुड़ी के रंग, पौधे की ऊंचाई, फली तारुण्यता, पौधे के वृद्धि स्वभाव, पौधा वृद्धि प्रकार, जैसे गुणों का पर्यवेक्षण करते हुए उन्हें रिकॉर्ड किया गया।
- ग. गेहूं** : प्रांकुरचोल के रंग, पौधा : वृद्धि स्वभाव, पत्ती के रंग, पताका पत्ती, कर्णपालियों का एंथोसियानिन रंग, पताका पत्ती, कर्णपालियों पर रोमिलता, पौधा : पताका पत्ती की प्रवृत्ति जैसे गुणों का पर्यवेक्षण करते हुए उन्हें रिकॉर्ड किया गया।

#### 2.8.41 ज्वार अनुसंधान निदेशालय (डीएसआर), हैदराबाद

रिपोर्टार्धीन वर्ष के दौरान केन्द्र में ज्वार की 115 संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया है जो मुख्यतः भा.कृ.अ.प. के अलावा रा.कृ.वि.वि. द्वारा जारी की गई थी। डीएसआर डीयूएस परीक्षण के लिए मुख्य नोडल केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है और 2013–14 के दौरान डीयूएस परीक्षण की प्रगति निम्नानुसार है :

**सारणी—43 : वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान डीयूएस परीक्षण की प्रगति**

फसल — ज्वार	नई		वीसीके	कुल	निगरानी की तिथि	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
खरीफ	9 (7 निजी + 2 सार्व— जनिक)	7 (6 निजी + 1 सार्व— जनिक)	7 (4 निजी + 3 सार्व— जनिक)	23	1 अक्टूबर 2013	डॉ. आर.सी. शर्मा, डीन, बागवानी कॉलेज, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन
रबी	3 (सभी निजी)	5 (सभी निजी)	1 (सार्व— जनिक)	9	7 फरवरी 2014	डॉ. जे.वी. पाटिल
कुल	12 (10 निजी + 2 सार्व— जनिक)	12 (11 निजी + 1 सार्व— जनिक)	8 (4 निजी + 4 सार्व— जनिक)	32		

#### निगरानी के दौरान संक्षिप्त पर्यवेक्षण

##### खरीफ, 2013

परीक्षणों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र के लिए अनुशंसित बुआई समय के अनुसार की गई। ले आउट तथा परीक्षणों का रखरखाव संतोषजनक था। अधिकांश प्रत्याशी किस्मों में फसल की वृद्धि तथा आकृति विज्ञानी गुणों की अभियक्ति संतोषजनक थी। अनुशंसित सख्यविज्ञानी पैकेज को अपनाते हुए परीक्षण करते समय उचित ध्यान रखा गया। कुल प्रत्याशी किस्मों जैसे केएसआर 6171, केएसआर 6178, केएसएमएस 283, एनएस 509ए, आरएस 627, पीएसवी 2, सोना—एनएसएच 27 (प्रथम वर्ष की प्रविष्टियाँ); डीजीजे 014, एमआईजे 008 463ए और एमआईजे 010 (द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियाँ) में परीक्षणों में दावा किए गए गुणों की तुलना में थोड़ा अंतर पाया गया। केएसएमएस 6178 में अभियक्ति घटिया थी और यह प्रविष्टि जनक वंशक्रम के समान नहीं दिखाई दे रही थी।

##### रबी, 2013–14

कुछ प्रत्याशी किस्मों जैसे अपर्णा, केएसआर 6313, केएसआर 6310, केएसएमएस 237, एनआरजे 01 और एनआरजे 02 में पर्यवेक्षित तथा दावा किए गए गुणों में भेद था; एनटीजे 4 के मामले में अभियक्ति बहुत घटिया थी क्योंकि यह हो सकता है कि यह खरीफ/पछेती खरीफ मौसम के प्रति अनुकूल हुई हो। अतः इसे केवल सही मौसम में ही उगाया जाना चाहिए। केएसआर 6313 और केएसआर 6310 के मामले में आवेदक द्वारा अनेक गुणों का दावा किया गया था और ये केवल निश्चित गुणों तक ही सीमित रहे। केन्द्र ने नई श्रेणी के अंतर्गत आने वाली ज्वार के पंजीकरण के लिए 10 आवेदन दाखिल किए हैं और पंजीकरण प्रमाण—पत्रों की प्रगति निम्नानुसार है :

**सारणी—44 : नई/वीसीके/विद्यमान अधिसूचित किस्मों के पंजीकरण की स्थिति**

फसलें	बीज अधिनियम, 1966 (1999 से) के अंतर्गत अधिसूचित किस्म	पंजीकरण के फाइल किए गए आवेदन विद्यमान अधिसूचित नई वीसीके	जारी किए गए	प्रमाण— पत्र	टिप्पणी
ज्वार	51	41	27	32	35

डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत—25 लंबित — 01 आवेदन बंद किए गए — 07 सूचना उपलब्ध नहीं — 29

## 2.8.42 चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसएयू और टी), कानपुर

यह गेहूं तोरिया और सरसों तथा अलसी के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र है। केन्द्र ने अधिदेशित फसलों के संदर्भ संकलन का निम्नानुसार अनुरक्षण और लक्षण-वर्णन किया है :

**सारणी-45 : अनुरक्षण प्रजनन/लक्षण-वर्णन की प्रगति**

प्रजाति का नाम	संदर्भ किस्मों की संख्या	स्रोत (स्वयं जारी/भा.कृ.आ.प./एसएयू)
गेहूं	90	भा.कृ.आ.प./एस ए यू
तोरिया बीज एवं सरसों	08	भा.कृ.आ.प./एस ए यू
अलसी	06	एस ए यू



सरसों की फसल की 14 प्रविष्टियों (6 डीयूएस और 8 संदर्भ) को डीयूएस लेआउट मानदंडों के अनुसार 15 अक्टूबर 2013 को बोया गया। 23 किस्मों के गुण डीयूएस परीक्षण के लिए निहित 5 प्रविष्टियों में रिकॉर्ड किए गए। आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए अनुरक्षण प्रजनन में सभी वांछित सावधानियां बरती गईं। फसल की कटाई 14

मार्च 2014 को की गई तथा प्रत्येक प्रविष्टि के कटाई के पश्चात् प्राप्त किए गए बीजों को अनुकूल स्थिति के अंतर्गत उचित भंडारण में रखा गया। गेहूं की फसल की 5 डीयूएस प्रविष्टियों को संदर्भ संकलन के साथ 25 नवम्बर 2013 को बोया गया। उनतालिस गुणों पर आंकड़ों को 5 डीयूएस प्रविष्टियों में रिकॉर्ड किया गया।

रिपोर्टर्डीन वर्ष के दौरान केन्द्र में निम्नानुसार गेहूं और तोरिया व सरसों के भी डीयूएस परीक्षण किए हैं।

**सारणी-46 : वर्ष 2013-14 के दौरान डीयूएस परीक्षण की प्रगति**

फसल	नई		निगरानी की तिथि	निगरानी दल के अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		
गेहूं	05	—	26 मार्च 2014	डॉ. महेश श्रीमली, दुर्गापुर, जयपुर
तोरिया एवं सरसों	05	01	6 फरवरी 2014	डॉ. डी. के. यादव, भा. कृ.आ.सं., नई दिल्ली
कुल	10	01	—	—

गेहूं की डीयूएस परीक्षण प्रविष्टियां जीजी-24, जीजी-39, संजीवनी, एचडीसीएसडब्ल्यू-16, एचडीसीएसडब्ल्यू-18 हैं। इसी प्रकार, सरसों के डीयूएस प्रविष्टियां कृष्णा क्रांति, बीएस-2, 44एस01, निर्मल बोल्ड-64, निर्मल बोल्ड 42 और कोरल-437 हैं।

## 2.9 डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक

### 2.9.1

डीयूएस क्रियाविधि तथा वित्तीय सहायता प्रणाली की समीक्षा करने के लिए प्रो. एस.के. दत्ता, उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भा.कृ.आ.प. की अध्यक्षता में 5 दिसम्बर 2013 को एनएससी परिसर, नई दिल्ली में एक विचारोत्तरक सत्र का आयोजन किया गया। प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रो. आर.आर. हंचिनाल के अलावा डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महापंजीकार; पंजीकार तथा प्राधिकरण के अन्य अधिकारी; डॉ. अतनु पुरकायस्थ, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं सहकारिता विभाग; डॉ. इंदु शर्मा, परियोजना निदेशक (गेहूं), डॉ. ओ. पी. यादव, परियोजना निदेशक (मक्का), डॉ. एस. राजेन्द्र प्रसाद, परियोजना निदेशक (बीज अनुसंधान निदेशालय); डॉ. एन.के. दादलानी, निदेशक (एनएसएआई); बीज उद्योग


के प्रतिनिधियों; नोडल अधिकारियों, डीयूएस और भा.कृ.अ.प. संस्थानों/रा.कृ.वि.वि. से कुछ अन्य वैज्ञानिकों तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग के कई अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। इस विचारोत्तरक सत्र का मुख्य उद्देश्य डीयूएस केन्द्रों की कार्य प्रणाली को निर्धारित करना तथा अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के अंतर्गत डीयूएस—वीसीयू प्रणाली की संकल्पना को समकालिक बनाकर अगेती अवस्था में किस्म की पहचान करना था। इस विचारोत्तरक सत्र में वैज्ञानिकों के बीच गहन चर्चा हुई तथा डीयूएस केन्द्रों व डीयूएस परीक्षणों के अनुरक्षण की विधि पर विचारों का आदान—प्रदान हुआ। यह निर्णय लिया गया कि डॉ. आर.के. चौधरी, पूर्व परियोजना समन्वयक (एनएसपी) को अध्यक्ष तथा डॉ. ओ.पी. यादव, परियोजना निदेशक (मक्का) और डॉ. एन.के. दादलानी, एनएसएआई को सदस्यों के रूप में नियुक्त करते हुए एक समिति गठित की जाए जो डीयूएस परीक्षण तथा केन्द्रों के रखरखाव संबंधी मुददों की जांच करे।

### 2.9.2 डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं की यूएस, धारवाड़ में 8वीं समीक्षा बैठक

- पंजीकरण हेतु ईडीवी के परीक्षण के लिए सर्वसम्मति द्वारा प्रणाली विकसित करने के लिए एक विचारोत्तरक सत्र आयोजित किया जा सकता है। उपोव के उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के लिए प्राथमिकता वाले पुष्ट/शोभाकारी पौधों और विदेशी पुष्टों की सूची तैयार करने के लिए सभी संबंधित स्टेकहोल्डरों के साथ एक अन्य विचारोत्तरक सत्र आयोजित किया जाए।
- दावे आमंत्रित करने के लिए पौधा किस्म जरनल (पीवीज) में प्रत्याशी किस्मों के श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले फोटोग्राफों के साथ विस्तृत विवरण तथा और अधिक गुणों की आवश्यकता है।
- सम्पूर्ण पासपोर्ट आंकड़े उपलब्ध कराने और गुणों का विवरण देने के लिए प्रत्याशी किस्म को डीयूएस परीक्षण केन्द्रों को उपलब्ध कराया जा सकता है, ताकि उपयुक्त उदाहरण/संदर्भ किस्मों सहित डीयूएस परीक्षणों को अंतिम रूप दिया जा सके।
- अनुभव के संदर्भ में संशोधनों को अनुमति देने के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों की पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है।
- डीयूएस परीक्षणों से संबंधित आंकड़ों की परीक्षा करने व उनके सांख्यिकी विश्लेषण के लिए पीआई/सह पीआई/अनुसंधान एसोसिएटों/एसआरएफ की नियमित क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।
- डीयूएस परीक्षण केन्द्रों पर सृजित डीयूएस परीक्षण आंकड़ों को एक मानक फसल विशिष्ट फार्मेट में फील्ड परीक्षण पूरे होने की तिथि से तीन माह के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- फील्ड जीन बैंकों/रिपोजिटरियों को बीएयू रांची और काजरी, जोधपुर में विकसित करने के लिए सम्बद्ध संस्थान द्वारा अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए और ईमानदारीपूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए।
- सेब, अखरोट, खुबानी, चेरी, बादाम और नाशपाती के राजपत्र में अधिसूचीकृत होने के पश्चात् इनकी विद्यमान तथा अन्य श्रेणी की किस्मों के पंजीकरण हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।
- जीमीकंद, तारो, बांस प्रजातियों, नीम, करंज और रतनजोत के दर्शाए गए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा उपयोग में लाया जाना चाहिए।
- पॉपलर तथा भिसा या विलो के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश एक निश्चित समय में विकसित किए जाएंगे जिसमें इस वन्य प्रजाति के प्रजनन की जटिलताओं को ध्यान में रखा जाएगा।
- कृषक श्रेणी के डीयूएस परीक्षण के लिए बड़ी संख्या में प्रविष्टियों को समायोजित करने हेतु कुछ हल निकालने की जरूरत है जिसके लिए पर्यवेक्षण रिकॉर्ड करने हेतु कतारों की लंबाई और लिए जाने वाले पौधों की संख्या में संशोधन की जरूरत है।
- किसी समिति/समितियों तथा आंतरिक चर्चाओं द्वारा विद्यमान फील्ड जीन बैंकों की कार्य प्रणाली की समीक्षा के पश्चात् ही नए जीन बैंकों को खोलने के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए।
- आईआईएचआर, बंगलौर को किसी ऐसे उपयुक्त अधिकारी को नामित करना चाहिए जिसे प्राधिकरण द्वारा सौंपी गई विभिन्न परियोजनाओं के उचित समन्वयन का अनुभव हो तथा उसे प्रत्येक परियोजना के व्यक्तिगत प्रधान अन्वेषक से सम्पर्क स्थापित करने की बजाय कुल मिलाकर सभी से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

- प्राधिकरण सर्वश्रेष्ठ डीयूएस परीक्षण केन्द्र, डीयूएस परीक्षण केन्द्र में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान व्यक्ति, पीजीआर की सर्वोच्च संख्या एकत्रित करने वाले सर्वश्रेष्ठ परिचालक व भू-प्रजातियों, कृषक किस्मों और परंपरागत किस्मों को एकत्र करने वाले डीयूएस परीक्षण केन्द्र को पुरस्कृत करने के बारे में विचार करना चाहिए।
- डीयूएस परीक्षण केन्द्रों को डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत निधियों का उपयोग करते समय असली उपायों को अपनाने का परामर्श दिया जाता है तथा उन्हें गैर-आवर्ती आकस्मिक निधि से राशि को उपयोग करने से बचना चाहिए।

## 2.10 राष्ट्रीय जीन बैंक



आरंभिक वर्षों के दौरान पंजीकृत किस्मों के बीजों के भंडारण और रखरखाव के लिए पृथक सुविधाएं हैं और वर्ष 2007 के दौरान प्रासंगिक स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया, पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण के राष्ट्रीय जीन बैंक को राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन व्यूरो (एनबीपीजीआर), पूसा नई दिल्ली के पुराने भवन में स्थापित किया गया। पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण द्वारा मध्यम अवधि भंडारण के तहत सुरक्षित भंडारण के लिए किराए की सुविधा संभावित की गई। मध्यम अवधि की सुविधा की कार्यप्रणाली की निगरानी एनबीपीजीआर के तकनीकी विशेषज्ञों के अलावा एक इलेक्ट्रिशियन द्वारा की जाती है। मध्यम अवधि भंडारण का तापमान + 40 से. रखा जाता है और सापेक्ष आर्द्रता को 35 प्रतिशत पर रखा गया है। मध्यावधि भंडारण (एमटीएस) के सापेक्ष

आर्द्रता तथा तापमान को व डीयूएस परीक्षण रिपोजिटरी को इलेक्ट्रिशियन द्वारा नियमित रूप से रिकॉर्ड किया गया है और प्रमुख समस्याएं यदि कोई हों तो उन्हें एनबीपीजीआर के तकनीकी कार्मिक के ध्यान में लाया गया। प्राधिकरण के प्राधिकारियों को डीयूएस परीक्षण के लिए किस्म के नमूनों की पैकेजिंग, सीलबंदी और प्रसंस्करण के लिए सहायता प्रदान की गई। मध्यावधि भंडारण की स्थितियों के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के सच्चे ('परंपरागत') बीजों तथा डीयूएस परीक्षण / ग्रो आउट परीक्षण किए जाने वाले किस्मों के बीज नमूनों को भंडारित किया गया है।



पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 27 में राष्ट्रीय जीन बैंक के लिए प्रावधान है तथा इसके अंतर्गत प्रजनक को पंजीकृत बीजों के जनक वंशक्रम सहित बीजों या रोपण सामग्री की निर्धारित मात्रा को राष्ट्रीय जीन बैंक में जमा कराना होता है। इसके अलावा पीपीवी एंड एफआर नियमावली 2003 के अनुसार बीजों के नमूने तथा और प्रवर्धित आनुवंशिक शुद्धता, समरूपता तथा अंकुरण, सफाई तथा पादप स्वच्छता मानकों का स्तर रखरखाव योग्य होना चाहिए। किसी भी बाह्य स्थाने जननद्रव्य बैंक की तुलना में अधिदेशित कार्यकलाप काफी अलग हैं जैसे मध्यम अवधि भंडारण, बीज रखरखाव, री-पैकेजिंग, पादप किस्म संरक्षण के लिए अपेक्षित डीयूएस जांच केन्द्र में खेत परीक्षण के लिए डिस्पैच, बीज गुणवत्ता प्राचलों का आकलन आदि तथा कानूनी बाध्यताओं का पालन किया गया है। पंजीकृत किस्मों के लिए भंडारित बीजों का उपयोग, विवाद समाधान, अनिवार्य लाइसेंसिंग के लिए तथा अन्य इस तरह के मामलों

में जिन्हें अधिनियम के तहत उपयुक्त माना गया है, हेतु किया जा सकता है।

### 2.10.1 पंजीकृत किस्मों के बीजों का मध्यम अवधि भंडारण

बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के तहत 148 अधिसूचित विद्यमान किस्मों के बीज नमूनों, 46 वीसीके किस्मों, 60 नई किस्मों तथा 76 कृषक किस्मों (जिनके लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र पहले ही जारी कर दिए हैं) को बीज भंडारण के लिए विशेष रूप से तैयार सीड कैबिनेट में रखा जा रहा है। बीज नमूनों को लंबी अवधि के लिए शरीरक्रिया विज्ञान के तौर पर व्यवहारिक बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करने के लिए 40 से तापमान के साथ 30+ 5: सापेक्ष आर्द्रता नियंत्रित जलवायु स्थितियों के तहत रखा गया। पंजीकृत किस्मों के बीज नमूनों को संरक्षण अवधि तक भंडारित किया गया तथा फसल विशिष्ट मानकों तथा जरुरत के अनुसार निर्धारित अंतराल पर इसकी व्यवहारिकता की जांच की गई। राष्ट्रीय जीन बैंक में संरक्षित बीज नमूनों का विवरण निम्नानुसार है :

**सारणी-47 : मध्यावधि भंडारण के अंतर्गत राष्ट्रीय जीन बैंक में संरक्षित किस्मों के बीज नमूनों की प्रगति**

क्र. सं.	फसलें	राष्ट्रीय जीन बैंक				कुल
		नई	कृषक	वीसीके	विद्यमान	
15.	सोयाबीन	—	—	—	5	5
16.	सूरजमुखी	—	—	8	5	13
17.	अरण्ड	—	—	—	4	4
18.	सेम	—	—	—	4	4
19.	सरसों	—	—	—	20	20
20.	बैंगन	—	—	—	1	1
21.	फूलगोभी	—	—	—	2	2
22.	भिण्डी	—	—	—		
23.	तोरिया	—	—	—	3	3
24.	कुसुम	—	—	—	1	1
25.	छोटी इलायची	—	—	—	1	1
26.	मूँगफली	—	—	—	9	9
27.	गोभी सरसों	—	—	—	4	4
28.	अलसी	—	—	—	2	2
कुल		98	52	54	610	814

### 10.2 प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम



रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के सहयोग से एनबीपीजीआर, नई दिल्ली में 21–22 मार्च 2014 को 'जीन बैंक में परंपरागत बीज का संरक्षण' विषय पर एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। भा.कृ.अ.प. के संस्थानों (11), रा.कृ.वि.वि. (01), निजी क्षेत्र (4), सीएसआईआर (02) और पीपीवी और एफआरए (1) के कुल 19 प्रशिक्षणार्थियों ने इसमें भाग लिया। अपने अनुसंधान क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाले संसाधन व्यक्तियों को जो डीयूएस परीक्षण केन्द्रों, पीपीवी और एफआरए तथा एनबीपीजीआर से थे, प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया।

इस कार्यक्रम में जीन बैंक ने बीजों के संरक्षण पर विभिन्न पहलुओं पर 15 व्याख्यान और 3 प्रायोगिक कार्य किए गए।



### 2.10.3 डीयूएस परीक्षण के तहत किस्मों के बीजों का लघु अवधि भंडारण

डीयूएस परीक्षण का आयोजन संवैधानिक प्रावधान के अनुसार निम्न रूप में किया गया :

- नई श्रेणियों के तहत किस्मों के लिए दो वर्ष और दो स्थानों में किए गए;
- सामान्य ज्ञान की किस्मों के लिए दो स्थानों में एक वर्ष; तथा कृषक किस्में :

आवेदक को फसल विशिष्ट मानकों के साथ पंजीकरण तथा नई और वीसीके श्रेणी के लिए डीयूएस परीक्षण शुल्क के अनुसार बीजों की मात्रा प्रस्तुत करना अपेक्षित है। कृषक किस्मों के लिए आवेदक को बीजों की निर्धारित मात्रा प्रस्तुत करना जरुरी होता है क्योंकि किसानों को डीयूएस परीक्षण/वर्धन जांच के लिए किसी तरह के शुल्क का भुगतान करना जरुरी नहीं होता।

नई किस्मों (410), वीसीके (228) तथा ईडीवी (जनक

वंशक्रम सामग्री सहित दोनों), विद्यमान अधिसूचित (62) और कृषक किस्मों (168) के बीज नमूनों का 31 मार्च 2014 को रखरखाव लघु अवधि भंडारण के तहत किया गया। प्रतिनिधि बीज नमूनों को डीयूएस जांच केन्द्रों के लिए रखा गया। बीज पैकेटों को 20+20 से. पर तब तक भंडारित करके रखा गया जब तक पंजीकरण प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। यद्यपि जब प्रत्याशी किस्म पंजीकरण प्रमाण—पत्र प्रदान करने के लिए पात्र होती है उस समय आवेदक को मध्यम अवधि स्थितियों के तहत भंडारण के लिए ताजे बीज नमूनों की आपूर्ति की सलाह दी गई।

#### 2.10.4 बीज मानक

आवेदक को निर्धारित आकार के तीन परत वाले एल्यूमीनियम फोइल पाउच में सील्ड बीज प्रस्तुत करना जरुरी है जिसमें निम्नलिखित रूप में उचित लेवलिंग होगी :

- प्रत्याशी किस्म का विवरण
- पादप किस्म रजिस्ट्री द्वारा आबंटित आवेदन पावती संख्या
- श्रेणी (नई/विद्यमान/वीसीके/कृषक आदि)
- कटाई का वर्ष और
- बीज गुणवत्ता पैरामीटर (नमी प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत तथा भौतिक शुद्धता प्रतिशत)

सम्पूर्ण बीज लॉट को समान रूप में दस (नई किस्मों के लिए) या पांच (वीसीके या कृषक किस्मों) या दो (बीज अधिनियम 1966 के तहत अधिसूचित विद्यमान किस्में) पैकेट/पाउच में प्रस्तुत किया जाए। बीज लॉट में फसल विशिष्ट डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित मानकों का पालन किया जाए। कुछ मुख्य फसलों के बीज मानक की विस्तृत सूची को सारणी 45 में निम्नवत दिया है :

सारणी-48 : मध्यम अवधि भंडारण तथा डीयूएस परीक्षण के लिए बीज मानक

क्र.सं.	फसल	बीज आवश्यकता अभ्यर्थी/पैतृक वंशक्रम हाइब्रिड (प्रत्येक) ग्रा. में		अंकुरण प्रतिशत	नमी प्रतिशत	भौतिक शुद्धता प्रतिशत	प्रारंभिक मौसम डीयूएस परीक्षण के लिए बीज प्रस्तुत करने का माह	बीज पैकेटों का निर्धारण आकार (मि. मी.)
1	चावल	3000	1500	80	11.12	98	खरीफ— मार्च—अप्रैल	230x300
2	जौ	1500	1000	95	8	98	अगस्त—सितम्बर	230x300
3	चपाती गेहूं	3000	1500	95	8.9	98	रबी— अगस्त	230x300

क्र.सं.	फसल	बीज आवश्यकता अन्धर्थी/पैतृक वंशक्रम हाइब्रिड (प्रत्येक) ग्रा. में		अंकुरण प्रतिशत	नगी प्रतिशत	भौतिक शुद्धता प्रतिशत	प्रारंभिक गौसम डीयूएस परीक्षण के लिए बीज प्रस्तुत करने का माह	बीज पैकेटों का निर्धारण आकार (मि. मी.)
4	अन्य ट्रिटिकम प्रजाति	3000	1500	95	8.9	98	गेहूं के जैसा	230x300
5	मक्का	3000	1500	80 (अंतरप्रजनित / एससीएच) 90 (किरम / डीसीएच)	8.10	98	खरीफ – मार्च–अप्रैल रबी – अगस्त	230x300
6	ज्वार	3000	1500	80 (अंतरप्रजनित / एससीएच) 90 (किरम / डीसीएच)	10.12	98	खरीफ मार्च रबी – अगस्त	230x300
7	बाजरा	1000	500	80 अंतरप्रजनित / एससीएच) 90 (किरम / डीसीएच)	10.12	98	खरीफ – मार्च	165x220
8	मूंग	1000	लागू नहीं	80	8.9	98	खरीफ – मार्च	230x300
9	राजमा	3000	लागू नहीं	80	8.9	98	जून – जुलाई	230x300
10	चना	2000 (देसी) 3000 (काबुली)	लागू नहीं	80	8.9	98	रबी – अगस्त	230x300
11	अरहर	2000	1500	80	8.9	98	खरीफ – मार्च	230x300
12	मसूर	1000	लागू नहीं	80	8.9	98	रबी – अगस्त	230x300
13	मटर	2000	लागू नहीं	80	8.9	98	रबी – अगस्त	230x300
14	उड्द	1000	लागू नहीं	80	8.9	98	खरीफ – मार्च	165x220
15	पटसन	1000	500	85	9	97	पछेती – खरीफ अगेती – जन.	165x220
16	कपास	2000	1000	75	10	98	खरीफ उत्तरी – फरवरी दक्षिण – मई	230x300
17	टमाटर	15 (खुले खेत) 8 (ग्रीन हाउस)	वही	85	8	98	अप्रैल – मई	165x100
18	बंदगोभी	15	15	*	*	*	अप्रैल – मई	165x100
19	फूलगोभी	15	15	*	*	*	अप्रैल – मई	165x100

क्र.सं.	फसल	बीज आवश्यकता अभ्यर्थी/पैतृक वंशक्रम हाइब्रिड (प्रत्येक) ग्रा. में		अंकुरण प्रतिशत	नमी प्रतिशत	भौतिक शुद्धता प्रतिशत	प्रारंभिक मौसम डीयूएस परीक्षण के लिए बीज प्रस्तुत करने का माह	बीज पैकेटों का निर्धारण आकार (मि. मी.)
20	बैंगन	15 (मुक्त)	15 (मुक्त)	85	8	98	अप्रैल— मई	165x100
21	करेला	300 मी. या 1500 नं.	—	80	8	98	अप्रैल	230x300
22	लौकी	250 मी. या 1500 नं.	—	80	8	98	अप्रैल	230x300
23	खीरा	50 मी. या 1500 नं.	—	80	8	98	अप्रैल	230x300
24	कद्दू	200 मी. या 1500 नं.	—	80	8	98	अप्रैल	230x300
25	तोरिया—सरसों	500	250	85	8	98	अप्रैल — अगस्त	165x100
26	सोयाबीन	3000	...	70	9	98	अप्रैल — मई	230x300
27	सूरजमुखी	3000	2000	70	9	98	जुलाई — अगस्त	230x300
28	कुसुम	3000	1500	80	9	98	जून — जुलाई	230x300
29	मूँगफली	3000 स्पैनिश एवं वैलेसिया 8000 (केरनेल) वर्जिनिया बंच तथा ममर टाईप	1500 4000	80	9	98	खरीफ : मई — जून रबी: अगस्त— सितम्बर	300x450
30	अलसी	500	250	85	9	98	जुलाई— अगस्त	165x100
31	अरण्ड	6000	2500	70	10	98	अप्रैल— मई	300x450
32	तिल	500	250	80	9	97	अप्रैल — मई	165x100
33	प्याज	100 1200 (बहुगुणक) 50 (एमएस वंशक्रम)	50	70	*	*	मौसम को दर्शाने वाले	
34	लहसुन	2000 वायबल क्लोव	—	*	*	*	अगस्त— सितम्बर	
35	धनिया	250	—	80	8.9	98	अगस्त— सितम्बर	165x100
36	सौंफ	250	.	80	8.9	98	अगस्त —सितम्बर	165ग100

\* प्रजनक बीज मानकों के अनुसार

## 2.11 फील्ड जीन बैंक

### 2.11.1 डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, मशोबरा, शिमला

आरएचआर और टीएस, मशोबरा में स्थापित अनुरक्षण प्रजनन ब्लॉकों की प्रगति परियोजना के अंतर्गत निम्नानुसार है :

#### सारणी—49 : अनुरक्षण प्रजनन की प्रगति

क्र सं.	प्रजातियों का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत
1.	सेब	249	राज्य कृषि विश्वविद्यालय – हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा उत्तराखण्ड भा. कृ.अ.प. – एनबीपीजीआर, फागली व सीआईटीएच, श्रीनगर प्रोगैनी-व–बागवानी विभाग (हि. प्र.) बागवानी विभाग के बगीचों का प्रदर्शन (हि.प्र.)
2.	नाशपाती	64	–वही–
3.	चैरी	45	–वही–
ख) किस्म चयन (संदर्भ किस्मों) ब्लॉक			
1.	सेब	99	राज्य कृषि विश्वविद्यालय – हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा उत्तराखण्ड भा. कृ.अ.प. – एनबीपीजीआर, फागली व सीआईटीएच, श्रीनगर प्रोगैनी-व–बागवानी विभाग (हि. प्र.) बागवानी विभाग के बगीचों का प्रदर्शन (हि.प्र.) तथ कृषकों के बगीचे
2.	नाशपाती	23	– वही –
3.	वैरी	26	– वही –

सब, नाशपाती और चैरी के लिए सामान्य ज्ञान की किस्मों के किस्म संकलन ब्लॉक स्थापित किए गए। डीयूएस विवरणों के विकास तथा उपोव दिशानिर्देशों के अनुसार

विभिन्न फलों की उदाहरण किस्मों के लिए सीआईटीएच, श्रीनगर द्वारा पहचानी गई किस्मों का चयन किया गया। किस्मों का संकलन विभिन्न उपलब्ध स्रोतों से प्रत्येक किस्म के कलम काष्ठ को एकत्र करके किया गया तथा उसी किस्म के स्रोतों के बिना प्रत्येक के दो पौधों को रोपा गया।



सेब (80 किस्मों) तथा चेरी (24 किस्मों) का लक्षण-वर्णन केन्द्र के पुराने विद्यमान जननद्रव्य ब्लॉकों में किया गया। नाशपाती में परियोजना के अंतर्गत स्थापित नए पौधों में वानस्पतिक गुणों के लिए 55 किस्मों का लक्षण-वर्णन किया गया। सेब (39), नाशपाती (15) और चेरी (27) के गुणों के लक्षणों की सारणी पर्यवेक्षण रिकॉर्ड करने के पश्चात रिकॉर्ड की गई। परियोजना के अंतर्गत सेब, नाशपाती और मीठी चेरी के कुल 1886 कलमदार पौधे संबंधित अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत हैं और इन्हें किस्म संकलन ब्लॉकों में रोपा गया है।

### 2.11.2 केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, काजरी, जोधपुर को प्राधिकरण द्वारा पिछले वर्ष शुष्क क्षेत्र की प्रजातियों के लिए फील्ड जीन बैंक स्थापित करने की परियोजना सौंपी गई थी। यह केन्द्र प्रमुख शुष्क फसलों/किस्मों जैसे मोठ (विग्ना एकोनिटीफोलिया), ग्वार (सियामॉप्सिस टैट्रागोनोलोबा), चरागाह घास (सैक्स सिलिएरिस, सी. सैटिगेरस), मेंहदी (लाउसोनिया इनेर्मिस) और शुष्क फल बेर का बारानी फील्ड स्थितियों के अंतर्गत संकलन, मूल्यांकन, लक्षण-वर्णन और प्रलेखन का कार्य सौंपा गया है। इन फसलों के अलावा यह केन्द्र बहु वार्षिक फसलों जैसे खेजरी (प्रोसोपिस सिनरेरिया), दूधब्रश वृक्ष (सैल्वाडोरा) और बबूल (एकेशिया सेनेगल) आदि का संकलन भी कर रहा है तथा इन्हें खेत स्थिति के अंतर्गत स्थापित कर रहा है। फील्ड जीन बैंक के विकास की प्रगति निम्नानुसार है :

## सारणी-50 : अनुरक्षण प्रजनन/लक्षण-वर्णन की प्रगति

प्रजातियों का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत (स्वयं जारी की गई/भा.कृ.अ.प./राज्य कृषि विश्वविद्यालय)
विंग्ना एकोनिटी-फोलिया	14	आरएमओ— 257, आरएमओ— 423, आरएमओ— 435, आरएमओ—40, आरएमओ—225, आरएमबी—25, काजरी मोथ—1, काजरी मोठ—2, काजरी मोठ—3, ज्वाल, मारू मोथ, आईपीसीएमओ— 880, जीएमओ—1, जीएमओ—2
सायामोप्सिस टेट्रागोन्नोलोबा	34	आरजीसी 986, आरजीसी 1078, बीजी 1, एम 83, एमएआरयू जीयूआर, आरजीसी 1066, बीजी 2, नुजीवीडु, एचजी 258, एचजी 4—875, बीजी 3, एनईओ, आरजीसी 471, आरजीआर—6, एचजी 365, एम 83, एचवीजी 2—30, सुविधा, एचएफजी 119, कोमल, एचजी 563, पीएमबी, आरजीसी 1031, थार भद्री, एनपीबीजीआर पीएचबी, एचजी 884, आरजीएम—112, अंकुर एन्नी, आरजीआर 7, एफएस 277, आरजीसी 1003, एचजी 75, आरजी, 1088, आरजीसी 936
सैंकरस सिलिएरिस	5	काजरी 358, काजरी 585, काजरी 2178, काजरी 2221, काजरी 75, आईजीएफआराई 3018
सैंकरस सेटिजेरस	1	काजरी 76
जिजिफस मौरिटियाना	36	काजरी गोला, गोला, उमरान, सेब, गोमा कीर्ति, कोंचल, गोला, गुडगांव, लड्डू अकरोता, पोपुलर गोला, सुआ, थार भुवराज, पोंडा, विलायती, नारिकेली, थार सेविका, तिकाडी, इलायची, रेशमी, काथा, अलीगंज, मुंडिया, बनारसी कड़ाका, जैडजी—3, काली, बगवादी, बनारसी पेबंदी, मेहरवाली, सेनौर—5, थार्नलैस,

चुहारा, कैथली, जोगिया, डंडन, सेबग कथा एफ1 हाइब्रिड, बीसी 1 त्र एफ1 (सेब ग तिकाडी) ग सेब
लासोनिया इनरमिस 20 (जीन—प्रस्तुप) अमीरगढ़, आनंद, धंधुका, खेदब्राम, कोठारा, मालव, मालपुर, एस के नागर, सरोत्रा, सिद्धपुर, वसादा, अजमेर, बीकानेर, जोबनर, जोधपुर, जदिया, पालि, पांचोटिया, सोजत, वाव

## 2.11.3 बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), रांची



केन्द्र को सौंपी गई अधिदेशित फसलें हैं : आम, आंवला, अमरुद, नींबूवर्गीय फल और केला (पूर्वी क्षेत्र)। विभिन्न फल फसलों की रोपण सामग्री ओर उनकी कलमें विभिन्न केन्द्रों से एकत्र की गई जो उनके अपने स्रोतों के साथ—साथ अन्य स्थानों से भी प्राप्त की गई थीं। आम की एक कृषक किस्म 'चितरंजन' को भी फील्ड जीन बैंक में रोपा गया है। नींबूवर्गीय फलों तथा केला प्रजातियों का किस्म संकलन अच्छी अवस्था में है। अमरुद की चार किस्में जुलाई 2013 के दूसरे सप्ताह में रोपी गई। फील्ड जीन बैंक की संक्षिप्त प्रगति निम्ननुसार है :

## सारणी-51 : फील्ड जीन बैंक की स्थिति

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत (स्वयं जारी की गई/भा.कृ.अ.प./रा.कृ..वि.वि.)
आम	43	भा.कृ.अ.प. एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषक किस्में
केला	30	राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिचिरापल्ली

नींबू	6	भा.कृ.अ.प. – बारापानी, शिलोंग, भा.कृ.अ.प. – राष्ट्रीय नींबू अनुसंधान केन्द्र, नागपुर तथा विरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची
अमरुद	4	राष्ट्रीय नींबू अनुसंधान केन्द्र, नागपुर एवं विरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची

अवधि के दौरान डॉ. अचिम डोबरमेन, उप महानिदेशक अनुसंधान तथा आईआरआरआई, फिलीपाइंस के अन्य वैज्ञानिकों ने 7 सितम्बर 2013 को बीएयू रांची के कुलपति के साथ यहां का दौरा किया।

#### 2.11.4 डॉ. बी.एस. कॉकण कृषि विद्यापीठ (बीएसकेकेवी), धपोली

‘सजीव रिपोजिटरी’ के माध्यम से फलों, रोपण फसलों और वृक्ष प्रजातियों के विवरणों के विकास के साथ–साथ उनका संकलन, अनुरक्षण, मूल्यांकन और विकास’ शीर्षक की परियोजना के अंतर्गत यह केन्द्र आम, नींबूवर्गीय फलों, अदरक, हल्दी, केला, काली मिर्च, इलायची, कटहल और जायफल जैसे फल पौधों के जननद्रव्य का अनुरक्षण और लक्षण–वर्णन कर रहा है। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान हुई प्रगति निम्नानुसार है :

#### सारणी–52 : अनुरक्षण / लक्षण–वर्णन की प्रगति

क्र. सं.	फसल	किस्मों की सं0/निगरानी के अंतर्गत	लक्षण–वर्णन
1.	आम	18 किस्में (संदर्भ ब्लॉक 1)	प्रगति में
		17 किस्में (संदर्भ ब्लॉक 2)	
		90 इकोटाइप (संदर्भ ब्लॉक 1 व 2)	
		18 किस्में (नर्सरी)	
2.	हल्दी	52 इकोटाइप (नर्सरी)	13
		13 इकोटाइप	
3.	इलायची	31 किस्में	31
		5	
4.	नींबू	4 प्रजातियां	—
5.	काली मिर्च	6	—
6.	केला	30	27
7.	जायफल	1 किस्म (3 पौधे)	—
8.	कटहल	2 किस्में (14 पौधे)	—

इस अवधि में डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष तथा डॉ. रबी प्रकाश, पंजीकार, पीपीवी और एफआरए सहित अनेक महानुभावों ने 10 जनवरी 2014 को यहां का दौरा किया।

### 3. किसानों के अधिकारों से संबंधित कार्यकलाप

पीपीवी एवं एफआर अधिनियम 2001 पादप किस्मों में आईपीआर पर एक नया विधायी कानून है। इसके बारे में किसानों, प्रजनकों, वैज्ञानिकों तथा अन्य संबंधित पणधारियों में व्यापक रूप से जागरूकता की जरुरत है। प्राधिकरण का विश्वास किसानों, अनुसंधानकर्ताओं, पादप प्रजनकों, वैज्ञानिकों, छात्रों, एनजीओ तथा सार्वजनिक और निजी संगठनों के साथ निकटतम सम्पर्क रखने का है। पिछले आठ वर्षों के दौरान प्राधिकरण ने प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों, किसान मेलों, किसान उत्सव, कृषि प्रदर्शनी, कृषि पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा कृषि कार्यशालाओं के लिए राशि जारी की है। पीपीवी एवं एफआर अधिनियम 2001 के तहत निर्धारित किसानों के बीच अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता लाने के क्रम में प्राधिकरण में किसान प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। किसान प्रकोष्ठ में अधिनियम में किसानों के अधिकारों के प्रावधान के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है। यह प्रकोष्ठ विभिन्न संगठनों/स्टेकहोल्डरों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के लिए प्राप्त प्रस्ताव की जांच के बाद वित्तीय सहायता की सिफारिश करने के लिए भी जिम्मेदार है। 142 रा.कृ.वि.वि./भा.कृ.अ.प. संस्थानों, सरकारी विभागों तथा स्वयं सेवी संगठनों के साथ प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से 250 से अधिक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनका विवरण अनुबंध VIII में दिया गया है। कुछ प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण अध्याय 8 में अलग से दिया गया है।

प्राधिकरण ने अनेक संगठनों द्वारा आयोजित अनेक किसान मेलों, प्रदर्शनियों व राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय कार्यशालाओं में भाग लिया। इनमें से कुछ प्रमुख घटनाओं का विवरण इस प्रकार है :

#### बांसवाड़ा में कृषक मेला

डॉ. एस.के.दत्ता, उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भा.कृ.अ.प. और अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार), पीपीवी और एफआर प्राधिकरण तथा डॉ. आर.सी.अग्रवाल, महा पंजीकार ने संकर बीजोत्पादन पर दिनांक 27 अप्रैल 2013 को बांसवाड़ा जिले में आयोजित किसान मेले में भाग लिया। इस मेले में लगभग 17 हजार किसान उपस्थित थे। डॉ. अग्रवाल ने इस अवसर पर पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के

अंतर्गत किसानों के अधिकारों पर एक व्याख्यान भी दिया। जिस पर किसानों ने बहुत उत्साहनजनक प्रतिक्रिया व्यक्त की।



कन्फडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), आंध्र प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रवर्धन केन्द्र द्वारा हैदराबाद में कार्यशाला



डॉ. आर.सी. अग्रवाल ने कन्फडरेशन ऑफ इंडस्ट्री सीआईआई, आंध्र प्रदेश प्रौद्योगिकी एवं प्रवर्धन केन्द्र द्वारा

अलंकृत रिसोर्ट्स, हैदराबाद में 25–27 अप्रैल 2013 को 'कृषि के लिए कार्यनीति परक बौद्धिक सम्पदा प्रबंध पर राष्ट्रीय कार्यशाला' के दौरान 'पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में नवीनतम कार्यों और क्रियाविधियों की भीतरी झलक, अब तक की यात्रा और भावी दिशा' पर एक व्याख्यान दिया। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण इस आयोजन का एक सह प्रायोजक था। डॉ. एस.के. दत्ता, उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भा.कृ.अ.प. तथा अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार), पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने प्राधिकरण के उद्देश्यों और गतिविधियों के बारे में एक व्याख्यान दियां।

### एनबीपीजीआर, नई दिल्ली में जागरूकता कार्यशाला



हयूमेना प्लूपल लच प्लूपल इंडिया (एचपीपीआई) ने पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के सहयोग से एनबीपीजीआर, नई दिल्ली में 28 मई 2013 को जीवन के लिए बीज-उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ गतिविधि – जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए आईजीपी क्षेत्र विषय पर आईटीपीजीआरएफए की सहायता के अंतर्गत 28 मई 2013 को पीपीपी और एफआर अधिनियम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। परियोजना प्रमुखों सहित आईटीपीजीआरएफ की निधि प्राप्त परियोजना के क्षेत्र प्रमुखों, किसानों (पानीपत और अलवर जिलों के) के साथ काम कर रहे हयूमेना के तथा अन्य परियोजनाओं के अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। कृषकों के अधिकारियों के विशेष संदर्भ में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन पर पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा व्याख्यान दिए गए जिनमें वैधानिक प्रावधानों के बारे में भी बताया गया। इसके अतिरिक्त

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के स्टाफ ने पंजीकरण फार्म को भरने तथा पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने के लिए अनिवार्य शर्तों के बारे में भी बताया।

**'पाकोनी विविध जातोंना संरक्षण अणे खेदुत अधिकार अंगे जागरूकता तथा प्रशिक्षण शिविर' विषय पर काज़री, कुकमा (भुज) द्वारा कार्यशाला का आयोजन।**

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काज़री) ने 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीपवी और एफआरए)' पर 16 जनवरी 2014 को क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, कुकमा, भुज में एक दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में किसानों तथा अन्य पण्धारियों सहित लगभग 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्रीमती मंजु, एसएमएस, कृषि विज्ञान केन्द्र; श्री राम निवास और श्री देवी दयाल द्वारा गुजराती भाषा में 'तामेतना पाकनू मूल्य वर्धन' शीर्षक का तैयार किया गया एक पत्रक भी विमोचित किया गया। किसानों को प्रायोगिक खेतों का दौरा कराने के अलावा यहां कृषि उपकरणों, वित्त, प्रौद्योगिकी, बीज आदि पर 10 प्रदर्शनी स्टाल भी लगाए गए।

डॉ. प्रगेश दवे, कुलपति, केएसकेवी, कच्छ विश्वविद्यालय, भुज ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की तथा गुजरात के कच्छ में उपयोगी किस्मों के पंजीकरण में जागरूकता कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताया। उनका विचार था कि कच्छ गुजरात का ऐसा पहला जिला है जहां से पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में सर्वाधिक स्थानीय किस्मों का पंजीकरण कराया गया है। श्री संजय कुमार, एसएमएस, कृषि विज्ञान केन्द्र ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में संक्षेप में बताया। इसके बाद पीपीवी और एफआरए, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा विकसित एक वीडियो फिल्म 'नुकङ्ग नाटक' और 'पीपवी एवं एफआर ऑथोरिटी' का प्रदर्शन भी किया गया।

डॉ. देवी दयाल, अध्यक्ष, काज़री, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, कुकुमा, भुज ने पीपीवी और एफआर अधिनियम के सामान्य दिशानिर्देशों और इसकी संभावना के बारे में बताया। उनका मानना था कि कच्छ क्षेत्र में ही उपलब्ध स्थानीय किस्में जैसे गेहूं-तुकदा/कंठा, मूंगफली-मगादी, ज्वार-गुंडारी, बाजरा-राजका बाजरी, ग्वार – देसी ग्वार (गुलाबी रंग की) तथा औषधीय पौधों (गुग्गल, गिलोय और शंख पुष्पी) आदि का डीयूएस दिशानिर्देशों की कमी के कारण अभी तक पंजीकरण नहीं हो पाया है।

डॉ. सी.जे. टैंक, एसोसिएट प्राध्यापक (अनुवंशिकी), एसडीएयू दांतीवाड़ा ने अपने भाषण में कच्छ क्षेत्र की कृषि जैवविविधता पर बल दिया तथा क्षेत्रीय जननद्रव्य के मूल्यांकन व पंजीकरण के महत्व के बारे में बताया। डॉ. सी.एम. मुरलीधरन, अनुसंधान वैज्ञानिक, खजूर अनुसंधान केन्द्र, मुंदरा ने कच्छ की खजूर की उन स्थानीय किस्मों की सुरक्षा के बारे में चर्चा की जो पीपीवी और एफआर अधिनियम के अंतर्गत आसानी से पंजीकृत कराई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऊतक संवर्धन तकनीक के बारे में बताया जिसके परिणामस्वरूप खजूर की अन्य उपलब्ध किस्मों की तुलना में अधिक मीठी अनूठी किस्म बन्नीर विकसित हुई है। डॉ. ए.सी. पटेल, परियोजना निदेशक, जलसंभर विभाग, भुज ने जलसंभर विभाग की उन चालू परियोजनाओं के महत्व के बारे में श्रोताओं को सूचित किया जो कच्छ के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। डॉ. पी.के. स्वर्णकार, सहायक निदेशक, कृषक प्रशिक्षण केन्द्र, भुज ने पीपीवी और एफआर अधिनियम व इसके उद्देश्यों के बारे में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र, भुज की भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री नीतिन सोलिया, प्रमुख जिला प्रबंधक, देना बैंक ने खेती की पुरानी विधियों के स्थान पर आधुनिक विधियों का उपयोग करने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक वित्तीय संस्थाओं द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। सुश्री ख्याति बुद्धि भट्टी, अध्यापक, दून पब्लिक स्कूल, मधपार ने विद्यालय के अध्यापकों द्वारा तैयार किए गए नाटकों तथा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की। वे सहमत थीं कि अध्यापक कुछ ऐसे नाटक तैयार कर सकते हैं जो विद्यार्थी गांवों में खेलकर किसानों को पीपीवी और एफआर अधिनियम में उल्लिखित उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इस कार्यशाला में क्षेत्र के तीन प्रगतशील किसानों नामतः श्री प्रावेन्न भाई दादासाईया, रेल्दी-मोती, श्री कांति भाई भिमानी, रतनपुर; और श्री मनोज भाई सोलंकी, चिंतन फार्म, कुकमा ने जैविक खेती पर अपने विचार करते हुए कहा कि पीपीवी और एफआर अधिनियम, कच्छ क्षेत्र के स्थानीय किसानों के लिए बहुत लोकप्रिय हो सकता है। श्रीमती मंजु, एसएमएस, कृषि विज्ञान केन्द्र, काज़री, भुज ने धन्यवाद ज्ञापन किया। उल्लेखनीय है कि यह समस्त कार्यक्रम श्री रवि भवसार तथा डॉ. रूपेश नाकर, काज़री, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, भुज ने गुजराती में चलाया।

## गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जीबीपीयू ए और टी), पंतनगर



जीबीपीयू ए और टी पंतनगर तथा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली ने कृषि महाविद्यालय, पंतनगर में 'बौद्धिक सम्पदा का उपयोग तथा वृद्धि और समद्विक के लिए इसका उपयोग' पर 25 जनवरी 2014 को एक कार्यशाला का आयोजन किया। डॉ. एच.एस. चावला, प्राध्यापक तथा अध्यक्ष, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन व नोडल अधिकारी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। समारोह का उद्घाटन करते हुए उन्होंने मोटे तौर पर समाज की वृद्धि तथा समद्विक के लिए बौद्धिक सम्पदा के महत्व के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उनका कहना था कि नवप्रवर्तन समाज के विकास का इंजन हैं और बौद्धिक सम्पत्ति में जो नवीनतम विषय पौधा किस्मों को शामिल किया गया है उनकी वैधानिक रूप से सुरक्षा की जानी चाहिए। श्री वी.के.जैन, प्रबंधक, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) ने इसके उद्देश्यों के बारे में बताया कि यह समाज के कल्याण के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास, प्रवर्धन और वाणिज्यीकरण का कार्य कर रहा है। एनआरडीसी ने प्रदर्शनी, आवधिक प्रकाशनों को निकालने, देसी प्रौद्योगिकियों को देश में व विदेश में लोकप्रिय बनाने के लिए दृश्य-श्रव्य माध्यमों की व्यवस्था की है। डॉ. तेजबीर सिंह, पंजीकार ने कृषकों के अधिकारों के संदर्भ में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के प्रति जागरूकता के बारे में व्याख्यान दिया। इस अवसर पर जिन अन्य विषयों पर चर्चा हुई उनमें प्रमुख थे : आईपी तथा भारत में कृषि नवोन्मेष प्रणाली, भारतीय पेटेंट प्रणाली, पेटेंट सुरक्षा के लिए खोज का खुलासा करना, अत्याधुनिक खोज, खेतों में की गई नई

खोज व प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण की कार्यनीतियां। इस अवसर पर कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक, अनुसंधान, छात्र, स्नातकोत्तर तथा स्नातक उपाधि का अध्ययन करने वाले छात्र तथा किसान भी मौजूद थे।

## अदोली, उझानी, बदायूँ में सामुदायिक बीज बैंक का उद्घाटन

हयूमेना प्लूपिल टु प्लूपिल इंडिया (एचपीपीआई) ने 6 फरवरी 2014 को बदायूँ जिले के उझानी के अदोली गांव में सामुदायिक बीज बैंक का उद्घाटन करने के लिए श्री डी. एस. मिश्रा, संयुक्त पंजीकार, पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। इस अवसर पर डॉ. एस.बी. सिंह, प्रभारी, आंचलिक अनुसंधान केन्द्र, उझानी; डॉ. अर्जुन सिंह, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र, उझानी; श्री विपिन चन्द्र पाल, खण्ड विकास अधिकारी; श्री रामदिन, ग्राम प्रधान, अदोली और श्रीमती मनोरम देवी, ग्राम प्रधान, बुरा फरीदपुर गांव के साथ-साथ सुश्री ऐने मेरी मोयलर, वरिष्ठ परामर्शक, पार्टनरशिप, एचपीपीआई भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री धर्मपाल गुर्जर, परियोजना समन्वयक, सीड्स फॉर लाइफ परियोजना, उत्तर प्रदेश ने किया। श्री ओ.पी. योगी, परियोजना अग्रणी, एचपीपीआई ने इस स्वयं सेवी संगठन द्वारा परियोजना – सीड फार लाइफ (आईटीपीजीआरएफए की) के अंतर्गत बदायूँ जिले में की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजा और दीप प्रज्ज्यलन के साथ हुआ। इस अवसर पर किसानों, महिलाओं, विद्यालय, छात्रों व कृषि विभाग तथा कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधियों सहित 250 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित थे। सामुदायिक बीज बैंक का उद्घाटन मुख्य अतिथि ने सुश्री ऐने मेरी मोइलर, कृषकों व परियोजना के अन्य प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया। इस बैंक में आरंभ में चावल की लगभग 27, गेहूँ की 24 किस्मों के संकलन के अलावा दालों (उड्द), मसालों (मिर्च) और सब्जियों (लौकी, कद्दू) के कुछ नमूने मिट्टी के बर्तनों तथा कांच के पात्रों में रखे गए हैं। इन्हें स्थानीय किसानों ने संरक्षित किया है।

डॉ. एस.बी. सिंह, परियोजना समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र ने सामुदायिक बीज बैंकों के महत्व के बारे में बताया और कहा कि अनाजों की खेती के लिए सख्तविज्ञानी विधियां अपनाते हुए इन किस्मों को उगाने के लिए इनका रखरखाव किया जाना चाहिए। श्री मिश्रा ने कृषक किस्मों के पंजीकरण के महत्व के बारे में बताते हुए पादप जीनोम

संरक्षक समुदाय पुरस्कारों व पीपीवी तथा एफआर अधिनियम, 2000 के अंतर्गत दिए जाने वाले अन्य प्रतिदानों व सम्मानों को पाने के उद्देश्य से पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण हेतु कृषक किस्मों के पंजीकरण के महत्व के बारे में बताया। सुश्री ऐने मेरे मोइलर ने अपनी परियोजना के अंतर्गत सामुदायिक बीज बैंकों द्वारा किसानों को होने वाले लाभों के बारे में बताते हुए गांव के किसानों व स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा इस मामले में निभाई जाने वाली भूमिका की प्रशंसा की तथा यह अनुरोध किया कि ग्रामवासियों को भविष्य में इस बैंक की देखभाल करते हुए उसका उचित प्रबंध करना चाहिए। किसानों के स्थानिक प्रतिनिधियों ने क्षेत्र में किए जाने वाले कल्याण संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में एक फील्ड भ्रमण आयोजित किया गया जहां श्री भगवान सिंह जो अदोली गांव के एक प्रगतशील कृषक हैं उनके खेत में एचपीपीआई के सहयोग से गेहूँ की 20 किस्मों के मूल्यांकन के अलावा केंचुए की खाद तैयार करने और रोशनी के लिए सौर दीप जैसी विभिन्न पहलों की गई हैं। श्री लक्ष्मी देवी, सरस्वती स्वयं सहायता समूह, रोली, बदायूँ में विभिन्न परिवारों को सौर प्रकाश के दीपक से ग्रामवासियों को मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। श्री दयाराम राजपूत, अध्यक्ष, हथिया फार्मर क्लब ग्रुप, भवानीपुर जय मातारानी फार्मर्स क्लब ने अदोली के निकट अपने फार्म में मिर्चों की खेती वाले खेतों को दिखाया। कार्यक्रम का समापन मुख्य अतिथि तथा सुश्री ऐने मेरे मोइलर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।

## प्रगति मैदान, नई दिल्ली में ७वां अंतरराष्ट्रीय कृषि एवं बागवानी एक्स्पो, 2013

एनएनएस इवेंट्स एंड एकजीबीशन, प्रा.लि. ने 26–28 जुलाई 2013 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सेमिनार तथा प्रदर्शनी का आयोजन किया। डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा पंजीकार और डॉ. रबी प्रकाश, पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली ने इस सेमिनार में पीपीवी और एफआर अधिनियम तथा कृषकों के अधिकारों के बारे में व्याख्यान दिए। इसके अलावा डॉ. तेजबीर सिंह, पंजीकार तथा डॉ. आर.आर. प्रधान, वैधानिक परामर्शक, पीपीवी और एफआरए ने प्राधिकरण की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाने के लिए इस सेमिनार में भाग लिया।

### 3.1 राष्ट्रीय जीन निधि

पीपीवी एंड एफआर अधिनियम, 2001 के तहत कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा

राष्ट्रीय जीन निधि गठित की गई। प्रारंभ में प्राधिकरण को इसके लिए 50.00 लाख रुपये का अंशदान दिया गया। प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन हेतु पृथक लेखा का रखरखाव और संचालन किया गया है। राष्ट्रीय जीन निधि के योगदान में निम्नलिखित शामिल हैं :

- पीपीवी एंड एफआर अधिनियम, 2001 के तहत किस्म के प्रजनक या अनिवार्य उत्पन्न पंजीकृत किस्म से प्राप्त लाभ का आदान—प्रदान।
  - पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण द्वारा प्राप्त वार्षिक शुल्क
  - जमा किया गया मुआवजा और
  - राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा योगदान।
- अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय जीन निधि निम्न के लिए आवेदन कर सकता है :
- लाभ आदान—प्रदान के रूप में भुगतान की जाने वाली कोई भी राशि
  - भुगतान किया जाने वाला मुआवजा
  - स्वस्थाने तथा बाह्य स्थाने संग्रहणों सहित आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण तथा टिकाऊ उपयोग की सहायता के लिए व्यय तथा इन संरक्षण और टिकाऊ उपयोग से जुड़े कार्यों को करने में पंचायत की क्षमता में सुदुर करने के लिए और
  - लाभ आदान—प्रदान से संबंधित योजनाओं के व्यय की राशि।

### सारणी—53 : वर्ष 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय जीन निधि की स्थिति

मद	राशि, रुपयों में
01 अप्रैल 2013 को आरंभिक शेष राशि	1,80,56,495
जीन निधि के लिए अंशदान	85,00,000
प्राप्त वार्षिक शुल्क	19,05,498
बैंक ब्याज	13,61,096
<b>कुल</b>	<b>2,98,23,089</b>
<b>घटाएं :</b>	
पी जी एस सी पुरस्कार (2011–12) पर खर्च की गई राशि सति प्रशासनिक व्यय	61,10,817
<b>31 मार्च 2014 को अंतिम शेष</b>	<b>2,37,12,272</b>

### 3.2 वर्ष 2011–12 का पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के सहयोग से 22 मई 2013 को एपी शिंदे सिम्पोजियम हाल, एनएससी परिसर, नई दिल्ली में 5वां पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री तारीक अनवर ने पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार, कृषक समुदायों/कृषकों को पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, प्रबंध व सुधार में उनके समर्पित व अथक प्रयासों के लिए प्रतिदान एवं सम्मान पुरस्कार प्रदान किए।



इस पुरस्कार समारोह में डॉ. एस. नागराजन और डॉ. पी.एल. गौतम, पूर्व अध्यक्ष, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, कुलपति (डॉ. वी.एस. ढिल्लो, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना; डॉ. एस.के. शर्मा, एच पी के वी वी, पालमपुर; प्रो. ओ.पी. गिल, एमपीयूएटी, उदयपुर); डॉ. एस.ए. पाटिल, अध्यक्ष, कर्नाटक कृषि मिशन; दूतावासों के प्रतिनिधि, इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च के परामर्शक समूह (सीजी केन्द्र), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, नीदरलैंड से आए विदेशी प्रतिनिधि; प्राधिकरण के सदस्य, किसान, खेतिहर महिलाएं और प्रेस सूचना ब्यूरो, आकाशवाणी, दूरदर्शन के मीडिया व्यक्ति तथा संवाददाता मौजूद थे।

चार कृषक समुदायों नामतः सीड सेवर फार्मर्स ग्रुप, नंदुरबार, महाराष्ट्र; राईस फार्मिंग कम्युनिटीस, पालकाड, केरल; संजीवनी रुरल डेवलपमेंट सोसायटी, एसआरडीएस, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश और श्री दीपाउली, वीमेन्स, सैल्फ हैल्प ग्रुप, तिरुवनमलय, तमिल नाडु को पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार प्रदान किए गए जिनमें 10 लाख रुपये नकद, एक उद्घरण और स्मृति चिह्न दिए गए; 10

किसानों को पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान के रूप में प्रत्येक को 1 लाख रुपये नकद, उद्धरण व प्रशस्ति-पत्र तथा पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मान प्रमाण-पत्र (15 किसानों को) प्रदान किए गए।

### **पादप जीनोम समुदाय संरक्षक पुरस्कार 2011–12 के पुरस्कार प्राप्त कर्ता**

#### **(10 लाख रुपये, उद्धरण और सृति चिह्न)**

1. सीड सेवर फार्मर्स ग्रुप, जवाहर ब्लॉक, थाने जिला, पुणे, महाराष्ट्र को आदिवासी ब्लॉकों में अनाजों, दलहनों, तिलहनों, सब्जियों और फलों की भू-प्रजातियों के संरक्षण तथा उनके उद्धार के लिए जाना जाता है। इस समूह ने धान, कंगनी, कोदों तथा अन्य फसलों की विभिन्न भू-प्रजातियों को सफलतापूर्वक बचाया है। इस समूह ने बीजोपचार, बीज भंडारण, नाशकजीव और रोग प्रबंध आदि की नवीन विधियों का उपयोग किया है। समूह ने सूखा प्रतिरोध, जल भराव की प्रतिरोधी, सुगंधित और औषधीय मूल्य की चावल की भू प्रजातियों का भी संरक्षण किया है।



2. संजीवनी रुरल डेवलपमेंट सोसायटी, दुमरीगुडा मंडल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश को अनाजों, मोटे अनाजों, लघु मोटे अनाजों, तिलहनों, दलहनों और सब्जियों की भू-प्रजातियों का इन क्षेत्रों में संरक्षण करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। इस सोसायटी ने 5000 एकड़ भूमि में कार्य किया है जिसमें 2000 एकड़ पुदु भूमि है जिसका उपयोग धान, रागी, दलहनों, कौर्म और सब्जियों को उगाने के लिए किया जा रहा है। सोसायटी ने सूखे की अवधि में बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनाजों की परंपरागत किस्मों के भंडारण हेतु 33 अनाज बैंकों का प्रबंध भी किया है।



3. दीपाओली वीमेंस सैल्फ हैल्प ग्रुप, इस समूह ने लघु मोटे अनाज (जिसे स्थनीय रूप से समै कहा जाता है), कुम्बू रागी, धान और कुलथी; आम, शरीफा, कटहल, इमली जैसे बागवानी फसलों का संरक्षण किया है। पुदुपट्टू गांव मोटे अनाजों की समृद्ध जैव-विविधता वाले क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में लघु मोटे अनाजों की लगभग 20 भू-प्रजातियां जैसे वेल्लन चेत्तन समै, पेरुम समय, पुदुर नाट्टू समय, चित्तन समय, पेरु चित्तन समय और कल्लाथूर समय आदि का संरक्षण किया गया है। इसके अलावा इस क्षेत्र में लघु अनाज, रागी के अनूठे प्रकार (वैल्लई पू रागी) और कुम्बू (पुदु पट्टू प्रकार) का भी संरक्षण करते हुए इनकी खेती की है।



4. अकमपदम चिम्पेचाला पंचकाळ्डु पदसेखरा समिति जो केरल में पालकाड रिस्थित चावल की खेती करने वाले समुदायों का प्रतिनिधित्व करती है, ने चावल सुधार के प्रमुख कार्यक्रमों में जीन के दाता के रूप में प्रयुक्त होने वाली व प्रमुख जैविक तथा अजैविक प्रतिबलों की प्रतिरोधी/सहिष्णु चावल की परंपरागत किस्मों का संरक्षण किया है। ये समुदाय केरल विश्वविद्यालय के भागीदारपूर्ण चावल सुधार कार्यक्रमों में भी शामिल हैं और इन्होंने दो उपजशील किस्मों नामतः कुंजुकुंज

वर्ना और कुंजु कुंजु प्रिया को भी विकसित करके जारी किया है। इन्होंने कूट्टूमुंदकन, करिनकोरा, फिंज फसल प्रणाली आदि जैसी विशेष प्रणालियां भी विकसित की हैं।



### **पादप जीनोम संरक्षक कृषक पुरस्कार, 2011–12 के पुरस्कार विजेता**

#### **(1 लाख रुपये, उद्घारण और प्रशस्ति-पत्र)**

1. श्री पी. देवकांत, इम्फाल, मणिपुर को चावल की



स्थानीय किस्मों, नामतः कुम्बी, चांगेली, मोइरांग, फोउ, येंथिक, फाउदुम, फाउरेनमुबी, फोउनगैंग और ताउथाबी के संरक्षण व चावल की स्थानीय किस्मों के संरक्षण में सराहनीय कार्य करने तथा किसानों के बीच कृषि जैव-विविधता के बारे में जागरूकता फैलाने के अलावा भू-प्रजातियों एवं कृषकों की किस्मों के संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया।

2. श्री महावीर सिंह आर्य, चुरु, राजस्थान को गेहूं सरसों, मूली, बाजरा और ग्वार की किस्मों के संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया। उन्होंने गेहूं की कृष्ण क्रांति, वरदान प्रगति और महान किस्में विकसित की हैं तथा उन्हें उपरोक्त फसलों के संरक्षण के लिए सराहनीय कार्य करने, कृषकों के बीच कृषि जैव-विविधता के बारे में जागरूकता फैलाने व भू-प्रजातियों तथा कृषक को संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया।



3. श्री एन. वासन, कन्नूर, केरल ने काजू की 30 किस्मों, सुपारी की 4 किस्मों, काली मिर्च की 2, नारियल की 10, कटहल की 20 और औषधीय पौधों की 7 किस्मों का संरक्षण किया है। उन्होंने काजू में मच्छर मतकुण नामक कीट को नियंत्रित करने की नई विधि विकसित की है तथा कम लागत का वृक्षों और पौधों की कटाई-छंटाई का यंत्र विकसित किया है। ये रोपण व मसाला फसलों के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं तथा किसानों के बीच कृषि जैव-विविधता के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं और भू-प्रजातियों तथा कृषक का संरक्षण कर रहे हैं।



4. श्री पुरनंदन वैंकटेश भट्ट, उत्तर कन्नड़, कर्नाटक को जायफल, काली मिर्च, सुपारी, नारियल और हल्दी की स्थानीय भू-प्रजातियों के संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने एक लिंगी व द्विलिंगी पौधों की पौध अवस्था के संरक्षण की नई विधियां विकसित की हैं और ये उपरोक्त किस्मों के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, किसानों के बीच कृषि जैव-विविधता के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं तथा भू-प्रजातियों तथा कृषक किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं।



5. **श्री जय प्रकाश सिंह**, झायिनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश को गेहूं, धान, अरहर, सेम, सरसों और बुड़ एप्पल की भू-प्रजातियों के संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया है। इस किसान ने गेहूं की जेपी 8661 किस्म विकसित की है और ये उपरोक्त किस्मों के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, किसानों के बीच कृषि जैव-विविधता के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं तथा भू-प्रजातियों तथा कृषक किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं।



6. **श्री प्रवत रंजन डे**, पानपारा, नादिया, पश्चिम बंगाल ने मीठे और खुशबूदार आम की किस्म सुजाता का संरक्षण किया है और 60 किसानों के बीच रोपण सामग्री की भागीदारी की है। ये खुशबूदार आम की किस्मों के संरक्षण के लिए प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं और ये उपरोक्त किस्मों के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, किसानों के बीच कृषि जैव-विविधता व संरक्षण के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं।



7. **उषाग्राम द्रस्ट**, नादिया, पश्चिम बंगाल को चावल की 11 किस्मों, जैसे राधातिलक, गोविंदभोग, मेरी तथा औषधीय पौधों की 52 किस्मों के संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया है और चावल व औषधीय पौधों के



संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, किसानों के बीच कृषि जैव-विविधता के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं तथा भू-प्रजातियों तथा कृषक किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं।

8. **श्री चन्द्रशेखर सिंह**, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, धान की किस्मों, नामत: खुशबू 1-एस तथा विर्जन (लाल चावल) के संरक्षण में रत हैं और धान के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, किसानों के बीच कृषि जैव-विविधता के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं तथा कृषक किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं।



9. **श्री सीबी जॉर्ज**, पट्टीकाड, त्रिचुर, केरल को नारियल की 4, सुपारी की 10, जायफल की 11, काली मिर्च की 4, आम की 5 और कटहल की 2 किस्मों को संरक्षित करने के लिए पुरस्कृत किया गया है और ये उपरोक्त फसलों के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, किसानों के बीच कृषि जैव-विविधता के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं तथा भू-प्रजातियों तथा कृषक किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं।



10. श्री नरेन्द्र सिंह सिपानी, मंदसौर, मध्य प्रदेश को मक्का, सोयाबीन, अरहर और गेहूं की किस्मों को संरक्षित करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। इन्होंने गेहूं की वामन, द्रोणाचार्य; मक्का की अमृत, स्टार 2001; सोयाबीन की कुबेर, चमत्कार; अरहर की शिवना व शिप्रा किस्में विकसित की हैं और ये उपरोक्त किस्मों के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, किसानों के बीच कृषि जैव-विविधता के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं तथा भू-प्रजातियों तथा कृषक किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं।



2. श्री संदीप ब्रह्म भट्ट, कलोल, गांधीनगर, गुजरात को खेरी, कांधी, सलई गुग्गल, गुधल, रत्ती, कालीहारी और काकनासा के संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया है और ये उपरोक्त किस्मों के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, किसानों के बीच कृषि जैव-विविधता के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं तथा भू-प्रजातियों तथा कृषक किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं।



#### पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मान, 2012

(उद्घारण तथा स्मृति-चिह्न)

1. श्री रोशन लाल शर्मा, मण्डी, हिमाचल प्रदेश को अनाजों, तिलहनों, सब्जियों, फल-पौधों, औषधीय पौधों तथा कृषि वनिकी के संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया और ये उपरोक्त किस्मों के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, किसानों के बीच कृषि जैव-विविधता के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं तथा भू-प्रजातियों तथा कृषक किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं।



4. श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा, भोगपुर, जालंधर, पंजाब को नाशपाती की मैक्स बार्लेट रैड किस्म संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया है और ये नाशपाती में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, किसानों के बीच कृषि जैव-विविधता के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं तथा भू-प्रजातियों तथा कृषक किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं।



5. श्री मावनजी गणपत पवार, थाणे, महाराष्ट्र को धान, रागी, प्रोसोमिलेट, स्थानीय सब्जियों और वन प्रजातियों के संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया है और ये उपरोक्त फसलों के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, किसानों के बीच कृषि जैव-विविधता के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं तथा भू-प्रजातियों तथा कृषक किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं।



6. श्री शंकर लेंगाती, बेलगांव, कर्नाटक को चावल, सब्जियों, मोटे अनाजों और दलहनों के संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया है और ये उपरोक्त किस्मों के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, किसानों के बीच कृषि जैव-विविधता के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं तथा भू-प्रजातियों तथा कृषक किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं।
7. श्री जितुल सैकिया, लखीमपुर, असम को मूँगा, रेशम कीट, पोषक पौधों की 12 भू-प्रजातियों तथाप इसके विभिन्न प्रकारों जैसे सूम, साउलू, मेज़नकरी, दिघलोटी, गोंधसोराई और पटटीउंडा व उनके वन्य संबंधियों के संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया है और ये



8. श्री मौबत्सीन मामूजी सिंधाल, भुज, कच्छ, गुजरात को गुग्गल (कोमिफोरा विधिटी) के संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया है और ये गुग्गल के संरक्षण के अलावा किसानों के बीच औषधीय पौधों के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं तथा भू-प्रजातियों तथा कृषक किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं।



9. श्री तुलसी दास साव, महासमुंद, छत्तीसगढ़ को केले, आम, पपीता, अदरक और हल्दी की उच्च उत्पादकता व प्रतिरोधी किस्मों के संरक्षण व उत्पादन के लिए पुरस्कृत किया गया है और ये उपरोक्त फसलों के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, किसानों के बीच कृषि जैव-विविधता के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं तथा भू-प्रजातियों तथा कृषक किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं।



10. **श्री सुमंत मिश्र,** जलपायगुड़ी, पश्चिम बंगाल को मिर्च (गोल्डन फालसा और अकाशु), परवल, कपास, दलहनों, नींबू (कागजी) व अमरुद के संरक्षण व विकास के लिए पुरस्कृत किया गया है और ये उपरोक्त फसलों के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, किसानों के बीच कृषि जैव-विविधता के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं तथा भू-प्रजातियों तथा कृषक किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं।



11. **श्री सैयद गनी खान,** करगावल्लु, मांड्या, कर्नाटक को आम की किस्मों के संरक्षण व खेती की पंरपरागत विधियों के उपयोग के लिए पुरस्कृत किया गया है और ये आम के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, किसानों के बीच कृषि जैव-विविधता के बारे में



जागरूकता फैला रहे हैं तथा भू-प्रजातियों तथा कृषक किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं।

12. **श्री सुनील महादु कमादी,** डेंगाचीमेथ, थाणे, महाराष्ट्र को धान की किस्म अशवनी; रागी की किस्म दशरबेंदरी;

प्रोसोमिलेट की किस्म दुधमोगरा; उड्डद, अरहर, नाइज़र व ज्वार की किस्मों के संरक्षण व विकास के लिए पुरस्कृत किया गया है और ये उपरोक्त फसलों के



संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, किसानों के बीच कृषि जैव-विविधता के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं तथा भू-प्रजातियों तथा कृषक किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं।

13. **श्री संजीवन कवुमकारा,** उमानचिरा, कन्नूर, केरल खाद्य विविधता केन्द्र, फार्म विद्यालय को विकसित करने और खाद्य सुरक्षा के लिए वन्य पत्तीदार प्रजातियों (खाद्य) के संरक्षण में रत हैं तथा किसानों के बीच कृषि जैव-विविधता के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं तथा भू-प्रजातियों तथा कृषक किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं।



14. **श्री माणिक सैकिया,** खोगा, लखीमपुर, असम को गहरे जल तथा निम्न जल के लिए उपयुक्त चावल की किस्म नेघरी बाउ के संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया है। उनकी किस्म का उपयोग किस्मगत विकास कार्यक्रम में दाता जनक के रूप में किया गया जिसके परिणामस्वरूप असम के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के लिए दो बाड़े किस्में जारी की गईं और ये चावल की गहरे जल व निम्न जल वाली किस्मों के विकास व संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, किसानों के बीच कृषि

जैव-विविधता के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं तथा भू-प्रजातियों तथा कृषक किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं।



15. श्री सुरेन बोरा, आजाद, लखीमपुर, असम को कृषक किस्मों नामतः बोरजहिंगा, बिरोई और जुराई खोआ सहित साली चावल की सोलपोना किस्म के संरक्षण व विकास के लिए पुरस्कृत किया गया है और धान के संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, किसानों के बीच कृषि जैव-विविधता के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं तथा भू-प्रजातियों तथा कृषक किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं।



कार्यक्रम के दौरान तीन प्रकाशनों का विमोचन किया गया।

- डॉ. ए.के. सिंह, डॉ. आर.एस. डॉ. राणा, डॉ. भागमल, डॉ. ब्रह्मा सिंह और डॉ. आर.सी. अग्रवाल द्वारा संकलित **कल्टीवेटिड प्लांट्स एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव्स इन इंडिया – एन इन्वेंटरी** का विमोचन ट्रस्ट फार एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस (टास) व हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष डॉ. आर.एस. परोदा ने किया। इस प्रकाशन में 811 कृष्य पौधों के वैज्ञानिक नामों की सूची उनके 902 ऐसे आनुवंशिक

रूप से घनिष्ठ संबंधियों के साथ की गई है जो भारत में अब भी प्राकृतिक रूप से उगाकर फल-फूल रहे हैं। इन्हें उनके प्राथमिक उपयोगों के आधार पर 15 प्रमुख समूहों में बांटा गया है, ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके तथा लक्षित पाठकों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया जा सके। जीन निधि के प्रावधान के लिए प्राधिकरण ने पहले से ही 22 कृषि जैवविविधता के हॉट-स्पॉट की पहचान की है। इस प्रकाशन में कृषि जैवविविधता की समीक्षा करने तथा इसे और अधिक तर्कसंगत व पाठकों के लिए अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया है।



- 'कम्पोडियम ऑफ वैरायटीज़ रजिस्टर्ड अंडर पीपीवी एंड एफआर एक्ट, 2001 (खंड I, 2009–2012)' का विमोचन कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार के अपर सचिव श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने किया। इस संकलन में दिसम्बर 2012 तक पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पंजीकृत 545 किस्मों के अनिवार्य गुणों के साथ उनका संक्षिप्त विवरण दिया गया है।



- डॉ. सुब्बाराव तथा अन्य, चावल अनुसंधान निदेशालय, भा.कृ.अ.प., राजेन्द्र नगर, हैदराबाद द्वारा प्रकाशित 'डीयूएस करेक्टराइजेशन ऑफ राइस वैराइटीज़' का विमोचन डॉ. अतनु पुरकायस्थ, संयुक्त सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने किया।



- डॉ. अतनु पुरकायरथ ने किसानों को आठ पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किए।



- पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं द्वारा संरक्षित आनुवंशिक संसाधनों से युक्त एक प्रदर्शनी का आयोजन भी सिम्पोज़ियम हाल में किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री व मुख्य मंत्री श्री तारीक अनवर ने किया। उन्होंने किसानों के साथ चर्चा की तथा किसानों/ कृषक समुदायों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में गहन रुचि दर्शायी।



- पुरस्कार समारोह के बाद हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष डॉ. आर.एस. परोदा की अध्यक्षता में कृषकों के अधिकारों पर एक संवादपूर्ण राष्ट्रीय परिचर्चा हुई। इस अवसर पर प्रमुख वक्ताओं ने डॉ. एस. नागराजन, डॉ. पी.एल. गौतम, डॉ. आर.आर. हंचिनाल, डॉ. एस. वी. पाटिल और डॉ. के.डी. कोकाटे शामिल थे जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए।



- डॉ. आर.एस. परोदा, अध्यक्ष, हरियाणा किसान आयोग ने समारोह की अध्यक्षता की और अपने प्रमुख सम्बोधन को प्रस्तुत करते हुए संबंधित पक्षों के साथ सजीव संवाद का आयोजन किया।

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने कृषकों के अधिकारों के प्रावधानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक पहलें आरंभ की हैं जिसमें स्व:स्थाने व बहिःस्थाने सहित आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व टिकाऊ उपयोग में सहायता देने वाली परियोजनाओं के अलावा पंचायतों को संरक्षण व टिकाऊ उपयोग के कार्य में सहायता करने के लिए उनकी क्षमता को सबल बनाने के कार्य शामिल हैं। पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 41 के अनुसार समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राधिकरण ने राज्य कृषि विश्वविद्यालय / भा.कृ.अ.प. के संस्थानों व सरकारी विभागों से यह अनुरोध किया है कि वे किसी ग्राम या स्थानीय समुदाय के लोगों के योगदान के लिए यदि किसी गुण का दावा किया गया है तो उसके लिए अधिसूचित केन्द्र के रूप में कार्य करें और ऐसे ग्राम या स्थानीय समुदाय की ओर से दावे के उद्देश्य से किसी भी किस्म का मूल्यांकन करें। प्राधिकरण ने 16 राज्यों में 38 फसलों की 1641 कृषक किस्मों को पंजीकृत किया है। पंजीकृत कृषक किस्मों में सर्वाधिक चावल (1281) की हैं जिसके पश्चात् कमशः मक्का (47), आम (31), ज्वार (28) और उड़द (24) का स्थान है। चावल में सर्वाधिक कृषक किस्मों का पंजीकरण असम (312) से कराया गया जिसके पश्चात् क्रमशः छत्तीसगढ़ (207), मणिपुर (157), मेघालय (131) और पश्चिम बंगाल (104) का स्थान था (अनुबंध VIII)। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने पादप आनुवंशिक संसाधनों के स्व:स्थाने और बहिःस्थाने संरक्षण से संबंधित अनेक परियोजनाएं शुरू की हैं और इनमें

से कुछ परियोजनाओं की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

- **उत्तर-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, नागालैंड से कोलोकेसिया की देसी भू-प्रजातियों का संकलन, लक्षण-वर्णन और संरक्षण :**

इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

- कोलोकेसिया की देसी भू-प्रजातियों/किस्मों का सर्वेक्षण व संकलन
- जननद्रव्य बढ़ाने में उपयोग के लिए संबंधित गुणों हेतु बहिर्स्थाने संकलन का आकृतिविज्ञानी सत्यापन करने व मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन
- मानक विवरणों के आधार पर एकत्रित भू-प्रजातियों/किस्मों का मूल्यांकन और लक्षण-वर्णन तथा कोलोकेसिया के विवरण तैयार करना
- देसी भू-प्रजातियों का प्रलेखन व संरक्षण
- पादप किस्मों और कृषक अधिकारों की सुरक्षा पर जागरूकता और प्रशिक्षण।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की सजीव प्रजातियों के सम्मिलन, आवासों तथा पारिस्थितिक प्रणालियों के अनूठे गुण हैं जिससे यह विविधतापूर्ण संसाधनों से सम्पन्न है। कोलोकेसिया (सी. एस्क्यूलैंटा एल.) या तारो एक महत्वपूर्ण कंद फसल है जो किसानों द्वारा बारानी पारिस्थितिक प्रणाली में उगाई जाती है और इसे चावल के बाद अगली महत्वपूर्ण खाद्य फसल माना जाता है। इसमें बहुत विविधता है तथा इसकी अनेक किस्में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और विशेष रूप से नागालैंड के विभिन्न भागों में उगाई जाती हैं।



उत्तर-पूर्वी पहाड़ियों से तारो या कोलोकेसिया के जननद्रव्य को एकत्र करने के लिए अनेक क्रमबद्ध सर्वेक्षण

किए गए। मेघालय की पश्चिम गारो पहाड़ियों, अरुणाचलप्रदेश के पश्चिम सियांग जिले, नागालैंड और इसके साथ लगे असम, इम्फाल पूर्व तथा मणिपुर के सेनापति जिले से कुल 126 विभिन्न जननद्रव्य एकत्र किए गए हैं। लगभग 117 विभिन्न जननद्रव्यों की पहचान की गई है और उन्हें अधिक मूल्यांकन के लिए रोपा गया है।



यह परीक्षण अनुसंधान फार्म, भा.कृ.अ.प. नागालैंड केन्द्र, झरनापानी में किया गया है। एक सौ सत्रह वंशक्रमों को 60 ग 60 सें.मी. के अंतराल पर रोपा गया। केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, तिरुअनंतपुरम द्वारा निर्धारित मानक स्यविज्ञानी विधियों को अपनाया गया।

सभी 117 वंशक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए उनका लक्षण-वर्णन किया गया। कुल 117 वंशक्रमों में से 110 वंशक्रमों में विभिन्न आकृति विज्ञानी गुण देखे गए, चार वंशक्रम तारो नहीं थे और उन्हें जैथोसोमा प्रजाति के रूप में पहचाना गया। तीन वंशक्रम अन्य वंशक्रमों के समान थे। तथापि, लगभग 30–35 वंशक्रमों में अन्य वंशक्रमों के समान कंद के गुण देखे गए। इनकी पुष्टि अगले मूल्यांकन में की जाएगी। डीयूएस गुणों को अंतिम रूप दिया गया है और अगले मूल्यांकन में इनकी पुष्टि की जाएगी।



## कृषि जैवविविधता संरक्षण और झारखण्ड और मेघालय में कृषकों के अधिकारों पर प्रशिक्षण, जीन अभियान

यह परियोजना निम्न उद्देश्यों से लागू की गई है :



- चावल तथा अन्य परंपरागत फसलों की जैवविविधता का स्वःस्थाने और बहिस्थाने संरक्षण
- चावल की परंपरागत महत्वपूर्ण किस्मों का लक्षण—वर्णन
- फील्ड स्तर पर कृषकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता का सृजन व उन्हें बढ़ावा देना तथा पीपीवी और एफआरए के साथ कृषक किस्मों के रजिस्टर को सिविल सोसायटी ग्रुप तथा किसानों के लिए सुलभ बनाना।

यह परियोजना समुदाय द्वारा कृषि जैवविविधता के संरक्षण, फसल पौधों, भू—प्रजातियों और कृषक किस्मों के साथ—साथ परंपरागत किस्मों को एकत्र करने के अलावा झारखण्ड और मेघालय में इन किस्मों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने लिए लागू की गई है। झारखण्ड जो कृषि जैव—विविधता के 23 हॉट—स्पॉट क्षेत्रों में से है, ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां कुछ क्षेत्रों में अब भी परंपरागत खेती की जा रही है और परंपरागत किस्में उगाई जा रही हैं लेकिन यहां संकर चावल को बहुत आक्रामक ढंग से बढ़ावा दिया जा रहा है। आनुवंशिक विविधता का संरक्षण आवश्यक है और इसे ग्रामीण तथा आदिवासी समुदाय की खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा से जोड़ा जा सकता है। भारत में, विशेष रूप से उत्तरी पूर्वी क्षेत्र चावल के उद्भव का द्वितीयक केन्द्र है और स्थानीय कृषि जलवायु की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त यहां बड़ी संख्या में देसी किस्में विद्यमान हैं। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत बड़ी संख्या में परंपरागत किस्में गायब हो गई हैं और उनके स्थान पर बेहतर उपज क्षमता वाली उच्च उपजशील किस्में उगाई जा रही हैं। इन किस्मों की क्षति वास्तव में आनुवंशिक क्षरण

है क्योंकि ये किस्में रोग प्रतिरोध, बाढ़ प्रतिरोध आदि जैसे श्रेष्ठ गुण से युक्त हैं और यदि ये सदैव के लिए समाप्त हो गईं तो इनसे बहुत क्षति होगी क्योंकि इन परंपरागत गुणों का उपयोग नई किस्मों के विकास में किया जा सकता है।

इस परियोजना की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

- किसानों द्वारा पीढ़ियों से संरक्षित की जाने वाली कृषक किस्मों के परंपरागत बीजों को उपलब्ध कराने के लिए तीन जीन बैंक स्थापित किए गए हैं। इन जीन बैंकों के सुचारू प्रबंध व रखरखाव के लिए प्रबंध समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों में 6–7 सदस्य हैं जिन्हें बहीखाता रखने और जननद्रव्य की उपलब्धता के रिकॉर्ड का रखरखाव रखने, किसानों को बीज की आपूर्ति करने, बीजों को पुनः एकत्र करने, साफ करने व सुखाने का प्रशिक्षण दिया गया है।
  - इस परियोजना से चावल की आनुवंशिक विविधता के संरक्षण में जागरूकता तथा रूचि में वृद्धि हुई है और खाद्य सुरक्षा में इसके महत्व के प्रति जागरूकता आई है।
  - किसान समुदायों ने अपने ज्ञान से किसानों के खेतों से फसल पौधों/भू—प्रजातियों की परंपरागत किस्में एकत्र की हैं।
  - 193 कृषक किस्मों का पीपीवी और एफआरए में पंजीकरण कराने के लिए लक्षण—वर्णन किया गया है।
  - जीन बीज बैंक प्रबंध तथा परंपरागत किस्मों के संरक्षण पर तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
  - 36 गांवों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए।
  - यह परियोजना महत्वपूर्ण आनुवंशिक सामग्री के उस समय संरक्षण में भी सहायक है जब पूरा विश्व सूखा, लवणता, गर्मी तथा रोगों से निपटने के लिए नए जीनों को खोज रहा है ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके।
  - **ओडिशा राज्य में विभिन्न फसलों की कृषक किस्मों को प्राप्त करना, प्रलेखन व ग्रोआउट परीक्षण सम्पन्न करना ताकि पीपीवी और एफआरए के लिए डीयूएस विवरणों पर आंकड़े सुजित किए जा सकें।**
- इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :
- ओडिशा राज्य में विभिन्न फसलों की कृषक किस्मों का सर्वेक्षण व उन्हें प्राप्त करना
  - पासपोर्ट आंकड़ों का प्रलेखन

- कृषकों की ओर से पीपीवी और एफआरए में आवेदन दाखिल करने के लिए डीयूएस गुणों पर आंकड़ों का सृजन।



इस परियोजना का मूल उद्देश्य धान सहित विभिन्न फसलों की कृषक किस्मों का पीपीवी और एफआरए में पंजीकरण कराने के लिए सुविधा प्रदान करना है। इस परियोजना के क्रियाकलाप के लिए ओडिशा का भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित किया गया है तथा इसके अंतर्गत कृषकों की विद्यमान किस्मों के बीच उनकी पासपोर्ट सूचना के साथ एकत्र किए गए आंकड़ों को संकलित किया गया तथा उनकी ओर से पीपीवी और एफआरए में कृषक किस्मों के रूप में उनकी किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए उनसे प्राधिकार प्राप्त किया गया। राज्य सरकार के कृषि नेटवर्क का उपयोग करके तथा विभिन्न स्थानों पर स्थित स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लेते हुए स्थान विशिष्ट डीयूएस परीक्षण किए गए, ताकि फसल पौधों की इन किस्मों के अनिवार्य गुणों के बारे में सूचना सृजित

की जा सके। स्थानीय किसानों को ज्ञान के लिए दौरों पर ले जाने से विभिन्न स्थानों पर इन प्रयोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और इस प्रकार वे स्वयं अपनी आवश्यकता के अनुसार किस्मों का चुनाव कर सकेंगे।



#### उपलब्धियां

- ओडिशा राज्य में विभिन्न फसलों की कृषक किस्मों का सर्वेक्षण करके उन्हें प्रप्त किया जा रहा है। कुल 897 धान की किस्में और 50 दलहन किस्में एकत्र की गई हैं।
- इन किस्मों के पासपोर्ट आंकड़ों संकलित किए गए हैं।
- राज्य के विभिन्न भागों में चावल की इन किस्मों के ग्रोआउट परीक्षण किए गए हैं और डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़े सृजित किए गए हैं।
- धान की 897 कृषक किस्मों के आवेदन पुष्ट गुच्छ सहित बीजों से युक्त 803 आवेदन पंजीकरण हेतु पीपीवी और एफआरए में दाखिल किए गए हैं।

## 4. डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशकों का विकाय

### 4.1 डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास के लिए कार्य दल

पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण नीति तथा तकनीकी मामलों पर कार्यक्रम, नियोजन एवं नीति समिति (पीपीसी) नामक शीर्ष समिति द्वारा दिशानिर्देश प्राप्त करता है। पिछली पीपीसी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्राधिकरण बागवानी, सब्जियों, शोभाकारी फसलों, बीज मसालों, पेयों और वानिकी के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित करें। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान फलों, सब्जियों, पुष्टों, मसालों, चाय तथा वानिकी पौधों के लिए अनेक डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित किए गए तथा अनेक कार्य दलों द्वारा स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास हेतु डीयूएस विवरणों के सत्यापन के लिए अनेक कार्य बल भी गठित किए गए। उपयुक्त आकृतिविज्ञानी गुणों (गुणात्मक/मात्रात्मक) की पहचान डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आकृतिविज्ञानी गुण परंपरा से किस्म के गुणों का आधार बनते हैं और इससे किसी किस्म की नवीनता की जांच होती है। ये गुण पीवीपी आवेदनों के लिए सूचना हैं तथा संततियों व विशेष गुणों को ऐसे विशेष गुण माना जाता है जिन्हें जैव रासायनिक तथा आण्विक गुणों में शामिल किया जा सकता है। इन आकृतिविज्ञानी गुणों को गुणात्मक और मात्रात्मक पैमाने पर नापा जाता है और ये आंकड़ा बनते हैं। ये आंकड़े पादप प्रजनन तथा कृषि में सार्वभौमिक हैं। इन्हें उपलब्ध कराने के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की आवश्यकता नहीं होती है। आंकड़ों के साथ ये गुण विविधता, एकरूपता और स्थायित्व के मानदंडों को आकार प्रदान करते हैं। कुछ फसल प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास की दिशा में प्राप्त की गई उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

#### फल

##### 4.1.1 राष्ट्रीय नींबूवर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीसी), नागपुर (नींबूवर्गीय फल)

नींबूवर्गीय फलों के डीयूएस दिशानिर्देश विकसित करने के लिए कार्यबल की दूसरी बैठक 18 नवम्बर 2013 को समिति कक्ष, एनएससी परिसर, नई दिल्ली में डॉ. ए.वी.

पार्थसारथी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें कार्य बल के सदस्य के रूप में डॉ. एस.एन. पाण्डे और डॉ. उमेश श्रीवास्तव, दोनों सहायक महानिदेशक (बागवानी), भा.कृ. अ.प.; डॉ. एच. रविशंकर, निदेशक, सीआईएसएच, लखनऊ तथा डॉ. आई.पी. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रधान अन्वेषक (पीआई), सिट्रस परियोजना जो सिट्रस पर एनआरसी से आए थे, ने भी भाग लिया। डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष और डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा पंजीकार, प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में उपस्थित थे। डॉ. आई.पी. सिंह ने खट्टा नींबू और संतरे पर डीयूएस दिशानिर्देशों के संबंध में एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। कार्य बल ने दिशानिर्देशों के अंतर्गत विस्तृत विवरणों पर चर्चा की और सदस्यों द्वारा अमूल्य सुझाव दिए गए। अध्यक्ष ने कार्यबल से अनुरोध किया कि बैठक में दिए गए विभिन्न सुझावों को प्रधान अन्वेषक शामिल करे और एक सप्ताह में सदस्यों के बीच दिशानिर्देशों का मसौदा परिचालित किया जाए, ताकि उन्हें अंतिम रूप दिया जा सके।



##### 4.1.2 केन्द्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ (जामुन)

प्राधिकरण ने केन्द्रीय उपोषण बागवानी संस्थान (सीआईएसएच), लखनऊ को नोडल केन्द्र के रूप में तथा सीएचईएस, वेजलपुर (गोधरा) को सह-नोडल केन्द्र के रूप में 2012-15 की अवधि के लिए जामुन (सिंजिजियम क्यूमिनी) वंशक्रमों के आकृतिविज्ञानी विवरणों व डीयूएस

**परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास** शीर्षक की परियोजना सौंपी है। इस परियोजना के उद्देश्य हैं : 1) फील्ड जीन बैंक में जामुन की प्रविष्टियों/किस्मों का संरक्षण, 2) आकृतिविज्ञानी विवरणों तथा भौतिक-रसायन विज्ञानी गुणों के आधार पर जामुन की प्रविष्टियों का लक्षण-वर्णन और 3) डीयूएस मानदंडों के रूप में उपयोग किए जाने के लिए महत्वपूर्ण विवरणों के विकास के साथ-साथ विशिष्टता, समूहीकरण गुणों के लक्षणों की पहचान करना।

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान जामुन की 10 किस्मों/प्रविष्टियों से वृक्ष की पुष्टता, स्वभाव, एक वर्ष आयु के प्ररोह : मोटाई, एक वर्ष की आयु के प्ररोह : अंतरगांठों की लंबाई, पत्रदल की प्ररोह की संदर्भ में प्रवृत्ति, पत्रदल की लंबाई/चौड़ाई, पत्रदल : हरे रंग की गहनता, पर्णवृत्त की लंबाई, पर्णवृत्त : एंथोसियानिन की सीमा, रंग, नव फल : रंग के संदर्भ में एंथासियानिन की सीमा, फल : आकार, फल की लंबाई/व्यास, फल की आकृति, फल के गूदे के रंग, फल के गूदे की कठोरता, पुष्पन आरंभ होने के समय, फल तुड़ाई के समय, फल गुणवत्ता संबंधी प्राचलों – गूदे का भार और गूदा अंश, टीएसएस, अम्लता, विटामिन सी, शर्कराओं, एंथोसियानिन और कैरेटोनॉइड, बीजों के गुणों – बीज भार, बीज अंश तथा अंकुरण (प्रतिशत) पर पर्यवेक्षण लिए गए।

केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा के फील्ड जीन बैंक में रोपी गई जामुन की 10 किस्मों/प्रविष्टियों से पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए जो पुष्प के गुणों, फल के गुणों व फल की गुणवत्ता तथा उपज और बीज के गुणों से संबंधित थी। सभी प्रविष्टियों के पुष्पन के समय का अप्रैल के महीने में पर्यवेक्षण किया गया।

#### सारणी—54: जामुन के विभिन्न जीनप्ररूपों की फल गुणवत्ता

गुण	सी एच ई एस जे— 9	सी एच ई एस जे—10	सी एच ई एस जे—11	सी एच ई एस जे—12	सी एच ई एस जे—13	सी एच ई एस जे—14	सी एच ई एस जे— 15	सी एच ई एस जे— 16	कॉकण बहादोली	सी एच ई एस जे— 37
कटाई का समय	जून का प्रथम सप्ताह	मई का तीसरा सप्ताह	जून का तीसरा सप्ताह	जून का दूसरा सप्ताह	जून का दूसरा सप्ताह	जून का प्रथम सप्ताह	मई का तीसरा सप्ताह	जून का तीसरा सप्ताह	जून का दूसरा सप्ताह	जून का दूसरा सप्ताह
गुठली का आकार	छोटा	छोटा	मझोला	छोटा	छोटा	छोटा	छोटा	मझोला	छोटा	छोटा
गुठली की आकृति	आयताकार	आयताकार	आयताकार	आयताकार						

#### 4.1.3 केन्द्रीय बागवानी प्रयोग केन्द्र (सीएचईएस – सीआईएचएस – भा.कृ.अ.प.), वेजलपुर (गोधरा), पंचमहल (जामुन)

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान सीएचईएस में भी जामुन के 10 जीनप्ररूपों/प्रविष्टियों का अनुरक्षण किया गया तथा वानस्पतिक और फल संबंधी गुणों के विवरण 10 जीनप्ररूपों में डीयूएस विवरणों के रूप में विकसित करने के लिए रिकॉर्ड किए गए। ये किस्में या जीनप्ररूप थे : सीआईएसजे 23, सीआईएसजे 25, सीआईएसजे 34, सीआईएसजे 37, सीआईएसजे 40, गोकक—1, सीआईएसजे 26, सीआईएसजे 36, कॉकण भदोली (के.बी.) और केजेपीकेएम-II। यह पाया गया कि सीएचईएसजे—9 और सीएचईएसजे—10 फैलावदार प्रकृति के थे जबकि सीएचईएसजे—11 और सीएचईएसजे—12 को अर्ध फैलावदार प्रकार का पाया गया। सीएचईएसजे—9 और सीएचईएसजे—10 में पत्ती दीर्घ वृत्ताकार व लैंस के समान थी, जबकि सीएचईएसजे—11 में यह चौड़ी दीर्घवृत्ताकार थी। सीएचईएसजे—9, सीएचईएसजे—10, सीएचईएसजे—11 और सीएचईएसजे—12 में पत्ती की लंबाई क्रमशः 16.80 सें.मी., 18.10 सें.मी., 17.60 सें.मी. और 16.80 सें.मी. थी। इसी प्रकार, सीएचईएसजे—9, सीएचईएसजे—10, सीएचईएसजे—11 और सीएचईएसजे—12 में पत्ती की चौड़ाई क्रमशः 8.10 सें.मी., 9.30 सें.मी., 7.70 सें.मी. और 8.40 सें.मी. थी। सीएचईएसजे—9, सीएचईएसजे—10 और सीएचईएसजे—11 में फल की आकृति प्रति अंडाकार थी, जबकि सीएचईएसजे—12 में यह अंडाकार थी। सीएचईएसजे—1, सीएचईएसजे—2, सीएचईएसजे—3 और सीएचईएसजे—4 में टीएसएस (अंश ब्रिक्स) क्रमशः 16.00, 17.20, 15.40 और 15.80 रिकॉर्ड किया गया।

फल भार (ग्रा.)	19.80	20.40	17.50	18.90	18.70	19.30	20.50	17.70	18.80	19.20
गुठली का भार (ग्रा.)	3.00	3.20	3.230	3.40	3.30	3.00	3.10	3.30	3.50	3.00
गूदा भार (ग्रा.)	16.80	17.20	14.20	15.50	15.40	16.30	17.40	14.40	15.30	16.20
टी एस एस (डिग्री ब्रिक्स)	16.00	17.20	15.40	15.80	16.80	16.20	17.30	15.70	15.90	16.90
अम्लता	0.35	0.37	0.38	0.40	0.42	0.39	0.38	0.41	0.43	0.40

वर्ष के दौरान भा.क.अ.प. के पूर्व उप महानिदेशक डॉ. के.एल. चड्ढा और एक अन्य पूर्व उप महानिदेशक डॉ. आर.एन. पाल, बागवानी; एनएयू, गुजरात के कुलपति डॉ. एन.बी. सिंह व पूर्व सहायक महानिदेशक (फसल विज्ञान), भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली; डॉ. एन.के. कृष्णकुमार, उप महानिदेशक (बागवानी), भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली; डॉ. बी.एस. चुंदावत, पूर्व कुलपति, एस.के. कृषि विश्वविद्यालय, दांतेवाडा, गुजरात; डॉ. बी. सिंह, परियोजना समन्वयक, एआईसीआरपी, सब्जी फसलें, आईआईवीआर, वाराणसी ने केन्द्र का दौरा किया।

#### 4.1.4 पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, अनुसंधान केन्द्र, रांची (लीची)



प्राधिकरण ने पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, अनुसंधान केन्द्र, रांची को सीआईएसएच, लखनऊ तथा जीबीपीयूएटी, पंतनगर के सहयोग से लीची के विवरणों के सत्यापन के लिए 'लीची (लीची चाइनेसिस) के डीयूएस परीक्षण के लिए सुविधाएँ सृजित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय रिपोजिटरी विकसित करने' शीर्षक की परियोजना सौंपी है, ताकि डीयूएस दिशानिर्देश विकसित करने के लिए उनका उपयोग किया जा सके और लीची की किसी के विशिष्ट डेटाबेस का विकास किया जा सके। लीची के डीयूएस परीक्षण के लिए तर्दर्थ रूप से 34 गुणों की पहचान की गई। इनमें से नव पत्ती के रंग, उप पत्ती के पत्रदल की

आकृति, पत्ती के कोर के घुमाव, पैराकलेडिया की लंबाई, नर पुष्प के खिलने के समय, उभयलिंगी पुष्पों की पुष्पचक्री के रंग, फल की आकृति, फल के पकने के समय और बीज की आकृति को लीची जीनप्ररूपों में भेद करने के लिए निरंतर रूप से रिकॉर्ड किया गया। तीन वर्ष के लक्षण-वर्णन के परिणामों के आधार पर लीची के डीयूएस परीक्षण के लिए दिशानिर्देशों के मसौदे का प्रलेखन तैयार किया गया जिसकी जांच कार्यबल द्वारा की जाएगी ताकि उन पर विस्तृत चर्चा हो सके और डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा सके।

#### 4.1.5 केन्द्रीय रेशम पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीएसआरटीआई), केन्द्रीय शिल्क बोर्ड, मैसूर (शहतूत)

प्राधिकरण ने केन्द्रीय रेशम पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय शिल्क बोर्ड (कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार) मैसूर, कर्नाटक को 'शहतूत (मोरस प्रजाति)' के लिए विशिष्टता, एकरूपता व स्थायीत्व (डीयूएस) विवरणों के विकास पर एक परियोजना सौंपी है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

- शहतूत के लिए विवरणों का विकास और सत्यापन
- विशिष्टता तथा विशिष्ट आकृत विज्ञानी और जैवरासायनिक/आण्विक मार्करों तथा उनके स्थायीत्व की पहचान
- विविधता की सीमा का लक्षण-वर्णन।
- शहतूत के विवरणों के लिए डेटाबेस का विकास तथा उसे इंडस में शामिल करना।
- डीयूएस परीक्षण के मूल्यांकन हेतु गुणों का लक्षण-वर्णन तथा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास।

## उपलब्धियां

- शहतूत के लिए डीयूएस विवरणों का विकास किया जा रहा है।
- पर्यवेक्षण के लिए अंतिम रूप से तैयार किए गए गुणों की सूची के आधार पर किस्मों का लक्षण-वर्णन।
- जहां कहीं आवश्यक हो, विशिष्ट आकृति विज्ञानी गुणों व जैव रासायनिक/आण्विक मार्करों का विकास।
- डीयूएस परीक्षण के मूल्यांकन हेतु गुणों का श्रेणीकरण।
- प्राधिकरण को डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के मसौदे का प्रस्तुतीकरण।

## 4.1.6 तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू), कोयम्बत्तूर (पपीता)

केन्द्र में विभिन्न आकृति विज्ञानी गुणों के पर्यवेक्षण रिकॉर्ड करने के लिए अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत पपीते की 80 प्रविष्टियों का रखरखाव किया गया है। 80 प्रविष्टियों में से 31 एकलिंगी हैं जबकि शेष 49 स्त्रीलिंगी हैं जो विभिन्न एजेंसियों/स्थानों से खरीदी गई हैं। अध्ययन की गई पपीते की 80 प्रविष्टियों में से 67 के आकृतिविज्ञानी, मात्रात्मक और गुणात्मक प्राचलों को सारणीबद्ध किया गया है। जिन प्रविष्टियों का लक्षण-वर्णन किया गया है उसमें से 40 ऐसे वृक्षों की श्रेणी में आती हैं जिनमें फल कम ऊंचाई पर लगते हैं और केवल एक प्रविष्टि ऐसी थी जिसमें फल ऊंचाई पर लग रहे थे। छह प्रविष्टियों में पर्णवृत्त का रंग लाल बैंगनी, 16 प्रविष्टियों में हरे रंग के मिश्रण के साथ-साथ लाल बैंगनी शेड थे, जबकि 60 प्रविष्टियों में रंग पीलापन लिए हुए हरा था। चार प्रविष्टियों में नाड़ियों का रंग बैंगनी, चार में हरापन लिए हुए बैंगनी था जबकि अधिकांश प्रविष्टियों (64) में रंग हरा था। तीन प्रविष्टियों में फल की नोक मुथरे प्रकार की थी, 29 में धंसे हुए प्रकार की तथा 50 प्रविष्टियों में नुकीली थी। 49 प्रविष्टियों के बीज का रंग धूसर था, 16 प्रविष्टियों का रंग भूरा काला था, 15 प्रविष्टियों का रंग गहरा काला था, जबकि 2 प्रविष्टियों में बीज का रंग भूरा था। अधिकांश जीनप्ररूपों (63) में बीज सतह की चमक हल्की थी तथा 19 प्रविष्टियों में चमकदार थी। 70 प्रविष्टियों में बीज की सतह असमतल जबकि शेष में चिकनी थी। इसे आकृतिविज्ञानी गुणों के लक्षण-वर्णन, आकृतिविज्ञानी गुणों के स्थायित्व के मूल्यांकन, डीयूएस के मात्रात्मक एवं गुणात्मक गुणों के प्रलेखन व डीयूएस दिशानिर्देशों/डीयूएस विवरणों के विकास के लिए 2014–15 के दौरान

प्रलेखित करते हुए इनका मूल्यांकन किया जाना है।

## 4.1.7 केन्द्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), बंगलुरु (पपीता और शरीफा)

आईआईएचआर, बंगलुरु के फल फसलें, प्रभाग को 'पपीता और शरीफा' में डीयूएस की परीक्षण के लिए सुविधाएं सृजित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय रिपोजिटरी के विकास का अधिदेश सौंपा गया है। आईआईएचआर, बंगलुरु, शरीफा के लिए नोडल केन्द्र होगा जबकि टीएनएयू कोयम्बत्तूर, पपीता के लिए सह-नोडल केन्द्र होगा। रिपोर्टार्धीन वर्ष के दौरान भा.कृ.अ.प. संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से जारी की गई तथा गृह उद्यानों से एकत्र की गई पपीता की 80 संदर्भ किस्मों के पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। 66 आकृतिविज्ञानी गुणों का उपयोग करते हुए प्रस्तावित डीयूएस विवरणों के आधार पर 80 प्रविष्टियों का लक्षण-वर्णन किया गया। शरीफा में जारी की गई 10 किस्मों के साथ-साथ लोकप्रिय किस्मों/प्रविष्टियों का 40 गुणों से युक्त प्रस्तावित डीयूएस गुणों के आधार पर वर्णन किया गया।

## 4.1.8 केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर (खजूर)

केन्द्र में खजूर की 42 संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया है जो अधिकांशतः आयातित और देसी हैं। इनका मूल्यांकन आकृति विज्ञानी तथा गुणवत्ता संबंधी गुणों के लिए किया गया। आकृति विज्ञानी गुण जैसे पत्ती का आकार, उप पत्ती का आकार, नाड़ी की लंबाई, प्रति फुट कांटों की संख्या, ताड़ की ऊंचाई, कांटे के आकार, कांटे की लंबाई, कांटों के बीच की दूरी, उप पत्ती के मुड़ने के कोण, उप पत्ती की नोक की आकृति, नाड़ियों की आकृति, नाड़ी के आकार, प्रति फुट उप पत्ती की संख्या, प्रति फुट पत्ती की दूरी, कलिकाएं निकलने की तिथि, अंकुरण या कलिकाएं निकलना पूरे होने की तिथि, कलिकाओं के खिलने के समय, परागण की तिथि, खजूर की विभिन्न किस्मों में कलिका की आकृति को रिकॉर्ड किया गया। पौधे के आकृति विज्ञानी गुणों के संदर्भ में खजूर की किस्मों के बीच व्यापक आनुवंशिक विविधता देखी गई। पौधे की ऊंचाई 160–890 सें.मी., रैकिस की लंबाई 121–347.5 सें.मी., पत्ती की लंबाई 121–347.5 सें.मी. के बीच थी जबकि पत्ती की चौड़ाई 28.5 – 77.5 सें.मी. के बीच थी। प्रति पत्ती कांटों की संख्या 8–22 के बीच थी जिनकी लंबाई और चौड़ाई कमशः 4.02 – 12.48 और 0.13–0.47 सें.मी. थी। इसी प्रकार, प्रति कलिका स्ट्रेंडों की संख्या 11–72 के बीच, प्रति स्ट्रेंड खजूर

की संख्या 13–39 के बीच तथा प्रति पौधा गुच्छों की संख्या 1–10 के बीच थी जिससे प्रति वृक्ष औसतन 0.78–79.9 कि. ग्रा. उपज प्राप्त हुई। फलों का भार 7.52 – 23.46 ग्राम था जबकि गुठली का भार 0.7–1.87 ग्रा. था। फल लगने का प्रतिशत 17.39 – 91.4 प्रतिशत के बीच था। अंकुरित होने वाली कलिकाओं पर किए गए पर्यवेक्षण से पता चला कि कम तापमान होने पर कलिकाएं देरी से निकलती हैं। पुष्पन तथा फलों पर पर्यवेक्षण अगले वर्ष रिकॉर्ड किए जाने हैं।

मात्रात्मक गुणों के अतिरिक्त गुणात्मक गुणों में भी किस्मों में बहुत भिन्नता देखी गई जैसे फल का रंग कुछ किस्मों में लाल से पीला तक था। इसी प्रकार, नाड़ियों की आकृति में भी भिन्नता थी जो या तो सुई के समान थी या मुड़ी हुई थी। गुठली का आकार मध्य मार्जिन के साथ अंडाकार से प्रतिअंडाकार के बीच अलग–अलग था। कुछ किस्मों में खांचा उथला था जबकि अन्य में खांचा गहरा था। फल की नोक समरूप नुकीली थी, उसका छिलका चिकना था और अंखुड़ी का छोर गोल था। इस प्रकार, खजूर की किस्मों को वानस्पतिक तथा फल संबंधी प्राचलों के मात्रात्मक व गुणात्मक लक्षणों का उपयोग करके पहचाना जा सकता है। देश के विभिन्न भागों जैसे गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से किसानों के समूहों ने खजूर के प्रायोगिक ब्लॉक को देखा। वे उद्यमी जो राजस्थान में खजूर की खेती करना चाहते थे, भी यहां आए तथा उन्हें खजूर की खेती के बारे में सूचना दी गई।

#### 4.1.9 केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान (सीआईएएच), बीकानेर (तरबूज और खरबूजा)

खरीफ 2013 के दौरान, तरबूज की 9 तथा खरबूजे की 13 किस्मों का मूल्यांकन विभिन्न विवरण की अवस्थाओं के अनुसार न्यूनतम डीयूएस विवरणों हेतु डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के सत्यापन के लिए तीन प्रतिकृतियों में बेतरतीव ब्लॉक डिजाइन (आरबीडी) में मूल्यांकन किया गया। तरबूज के 31 तथा खरबूजा के 32 गुणों पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। आईआईबीआर, वाराणसी खरबूजा और तरबूज दोनों के लिए सह–नोडल केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है तथा विभिन्न गुणों पर रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों का सत्यापन भी किया गया। परिणामों के आधार पर सामूहीकरण के दौरान पहचान किस्मों की विशिष्टता के मूल्यांकन में सुविधा प्रदान करने के लिए की गई। उदाहरण किस्मों के साथ–साथ महत्वपूर्ण समूहीकृत गुणों को निम्न सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी–55: खरबूजा एवं तरबूज में समूहीकरण संबंधी गुण

तरबूज		
विशेषक	अवस्था	उदाहरण किस्में
लिंग अभिव्यक्ति	एकलिंगी	अर्का माणिक, दुर्गापुरा लाल
	पुल्लिंग – एकलिंगी	एएचडब्ल्यू– 65
फल : लम्बवत काट में आकृति	चपटा ग्लोब	सुगर बेबी
	बेलनाकार	चाल्स्टन ग्रे
	लंबा गोल	असाही यमातो
फल : छिलके का आधार रंग	हरा	अर्का माणिक, दुर्गापुरा लाल
फल : गूदे का रंग	पीला	दुर्गापुरा केसर
	लालामीयुक्त गुलाबी	एएचडब्ल्यू– 65
	लाल	सुगर बेबी
		खरबूजा
विशेषक	अवस्था	उदाहरण किस्में
लिंग अभिव्यक्ति	पुल्लिंग– एकलिंगी	काशी मधु, पूसा मधुरस
फल : लम्बवत काट में आकृति	अंडाकार	एमएचवाई – 5
	चपटा (चपटा ग्लोब)	जीएमएम– 3, काशी मधु
	प्रति अंडाकार	दुर्गापुरा मधु
फल : छिलके का रंग	पीला	काशी मधु, पूसा शर्बती
	पीला हरा	दुर्गापुरा मधु
	नारंगी	अर्का जीत
फल : सूचर	अनुपस्थित	अर्का जीत, एमएचवाई– 3
	उपस्थित	हरा मधु, काशी मधु
फल : सतह पर जाली	अनुपस्थित	अर्का जीत, एमएचवाई– 5
	मध्यम	आरएम–50, अर्का राजहंस, पंजाब सुनहरी

फल : गूदे का रंग	क्रीम जैसा सफेद	अर्का जीत
	धूसर नारंगी	जीएमएम— 3
	पीलापन लिए हुए हरा	दुर्गापुर, मधु
	हरा	हरा मधु

तरबूज और खरबूजा के डीयूएस विवरणों का मसौदा सुझावों/टिप्पणियों के लिए कार्यबल के सदस्यों के बीच परिचालित किया गया। खरबूज एवं तरबूज के डीयूएस विवरणों के मसौदे पर कार्य बल की पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में 12 मार्च 2014 को डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित बैठक में की गई।

#### सारणी—56 : अनुरक्षण/लक्षण—वर्णन की प्रगति

प्रजातियों का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत सहित किस्में
तरबूज (सिट्टुलस लेनाटस (थन्ड.) मंस्फ.)	09	चार्ल्स्टन ग्रे, एसाही यमाटो (एनबीपीजीआर, नई दिल्ली), अर्का मणिक (आईआईएचआर, बंगलौर), सुगर बेबी (भा.कृ.अ.स., नई दिल्ली), दुर्गापुरा लाल, आरडब्ल्यू
खरबूजा (कुकुमिस मेलो एल.)	13	अर्का जीत, अर्का राजहंस (आईआईएचआर, बंगलुरु), एमएचवाई-3, एमएचवाई-5, आरएम-43, आरएम-50, दुर्गापुरा मधु (एआरएस, दुर्गापुरा), काशी मधु (आईआईवीआर, वाराणसी), पूसा मधुरस, पूसा शर्वती (भा.कृ.अ.स., नई दिल्ली), जीएमएम-3 (गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, आनंद), पंजाब सुनहरी, हरा मधु (पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना)

#### 4.1.10 केन्द्रीय बागवानी प्रयोग केन्द्र (सीएचईएस), वेजलपुर (इमली और चिरौंजी)

केन्द्रीय बागवानी प्रयोग केन्द्र सीआईएच का एक

अनुसंधान केन्द्र है जिसे 'चिरौंजी (बुचानानियालांजन स्प्रैक), इमली (टमेरिडस इंडिका एल.) और जामुन के डीयूएस विवरणों के सत्यापन' पर परियोजना सौंपी गई है। इससे संबंधित प्रगति निम्नानुसार है :

#### इमली

आरंभ में केन्द्र ने अध्ययन व पर्यवेक्षण रिकॉर्ड करने के लिए 10 जीनप्ररूप/किस्में एकत्र कीं। सभी किस्में अर्ध—लंबे गुण वाली थीं। पीकेएम-1, टी-263 और गोमा प्रतीक अर्ध फैलावदार वृद्धि स्वभाव की थीं जबकि प्रतिष्ठान का झुके हुए प्रकार का वृद्धि पैटर्न था। प्रति प्ररोह पत्तियों की संख्या (वार्षिक विस्तार वृद्धि) पीकेएम-1, प्रतिष्ठान, टी-263 और गोमा प्रतीक में क्रमशः 42.00, 40.12, 41.00 और 34.10 थी। पुष्पगुच्छ की लंबाई पीकेएम-1, प्रतिष्ठान, टी-263 और गोमा प्रतीक में क्रमशः 12.00 सें.मी., 10.00 सें.मी., 13.40 सें.मी. और 15.50 सें.मी. थी। प्रति पुष्पगुच्छ फलों की संख्या पीकेएम-1, प्रतिष्ठान, टी-263 और गोमा प्रतीक में क्रमशः 3.00, 4.10, 3.10 और 3.80 थी। फल का रंग पीकेएम-1, टी-263 और गोमा प्रतीक में भूरा था जबकि प्रतिष्ठान के मामले में यह लालपन लिए हुए भूरा था।

#### चिरौंजी

डीयूएस विवरण विकसित करने के लिए वानस्पतिक तथा फल संबंधी विस्तृत विवरण रिकॉर्ड किए गए। 10 जीनप्ररूपों का अध्ययन करने के बाद यह पाया गया कि सीएचईएससी-1, सीएचईएससी-2 और सीएचईएससी-3 अर्ध लंबे प्रकार जबकि सीएचईएससी-4 लंबे प्रकार की थी। सीएचईएससी-1, सीएचईएससी-3, सीएचईएससी-4 के मामले में वृक्ष अर्ध फैलावदार तथा सीएचईएससी-2 के मामले में झुके हुए प्रकार का था। सभी जीनप्ररूपों में पत्तियां घनी लगी हुई थीं, पत्तियों की आकृति दीर्घ वृत्ताकार व लैंस के समान थीं। पत्तियां मोटी थीं, चौड़ी व लंबी, मुथरी नोक वाली और जालीदार नाड़ियों वाली थीं। सीएचईएससी-1, सीएचईएससी-2, सीएचईएससी-3 और सीएचईएससी-4 में पुष्पगुच्छ की लंबाई क्रमशः 22.00 सें.मी., 24.10 सें.मी., 25.10 सें.मी. और 18.00 सें.मी. थी। इसी प्रकार, सीएचईएससी-1, सीएचईएससी-2, सीएचईएससी-3 और सीएचईएससी-4 में टीएसएस (अंश ब्रिक्स) क्रमशः 24.10, 24.70, 23.80 और 23.0 रिकॉर्ड किया गया।

#### जामुन

डीयूएस विवरण विकसित करने के लिए वानस्पतिक

तथा फल संबंधी गुण विकसित किए गए। दस जीनप्ररूपों का अध्ययन किया गया और यह देखा गया कि सीएचईएसजे-9 और सीएचईएसजे-10 जीनप्ररूप फैलावदार प्रकार के थे, जबकि सीएचईएसजे-11 और सीएचईएसजे-12 को अर्ध फैलावदार प्रकार का पाया गया। सीएचईएसजे-9 और सीएचईएसजे-10 में पत्ती दीर्घ वृत्ताकार लैंस के समान थी, जबकि सीएचईएसजे-11 में यह चौड़ी दीर्घ वृत्ताकार थीं। सीएचईएसजे-9, सीएचईएसजे-10, सीएचईएसजे-11 और सीएचईएसजे-12 में पत्ती की लंबाई क्रमशः 16.80 सें.मी., 18.10 सें.मी. और 16.80 सें.मी. थीं। सीएचईएसजे-9, सीएचईएसजे-10, सीएचईएसजे-11 और सीएचईएसजे-12 में पत्ती की चौड़ाई क्रमशः 8.40 सें.मी., 9.30 सें.मी. 7.70 सें.मी और 8.40 सें.मी. थी। सीएचईएसजे-9, सीएचईएसजे-10 और सीएचईएसजे-11 में फल की आकृति आयताकार थी जबकि सीएचईएसजे-12 में यह अंडाकार थी। सीएचईएसजे-1, सीएचईएसजे-2, सीएचईएसजे-3 और सीएचईएसजे-4 में टीएसएस (अंश ब्रिक्स) क्रमशः 16.00, 17.20, 15.40 और 15.80 रिकॉर्ड किया गया। वर्ष के दौरान पूर्व उप महानिदेशक डॉ. के.एल. चड्ढा, पूर्व उप महानिदेशक डॉ. आर.एन. पाल (बागवानी), भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली; कुलपति एनएयू गुजरात; डॉ. एन.बी. सिंह, पूर्व सहायक महानिदेशक (फसल विज्ञान), भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली; डॉ. एन.के. कुष्णाकुमार, उप महानिदेशक (बागवानी), भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली; डॉ. बी.एस. चुंडावत, पूर्व कुलपति एस.के. कृषि विश्वविद्यालय, दांतेवाड़ा, गुजरात; डॉ. बी. सिंह, परियोजना समन्वयक, सब्जी फसलें, आईआईवीआर, वाराणसी ने केन्द्र का दौरा किया।

### छोटे अनाज

#### 4.1.11 जी के वी के, यू ए एस, बंगलुरु (रागी)

यू ए एस, बंगलुरु की परियोजना समन्वय इकाई को 'डेटाबेस और संदर्भ किस्मों के साथ रागी तथा अन्य लघु मोटे अनाजों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को विकसित करने हेतु डीयूएस विवरणों के सत्यापन' पर परियोजना सौंपी गई है। परियोजना समन्वयक ने रागी तथा अन्य लघु मोटे अनाजों की उदाहरण किस्मों को अनुरक्षित करते हुए उनका लक्षण-वर्णन किया है तथा निम्नानुसार आकृतिविज्ञानी गुण रिकॉर्ड किए हैं।

#### सारणी-57: संदर्भ किस्मों की प्रगति

फसल का नाम	प्रजाति का नाम	संदर्भ किस्मों की संख्या	स्रोत
रागी	इल्यूसाइन कोराकाना	88	स्वयं जारी की गई/ भा.कृ.अ.प./राज्य कृषि विश्वविद्यालय
प्रोसो मिलेट	पैनिकम मिलियासियम	23	— वही —
कोदो मिलेट	पैस्पालम स्क्रोबीकुलेटम	33	— वही —
लिटिल मिलेट	पैनिकम सुमेटरेंसत	29	— वही —
बार्नयार्ड मिलेट	इकिनोक्लोआ यूटिलिस	21	— वही —
फॉक्सटेल मिलेट	सेटेरिया इटालिका	27	— वही —

कार्यबल का गठन डीयूएस विवरणों के विकास हेतु किया गया था जिसकी एक समीक्षा बैठक 19 मई 2013 को जीकेवीके परिसर में आयोजित की गई जिसमें पीपीवी और एफआरए के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंसीना भी मौजूद थे। विभिन्न आकृतिविज्ञानी व आनुवंशिक विशिष्ट गुणों का सत्यापन सह-नोडल केन्द्रों में भी किया गया।

### पुष्प

#### 4.1.12 तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू), कोयम्बत्तूर (चमेली)

रिपोर्टार्धीन वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों से चमेली के 65 जीनप्ररूप एकत्र किए गए तथा इनका खेत में रखरखाव किया गया। 65 संकलनों में से 58 प्रकार 11 ज्ञात प्रजातियों नामतः प्रजाति जैस्मम सैम्बैक, जी. औरिकुलेटम, जे. ग्रेंडिफ्लोरम, जे. प्यूबेसेंस (सिन. जे. मल्टीफ्लोरम), जे. हयूमिले, जे. प्राइमुलिनेम, जे. डोकोटोमम, जे. अंगुरस्टीफोलियम, जे. रिगिडम, जे. फ्लैक्साइल और जे. कैलोफाइलम हैं। शेष 7 प्रकार अज्ञात प्रजाति के हैं और उनका वर्गीकरण विज्ञानी स्तर अभी सत्यापित किया जाना है। पुष्प उपज तथा गुणवत्ता संबंधी प्राचल के मूल्यांकन और आकृतिविज्ञानी गुणों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय उगाई जाने वाली वाणिज्यिक किस्मों को लिया गया जिनमें से

तीन प्रजातियों नामतः जे. सैम्बैक, जे. ऑरिकुलेटम और जे. ग्रंडिफ्लोरम का लक्षण—वर्णन किया गया है। पौधे की वृद्धि तथा विकास की नाजुक अवस्थाओं के दौरान आकृतिविज्ञानी, कार्यकीय तथा गुणवत्ता संबंधी प्राचलों पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए।

#### **4.1.13 भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), बंगलुरु (कार्नेशन और चमेली) कार्नेशन**

कार्नेशन (डाइएंथस कैरियोफिलस एल.) के डीयूएस दिशानिर्देशों को सह—नोडल केन्द्र के रूप में यूएचएफ में अंतिम रूप दिया गया जिसके लिए 50 जीनप्ररूपों के दो पुष्पन समयों में आंकड़े रिकॉर्ड किए गए। कुल 50 जीनप्ररूपों में से एक आईआईएचआर बंगलौर का था, 8 राज्य बागवानी विभाग के थे और शेष 41 किसानों के खेतों से लिए गए स्थानीय संकलन थे। रिकॉर्ड किए गए गुणों को डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए कार्य बल की 18 अप्रैल 2013 को आईआईएचआर, बंगलुरु में आयोजित बैठक में अंतिम रूप दिया गया। इन आंकड़ों को कार्य बल की अगली बैठक में मुख्य केन्द्र के साथ परिचर्चा करने के पश्चात् बिल्कुल अंतिम रूप दिया जाएगा।

#### **चमेली**

चमेली के लिए डीयूएस दिशानिर्देश विकसित करने का कार्य बंगलुरु स्थित आईआईएचआर के पुष्प विज्ञान प्रभार को सौंपा गया है। रिपोर्टार्धीन वर्ष के दौरान भा. कृ.अ.प. और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की चमेली की 35 संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण प्रजनन व लक्षण—वर्णन किया गया। डीयूएस दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए कार्यबल की पहली बैठक 17 अप्रैल 2013 को आईआईएचआर, हैसरगट्टा में आयोजित हुई। कुल 45 गुणों को उनकी अवस्थाओं, टिप्पणियों व उदाहरण किस्मों के साथ—साथ पर्यवेक्षण की अवस्थाओं को लक्षण—वर्णन करने के लिए सूचीबद्ध किया गया तथा डीयूएस परीक्षण के लिए दिशानिर्देशों का प्रथम मसौदा तैयार किया गया। इन गुणों के आधार पर 35 किस्मों का लक्षण—वर्णन किया गया।

#### **4.1.14 फलविज्ञान एवं पुष्पविज्ञान विभाग, केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर**

इस केन्द्र को उष्ण कटिबंधी ऑर्किडों अर्थात् डैंड्रोबियम, वांडा, फैलीनॉप्सिस, कैटेलिया, पैफियोपैडिलम, ऑन्सीडियम आदि में डीयूएस परीक्षण के लिए सह—नोडल केन्द्र के रूप

में निर्धारित किया गया है और इसे उष्ण कटिबंधी ऑर्किड किस्मों का राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करने व डीयूएस दिशानिर्देश विकसित करने का काम सौंपा गया है।

उष्ण कटिबंधी, ऑर्किड गणों नामतः फैलीनॉप्सिस, डैंड्रोबियम और वांडा की सभी उपलब्ध विविधताएं तैयार की गई हैं। यह केन्द्र फैलीनॉप्सिस के डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है और इन गणों में नई किस्में शामिल की गई हैं। इस केन्द्र में अब फैलीनॉप्सिस (102 किस्मों), वांडा (50 किस्मों) और कैटेलिया (38 किस्मों) अनुरक्षित हैं तथा पीपीवी और एफआरए द्वारा निर्धारित वानस्पतिक तथा पुष्टीय गुणों पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए हैं और तदनुसार किस्मों को वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान 2 गणों नामतः ऑन्सीडियम और पैफियोपैडिलम पर अध्ययन पूरे किए गए हैं। यह केन्द्र पैफियोपैडिलम के लिए उप केन्द्र है जो ठंडे मौसम का वंश है।

ऑन्सीडियम वंश के लिए यह केन्द्र मॉडल केन्द्र है। अवधि के दौरान ऑन्सीडियम की 45 किस्मों/संकरों तथा संबंधित गणों के साथ—साथ उनके अंतर आनुवंशिक संकरों को एकत्रित किया गया। ऑन्सीडियम के 34 संकरों का मूल्यांकन किया गया तथा पौधे के आकार, छद्म बल के आकार, पुष्प के आकार, रंग व सुगंध, अंखुड़ी के आकार व आकृति, पंखुड़ी के आकार व आकृति, अधर के आकार व आकृति, कॉलम के आकार व अभिमुखन, पौधे पर पुष्प के बने रहने की अवधि के आधार पर मूल्यांकन किया गया। 60 आकृतिविज्ञानी गुणों में से पौधे के प्रकार, पत्ती की आकृति व अभिमुखन, पुष्प क्रम के प्रकार, पुष्प की सुगंध, अंखुड़ी और पंखुड़ी की आकृति, अधर के शीर्ष पाली की आकृति, रंग व अभिमुखन, कॉलम अभिमुखन आदि में ऑन्सीडियम में डीयूएस दिशानिर्देश तैयार करने के संदर्भ में अनूठेपन देखे गए। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को ऑर्किडों पर गठित कार्यबलों की 29–30 जनवरी को आयोजित अंतिम बैठक में अंतिम रूप दिया गया तथा इन्हें अधिसूचना के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग को भेजा गया।


#### **4.1.15 डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन (ऑर्किड) फैलियोनॉप्सिस**

डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन को वर्ष 2013–14 के दौरान फैलियोनॉप्सिस के लिए डीयूएस केन्द्र के रूप में निर्धारित किया गया है। इस केन्द्र

में फैलियोनॉप्सिस को उगाने की सुविधाएं सृजित की जा रही हैं और इसके बाद यहां जननद्रव्य को लाकर उगाया जाएगा। केन्द्र ने रखरखाव करने व लक्षण—वर्णन करने के लिए भा.कृ.अ.प. के स्रोतों से फैलियोनॉप्सिस की विभिन्न प्रजातियां प्राप्त की हैं। यह परियोजना 25 फरवरी 2014 को विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई है।

### सब्जियां

#### 4.1.16 भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), बंगलुरु (चौलाई, पालक और तोरई)



सब्जी विज्ञान प्रभाग, आईआईएचआर, बंगलुरु : यह आईआईएचआर, बंगलुरु को नोडल केन्द्र के रूप में सौंपा गया नया परियोजना प्रस्ताव है जो उपरोक्त सब्जियों के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास हेतु नोडल केन्द्र है तथा सब्जी प्रभाग, भा.कृ.अ.स., नई दिल्ली इसके सह—नोडल केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान अनुरक्षण प्रजनन और लक्षण—वर्णन की प्रगति निम्ननुनसार है :

**सारणी—58: लक्षण—वर्णन के लिए संदर्भ किस्मों की प्रगति**

प्रजाति का नाम	किस्मों की सं.	स्रोत (स्वयं जारी की गई/भा.कृ.अ.प./राज्य कृषि विश्वविद्यालय)
सब्जी अमरनाथ (एमेरेंथस ट्राइकलर एल.)	19	स्वयं (आईआई—एचआर) अर्का अरुणिका, अर्का समरक्षा, अर्का सुगुना, अर्का वर्ना

		भा.कृ.अ.प.	पूसा किरण, पूण कीर्ति, पूसा लाल चौली
		राज्य कृषि वि.वि.	रेनुश्री, अरुण, सीओ—1, सीओ—2, सीओ—3, सीओ—5, आरएनए 1
		स्थानीय किस्में	कनारा लोकल, चिल्का अर्वे, डेटिना सोप्य कोय्यार्व एवं व्हीइट स्टेम अमरनाथ
पालक (बीटा वल्वोरिस वैर. बैंगालैसिस एल.)	5	स्वयं (आईआई—एचआर) भा.कृ.अ.प.	अर्का अनुपमा पूसा भारती एवं आल ग्रीन
		राज्य कृषि वि.वि.	एचएस—23, सीओ—1
त्पकहम हवनतक (लुफा एक्यूटेंगुला एल.)	9	स्वयं (आईआई—एचआर) भा.कृ.अ.प.	अर्का सुजत, अर्का सुमीत पूसा नसदार, पूसा नूतन
		राज्य कृषि वि.वि.	दीप्ति, जयपुर लोंग, फुले सुचेता, जीएआरजी—1 तथा सीओ—1

कार्यबल की एक बैठक आईआईएचआर, बंगलुरु में आयोजित हुई जहां प्रधान अन्वेषक तथा सम्बद्ध वैज्ञानिकों के साथ आकृतिविज्ञानी गुणों के लक्षण—वर्णन की प्रगति तथा रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों की समीक्षा की गई। उपरोक्त सब्जियों के डीयूएस विवरणों के मसौदे की समीक्षा कार्य बल की अगली बैठक में की जाएगी। डॉ. आर.सी.

अग्रवाल, महा पंजीकार, पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली ने आईआईएचआर, बंगलुरु ने 17 जून 2013 को डीयूएस परियोजनाओं के लिए समीक्षा बैठक का जायजा लिया। इसके बाद चल रही डीयूएस परियोजनाओं की सकल प्रगति की समीक्षा के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल ने 30 अगस्त 2013 को एक अन्य दौरा भी किया।

#### **4.1.17 विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (बीसीकेवीवी), कल्याणी (जिमीकंद और तारो)**

प्राधिकरण ने बीसीकेवीवी को 'जिमीकंद और तारो' के किस्म जीन बैंक के लिए डीयूएस परीक्षण के मानकों का विकास' विषय पर परियोजना सौंपी है। रिपोर्टरीन वर्ष के दौरान केन्द्र में तारो तथा जिमीकंद की क्रमशः 9 और 11 किस्मों का रखरखाव किया गया तथा डीयूएस दिशानिर्देश विकसित करने के लिए उनका लक्षण वर्णन किया गया। विभिन्न गुणों के पर्यवेक्षणों को रिकॉर्ड करते समय यह नोट किया गया कि तारो के अधिकांश गुण अत्यधिक वंशानुगत आनुवंशिक शुद्धता वाले हैं और इन किस्मों में डुप्लीकेट नहीं पाए गए, उपज अधिकांशतः स्थिर थी जिसका नियंत्रण किस्मों की आनुवंशिक पृष्ठभूमि से हुआ। जिमीकंद के मामले में भी लगभग ऐसे ही पर्यवेक्षण नोट किए गए। इस विश्वविद्यालय में 7 अनुसंधान लेख तैयार किए गए। इस केन्द्र को 21वीं पश्चिम बंगाल राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस (डब्ल्यूबीएसटी) में जो 21–21 फरवरी 2014 को बर्धमान विश्वविद्यालय में आयोजित हुई थी, सर्वश्रेष्ठ मौखिक प्रस्तुतीकरण के लिए पुरस्कृत किया गया।

#### **4.1.18 भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (आईआईवीआर), वाराणसी (खीरा—ककड़ी, लौकी, करेला, कदू)**

खीरा, लौकी, करेला और कदू के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देकर कार्यबल द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। परिणामस्वरूप इन दिशानिर्देशों को कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने हेतु भेजा गया है। आईआईवीआर, वाराणसी को नोडल केन्द्र के रूप में तथा आईआईएचआर, बंगलुरु को सह नोडल केन्द्र के रूप में निर्धारित किया गया है। उपरोक्त वर्णित सब्जियों के अनुरक्षण प्रजनन / लक्षण—वर्णन की प्रगति निम्नानुसार है :

**सारणी—59: अनुरक्षण प्रजनन / लक्षण—वर्णन की प्रगति**

प्रजाति का नाम	किस्मों की सं.	स्रोत (स्वयं जारी की गई/भा.कृ. अ.प.,/राज्य कृषि विश्वविद्यालय)
लौकी (लैगीनेरिया सिंसेरेरिया)	18	स्वयं (आईआई— एचआर)
		भा.कृ.अ.प.
		पूसा समृद्धि, पूसा संतुष्टि, पूसा नवीन, पूसा संदेश, काशी गंगा, केबीजीआर—12, एबीजी—2
करेला (मोमोडिका चैरैंसिया)	17	राज्य कृषि विश्व— विद्यालय
		स्वयं (आईआई— एचआर)
		भा.कृ.अ.प.
खीरा— ककड़ी (कुकुमिस स्टाइवस)	11	राज्य कृषि विश्व— विद्यालय
		भा.कृ.अ.प.
		राज्य कृषि विश्व— विद्यालय

कदू (कुकुरबिटा मोस्कैटा)	11	स्वयं (आईआई— एचआर)	अर्का चंदन
		भा.कृ.अ.प.	पूसा विश्वास, काशी हरित, पूसा विकास
		राज्य कृषि विश्व— विद्यालय	नरेन्द्र अमृत, नरेन्द्र अग्रिम, सीएम—350, अम्बिली, सुवर्ण, केपीएस—1 एवं सारस

#### 4.1.19 राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर), नई दिल्ली (चौलाई, बक व्हीट और फाबा बीन)

एनबीपीजीआर को सौंपी गई 'दाना चौलाई, बक व्हीट और फाबा बीन के विशिष्टता, एकरूपता और स्थायीत्व के परीक्षण करने हेतु दिशानिर्देशों का विकास' पर परियोजना सौंपी गई है। अनुरक्षण प्रजनन/लक्षण—वर्णन की स्थिति निम्नुनसार है :

#### सारणी—60: अनुरक्षण प्रजनन/लक्षण—वर्णन की प्रगति

फसलें	क्र. सं.	संदर्भ किस्में
अमरनाथ	22	आईसी 038129, आईसी 038256, आईसी 047439, आईसी 038373, आईसी 038192, आईसी 042371, आईसी 095564, आईसी 038378, आईसीएमएचपी, जीए—2, जीए—3, पीआरए—1, पीआरए—2, पीआरए—3, पीआरए—3, अन्नपूर्णा, दुर्गा, वीएल—101, वीएल—102, जीए—1, बीजीए—2, सुवर्णा, जीए—2
बक व्हीट	16	आईसी 202226, आईसी 204085, सांगला बी—1, आईसी 014889, आईसी 108514, आईसी—412722, आईसी 026594, ईसी 323730, ईसी 288277, हिमप्रिया, शिमला बी—3, शिमला बी—1, सांगला बी—214, सांगला बी—301, पीआरबी—1, वीएल—7
फाबा बीन	24	विक्रांत, पीआरटी—12, आरएफबी—3, पटना—1, पटना—2, पटना—3, पटना—4, पटना—5, पटना—6, पटना—7, आईसी—

		593728, आईसी— 593717, आईसी— 593715, आईसी— 593709, आईसी— 593689, आईसी— 593677, आईसी 59670, आईसी—593666, आईसी— 593667	593720, आईसी— 593716, आईसी— 593708, आईसी— 593700, आईसी— 593682, आईसी— 593670, आईसी—593666, आईसी— 593667
--	--	--	--

संदर्भ किस्में भाकृ.अ.प. के विभिन्न केन्द्रों व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से खरीदी गई हैं। डीयूएस दिशानिर्देश विकसित करने के उद्देश्य से आकृति विज्ञानी गुणों पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। गुणों की समरूपता व उनके स्थायित्व के लिए किस्मों का समूहीकरण तथा संदर्भ किस्मों के डीयूएस परीक्षण अगले वर्ष में अंतिम रूप से किए जाएंगे।

#### 4.1.20 केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान (सीटीसीआरआई), क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर (शकरकंद और कसावा)

सीटीसीआरआई के भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र में शकरकंद की जारी की गई 37 और कसावा की 14 किस्मों का अनुरक्षण और लक्षण—वर्णन किया गया है। ये किस्में भा.कृ.अ.प. या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से प्राप्त की गई थी। शकरकंद के 205 कल्वर तथा कसावा के 35 कल्वर स्वपात्रे अनुरक्षित किए गए हैं। उष्णकटिबंधी कंद फसलों : कसावा और शकरकंद के लिए जीन बैंक की स्थापना करने व डीयूएस परीक्षण मानदंडों को विकसित करने का अधिदेश भी इस परियोजना का है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान शकरकंद की जारी की गई 37 में से 33 और कसावा की 26 में से 14 किस्मों के गुण रिकॉर्ड किए गए। इसी प्रकार, केन्द्र ने शकरकंद के लिए कटाई पूर्व 17 गुणों तथा कसावा के लिए 11 गुणों का उनकी एकरूपता तथा स्थायित्व के लिए सत्यापन किया है।



उच्च मंड तथा सफेद गूदे वाली किस्म (एसटी-10), नारंगी गूदे व उच्च बीटा कैरोटीन से समृद्ध किस्म (एसटी-14) तथा बैंगनी गूदे व उच्च एंथोसियानिन से समृद्ध किस्म एसटी-13 को पंजीकृत किया गया है। इस केन्द्र ने शकरकंद तथा कसावा के किस्म जीनबैंक को स्थापित करने व उसका रखरखाव करने की दिशा में भी पहल की है।

### तारो (कोलोकोसिया एस्क्यूलेंटा) और जिमीकंद (एमार्फोफेलस पियोनीफोलियस)

क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर बीसीकेवी, कल्याणी के साथ मिलकर तारो तथा जिमीकंद के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास पर सह-नोडल केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान तारो की जारी की गई 21 किस्मों को आरबीडी डिज़ाइन में रोपा गया तथा पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। तारो तथा जिमीकंद के आकृतिविज्ञानी गुणों पर किए गए पर्यवेक्षणों से यह स्पष्ट हुआ कि व्यक्तिगत और समूहगत विशेषताएं इनमें मौजूद थीं। ये गुण सभी प्रतिकृतियों में समरूप थे और फसलवार संक्षिप्त पर्यवेक्षण निम्नानुसार हैं :

#### तारो



तारो में जीन बैंक में स्थापित 21 किस्मों के बीच पौधे की ऊंचाई तथा पौधे के फैलाव में अनूठापन देखा गया। (चित्र 1 व 2)। जहां अधिकांश किस्मों/प्रजनन वंशक्रम बौने प्रकार के पाए गए वहीं 5 नामतः तेलिया, पैनीसारू-1, सोना जुली, बीसीसी-1 और केएसएस-2 में पौधे की ऊंचाई के संदर्भ में मध्यम परास देखा गया। अधिकांश किस्मों में पौधे का फैलाव संकरा था, 7 किस्मों में मध्यम परास देखा गया। बीसीसी-22, मुक्ताकेशी, तेलिया, पानीसारू-1 और सोनाजुली में सकरों की संख्या 5 से अधिक पाई गई। बीसीसी-22 और आईजीसीओएल-8 में सकरों की संख्या के मामले में विशिष्ट समूह देखे गए और इनका परास

6-10 था। झांकरी, बीसीसी-35 किस्मों में पत्तियों की प्रमुख प्याले की आकृति की स्थिति देखी गई जबकि पानीसारू-1, मुक्ताकेशी, सोनाजुली में हरे तने के साथ पत्तियों की सीधी नोक के साथ-साथ नीचे स्थिति पाई गई जो बीसीसी 39 में पत्तियों की सीधी नोक व बैंगनी तने पर नीचे की ओर होने के कारण विपरीत थी (चित्र 3.5)। झांकरी में सुंडाकार पत्रदल मार्जिन पैटर्न बिल्कुल स्पष्ट और अलग था। मुक्ताकेशी और सोनाजुली में सामूहिक विशेषता के रूप में पत्रदल का रंग पीला-हरा था। बीसीसी-38 और बीसीसी 22 में पत्रदल का गहरा हरा रंग था इसलिए यह विशिष्ट समूह के अंतर्गत थी जबकि शेष किस्मों की पत्तियां हरे रंग की थीं। पत्रदल के कोर के रंग का पर्यवेक्षण करते समय देखा गया कि तेलिया, बीसीसी-38, श्री रश्मि, केएसएस-2 और श्री पल्लवी में बैंगनी रंग की समूह विशिष्टता थी। आईजीसीओएल-8, श्रीकिरण और बीसीसी-22 जैसी किस्मों में पर्णवृत्त के जोड़ पैटर्न में विशिष्टता देखी गई क्योंकि इस पर बैंगनी रंग का छल्ला था तथा इसका रंग हल्का हरा था (चित्र 6)। तेलिया, बीसीसी-35 और बीसीसी 38 में बैंगनी पर्णवृत्त जोड़ की समूह विशिष्टता थी (चित्र 7)। पत्ती मुझ्जान गहनता तेलिया में अधिक थी (चित्र 8) और पुष्पन मुक्ताकेशी किस्म में अधिक जल्दी-जल्दी हुआ (चित्र 9)। कटाई उपरांत पर्यवेक्षणों से यह स्पष्ट हुआ कि पूर्वी क्षेत्र की अधिकांश किस्में पूर्वी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों तथा विदेशी तारों की तुलना में बिल्कुल विपरीत ऐडो प्रकार की थीं (चित्र 10 और 11)।

#### जिमीकंद



जिमीकंद के मामले में 18 किस्मों का जीन बैंक स्थापित किया गया (चित्र 1 और 2)। विभिन्न किस्मों में से

आईजीएएम—2 में सफेद धब्बों के साथ गहरे हरे रंग का तना देखा गया। आईजीएएम—1 और श्री पदमा ने सफेद और भूरे धब्बों के साथ तने का हरा रंग समूह विशिष्टता थी। 18 में से 7 किस्मों में स्कंध का व्यास 10 सें.मी. से कम था और इसी प्रकार 18 में से 5 में अंतरगांठों की लंबाई 10 सें.मी. से अधिक थी। सभी किस्मों में पौधे की ऊँचाई 50 सें.मी. से अधिक देखी गई। श्री अथिरा और विधान कुसुम में चिकने छद्म तने की बनावट की समूह विशिष्टता प्रदर्शित हुई। एनडीए—5 और गजेन्द्र में भी पीले/पीले हरे उप पत्ती रंग की समूह विशिष्टता देखी गई। गजेन्द्र में नाड़ियों का रंग वैयक्तिक/अनूठे हरे गुण वाला था जबकि शेष में नाड़ियों का रंग सफेद था। एनडीए 5 में रैकिस पर बैंगनी धब्बे थे जबकि हरे रंग के तने पर सफेद धब्बे इसका अनूठा/वैयक्तिक गुण था। रैकिस पैटर्न V और Y प्रकार का पाया गया (चित्र 14 और 15)। रैकिस जोड़ के रंग में भी बैंगनी धब्बों के साथ हरे रंग का अनूठापन था जो एनडीए—5 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। कोबुर तथा एनडीए 4 जैसी किस्मों में रैकिस के रंग में चित्तियों की समूह विशिष्टता थी। पांच किस्मों को छोड़कर अन्य सभी में हल्का मोमियापन था। कटाई उपरांत कंद के आकृति विज्ञान के अंतर्गत गजेन्द्र में कंद पर चिकना छिलका मौजूद था (चित्र 16)। जबकि श्री पदम, श्री अथिरा तथा प्रजनन वंशक्रम ओएल—5/80 में प्रकंदों की संख्या अलग—अलग थी और छिलका खुरदरा था।

### बीज मसाले

#### 4.1.21 राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, ताबीजी, अजमेर (धनिया और सौंफ)

धनिया और सौंफ पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पंजीकरण तथा डीयूएस दिशानिर्देशों के उद्देश्यों से इस राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र को सौंपे गए दो बीज मसाले हैं। इस केन्द्र में धनिया की 24 संदर्भ किस्मों और की 21 संदर्भ किस्मों को मुख्यतः राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भा.कृ.अ.प. के संस्थानों से प्राप्त किया गया है। धनिया तथा सौंफ पर डीयूएस दिशानिर्देशों को बैठक में स्वीकृत किया गया तथा इन्हें कार्य बल के अनुमोदन के पश्चात् पंजीकरण का पात्र बनाने के लिए भारत के राजपत्र में अधिसूचना हेतु कृषि एवं सहकारिता विभाग को भेजा गया। इस कार्यबल के अध्यक्ष नई दिल्ली स्थित भा.कृ.अ.प. के पूर्व उप महानिदेशक (बागवानी) डॉ. जी. कल्लू थे।

### संगंधीय पौधे



#### 4.1.22 औषधीय व संगंधीय पौधा अनुसंधान निदेशालय (डीएमएपीआर), बोरीयाई, आनंद

‘औषधीय, संगंधीय तथा बीज मसालों में प्रयोगशाला व फील्ड सुविधाएं प्रदान करने, डिजिटलीकरण और प्रशिक्षण के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों को सबल बनाना व डीयूएस दिशानिर्देशों का विकास’ शीर्षक की परियोजना के अंतर्गत डीएमएपीआर ने ईसबगोल के लिए डीयूएस दिशानिर्देश पहले ही उपलब्ध करा दिए हैं। तथापि, कालमेघ एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा (बर्न.एफ.) वाल.एक्स. नीज के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों को लिया गया है। 10 आकृतिविज्ञानी गुणों के मामले में डीयूएस विवरणों की पहचान की गई है और तदनुसार विशिष्ट वंशक्रम विकसित किए गए हैं। जिन प्रमुख गुणों पर ध्यान दिया गया वे थे : पौधे का स्वभाव (सीधा या बेल के समय फैलने वाला); पत्ती प्रकार : संकरी (लंबी संकरी या छोटी संकरी); चौड़ाई (छोटी चौड़ी या लंबी चौड़ी); पत्ती का रंग (हल्का हरा या गहरा हरा); पत्रदल (भीतर की ओर बंद या बाहर की ओर मुड़ा हुआ); शाखन प्रवृत्ति (खुला या बंद); पौधे के वितान की आकृति (शंक्वाकार, गोल); पुष्पन पैटर्न (अगेती, मध्यम और पछेती); पुष्प क्रम का प्रकार (पुष्प कलिकाएं घनी व्यवस्थित या दूर—दूर व्यवस्थित), पौधे की ऊँचाई (लंबा), सामान्य, बौना; तने की अंतरगांठ की लंबाई (सामान्य या ठोस); पौधे के वितान की आकृति (शंक्वाकार, गोल); पुष्प पैटर्न (मध्यम और पछेती); पुष्पक्रम प्रकार (पुष्प कलिकाएं), निकट व्यवस्थित या दूर—दूर व्यवस्थित); पौधे की ऊँचाई (लंबा, सामान्य, बौना), तथा तना अंतरगांठ की लंबाई (सामान्य या ठोस)। तदनुसार 45 विशिष्ट संदर्भ किस्मों की पहचान की गई।

वर्ष 2013–14 के दौरान पहचाने गए विशिष्ट वंशक्रमों

की नर्सरी तैयार की गई तथा पहचाने गए गुणों की पुष्टि के लिए पौधों को 12 जुलाई 2013 को खेत में रोपा गया। पहचाने गए वंशक्रमों का एक सैट विभिन्न स्थानों पर स्थायित्व के परीक्षण के लिए बीसीकेवी, कल्याणी, पश्चिम बंगाल में रोपा गया। गुणों में से पौधे का स्वभाव (सीधा या फैलावदार); पत्ती के संकरेपन का प्रकार (लंबी संकरी या छोटी संकरी); चौड़ाई (छोटी चौड़ी या लंबी चौड़ी); पत्ती के रंग (हल्का हरा या गहरा हरा); शाखन पैटर्न (खुला या बंद) और पुष्पन पैटर्न (अगेती), पौधे के वितान की आकृति (संकवाकार, गोल); पुष्पन पैटर्न (मध्यम और पछेती); पुष्प क्रम का प्रकार (पुष्प कलिकाएं घनी व्यवस्थित या दूर-दूर व्यवस्थित), पौधे की ऊंचाई (लंबा, सामान्य, बौना) की पुष्टि की गई। एक गुण अर्थात् तने अंतरगांठ की लंबाई (सामान्य या ठोस) को मध्य जुलाई में रोपे गए पौधों में स्थायी नहीं पाया गया। यह गुण पछेती रोपे गए वंशक्रम में प्रदर्शित हुआ। अतः इसे पर्यवेक्षण के अंतर्गत रखा गया।

वर्ष के दौरान डीयूएस विवरण के लिए एक नए गुण की पहचान की गई अर्थात् प्राथमिक गांठों पर चौड़ी पत्ती। डीएमएपीआर एपी 1, 2, 19 को लंबी चौड़ी पत्ती वाले प्रकार तथा डीएमएपीआर एपी 24 को छोटी चौड़ी पत्ती प्रकार का पाया गया (चित्र 1)। डीएमएपीआर एपी 3 की पत्तियां लंबी संकरी थीं और डीएमएपीआर एपी 6 की पत्तियां छोटी चौड़ी थीं (1)। डीएमएपीआर एपी 6 और 19 की पत्तियां हल्के हरे रंग की थीं तथा डीएमएपीआर एपी 3 और 42 में गहरे हरे रंग की पत्तियां थीं (चित्र 2)। डीएमएपीआर एपी 46 की पत्तियां प्राथमिक गांठों पर चौड़ी थीं (चित्र 3)। डीएमएपीआर एपी 13, 22 में शाखन पैटर्न खुले हुए प्रकार का और डीएमएपीआर एपी 19, 35 में बंद प्रकार का था (चित्र 4)। डीएमएपीआर एपी 37 में अगेती पुष्पन प्रकार जबकि डीएमएपीआर एपी 1 और 2 में पछेती पुष्पन प्रकार देखे गए।



चित्र 1. पत्ती प्रकार, a) डीएमएपीआर एपी 19 (लंबी चौड़ी); b) डीएमएपीआर एपी 24 (छोटी चौड़ी); c) डीएमएपीआर एपी 3 (लंबी चौड़ी); d) डीएमएपीआर एपी 6 (छोटी चौड़ी)



चित्र 2: पत्रदल का रंग a) डीएमएपीआर एपी 19 (हल्का हरा) b) डीएमएपीआर एपी 3 (गहरा हरा)



चित्र 3: डीएमएपीआर एपी 46 (प्राथमिक गांठों पर चौड़ी पत्ती)



चित्र 4 : शाखन पैटर्न, a) डीएमएपीआर एपी 22 (खुला); b) डीएमएपीआर एपी 19 (बंद)

#### 4.1.23 चाय पर टोकलई प्रायोगिक केन्द्र, जोरहट में कार्यबल की बैठक



चाय पर डीयूएस विवरणों के सत्यापन के लिए कार्यबल की बैठक 23 अगस्त 2013 को टोकलई प्रायोगिक केन्द्र, जोरहट में हुई। पीपीवी और एफआरए के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल जो गुवहाटी के दौरे पर थे, ने डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार और उप पंजीकार, गुवहाटी के साथ बैठक में भाग लिया। इस बैठक में चाय के विवरणों पर चर्चा हुई और चाय के लिए विकसित किए जा रहे दिशानिर्देशों में और संशोधन के लिए सदस्यों ने सुझाव दिए।

### **रोपण फसलें**

#### **4.1.24 भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु (सुपारी)**

आईआईएचआर, बंगलुरु सुपारी (पाइपर बीटन) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित करने का नोडल केन्द्र है जबकि विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (बीसीकेवी), कल्याणी इसके लिए सह नोडल केन्द्र है। रिपोर्टार्थीन अवधि के दौरान 14 नई भू-प्रजातियों तथा जारी की गई एक किस्म को 110 विद्यमान संकलनों में जोड़ा गया। कर्नाटक (मलनाड क्षेत्र) से प्राप्त 10 नई भू-प्रजातियों, तमिल नाडु से प्राप्त 4 संकलनों और एसआरएस, सिरुगमनी से प्राप्त सिरुगमनी 2 नामक जारी की गई किस्म को एकत्र किया गया। विभिन्न अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान केन्द्रों तथा द्वितीयक केन्द्रों से सुपारी के कुल 110 जननद्रव्य एकत्रित किए गए और इन्हें सीएचईएस, हिरेहल्ली में सुपारी सहायता के अंतर्गत अनुरक्षित किया जा रहा है। आईआईएचआर में सभी गुणों के लिए 45 जननद्रव्य वंशक्रमों का लक्षण-वर्णन किया गया। इनमें चार जारी की गई किस्में और 30 कृषक/बीसीके तथा 11 जननद्रव्य वंशक्रम शामिल हैं। 47 प्लूटेटिव डीयूएस गुणों को 45 जननद्रव्य वंशक्रमों में रिकॉर्ड किया गया। इनमें से 25 मात्रात्मक गुण थे जबकि 22 गुणात्मक गुण थे। इनमें से 7 गुणों को विविधता की दृष्टि से वंशक्रमों के बीच किसी महत्व का नहीं पाया गया। 25 मात्रात्मक गुणों और 15 गुणात्मक गुणों के संबंध में लक्षण-वर्णन किया गया। खुली हुई स्थितियों के अंतर्गत दो वर्षों के अंतर्गत इन गुणों की अभिव्यक्ति स्थिर पाई गई (सूची संलग्न)। सभी गुणों (संलग्न सूची में वर्णित) के लिए उदाहरण किस्मों की पहचान की गई। सभी प्लूटेटिव मात्रात्मक डीयूएस गुणों का डिजिटलीकरण किया गया।

#### **4.1.25 विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (बीसीकेवी), कल्याणी (पान लता)**

‘पान लता (पाइपर बीटल एल.) के लिए डीयूएस परीक्षण

दिशानिर्देशों को तैयार करना व उनका सत्यापन’ का कार्य आईआईएचआर, बंगलुरु को नोडल केन्द्र के रूप में तथा बीसीकेवी को सह-नोडल केन्द्र के रूप में रिपोर्टार्थीन वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा सौंपा गया है। इसके उद्देश्य हैं : 1) जननद्रव्य (विशिष्ट भूप्रजातियों, सामान्य ज्ञान की किस्में, जारी किए गए संकर व किस्में) के विद्यमान संकलन को समृद्ध करना और 2) पान लता के विभिन्न जीनप्ररूपों का लक्षण-वर्णन व 3) डीयूएस परीक्षण के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करना।

विभिन्न केन्द्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से प्राप्त की गई 44 संदर्भ किस्मों को अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत डीयूएस विवरणों की पहचान हेतु लक्षण-वर्णन हेतु रखा गया है, ताकि दिशानिर्देश विकसित किए जा सकें। इन किस्मों को दो स्थानों बीसीकेवी, कल्याणी, नादिया और पश्चिम बंगाल में रखा गया है। नोडल केन्द्र से एकत्र किए गए 12 नए जननद्रव्यों को इस वर्ष विद्यमान संकलन में और शामिल किया गया। दोनों केन्द्रों में परियोजना के अंतर्गत लक्षण-वर्णन के लिए कुछ सामान्य जननद्रव्य चुने गए हैं। इन चुने गए जननद्रव्यों में से बंगला में 12 प्रविष्टियां, सांची में 4 प्रविष्टियां, मीथा समूह में 3 प्रविष्टियां और कपूरी समूह में 9 प्रविष्टियां शामिल हैं।

पिछले वर्ष नोडल केन्द्र के परामर्श से उपलब्ध जननद्रव्य के लक्षण-वर्णन के लिए पहचाने गए 46 मात्रात्मक गुणों और 17 गुणात्मक गुणों की पहचान की गई। सभी परीक्षणों में से 25 मात्रात्मक गुणों और 14 गुणात्मक गुणों की आईआईएचआर, बंगलुरु में खुली स्थितियों के अंतर्गत संभावित डीयूएस विशेषकों के लिए पहचान की गई। ये गुण प्ररोह के आर्थोट्रॉपिक व प्लॉजियोट्रॉपिक विशेषताओं के अलावा प्रजनन गुणों से संबंधित हैं। पश्चिम बंगाल में पान की खेती कृत्रिम रूप से तैयार की गई उठी हुई संरचनाओं में की जाती है जिन्हें बोरोजा कहते हैं जो बांस के हल्के ढांचे का बना होता है जिसकी छत बांस को पटसन या पुआल से बांधकर कर तैयार की जाती है। इससे फसल को वृद्धि के लिए वांछित छाया और उच्च नमी वाला वातावरण मिलता है। बोरोजा स्थिति में जब लता की लंबाई बोरोजा की ऊंचाई से अधिक हो जाती है तो लताओं को नीचे करने की प्रथा अपनाई जाती है और केवल आर्थोट्रॉपिक प्ररोहों को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पश्चिम बंगाल की स्थिति में इसमें पुष्पन नहीं होता है। इसलिए यहां केवल ऑर्थोट्रॉपिक प्ररोहों से संबंधित गुणों का ही

अध्ययन किया गया तथा ऑर्थोट्रॉपिक प्ररोहों पर सभी गुणों को भावी संभावित डीयूएस विशेषकों में उपयोग के लिए रिकॉर्ड किया गया।

वर्तमान वर्ष में कुल 17 गुणों का अध्ययन किया गया, नामतः फैलावदार जड़ उत्पादन (प्रति गांठ संख्या), गांठ पर प्रथम जड़ का निकलना, लता का व्यास (सें.मी.), ऑर्थोट्रॉपिक प्ररोह अंतरगांठ की लंबाई (सें.मी.), ऑर्थोट्रॉपिक पत्ती के पर्णवृत्त की लंबाई (सें.मी.), ऑर्थोट्रॉपिक पत्ती लंबाई (सें.मी.), पालि की गहराई (सें.मी.), पत्ती पालि की चौड़ाई (सें.मी.), पालि की गहराई/पालि की चौड़ाई, ऑर्थोट्रॉपिक पत्ती की चौड़ाई (सें.मी.), ऑर्थोट्रॉपिक पत्ती लंबाई/चौड़ाई अनुपात, ऑर्थोट्रॉपिक पत्ती विशिष्ट भार (मि.ग्रा./वर्ग मि.मी.), ऑर्थोट्रॉपिक पत्ती मोटाई (माइक्रोउ), ऑर्थोट्रॉपिक पत्ती नोक का कोण (अंश), प्ररोह आधार का रंग (3–4 गांठ के बीच), धारी का रंग तथा ऑर्थोट्रॉपिक पत्रदल का रंग। पान लता की भू-प्रजातियों के श्रेणीकरण के लिए नोडल केन्द्र द्वारा निर्धारित विभिन्न गुणों के तीव्रता के परास को अपनाया गया। विद्यमान जननद्रव्य का लक्षण-वर्णन किया जा रहा है। बीसीकेवी केन्द्र में उपस्थित विभिन्न भूप्रजातियों के आकृतिविज्ञानी गुणों का अध्ययन अगस्त-सितम्बर व अक्टूबर-नवम्बर 2013 के महीने के दौरान किया गया। पत्ती, तना तथा फैलावदार जड़ों के गुणात्मक और मात्रात्मक गुण भी रिकॉर्ड किए गए।

### वानिकी

#### 4.1.26 डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन

### पॉपलर



**वृक्ष सुधार एवं आनुवंशिक संसाधन विभाग : प्राधिकरण** ने केन्द्र को 'पॉपलर जननद्रव्य' के क्लोनल बैंक (नर्सरी) की स्थापना और डीयूएस विशिष्ट लक्षण-वर्णन शीर्षक की परियोजना सौंपी है। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान केन्द्र ने लक्षण-वर्णन व अनुरक्षण प्रजनन के लिए पॉपलस डेल्टॉइडिस गण की 15 प्रजातियों की पहचान की है और इसकी प्रगति निम्नानुसार है :

#### सारणी-61: अनुरक्षण प्रजनन/लक्षण-वर्णन की प्रगति

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	किस्मों का नाम	स्रोत (स्वयं जारी की गई/भा.कृ.अ.प./एस ए यू)
पॉपुलस डेल्टॉइडिस	15	एल 6105, एल 30/06, 621/84, (उत्तराखण्ड विभाग) एस7 सी15, सी8, 22, डब्ल्यूएसएल 39 (विम्को सीडिलिंग्स रुद्रपुर, यूके 5503, 5503, एल 200/86 (टीआईजीआर विभाग, यूएचएफ, नौनी) पीएल-3, पीएल-6, पीएल-7 (वानिकी विभाग, पीएयू लुधाना)	राज्य कृषि विश्वविद्यालय, वन विभाग, विम्को

#### 4.1.27 हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान (एचएफआरआई), शिमला (चीड़ और देवदार)



संस्थान को 'पाइनस रॉक्सबर्गी' और सैइंस ड्यूडारा, 2 शीतोष्ण इमारती लकड़ी वन प्रजातियों के लिए डीयूएस दिशानिर्देश विकसित करने हेतु डीयूएस विवरणों का सत्यापन' शीर्षक की परियोजना सौंपी गई है। रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान कार्यबल की नई दिल्ली में बैठक हुई तथा दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय राज्यों की जनसंख्याओं के अनुशंसाओं के अनुसार सर्वेक्षण किए गए। दक्षिण भारत में पाई जाने वाली प्रजातियों नामतः पाइनस पैटुला, पी. कैरिबैर्ड, पी. केसिया, पी. पिनास्टर, पी. केसिया हैं। पी. रॉक्सबर्गी और सी. ड्यूडारा की कोई जनसंख्या नहीं पाई गई। उत्तर भारतीय राज्यों में पी. रॉक्सबर्गी को सिक्किम में साल के सात मिश्रित रूप में तथा अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कैमिंग जिले में दीरांग (मुन्ना कैम्प) में शुद्ध फसल के रूप में पाया गया। वृक्षों की वृद्धि मध्यम थी तथा इनकी छाल विकनी थी। इनकी सुइयां हल्के हरे रंग की थीं जिन पर गोल ताज लगा हुआ था। चुनी हुई जनसंख्याओं का उपज मूल्यांकन किया गया और इसके साथ ही काष्ठ की गुणवत्ता का भी मूल्यांकन किया गया। उपोव में उपलब्ध डीयूएस दिशानिर्देशों को संदर्भ के रूप में लेते हुए उपरोक्त वर्णित वृक्षों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।



#### 4.1.28 वर्षा वन अनुसंधान संस्थान (आरएफआरआई), जोरहट (बांस)

रिपोर्टर्डीन वर्ष के दौरान इस संस्थान ने बैम्बूसा बालकुआ और डैंड्रोकैलेमस हैमिलटोनी के डीयूएस विवरणों का विकास तथा विविधता संबंधी अध्ययन' परियोजना के अंतर्गत बैम्बूसा बालकुआ और डैंड्रोकैलेमस हैमिलटोनी के लिए डीयूएस विवरणों की पहचान करते हुए उन्हें अंतिम रूप दिया है। इस परियोजना के निम्नलिखित

उद्देश्य हैं :

- डीयूएस विवरणों के विकास हेतु बैम्बूसा बालकुआ और डैंड्रोकैलेमस हैमिलटोनी के आकृतिविज्ञानी विशिष्ट गुणों का प्रलेखन
- बैम्बूसा और डैंड्रोकैलेमस प्रजातियों के जननद्रव्य बैंक की स्थापना
- चुनी हुई प्रविष्टियों के प्रलेखित गुणों के डेटाबेस का विकास

डॉ. एन.बी. सिंह, निदेशक (विस्तार), डॉ. वाई.एस. परमार, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन की अध्यक्षता में दोनों प्रजातियों के डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्य बल का गठन किया गया। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय से पिछले वर्षों के दौरान विभिन्न स्थानों से जननद्रव्य/प्रविष्टियां एकत्र की गई। बी. बालकुआ और डी. हैमिलटोनी के जननद्रव्य का सर्वेक्षण व संकलन उत्तर-पूर्वी भारत के बांस उगाने वाले क्षेत्रों से हाकेस (1980) द्वारा वर्णित दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया। मई-जून 2013 में दोनों प्रजातियों के लिए आरएफआरआई परिसर में जननद्रव्य बैंक स्थापित किया गया। बी. बालकुआ के 13 तथा डी. हैमिलटोनी के 8 वृक्ष रोपे गए। किसानों के खेतों, घरेलू उद्यानों/गृह वाटिकाओं तथा उत्तर पूर्वी भौगोलिक आंकड़ों नामतः ऊंचाई, अक्षांश और दशांतर के संदर्भ में विभिन्न स्थानों पर वन्य आवासों से भी नमूने एकत्र किए गए तथा संबंधित आंकड़े रिकॉर्ड किए गए।

#### सारणी-62: सर्वेक्षित जननद्रव्य/प्रविष्टियों की प्रगति

विवरण	कुल प्रविष्टियों की सं.	असम	मेघालय	अरुणाचल प्रदेश	नागालैंड	मणिपुर
डी. हैमिलटोनी	27	10	5	5	5	2
बी. बालकुआ	26	23		2	1	

बैम्बूसा बालकुआ और डैंड्रोकैलेमस हैमिलटोनी पर डीयूएस विवरणों का विकास तथा विविधता संबंधी अध्ययनों शीर्षक की परियोजना के अंतर्गत डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का मूल्यांकन करने व उन्हें अंतिम रूप देने के साथ-साथ बांस और डैंड्रोकैलेमस की किस्मों को पंजीकृत करने के लिए एक तकनीकी परामर्श समिति गठित की गई

है जो वैश्विक सूचना का अध्ययन करते हुए उस आधार का पता लगाएगी जिस पर भारत में इन पौधों की किस्मों को पंजीकृत कराया जा सकेगा।

#### 4.1.29 वन महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान (कृषकआरआई), तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, मेटुपालयम

‘नीम, करंज और रतनजोत की वृक्ष प्रजातियों के लिए डीयूएस विवरणों व परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास’ परियोजना के अंतर्गत संस्थान ने सभी तीनों प्रजातियों में डीयूएस विवरणों की पहचान करके उनका सत्यापन किया है तथा डीयूएस दिशानिर्देशों को भी अंतिम रूप दिया है। परियोजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- रतनजोत के लिए डीयूएस विवरणों का विकास
- नीम, करंज, रतनजोत के लिए विकसित विवरणों का लक्षण—वर्णन तथा अतिरिक्त विवरणों का विकास
- लक्षित वृक्ष प्रजातियों के लिए संदर्भ संकलन का विकास
- डीयूएस परीक्षण के लिए दिशानिर्देशों के मसौदे का विकास


वैश्विक सूचना की छंटाई करते हुए नीम, करंज और जैट्रोफा की किस्मों का पंजीकरण कराने व डीयूएस दिशानिर्देशों के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए डॉ. बी. गुरदेव सिंह, अध्यक्ष, आनुवंशिक वृक्ष प्रजनन, आईएफजीटीबी की अध्यक्षता में एक कार्यबल सहित पांच सदस्यों युक्त एक तकनीकी परामर्श समूह का गठन किया गया जो डीयूएस दिशानिर्देश के मसौदे को अंतिम रूप देगा। नीम में किस्मों के समूहीकरण के लिए 6 विवरणों की पहचान की गई है जबकि रतनजोत में 31 विवरणों की और करंज में 20 विवरणों की पहचान किस्मों के समूहीकरण के लिए की गई है। सभी तीनों वन्य प्रजातियों के पहचाने गए विशेषकों के आधार पर दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया गया है जिस पर कार्यबल की बैठक में चर्चा करने के बाद उसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

#### 4.1.30 वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान (आईएफजीटीबी), कोयम्बत्तूर (टैक्टोना और मेलिया)

‘देसी वन वृक्ष प्रजातियों (टैक्टोना ग्रेंडिस और मेलिया द्रूबिया) के लिए विवरणों तथा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास व फील्ड जीन बैंक की स्थापना’ के अंतर्गत इस संस्थान को वन वृक्ष प्रजातियों के डीयूएस दिशानिर्देश विकसित करने के अलावा निम्नलिखित उद्देश्यों से

उपरोक्त वर्णित वृक्ष प्रजातियों का फील्ड जीनबैंक स्थापित करने का अधिदेश दिया गया है :

- सागौन तथा मेलिया के विशिष्ट और अनूठे गुणों की पहचान के लिए विभिन्न जनसंख्याओं/क्लोनों के वृक्ष के आकृतिविज्ञानी गुणों का अध्ययन।
- सागौन और मेलिया में विभिन्न स्थानों/वर्षों के दौरान स्थायी गुणों की पहचान
- संदर्भ संकलन के रूप में विभिन्न जनसंख्याओं/क्लोनों के साथ सागौन और मेलिया के जननद्रव्य बैंक की स्थापना।



Variations in fruit characters



सागौन के डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए बीज उत्पादन क्षेत्र (एसपीए) तथा स्थायी परिरक्षण प्लॉट (पीपीपी), केरल का दौरा किया गया। संकरणकोडे में एसपीए तथा कोनली, नीलमबुर में पीपीपी में सागौन के वृक्षों के कुछ सबसे पुराने प्लॉट हैं। वृक्ष के विभिन्न गुणों पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। तमिल नाडु में चेंगमपल्ली और पेरमनलुर में सागौन के वृक्ष वाले क्षेत्रों का दौरा किया गया। चेरूपुजा, नेलीकुथा और पेरम्बीकुलम में भी प्राकृतिक रूप से लगे तथा रोपे गए सागौन के वृक्षों को देखा गया। दौरे के दौरान टॉप स्लिप, तमिल नाडु और वालयार, केरल में

सागौन के क्लोन बीज उद्यान का भी भ्रमण किया गया। सागौन के प्राकृतिक रूप से उगे तथा रोपे गए वृक्षों पर किए गए अध्ययनों से यह पाया गया कि पौधों में पत्तियों, छाल, पुष्प तथा फल संबंधी गुण निम्न थे। जबकि प्राकृतिक जनसंख्याओं में कुछ विविधता पाई गई। वृक्ष के तने के स्वरूप, पत्तियों, शाखन संबंधी स्वभाव तथा प्रजनन संबंधी गुणों को विभेदनशील गुण पाया गया। मैलिया दुबिया के मामले में डीयूएस विवरण व डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित करने के लिए प्राथमिक अध्ययन किए गए। पत्ती, तने, छाल व प्रजनन संरचनाओं के आकृति विज्ञानी गुणों में विविधताओं का अध्ययन किया गया। चुने हुए आकृतिविज्ञानी गुणों की समरूपता व स्थायित्व के मात्रात्मक निर्धारण के लिए क्लोनीय परीक्षण भी किए गए।

## सागौन



सागौन के प्राकृतिक व रोपे गए वृक्षों के अध्ययन से वृक्षों में पत्ती, छाल, पुष्प व फल संबंधी सभी गुणों के मामले में विविधता कम पाई गई। प्राकृतिक जनसंख्याओं में कुछ विविधता अवश्य देखी गई। इसके अलावा सागौन के प्राकृतिक



चित्र : वृक्ष के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में पत्ती की आकृति

वृक्षों वाला क्षेत्र कम और छोटे-छोटे टुकड़ों में था। तथापि, तमिल नाडु और केरल में मौजूद प्राकृतिक वनों में डीयूएस गुणों व क्लोनीय विशेषताओं की पहचान के लिए अध्ययन किए गए। वृक्ष तने के स्वरूप, पत्तियों, शाखन स्वभावों और प्रजनन गुणों को विभेदनशील गुण पाया गया।

### 4.1.31 डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन (बल्ला)

प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय के वृक्ष सुधार एवं आनुवंशिक संसाधन विभाग को 'बल्ला जननद्रव्य के क्लोनीय बैंक (नर्सरी) की स्थापना और डीयूएस विशिष्ट लक्षण-वर्णन' शीर्षक की एक अन्य परियोजना सौंपी है जिसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- विश्वविद्यालय के प्रायोगिक क्षेत्र में बल्ला के क्लोनों के क्लोन बैंक की स्थापना
- डीयूएस दिशानिर्देश विकसित करने के लिए बल्ला के उपयुक्त डीयूएस विशिष्ट विवरणों की पहचान
- चुने हुए जननद्रव्य में आण्विक प्रोफाइलिंग

रिपोर्टार्धीन अवधि के दौरान विभिन्न देशों से पर्याप्त जीनप्ररूप / क्लोन खरीदकर नोडल केन्द्र में उपलब्ध कराए गए तथा नियंत्रित प्रजनन व चयन के माध्यम से नया संकर विकसित किया गया।

## चारा फसलें

### 4.1.32 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना (जई, लोबिया और गिनी घास)

पीएयू लुधियाना 'जई, लोबिया तथा गिनी घास के लिए डीयूएस परीक्षण करने हेतु दिशानिर्देशों के विकास' शीर्षक की परियोजना के अंतर्गत गिनी घास के लिए सह-नोडल केन्द्र है। इसके अलावा आईजीएफआरआई, झांसी और जीबीपीयूए और टी, पंतनगर भी इसके सह-नोडल केन्द्र हैं। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य गिनी घास पर डीयूएस परीक्षण के लिए कृषि-आकृति विज्ञानी गुणों की पहचान, डीयूएस विवरणों के सत्यापन के साथ-साथ संदर्भ/उदाहरण किस्मों/वंशक्रमों का विकास, समूहीकरण, गुणों की क्रियाविधियों का विकास व उनकी पहचान। गिनी घास के मामले में रिपोर्टार्धीन वर्ष के दौरान पीएयू द्वारा की गई प्रगति के संबंध में यह रिपोर्ट किया जा सकता है कि 25 से अधिक डीयूएस विशेषकों/कृषि-आकृतिविज्ञानी गुणों की गिनी घास प्रस्तुपों के लक्षण-वर्णन के लिए पहचान की गई है। इन प्यूटेटिव विशेषकों का उपयोग 22 उपलब्ध

जननद्रव्य वंशक्रमों में डीयूएस परीक्षण के लिए किया गया। गिनी घास के आठ जीनप्ररूप नामतः बीजी-1, बीजी-2, बीजी-4, हैमिल, हरिता श्री, सीओ 1, सीओ 2, सीओ 3 जो राष्ट्रीय जीन विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं, को डीयूएस लक्षण-वर्णन के लिए प्रत्याशी जीनप्ररूपों के रूप में चुना गया। संदर्भ जीनप्ररूपों के लिए रोपण सामग्री (जड़दार कलमें) आईजीएफआरआई, झांसी से प्राप्त की गई हैं तथा इनका प्रतिकृत परीक्षण में और मूल्यांकन के लिए इन्हें प्रगुणित किया जा रहा है।


**सारणी-63:** वर्ष 2013-14 के दौरान अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत गिनी घास के जीनप्ररूपों की प्रगति

फसल	सं.	किस्मों का नाम अथवा सं.
गिनी घास	22	पीजीजी 518, पीजीजी 616, पीजीजी 669, पीजीजी 641, पीजीजी 14, पीजीजी 702, पीजीजी 101, पीजीजी 9, पीजीजी 19, पीजीजी 35, पीजीजी 617, पीजीजी 638, पीजीजी 618, पीजीजी 620, पीजीजी 664, पीजीजी 655, पीजीजी 692, पीजीजी 549, पीजीजी 722, पीजीजी 654, पीजीजी 729, पीजीजी 710


#### 4.1.33 गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जीबीपीयू ए और टी), पंतनगर

'जई तथा लोबिया के लिए डीयूएस परीक्षण हेतु दिशानिर्देशों का विकास' शीर्षक की परियोजना के अंतर्गत जीबीपीयू और टी पंतनगर को सह-नोडल के केन्द्र के रूप में तथा आईजीएफआरआई को नोडल केन्द्र के रूप में निर्धारित किया गया है। खरीफ 2013 के दौरान लोबिया की जारी की गई 28 किस्मों का आईजीएफआरआई में इस परियोजना के नोडल केन्द्र के साथ परामर्श करते हुए विभिन्न गुणों के संदर्भ में मूल्यांकन और लक्षण-वर्णन किया गया। यह कार्य आईबीजीआर, रोम, इटली द्वारा प्रकाशित लोबिया के विवरणों के आधार पर किया गया। इन किस्मों को उप पत्ती की आकृति के अनुसार चार समूहों में वर्गीकृत किया गया, नामतः ग्लोबोस (9), सब-ग्लोबोस (14), सब-हेस्टेट (1) और हेस्टेट (4); इसी प्रकार पुष्पन के समय के आधार पर नामतः अगेती (6), मध्यम (19) और पछेती (3); पुष्प के रंग नामतः सफेद (5), हल्का लालामीपन लिए हुए बैंगनी (9), मध्यम लालामीपन लिए हुए बैंगनी (6) और बैंगनी (4); फली पर एंथोसियानिन रंग नामतः उपस्थित (2) और अनुपस्थित (26)। इसी प्रकार, जई की 23 किस्मों का रबी

2013-14 के दौरान मूल्यांकन किया गया और उन्हें पादप वृद्धि के अगेती स्वभाव के आधार पर तीन समूहों, नामतः सीधी (3), अर्ध-बाहर निकली हुई (18), बाहर निकली हुई (2); 50 प्रतिशत पुष्पगुच्छ निकलने के दिन नामतः बहुत अगेती (2), अगेती (6), मध्यम (14), पछेती (1), अति पछेती (शून्य); पुष्पगुच्छ शाखाओं का अभिमुखन नामतः एक पार्श्वी (7), अर्ध-एक पार्श्वीय (4) और समपार्श्वीय (12); पौधे की ऊंचाई नामतः छोटा (2), मझोला (3), लंबा (12) और अति लंबा (6) समूहों में समूहीकृत किया गया।



#### 4.1.34 भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (आईजीएफआरआई), झांसी



आईजीएफआरआई, झांसी को नोडल केन्द्र के रूप में तथा जीबीपीयू ए और टी, पंतनगर तथा पीएयू लुधियाना को

सह-नोडल केन्द्र के रूप में 'जई, लोबिया और गिनी घास के डीयूएस परीक्षण करने हेतु दिशानिर्देश विकसित करने' शीर्षक की परियोजना सौंपी गई है। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान जई की जारी की गई और पहचानी गई 27 किस्मों का देश के विभिन्न कृषि-जलवायु वाले अंचलों के लिए, 40 गुणात्मक/मात्रात्मक विशेषकों का प्रस्तावित विवरण उपयोग करते हुए लक्षण-वर्णन किया गया। जो पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए उनमें शामिल हैं : 6 पूर्व पुष्पन अवस्था पर, 16 पुष्पन अवस्था पर, 10 परिपक्व अवस्था पर और 7 कटाई उपरांत अवस्था पर। देखे गए पर्यवेक्षणों में से 5 मात्रात्मक थे और शेष या तो मात्रात्मक थे या प्रकृति में छदम मात्रात्मक थे। तने के ठोसपन, तने के रंग, कणिकियों की प्रवृत्ति, शूक की आकृति को छोड़कर जहां कहीं भी सभी किस्मों में समान अभिव्यक्ति थी, वहां गुणों की अभिव्यक्ति में व्यापक विभिन्नता भी रिकॉर्ड की गई। विभिन्न गुणों की अभिव्यक्ति के लिए संदर्भ किस्मों की पहचान की गई तथा किस्मों का समूहीकरण मुख्य तने पर



गांठों की संख्या, पुष्पगुच्छ अभिमुखन, पौधे की ऊंचाई के साथ-साथ पुष्पगुच्छ की शाखाओं की प्रवृत्ति और प्राथमिक दाना आधार पर रोमिलता के अनुसार किया गया और इन गुणों को सर्वाधिक उपयोगी पाया गया। बाद के दो वर्षों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

#### सारणी-64: जई की संदर्भ किस्में

जे-एचओ – 822	जे-एचओ 99–2	एच-एफओ – 114
कैंट	आरओ – 19	जे-एचओ 2001–3
ओ-एस – 7	पी-एलपी – 1	एच जे – 8
यूपीओ – 94	जे-ओ – 1	ओ-एस – 346
जे-एचओ – 851	एनडीओ – 1	एस-के-ओ – 20
ओ-एस – 6	जे-एचओ – 2004	जे-एचओ 99–1
यूपीओ – 212	जे-ओ – 03–93	जे-ओ – 03–91
ओ-एल – 125	एस-के-ओ – 96	एस-के-ओ – 90
साबजार	एनडीओ – 2	ओ-एल – 9

लोबिया में 28 किस्में जिनमें से 6 सब्जी प्रकार की थीं, 20 चारा प्रकार की और 2 अनाज प्रकार की थीं, का लक्षण-वर्णन लोबिया में डीयूएस परीक्षण करने के लिए दिशानिर्देशों के विकास हेतु अनंतिम विवरणों का उपयोग करके किया गया। विवरणों में 24 मात्रात्मक और गुणात्मक विशेषताएं शामिल थीं। अधिकांश किस्में विवरणों का उपयोग करके विशिष्ट बनाई जा सकी तथा गुणों में प्रत्येक की एकांतरिक अभिव्यक्ति के लिए संदर्भ किस्मों की पहचान की गई। पुष्प के रंग, फली की लंबाई, फली की ऐंठन, फली का एंथोसियानिन रंग, बीज की आकृति और बीज का रंग के आधार पर किस्मों का समूहीकरण सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत हुआ। तथापि, समूहीकरण संबंधी अंतिम विशेषताएं तथा दिशानिर्देश पंतनगर और झांसी में दो और वर्षों के दौरान सत्यापन करने के बाद विकसित की जाएंगी।



#### सारणी-65: लोबिया की संदर्भ किस्में

1	यूपीओ – 607	15	सी-एल – 367
2	काशी निधि	16	पंत लोबिया – 1
3	काशी सुधा	17	यूपीसी – 287
4	काशी गौरी	18	सी 74
5	काशी श्यामल	19	यूपीसी – 5286
6	सी – 88	20	यूपीसी – 4200
7	काशी उन्नति	21	यूपीसी – 625
8	यूपीसी – 9202	22	यूपीसी – 622
9	यूपीसी – 628	23	यूपीसी – 618
10	काशी कंचन	24	बी-एल – 1
11	यूपीसी – 621	25	आई-एल – 1177
12	पंत लोबिया – 2	26	बी-एल – 2

13	यूपीसी – 5287	27	कोहिनूर
14	यूपीसी – 8705	28	ईसी – 4216

#### 4.2 पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी)



नव—गठित पीएसी की पहली बैठक 19 फरवरी 2014 को एनएससी परिसर, नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस समिति में डॉ. एम.बी. चेटटी, विस्तार निदेशक, यूएस, धारवाड़; डॉ. एस.जे. पाटिल, अध्यक्ष, कृषि वानिकी, यूएस, धारवाड़; डॉ. जे.एस. चौहान, सहायक महानिदेशक, बीज, भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली और प्राधिकरण के तीनों पंजीकार व दोनों संयुक्त पंजीकार हैं। इस बैठक में अध्यक्ष तथा महा पंजीकार ने भी भाग लिया। नौ परियोजना प्रस्तावों में से पीएसी ने 6 परियोजनाओं को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की तथा 5 परियोजनाओं की निधि प्रदान के लिए अनुशंसा की जबकि एक परियोजना को संशोधन व पुनर्विचार के लिए लंबित रखा। शेष 3 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं दी गई।

## 5. भारतीय पौधा किस्म जरनल, पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर तथा प्राधिकरण के प्रकाशन

पीपीवी और एफआर नियमावली, 2003 के नियम 2(g) के अनुसार प्राधिकरण हिन्दी और अंग्रेजी में एक द्विभाषी प्रकाशन 'भारतीय पौधा किस्म जरनल' अपने अधिकारिक जरनल के रूप में प्रति माह प्रकाशित करता है तथा प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस पर अपनी वैबसाइट पर जन-सामान्य को उपलब्ध कराने के साथ-साथ इसकी हॉर्ड कॉपी भी प्रकाशित करता है। इस जरनल को विनियम, 2006 के अंतर्गत राजपत्र का दर्जा प्राप्त है। जरनल की विषय-वस्तु में सरकारी और सार्वजनिक सूचनाएं, पौधों किस्मों के पासपोर्ट आंकड़े, फसल प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश, पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के विवरण तथा अन्य संबंधित मामले शामिल हैं।



### 5.1 पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 13 के अनुपालन में मुख्यालय में पौधा किस्मों की रजिस्ट्री के लिए पौधा किस्मों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर खोला है। इसमें सभी पंजीकृत पौधा किस्मों के नामों के अलावा संबंधित प्रजनकों के नाम और पत्तों, किस्म के नाम, विशिष्टताओं, विशेष गुणों आदि का पूर्ण विवरण दर्ज किया जाता है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान 330 किस्मों जिनमें 60 नई किस्में, 148 विद्यमान अधिसूचित

किस्में, 46 विद्यमान वीसीके और 76 कृषक किस्में शामिल हैं, जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। इनकी प्रविष्टि करते हुए रजिस्टर को पूरा किया गया है। मुख्यालय में रखे जा रहे पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर की एक प्रति गुवाहाटी तथा रांची स्थित शाखा कार्यालयों को भी उपलब्ध कराई गई है।

### 5.2 प्राधिकरण के प्रकाशन

भारतीय पौधा किस्म जरनल को नियमित रूप से प्रकाशित करने के अलावा प्राधिकरण द्वारा 'पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001', 'प्राय पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू) तथा 'कृषकों के अधिकार' नामक प्रकाशन प्रकाशित किए गए जिन्हें बाद में अनेक बैठकों, प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में जारी किया गया। अन्य बॉशर और पोस्टर, वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य प्रकाशन भी प्राधिकरण द्वारा अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी निकाले गए। प्राधिकरण की द्विभाषी वैबसाइट भी है। प्राधिकरण द्वारा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश नियमित रूप से हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित किए गए। वर्तमान वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने लगभग 12 फसल विशिष्ट डीयूएस दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं और इन्हें अधिसूचना हेतु कृषि एवं सहकारिता विभाग को भेजा है। ये फसल प्रजातियां फलों, अनाजों, मसालों व पेय पदार्थों की हैं। हिन्दी में प्राप्त पत्रों तथा शासकीय पत्राचारों के उत्तर हिन्दी में दिए गए। प्राधिकरण के अधिकारियों ने श्रोताओं/अवसर की आवश्यकता के अनुसार हिन्दी व अंग्रेजी में व्याख्यान भी दिए। लेकिन इनमें से वानिकी, खीरा-ककड़ी, पुष्पों और फलों से संबंधित केवल 9 डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश ही प्रकाशित हुए हैं।

प्राधिकरण ने अपने पूर्व प्रकाशनों नामतः एग्रो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन इंडिया (कंजर्वेशन एंड बैनिफिट शेयरिंग - 2 खंडों में) जो डॉ. एम.पी. नायर, डॉ. ए.के.सिंह और डॉ. के. नारायणन नायर द्वारा प्रकाशित किया गया था, को 'कल्टीवेटिड प्लांट्स एंड देयर वाइल्ड रिलेटेक्स इन इंडिया - एन इन्वेंटरी' शीर्षक से संशोधित करके प्रकाशित किया है जिसका संकलन डॉ. ए.के. सिंह,

डॉ. आर.एस. राणा, डॉ. भागमल, डॉ. ब्रह्मा सिंह और डॉ. अग्रवाल ने किया है। प्राधिकरण द्वारा एक अन्य प्रकाशन भी निकाला गया जिसका शीर्षक है : ‘**कम्पेंडियम ऑफ वैरायटीज रजिस्टर्ड अंडर पीपीवी इंड एफआर एक्ट, 2001 (खंड 01, 2009–2012)**’। दोनों प्रकाशनों का विमोचन 22 मई 2013 को आयोजित पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार समारोह के अवसर पर किया गया।

### 5.3 पुस्तकालय

प्राधिकरण में स्टाफ/कर्मचारियों के संदर्भ के लिए एक पुस्तकालय है। इसमें 31 मार्च 2014 तक विभिन्न विषयों पर 652 पुस्तकें (हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में) हैं जो

सामान्य कृषि, बागवानी, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों, पादप प्रजनन, जैव-विविधता संरक्षण आनुवंशिकी, बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के नियमों व विनियमों, कानूनी मामलों आदि से संबंधित हैं। यह पुस्तकालय कृषि, विधिक तथा प्रशासनिक जर्नलों के लिए भी अंशदान देता है। पुस्तकालय में सामान्य तथा फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों, पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों के दिशानिर्देशों, आवेदन—पत्रों के प्ररूपों, कृषि जैव-विविधता के हॉट—स्पॉट व कृषकों के अधिकारों पर जागरूकता सृजन से संबंधित 69 प्रकाशन भी मौजूद हैं। प्राधिकरण के कुछ प्रकाशन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैं।

# 6. डेटाबेस, इंडस, नॉर्व तथा वेबसाइट का विकास

## 6.1 डेटाबेस

डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डीयूएस दिशानिर्देशों (इंडस) के अनुसार भारतीय सूचना प्रणाली तथा भारत की अधिसूचित व जारी किस्मों (नॉर्व) नामक सॉफ्टवेयरों का विकास किया गया तथा प्राधिकरण अधिकांश समान संदर्भ किस्मों के चयन, नामों के सत्यापन तथा अधिसूचना संबंधी विवरण के लिए इन डेटाबेसों का रखरखाव कर रहा है। नॉर्व में केन्द्रीय किस्म निर्मुक्त समिति (सीवीआरसी), कृषि अनुसंधान संस्थानों व राज्य कृषि/बागवानी विभाग का विवरण मौजूद है तथा इसका उपयोग मुख्यतः विद्यमान अधिसूचित श्रेणी के अंतर्गत दावा की गई किस्मों के विवरण के सत्यापन के लिए किया जाता है।

## 6.2 वेबसाइट



प्राधिकरण की वेबसाइट [www.plantauthority.gov.in](http://www.plantauthority.gov.in) पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इस वेबसाइट में

पौधा किस्म रजिस्ट्री से संबंधित सूचना है जिसमें पंजीकरण प्रक्रिया, पंजीकरण हेतु पात्र फसल प्रजातियों की सूची, फसल डीयूएस दिशानिर्देश, डीयूएस दिशानिर्देशों का मसौदा, डीयूएस केन्द्रों की सूची, शुल्क, फार्म, बीज/रोपण सामग्री संबंधी अपेक्षाएं, आवेदनों की स्थिति, राजपत्र अधिसूचना, पौधा किस्म जरनल संबंधी सूचना भी शामिल है। इस वेबसाइट के होम पेज में प्राधिकरण के सदस्यों, पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 का विहंगम दृश्य, हाल के प्रकाशन, महत्वपूर्ण निर्णय, प्राधिकरण के समाचार, वीडियो फिल्में, फोटोपीडिया, रिक्त पद, घोषणाएं, निविदाएं व अन्य सूचना भी मौजूद है। यह अद्यतन सूचना को निरंतर शामिल करता रहता है।


## 6.3 प्राधिकरण के पोर्टल का विकास



अनेक विशेषताएं जो वेबसाइट को मैत्रीपूर्ण एवं परस्पर संवादात्मक बनाने के लिए आवश्यक हैं वर्तमान वेबसाइट में उपलब्ध नहीं हैं जिससे प्रभावी और गतिशील आंकड़ा प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त गुणों को शामिल करने के लिए एनआईसीएसआई के पैनल में मौजूद फर्म मैसर्स सहारा नेक्स्ट प्राधिकरण का वेब पोर्टल

विकसित कर रही है। प्राधिकरण के वेबपोर्टल में डिज़ाइन फीचरों जैसे एक्सएचटीएमएल और सीएसएस कम्पलेंट, ऑटो जेनरेटिड मैन्यू थीम आधारित उपयोगकर्ता लॉगिन, कंटेट एडिटरों से सुरक्षित डिज़ाइन, एक पृष्ठ पर अनेक विषय-वस्तु क्षेत्र, विषय-वस्तु की गतिशील खोज की सुविधाएं, पोल, पिक्चर एल्बम, थम्ब नेल, समाचार तथा अन्य फीचर होंगे। इसमें फेंडली यूआरएल के सर्च इंजन ऑप्टीमाइजेशन का उपयोग होगा जिससे प्राधिकरण के बारे में और अधिक जागरूकता सृजित होगी। पोर्टल शीट में फसल दिशानिर्देश, छाया अनुरक्षण, यूजर लॉगिंग के प्रावधान, ई-जरनल, डाउनलोड आदि भी होंगे। आरएसएस फीड से अन्य वैबसाइटों से भी वास्तविक समय में एक साथ सम्पर्क स्थापित किया जा सकेगा। इसमें भी द्विभाषी अंकड़ा समुच्चयन व पीवीआईएस के साथ समेकन होगा। अनुप्रयोग के विकसित होने से पीएचपी, ड्रूपल, माइ एसक्यूएल, अपाचे, एचटीएमएल और लाइनेक्स का भी उपयोग किया जा सकेगा। इस पोर्टल का प्रोटोटोटाइप टैस्ट सर्वर पर लोड किया जा चुका है और एनआईसी सर्वर पर इसके कार्यान्वयन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है।


#### 6.4 पंजीकरण हेतु ऑन लाइन आवेदन दाखिल करना




प्राधिकरण द्वारा पौधा किस्मों का पंजीकरण 2007 में 12 फसल प्रजातियों के साथ आरंभ किया गया था जो अब

79 फसल प्रजातियों के लिए लागू हो गया है। प्राधिकरण आवेदकों द्वारा दाखिल किए गए आवेदनों को निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त करता है (शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा कराया जाता है)। यह शुल्क या तो दस्ती तौर पर या डाक सेवाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। पौधा किस्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए ऑन-लाइन आवेदन प्रस्तुत करने व शुल्क की अदायगी करने से आवेदकों को प्राधिकरण में ऑन-लाइन आवेदन दाखिल करने में सुविधा होगी तथा वे शुल्क की अदायगी भी 'पेमेंट गेटवे' के माध्यम से कर सकेंगे जो डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से की जा सकेगी। कंपनी द्वारा ऑन लाइन प्रणाली में बग फिक्स किए जा रहे हैं।

#### 6.5 पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर डिजिटल स्वरूप में



पंजीकृत किस्मों का डेटाबेस पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में एक रजिस्टर में रखा जाता है जिसे पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर कहा गया है, जैसा कि अध्याय 5 के पैरा 5.1 में उल्लिखित है। यही डेटाबेस डिजिटल स्वरूप में ई-राष्ट्रीय रजिस्टर में भी रखा जाता है। इस साप्टवेयर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति पंजीकरण संख्या, फसल का नाम खोज सकता है तथा रिपोर्ट तैयार कर सकता है। इसमें अनेक महत्वपूर्ण प्रविष्टियां हैं जैसे पंजीकरण संख्या, प्रजनक की राष्ट्रीयता, पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने की तिथि, प्रदान किए गए नाम, राजपत्र अधिसूचना की तिथि, किस्म को विशिष्ट बनाने के अनिवार्य गुण आदि शामिल हैं। इस सॉफ्टवेयर में डेटा बैकअप को किसी भी बाहरी भंडारण युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है।



## 6.6 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

स्कैन किए गए फाइलों की सूचना प्राप्त करने के लिए प्रलेख प्रबंध प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली से किसी विषय-वस्तु को सुचारू ढंग से, विषय-वस्तु का प्रकार चाहे कोई भी हो, भंडारित करने, प्रबंध करने, प्राप्त करने व वितरित करने में सहायता मिलती है। हमने विभिन्न फाइलों को वर्गीकृत किया है और उनकी भूमिकाओं के आधार पर विभिन्न उपयोगकर्ताओं को उन तक पहुंचने की सुविधा प्रदान की है।

प्राधिकरण की वैबसाइट में एक अलग भाग तैयार किया गया है जो रजिस्टरी से संबंधित है और जिसमें निम्नलिखित हैं –

- पंजीकरण की प्रक्रिया
- 79 फसलों/प्रजातियों के लिए खुले पंजीकरण की सूची
- फसल डीयूएस दिशानिर्देश
- डीयूएस दिशानिर्देशों का मसौदा
- डीयूएस केन्द्रों की सूची
- शुल्क का विवरण
- फार्म, बीज/रोपण सामग्री की आवश्यकता
- आवेदन की स्थिति
- महत्वपूर्ण राजपत्र अधिसूचनाएं
- पौधा किस्म जरनल

उपयोगकर्ताओं द्वारा वांछित विभिन्न फार्म भी वैबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है और जिनकी सूची अनुबंध IX में दी गई है।

हम नियमित आधार पर अपनी निविदाओं की प्रति भारत सरकार निविदा सूचना प्रणाली (<http://tenders.gov.in>) पर प्रस्तुत करते हैं, सामान्य पूल रिहायशी आवास की स्थिति को अद्यतन करते हैं (<http://gpra.nic.in>), आरटीआई की तिमाही रिपोर्ट (<http://cic.gov.in>), नई पेंशन प्रणाली योगदानों की लेखा प्रणाली (<https://npscan-cra.com/CRA/>) भारत सरकार निगरानी प्रणाली में पदों और सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों के अभ्यावेदनों (<http://www.rrcps.nic.in/>) को भी अद्यतन करते रहते हैं। प्राधिकरण में पंजीकृत किस्मों का ई-राष्ट्रीय रजिस्टर भी मौजूद है जिसका नियमित रखरखाव किया जाता है।



# 7. विधायी कोष्ठ और आरटीआई से संबंधित मामले

## 7.1 विधायी कोष्ठ

प्राधिकरण के विधायी कोष्ठ ने प्राधिकरण के विरुद्ध दायर किए गए मुकदमों की सफल पैरवी की है। रजिस्ट्री तथा प्राधिकरण के सम्मुख अर्ध न्यायिक कार्यवाहियों के मामले में कानूनी राय दी गई तथा दैनिक आदेश शीटें संबंधित पक्षों को शीघ्रता से डिस्पैच की गई। रिपोर्टरीन अवधि के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा पारित किए गए किसी भी आदेश को निरस्त नहीं किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 7 जनवरी 2014 के आदेश द्वारा एसएलपी सं. 13167 / 2012, 13276 / 2012, 13286 / 2012 और 13289 / 2012 का निपटारा किया गया तथा चार मुकदमों को माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को हस्तांतरित किया गया।

रिपोर्टरीन अवधि के दौरान प्राधिकरण के विरुद्ध 33 मामले लम्बित थे जिसमें से 4 का निपटारा किया गया और 1 अप्रैल 2014 को प्राधिकरण के विरुद्ध 29 मुकदमे लंबित हैं। निर्णय के लिए लंबित मुकदमों की संख्या का फोरम के साथ विवरण निम्नानुसार है :

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण	उच्च न्यायालय	सर्वोच्च न्यायालय
4	23	2

निम्नलिखित राजपत्रित सूचनाएं प्रकाशित हुई :

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन की अधिसूचना के संबंध में राजपत्र अधिसूचना सं. एस.ओ. 1126 दिनांक 10 जून 2013

डॉ.आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की नियुक्ति के लिए अधिसूचना के संबंध में राजपत्र अधिसूचना सं. एसओ 2183 दिनांक 7 अक्टूबर 2013

## 7.2 संसदीय तथा अन्य संबंधित मामले

रिपोर्टरीन अवधि के दौरान प्राधिकरण को कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से 2 लोक सभा प्रश्न, एक तारांकित व अन्य अतारांकित प्राप्त हुए जिनके मसौदा उत्तर/सूचना मसौदा उत्तर तैयार करने के लिए भेजे गए। इसके अतिरिक्त पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों से प्राप्त अनेक मंत्रिमण्डलीय टिप्पणियों पर अभ्युक्तियां उपलब्ध कराई गईं।

## 7.3 सूचना का अधिकार (आरटीआई)

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने संबंधित व्यक्तियों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया है। नामित अधिकारियों का विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट पर आरटीआई शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) को प्रस्तुत किए जाने के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 25 (2) के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधान का अनुपालन किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान प्राधिकरण को या तो सीधे या अन्य विभागों से हस्तांतरित होकर आए कुल 28 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई थी। प्राप्त सूचना को निर्धारित समय—सीमा में उपलब्ध कराया गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या सीआईसी के पास कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है। श्री एस.डी. मिश्रा, संयुक्त पंजीकार से संबंधित एक मामले को 6 जनवरी 2014 को माननीय सूचना आयुक्त श्री शरद सब्बरवाल के समक्ष चुनौती दी गई जहां सीपीआईओ को यह निर्देश दिया गया कि श्री मिश्रा को आरटीआई के अंतर्गत उनके आवेदन के अनुसार 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराई जाए।

वांछित सूचना सीआईसी कार्यालय को सूचना देते हुए उपलब्ध कराई गई।



## 8. प्रशिक्षण—व—जागरूकता कार्यक्रम

प्रशिक्षण एवं जागरूकता प्राधिकरण का एक महत्वपूर्ण प्रमुख क्रियाकलाप है। इस अधिनियम तथा कृषक के अधिकारों पर इसके प्रावधानों के बारे में जागरूकता संबंधित पक्षों तक वांछित स्तर तक नहीं आ पाई है। प्राधिकरण को विभिन्न मंचों से निरंतर यह परामर्श दिया गया है कि सिविल सोसायटी तथा किसानों को शिक्षित करने के लिए गहन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए, ताकि संबंधित पक्षों को उनके हित में अधिनियम से संबंधित प्रावधानों की जानकारी प्राप्त हो सके। प्राधिकरण ने कृषि जैवविविधता के हॉट स्पॉटों, विशेष रूप से उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पश्चिमी घाट, बुंदेलखण्ड आदि में प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम के लिए विशेष अभियान चलाया है। डीयूएस केन्द्रों के नेटवर्क को भी इस दिशा में अपने संसाधनों का उपयोग करने का परामर्श दिया गया है, ताकि वे वहां आने वाले किसानों को इस संबंध में प्रेरित कर सकें। प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

### 8.1 जीकेवीके की समीक्ष बैठक, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएस), बंगलौर

डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआर ने अखिल भारतीय समन्वित लघु मोटे अनाज सुधार परियोजना (एआईसीएसएमआईपी) में पादप किस्मों की सुरक्षा पर एक बैठक में भाग लिया जो 19 मई 2013 को कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएस), जीकेवीके, बंगलुरु में आयोजित की गई थी। डॉ. एम.वी. चेन्नाबाबाइरे गौड़ा, परियोजना समन्वयक, एआईसीएसएमआईपी ने अपने केन्द्र में लघु मोटे अनाजों के डीयूएस विवरणों के विकास में हुई प्रगति से अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया। डॉ. हंचिनाल ने डॉ. गौड़ा को सुझाव दिया कि वे लघु मोटे अनाजों पर विशेषज्ञों तथा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उनके निष्पादन पर कृषक किस्मों के संबंध में एक पुस्तिका प्रकाशित करें। अध्यक्ष महोदय ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर राज्य स्तर के जागरूकता कार्यक्रम चलाने के संबंध में कुलपति से चर्चा भी की।

### 8.2 प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केन्द्र, उझानी, बदायूं



हयूमेना प्लूपिल टु प्लूपिल इंडिया (एचपीपीआई) द्वारा 30 मई 2013 को सेमिनार कक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, उझानी, बदायूं उत्तर प्रदेश में एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का समन्वयन श्री डी.पी. गुर्जर, परियोजना समन्वयक, एचपीपीआई ने किया। आसपास के गांवों के लगभग 120 किसानों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। डॉ. ए.के. सिंह, एसटीओ ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा 'कृषकों के अधिकार और कृषक किस्मों के पंजीकरण' तथा 'कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र भरने' पर व्याख्यान दिए। किसानों को वहीं आवेदन पत्र वितरित किए गए और उनसे यह अनुरोध किया गया कि वे आवेदन पत्र को भरने में आने वाली कठिनाइयों को आयोजकों के समक्ष रखें, ताकि उनका समाधान किया जा सके और वे आवेदन—पत्र भरने में निपुण हो सकें। प्राधिकरण द्वारा इस अवसर पर कृषकों के अधिकारों व अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर एक ब्रोशर भी वितरित किया गया। 'नुककड़ नाटक' पर एक सीड़ी तथा 'कृषि जैवविविधता', पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कारों, प्रतिदानों व सम्मानों पर एक डाकुमेंट्री भी किसानों को प्रदर्शित की गई। इसके अलावा कार्यशाला में कृषकों के अधिकारों पर वृत्तचित्र भी दिखाया गया। कृषकों के अधिकारों पर एक अन्य कार्यशाला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बांगर पुरा ब्लॉक में 27 जून 2013 को आयोजित की गई। इसमें आस—पास के 25 गांव से लगभग 100 किसानों ने भाग लिया। हयूमेना स्वयं सेवी

संगठन के स्थानीय प्रतिनिधियों श्री बाबू लाल यादव और श्री योगेश ने टिकाऊ कृषि, आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए चलाई जाने वाली खेती से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया। श्री डी. एस. मिश्रा, संयुक्त पंजीकार, पीपीवी और एफआरए ने इस कार्यशाला में भाग लिया तथा कृषकों के अधिकारों पर हिन्दी में एक प्रस्तुतीकरण दिया जिसमें किसानों को मिलने वाले लाभों का भी वर्णन किया गया। 'नुकड़ नाटक' और 'कृषि जैव-विविधता' पर प्राधिकरण के क्रियाकलापों से संबंधित एक वृत्तचित्र भी किसानों को दिखाया गया।

### 8.3 भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (एचएसआर), कोज़ीकोड़



**कृषि विज्ञान केन्द्र, वायनाड में प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम :** 'पौधा किस्म और कृषक अधिकारों की सुरक्षा पर एक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम', 9 जनवरी 2014 को प्रौद्योगिकी सप्ताह – केन्द्र के कार्स हिक्म, 2014 में आत्मा, नाबार्ड, एचएडीए और जिला के कृषि विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। उद्घाटन भाषण श्री एन.के. रशीद, जिला पंचायत अध्यक्ष, वायनाड ने दिया। सेमिनार का



उद्घाटन तथा अन्य कार्यक्रम श्री एम.वी. श्रेयम्सकुमार, माननीय विधायक, कालपेट्टा द्वारा सम्पन्न किए गए। श्री पी.टी. गोपालकुरु, अध्यक्ष, एमआईएलएमए ने कृषि विज्ञान केन्द्र, वायनाड के एक तकनीकी बुलेटिन का विमोचन किया। डॉ. ए. राधम्मा पिल्लै, परियोजना समन्वयक ने पौधा किस्म और कृषक अधिकारों की सुरक्षा तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के उद्देश्यों पर जागरूकता के कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला।

मुख्य विषय पर एक तकनीकी सत्र का नेतृत्व डॉ. सी. आर. एलसी, प्राध्यापक, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी, संयोजक, आईपीआर कोष्ठ, केरल कृषि विश्वविद्यालय ने किया। उन्होंने कृषक किस्मों के पंजीकरण और पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार व अन्य सम्मान प्राप्त करने में किसानों को सुविधा प्रदान करने के संबंध में केरल कृषि विश्वविद्यालय केन्द्र की गतिविधियों के बारे में बताया।



इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया जिसमें फलों और सब्जियों की उन स्थानीय किस्मों का प्रदर्शन किया गया जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा वोकेशनल हायर सेकेडरी स्कूल, वाकेरी, वायनाड जिला में भी स्थानीय रूप से उपलब्ध पौधों से तैयार किए गए खाद्य उत्पादों का प्रदर्शन किया तथा स्थानीय लोगों द्वारा संरक्षित औषधीय पौधों व उनसे तैयार उत्पादों का भी इस प्रदर्शनी में प्रदर्शन किया गया।

### 8.4 प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केन्द्र, गुमला

कृषि विज्ञान केन्द्र, गुमला द्वारा 18 जनवरी 2014 को प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आसपास के क्षेत्रों के 300 से अधिक किसानों ने इसमें भाग लिया तथा वे कृषक किस्मों, परंपरागत किस्मों और अपने द्वारा संरक्षित भू-प्रजातियों के बीच और ताजे कृषि उत्पाद भी



वहां लाए। इस कार्यक्रम में डॉ. आर.पी. सिंह रतन, निदेशक, विस्तार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची; डॉ. निवा बारा, श्री भिखारी भगत, श्रीमती सावित्री देवी, डॉ. संजय कुमार, परियोजना समन्वयक भी उपस्थित थे। श्री डी.एस. मिश्रा, संयुक्त पंजीकार ने पीपीवी और एफआर प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. आर.पी. सिंह रतन, निदेशक विस्तार ने किया जिन्होंने मुख्य भाषण देते हुए पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 तथा कृषकों के अधिकारों के बारे में बोलते हुए यह भी सूचित किया कि गुमला जिला मध्य भारत में कृषि जैवविविधता के हॉटस्पॉटों में से एक है और इस क्षेत्र के किसानों के पास बड़ी मात्रा में ऐसा पादप आनुवंशिक संसाधन है जिसका उन्होंने पीढ़ियों से संरक्षण किया है। श्री भिखारी भगत, कृषि विज्ञान केन्द्र के सचिव ने सम्बोधित करते हुए बताया कि कृषि विज्ञान केन्द्र ने सदैव खेती संबंधी समस्याओं और उनके समाधानों पर ध्यान दिया है। इसके अलावा यहां महिलाओं के सशक्तीकरण और क्षेत्र के किसानों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर भी विशेष कार्य किया गया है।



## 8.5 कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यशाला, कोज़ीकोड

आईआईएसआर, कृषि विज्ञान केन्द्र, कोज़ीकोड में कृषि विज्ञान केन्द्र, कोज़ीकोड में 21 जनवरी 2014 को

पेरुवन्नामुजी में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में लगभग 125 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान किसान, वैज्ञानिक तथा संकाय सदस्य मौजूद थे। जिन्होंने कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में भी भाग लिया। यह प्रदर्शनी सिम्पोजियम एसवाईएमएसएसी VII द्वारा इंडियन सोसायटी फार स्पाइसिस (आईएसएस) और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर) द्वारा सम्मिलित रूप से 27–29 नवम्बर 2013 को होटल क्रिस्टल कोड, मादिकेरी, कर्नाटक में आयोजित की गई थी।

## 8.6 केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), नागपुर



डीयूएस पर एक जागरूकता कार्यक्रम 23 जनवरी 2014 को सीआईसीआर, नागपुर में आयोजित किया गया जिसमें 40 विस्तार अधिकारी मौजूद थे। आरंभ में डॉ. संध्या क्रांति, निदेशक प्रभारी, सीआईसीआर, नागपुर ने अपने उद्घाटन भाषण में अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। डॉ. वी. शाति, प्रधान वैज्ञानिक (कपास) और डीयूएस परीक्षण की डीयूएस प्रभारी ने कृषकों के अधिकारों व पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के उद्देश्यों व प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला। डॉ. आर.वी. सिंगनदुबे, अध्यक्ष प्रभारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, सीआईसीआर, नागपुर ने अधिनियम में कृषकों के अधिकारों के बारे में परिचयात्मक टिप्पणी की और किसानों सहित सभी प्रतिभागियों को अधिनियम से अवगत कराया। सीआईसीआर, नागपुर के अन्य संकाय सदस्यों ने भी विभिन्न मुद्दों व विषयों पर व्याख्यान दिए।

## 8.7 प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय (डीओजीआर), राजगुरुनगर, पुणे



## 8.8 पुष्पविज्ञान अनुसंधान निदेशालय (डीएफआर) द्वारा संचालित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम, पूसा, नई दिल्ली

ग्लेडियोलस तथा रजनीगंधा के विशेष संदर्भ में 24 जनवरी 2014 को पुष्पविज्ञान अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली के अनुसंधान फार्म में ‘पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001’ पर एक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसानों, कृषि विज्ञान केन्द्र, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. रमेश कुमार, निदेशक, डीएफआर इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे और डॉ. मनोज श्रीवास्तव, पंजीकार, पीपीवी और एफआरए तथा डॉ. जे.एस. अरोड़ा, पूर्व अध्यक्ष, एफएलएस, पीएयू, लुधियाना सम्मानीय अतिथि थे। अन्य संसाधन व्यक्तियों ने डॉ. एस.पी. एस. राघव, डॉ. ए.पी. सिंह, डॉ. आर. एल. मिश्रा भी आमंत्रित किए गए थे। डॉ. रमेश कुमार, निदेशक, डीएफआर ने मुख्य अतिथि तथा प्रतिभागियों का स्वागत किया और कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने अधिनियम में उल्लिखित कृषक अधिकारों से भी किसानों को अवगत कराया तथा पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला।



डॉ. मनोज श्रीवास्तव, पंजीकार, पीपीवी और एफआरए ने कृषक किस्मों के पंजीकरण तथा पंजीकरण हेतु विद्यमान किस्मों के आवेदनों को प्रस्तुत करने के संबंध में सूचना देते हुए एक प्रस्तुतीकरण दिया, ताकि अधिनियम के अंतर्गत किसान लाभ प्राप्त कर सकें और उन्हें मान्यता भी प्राप्त हो सके। डॉ. एस.पी. एस. राघव, पूर्व परियोजना समन्वयक और अध्यक्ष, एफएलएस, भा.कृ.अ.स.; डॉ. ए. पी.सिंह, पूर्व अध्यक्ष, एफएलएस, भा.कृ.अ.स.; डॉ. आर.एल. मिश्रा, पूर्व परियोजना समन्वयक, एआईसीआरपी— पुष्पविज्ञान तथा पुष्पविज्ञान अनुसंधान निदेशालय के अन्य विशेषज्ञों ने भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 व वाणिज्यिक पुष्पविज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए।

## 8.9 राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीओ), पाक्यांग, सिविकम

ऑर्किडों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाक्यांग, सिविकम में 31 जनवरी 2014 को पौधा किस्म और कृषक अधिकारों की सुरक्षा पर एक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभिन्न संसाधन व्यक्तियों द्वारा इस अवसर पर पीपीवी और एफआर अधिनियम तथा कृषकों के अधिकारों से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्याख्यान और प्रस्तुतीकरण दिए गए। डॉ. मनोज श्रीवास्तव, पंजीकार सहित कार्य बल के अध्यक्ष व सदस्यों के अलावा कार्य बल के सदस्य—सचिव, निदेशक और वैज्ञानिक, अनुसंधान एसोसिएट और राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, ऑर्किड के वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता, संयुक्त निदेशक और वैज्ञानिक, भा.कृ.अ.प. सिविकम केन्द्र के कृषि विज्ञान केन्द्र का स्टाफ, जीबीपीआईएच और डी के वैज्ञानिक, संयुक्त निदेशक और अपर निदेशक, बागवानी विभाग, सिविकम सरकार; भा.कृ.अ.प. द्वारा नामित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कृषक सदस्य तथा क्षेत्र के अनेक किसान भी इस अवसर पर मौजूद थे।

## 8.10 प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनिकोप्पल, कर्नाटक

‘पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001’ पर एक दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 फरवरी 2014 को कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनिकोप्पल में आयोजित किया गया। ओदागू के किसानों, आईआईएचआर, बंगलुरु के वैज्ञानिकों; आईआईएसआर अप्पांगला; कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनिकोप्पल, राज्य के सरकारी अधिकारियों

सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। श्री वीरेन्द्र कुमार, एसएमएस, कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनिकोप्पल ने अतिथियों तथा प्रतिभागियों का स्वागत किया। डॉ. पी.सी. त्रिपाठी, प्रधान वैज्ञानिक तथा अध्यक्ष, सीएचईएस, चेत्ताली और अध्यक्ष (ए), कृषि विज्ञान केन्द्र ने कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया। डॉ. सी.के. नारायणन, निदेशक, आईआईएचआर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बौद्धक सम्पदा अधिकारों के महत्व व पीपीवी और एफआर अधिनियम के अंतर्गत किस्मों के पंजीकरण के लाभों के बारे में बताया।

डॉ. ए.टी. सदाशिव, प्रधान वैज्ञानिक, सब्जी फसलें प्रभाग, आईआईएचआर, बंगलुरु ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में बताते हुए कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु प्रावधानों और किसानों के अधिकारों पर बल दिया। उन्होंने विभिन्न सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन और भिण्डी के डीयूएस दिशानिर्देशों के प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत किया। डॉ. एम.आर. दिनेश, प्रधान वैज्ञानिक, फल फसलें प्रभाग, आईआईएचआर बंगलुरु ने आम, अमरुद तथा अन्य फलों की विविधता पर एक प्रस्तुतीकरण दिया तथा आम व अमरुद के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों को भी पेश किया। डॉ. सैंथल कुमार, आईआईएसआर क्षेत्रीय केन्द्र, अपंगला ने इलायची, काली मिर्च, अदरक और हल्दी में डीयूएस परीक्षण पर चर्चा की। इन फसलों को उगाने वालों ने चर्चा के दौरान अनेक प्रश्न किए जिनके उत्तर वक्ताओं ने दिया। तीन किसानों नामतः सर्वश्री पूनाचा, रमेश और ननैया ने परपरागत कृषक किस्मों के संरक्षण के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किए गए व्याख्यानों का एक संकलन भी इस अवसर पर विमोचित किया गया। काली मिर्च तथा चावल की कृषकों द्वारा पहचानी गई किस्मों को प्रदर्शित करने के लिए इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम का समापन श्री के.ए. देवयया, कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनिकोप्पल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। प्रदर्शन ब्लॉकों तथा कृषि विज्ञान केन्द्र की पौधा प्रवर्धन इकाइयों का एक भ्रमण भी आयोजित किया गया।

## 8.11 सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय (डीएसआर), इंदौर

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार पर प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम सोयाबीन निदेशालय में 7 फरवरी 2014 को आयोजित किया गया जिसमें मध्य प्रदेश राज्य

बीज प्रमाणीकरण एजेंसी (एसएससीए) और राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों सहित 114 किसानों ने भी भाग लिया। प्रतिभागियों को विभिन्न संबंधित विषयों से अवगत कराने के लिए अनेक व्याख्यान दिए गए।



### 8.12 ज्वार अनुसंधान निदेशालय (डीएसआर), हैदराबाद

रबी ज्वार पर सोलापुर स्थित केन्द्र में 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण' पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम 14 फरवरी 2014 को आयोजित किया गया। इसमें सोलापुर और इसके आस-पास स्थित कृषि अनुसंधान संस्थानों जैसे आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, एमपीकेवी, राहुड़ी; राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र; कृषि स्कूल; कृषि विज्ञान केन्द्र और स्नातकोत्तर छात्रों तथा दयानंद महाविद्यालय के वनस्पति व प्राणिविज्ञान विभागों के अध्यापकों सहित लगभग 80 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का विवरण इस प्रकार है :

प्रतिभागियों की श्रेणी	संख्या
एम.एससी. छात्र	32
वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता	6
पीएच.डी. छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता	2
वैज्ञानिक	10
तकनीकी सहायक	15
अनुसंधान सहायक	2
उच्च कुशल सहायक	5
परियोजना सहायक	8
<b>कुल योग</b>	<b>80</b>

डॉ. वी.ए. टोपानी, प्रधान वैज्ञानिक, डीएसआर, हैदराबाद ने **'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001'**; कृषि में जीआई सुरक्षा; नए बीज कानून और इसके प्रभाव व भारत में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में आईपी संपत्तियों के प्रलेखन पर व्याख्यान दिए। डॉ. प्रभाकर, प्रधान वैज्ञानिक और प्रभारी अधिकारी, रबी ज्वार केन्द्र (डीएसआर), सोलापुर ने ज्वार में डीयूएस परीक्षण के लिए एक व्याख्यान दिया।

दूसरा जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम जो '**पौधा किस्म और कृषक अधिकारों की सुरक्षा**' पर था, रबी ज्वार, सोलापुर केन्द्र में विशेष रूप से किसानों के लिए 5 मार्च 2014 को आयोजित किया गया। इसमें सोलापुर के उत्तर सोलापुर ताल्लुक के यूले, एकरुक और कासेगांवों के लगभग 50 किसानों और खेतिहर महिलाओं ने भाग लिया। डॉ. शशीधर रेड्डी और श्री पीपी राजप्पा, सीआरएस, सोलापुर ने इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

डॉ. अविनाश, कर्जुले, एसोसिएट प्राध्यापक, बीज प्रौद्योगिकी विभाग, एमपीकेवी, राहुड़ी ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 नए बीज विधान और उसके प्रभाव पर मराठी में एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। एमपीकेवी, राहुड़ी के डॉ. बलवंत मुंधे ने भारत में राष्ट्रीय कृषक अनुसंधान प्रणाली में आईपी संपत्तियों के प्रलेखन पर संक्षिप्त विवरण दिया तथा किसानों की किस्मों की सुरक्षा हेतु आवेदनों को भरने के बारे में मराठी में बताया।

### 8.13 केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान (सीआईएएच), बीकानेर

**'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण'** पर पीपीवी औ एफआरए नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम संस्थान के परिसर में 17 फरवरी 2014 को आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया जो बीकानेर और नागौर जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में एस के राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर तथा शहर के अन्य महाविद्यालयों/संस्थानों के साथ-साथ राज्य सरकार के स्टाफ सदस्यों; कृषि विज्ञान केन्द्र; एसकेआरआरएयू और सीआईएएच, बीकानेर के स्टाफ सदस्यों व स्नातकोत्तर तथा पीएच.डी. छात्रों ने भी भाग लिया।

कार्यक्रम के आरंभ में डॉ. बी.डी. शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक ने अतिथियों तथा अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। डॉ. आर.एस. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के संयोजक ने उपस्थित जन-समूह को कृषकों/पणधारियों के बीच पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के बारे में जागरूकता सृजित करने के महत्व से अवगत कराया और दिनभर के कार्यक्रम के बारे में बताया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. ए.के. दहामा, कुलपति, एस.के. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ने किया जो मुख्य अतिथि भी थे। डॉ. एस.के. शर्मा, निदेशक, सीआईएएच, बीकानेर ने सम्मानीय अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता की।

माननीय कुलपति डॉ. दहामा ने जनसमूहों को सम्बोधित करते हुए कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। अपने भाषण में उन्होंने भारतीय कृषि में खेतिहार महिलाओं की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण बताया। उनका मानना था कि आजकल खेती संबंधी विभिन्न कार्यों में यंत्रीकरण बहुत जरूरी है। कृषि के क्षेत्र में कृषि व्यापार में रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा हिन्दी में संकलित एक बुलेटिन भी जारी किया। उद्घाटन समारोह में डॉ. एस.के. शर्मा, निदेशक, एस.आई.ए.एच., बीकानेर ने पौधा किस्मों और प्रजनकों के अधिकारों, जननद्रव्य के महत्व तथा कृषकों की पुरानी किस्मों और कृषि विकास में उनकी भूमिका पर चर्चा की।

कृषकों के अधिकारों, पौधा किस्मों, प्रजनकों के अधिकारों, पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001, शुष्क बागवानी के परिदृश्य व डीयूएस परीक्षण जैसे मुख्य विषयों पर विभिन्न संसाधन व्यक्तियों ने व्याख्यान दिए। चर्चा का शुभारंभ कृषि जैवविविधता के संरक्षण में कृषकों के महत्व तथा शुष्क क्षेत्र में फलों की खेती के महत्व पर डॉ. आर.एस. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक (बागवानी), और नोडल अधिकारी, डीयूएस केन्द्र, खजूर, सीआईएएच, बीकानेर के व्याख्यान से हुआ। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किसानों द्वारा किए जा रहे संरक्षण प्रयासों के अनेक उदाहरण दिए जिनसे बहुमूल्य जननद्रव्य की सुरक्षा में सहायता मिली है। यह जननद्रव्य प्रतिकूल स्थितियों को सह सकने वाले जीनों का प्रमुख स्रोत है। डॉ. सिंह ने पोषण तथा आजीविका सुरक्षा के लिए शुष्क क्षेत्र में बागवानी के विकास के महत्व का भी वर्णन किया। इसके पश्चात् डॉ. आर. भार्गव, प्रधान वैज्ञानिक,

प्रभारी, आईटीएमयू, सीआईएएच, बीकानेर ने बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से जुड़े मुददों पर एक व्याख्यान दिया। अपने व्याख्यान में उन्होंने विभिन्न प्रकार की बौद्धिक सम्पदाओं जैसे जीआई, कॉपीराइट, पेटेंट और पौधा किस्मों आदि पर बल दिया जिन पर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार का दावा कर सकता है।

डॉ. हरे कृष्ण, वरिष्ठ वैज्ञानिक (बागवानी), सीआईएएच ने डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों तथा कृषकों के अधिकारों पर एक वार्ता प्रस्तुत की और प्रजनकों व किसानों द्वारा विकसित किस्मों की सुरक्षा के लिए डीयूएस परीक्षण की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को संस्थान की शुष्क बागवानी की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों से भी अवगत कराया गया। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा पर एक फिल्म भी प्रतिभागियों को दिखाई गई, ताकि उनमें जागरूकता सृजित की जा सके। किसानों और छात्रों से चर्चा में डॉ. आर.एस. सिंह ने लोगों द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन और पीपीवी व एफआर प्राधिकरण की गतिविधियों के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दिए। डॉ.बी. डी. शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक ने पौधा किस्मों की सुरक्षा और बीज सामग्री के महत्व के बारे में बताते हुए शुष्क बागवानी पर अपने विचार व्यक्त किए। डॉ. बालू राम चौधरी, वैज्ञानिक ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 व प्राधिकरण की गतिविधियों और किसानों के लिए इसके महत्व पर एक व्याख्यान दिया। प्रतिभागियों/प्रशिक्षणार्थियों/किसानों के लिए डॉ. एस.के. माहेश्वरी ने संस्थान के संग्रहालय और प्रायोगिक ब्लॉकों/नर्सरी के भ्रमण का भी आयोजन किया। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की गतिविधियों से संबंधित पोस्टर भी कार्यक्रम स्थल के निकट प्रदर्शित किए गए। डॉ. माहेश्वरी ने प्रतिभागियों को भारतीय कृषि में बौद्धिक सम्पदा के आयामों से अवगत कराया।

संसाधन व्यक्तियों द्वारा व्याख्यानों/संसाधन सामग्री पर हिन्दी में तैयार किया गया एक बुलेटिन तथा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के ब्रोशर भी कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थियों/प्रतिभागियों के बीच बांटे गए।

#### **8.14 प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केन्द्र, बलरामपुर**

**'कृषक किस्मों की सुरक्षा और उनके पंजीकरण'** पर एक

दिवसीय कार्यक्रम कृषक जागरूकता दिवस के अवसर पर 18 फरवरी 2014 को आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, जिलाधीश (आईएएस) ने समारोह का उद्घाटन किया और किसानों को सम्बोधित करते हुए विभिन्न फसलों की स्थानीय किस्मों व भू-प्रजातियों की सुरक्षा करने का परामर्श दिया। डॉ. प्रसन्ना और परियोजना समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बलरामपुर (सीजी) तथा डॉ. अरुण त्रिपाठी, कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक के सम्मिलित प्रयासों से 'जीरा फूल' जो चावल की एक अत्यधिक प्रसिद्ध स्थानीय किस्म है को परिरक्षित किया गया और इसके साथ ही एक कृषक समूह (एफआईजी) भी गठित किया गया। चांगरो गांव, बलरामपुर के इस समूह के सभी किसान चावल की यह किस्म उगाते हैं और उच्च मूल्य पर इसको बाजार में बेचते हैं। इस अवसर पर डॉ. प्रसन्ना ने इस समूह के लिए चावल की एक छोटी छिलाई मशीन उपलब्ध कराने और तौलाई के लिए आधुनिक तराजू उपलब्ध कराने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि समूह के लिए बैंक खाता खोला जाएगा और अन्य गतिविधियों से आने वाली धनराशि व अनुदान को इस खाते में जमा किया जाएगा, ताकि इस भू-प्रजाति को विस्तृत करते हुए लोकप्रिय बनाया जा सके। समूह के नेता श्री माणिक चंक (सूर्य गुप्त) ने चांगरो जीरा फूल (जिसका दाना जीरे के समान दिखाई देता है और जो अत्यंत सुगंधित चावल है) के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन भरा। डॉ. प्रसन्ना ने बल दिया कि एफआईजी को इस किस्म का पुनरोद्धार करने का पहले प्रयास करना चाहिए और उसके बाद एक अन्य प्रसिद्ध किस्म 'सोनाचूर' को वाणिज्यिक पैमाने पर उगाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि धान मंडी में इस किस्म का बीज संकर की तुलना में अधिक मात्रा में आता है। उन्होंने सूचित किया कि चावल की वाइट पूनी और अन्य आईआर किस्में जैसे 300 स्थानीय व दुर्लभ किस्में कावेरी नदी की पट्टी में चावल की आधुनिक किस्मों के कारण तमिल नाडु के किसानों ने खो दी हैं। डॉ. दीपक शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक ने छत्तीसगढ़ की कृषक किस्मों का प्रदर्शन किया तथा किसानों की पीपीवी और एफआर अधिनियम संबंधी गतिविधियों पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने चांगरो जीरा फूल और चांगरो लक्ष्मी भोग किस्मों के लिए आवेदन पत्र भरने की विधि का प्रदर्शन किया। डॉ. प्रसन्ना ने कृषक किस्मों की लाभ में भागीदारी तथा पंजीकरण के लिए डॉ. शर्मा द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। डॉ. ए.पी. द्विवेदी, आंचलिक परियोजना निदेशक; श्री ए.बी. असाना, संयुक्त

निदेशक कृषि और एम.आर. तिग्गा, उप निदेशक (कृषि) भी इस अवसर पर उपस्थित थे जिन्होंने किसानों को सम्बोधित किया।



## 8.15 प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम, तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, पप्परापट्टी, धर्मापुरी

यद्यपि भारत सरकार ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 में लागू किया था लेकिन किसानों व अन्य पण्धारियों के बीच इस अधिनियम के बारे में जागरूकता का स्तर अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। जागरूकता सृजित करने और किसानों को उनकी किस्मों के पंजीकरण में सुविधा प्रदान करने के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम पर कृषि विज्ञान केन्द्र, पप्परापट्टी, धर्मापुरी में 17–18 फरवरी 2014 को एक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम में पौधा किस्मों की सुरक्षा, कृषकों के अधिकारों, प्रजनकों के अधिकारों व अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों के महत्व, पौधा किस्मों व अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत की जाने वाली किस्मों के पंजीकरण के बारे में विस्तार से बताया गया। किसानों द्वारा लगभग 32 परंपरागत फसल किस्मों को पंजीकृत किया गया है जिनमें थुआमल्ली, नेइकिचाडी, सीरागा साम्बा, मापिल्लै साम्बा, ट्रेडीशनल बासुमती, मनसामयीरपोन्नी, व्हाइट पोन्नी और कट्टूयानम धान की; कर्लसुरुतई, वाजाईपूकीदाथालई, थेम्बूसारीन रागी की; व्हाइट चोलम, रैड चोलामिन चोलम, ट्रेडीशनल थेनई, सामई, पनीवारूगु, चने की; नईपायरु, मोचाई, अवराई, रोज भेंदी, स्थानीय बैंगन, तोरई और पुलिचाकीराई प्रमुख हैं।

पंजीकरण हेतु आवेदन किस्मों, प्राप्त आवेदनों को विशिष्टता, एकरूपता और स्थायीत्व निष्पादन के लिए

डीयूएस परीक्षण हेतु पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली को भेजा गया। विभिन्न फसलों के लिए डीयूएस केन्द्र विभिन्न स्थानों पर स्थापित हो रहे हैं और धान तथा सूरजमुखी पर केन्द्र तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर में हैं।

डॉ. तमिल सेलवन, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पप्पारापट्टी ने परंपरागत कृषि के महत्व, पौधा किस्मों व कृषक अधिकारों की सुरक्षा तथा परंपरागत किस्मों को बढ़ावा देने में कृषि विज्ञान केन्द्र की भूमिका का विस्तार से वर्णन किया। तिरु के. मोहन, संयुक्त निदेशक (कृषि), धर्मापुरी ने किसानों के लाभ के लिए कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक स्कीमों के बारे में बताया। डॉ. पी. वेंकटशेखरन, उप निदेशक (कृषि), राज्य स्कीमों ने पोषणिक महत्व, धर्मापुरी जिले में परंपरागत किस्मों की स्थिति, किसानों द्वारा उगाई जाने वाली परंपरागत किस्मों और उनके महत्व पर चर्चा की। श्रीमती आर.आर. सुशीला, उप निदेशक (कृषि) तथा जिला समाहर्ता के पीए ने परंपरागत किस्मों के सुधार के लिए अपनाई जाने वाली कार्यनीतियों का वर्णन करते हुए बताया कि किसान इनकी सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं।

डॉ. एम.ए. वेनेला, सहायक प्राध्यापक (विस्तार) ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001; कृषकों, अनुसंधान कर्ताओं व पादप प्रजनकों के अधिकारों; पंजीकृत की जाने वाली किस्मों के गुणों; राष्ट्रीय जीन निधि व जीन निधि की भूमिका, जीन बैंक; किस्म को कैसे पंजीकृत कराया जाए, शुल्क के विवरण तथा सुरक्षा की अवधि के बारे में विस्तार से बताया। डॉ. एंडर्सन अमलन कुमार, सहायक प्राध्यापक (फसल कार्यकी) ने डीयूएस विशिष्टाओं तथा डीयूएस परीक्षण में शामिल क्रियाविधियों और विभिन्न फसलों के लिए डीयूएस केन्द्रों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में धान की परंपरागत किस्म कट्टूयामन का लगभग 1 कि.ग्रा. बीज किसानों को मुफ्त दिया गया। डॉ. एम.ए. वनीला और डॉ. एंडर्सन अम्लन कुमार जो पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निधि प्राप्त परियोजना को संभाल रहे थे, एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें किसानों द्वारा लाई गई परंपरागत किस्मों को प्रदर्शित किया गया। लगभग 100 किसान इस कार्यक्रम में भाग लेकर लाभान्वित हुए।

## 8.16 केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), कटक

'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001' पर सीआरआरआई, कृषि विज्ञान केन्द्र, कटक में प्रशिक्षण व कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 87 किसानों और 13 विषय वस्तु विशेषज्ञों ने भाग लिया। यह कार्यशाला 22 फरवरी 2014 को आयोजित हुई थी और इसका



उद्देश्य अधिनियम के लाभों के बारे में कृषक समुदाय में और अधिक जागरूकता लाना तथा उनकी किस्मों के पंजीकरण में उन्हें सहायता पहुंचाना था।

डॉ. आर.सी. चौधरी, जो एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चावल वैज्ञानिक हैं, ने मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा बताया कि इस अधिनियम द्वारा किस प्रकार किसानों के साथ देश के हितों की भी रक्षा की जा सकती है। डॉ. रवि प्रकाश ने विभिन्न उपलब्धियों के बारे में बताते हुए पंजीकरण प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। उन्होंने किसानों को उनकी किस्मों के पंजीकरण में सभी सुविधा प्रदान करने का आश्वासन दिया। डॉ. टी. मोहपात्रा, निदेशक, सीआरआरआई, कटक और कार्यक्रम के अध्यक्ष ने वैज्ञानिकों तथा किसानों से राष्ट्रीय भूप्रजातियों की विपुल क्षमता का लाभ उठाने का आह्वान किया तथा उन्हें अपनी उन लोकप्रिय किस्मों के रखरखाव का परामर्श दिया जो जलवायु परिवर्तन के कारण उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के मूल्यवान गुणों से युक्त हैं। तकनीकी सत्रों में पंजीकरण प्रक्रिया, डीयूएस परीक्षण, विशेष जांचों तथा विशेष परीक्षणों आदि पर परिचर्चा मोड में चर्चा हुई तथा डॉ. ओ.एन. सिंह, डॉ. एस.आर. धुआ, बी.सी. पात्रा, यू. धुआ, एम. जेना, पी. स्वैन तथा एम. चौरसिया ने अपना अमूल्य योगदान दिया। चावल, दलहनों, तिलहनों, सब्जियों और फलों की लगभग

900 देसी किस्मों को प्रदर्शित करते हुए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। ये किस्में प्रतिभागी किसान अपने साथ लाए थे और आगंतुक इनसे बहुत प्रभावित हुए। इस प्रकार, इस कार्यक्रम से अधिनियम के उद्देश्यों के प्रति जागरूकता लाने में सफलता मिली।

### 8.17 चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएसएचएयू), हिसार



चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के आनुवंशिक व पादप प्रजनन विभाग ने 22 फरवरी 2014 को किसानों, छात्रों, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों के कार्मिकों और विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि डॉ. आर.पी. सहारन, परियोजना निदेशक (अनुसंधान), सीसीएसएचएयू, हिसार ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभागियों को सम्बोधित किया। डॉ. तेजबीर सिंह, पंजीकार (बागवानी), पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली में पीपीवी और एफआर अधिनियम का संक्षिप्त परिदृश्य प्रस्तुत करते हुए इसके उद्देश्यों व इसकी प्रमुख विशेषताओं पर एक व्याख्यान दिया। उन्होंने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पौधा किस्मों के पंजीकरण के महत्व पर भी व्याख्यान दिया। डॉ. आर.एस. सांगवान, अध्यक्ष, कपास अनुभाग ने नई पौधा किस्मों, अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों (ईडीवी), विद्यमान किस्मों के पंजीकरण की क्रियाविधि व इसके महत्व के बारे में संक्षेप में बताया। विभाग के अन्य सदस्यों ने विभिन्न पहलुओं जैसे डीयूएस परीक्षण, डीयूएस गुणों को रिकॉर्ड करने और कपास में संदर्भ किस्मों के रखरखाव, डीयूएस परीक्षण के महत्व व

चना और ज्वार में डीयूएस प्राचलों के लिए आकृतिविज्ञानी गुणों, किस्मों की पहचान; आण्विक तथा जैव रासायनिक तकनीकों आदि पर व्याख्यान दिए ताकि प्रतिभागियों के ज्ञान को प्रोन्नत किया जा सके।



### 8.18 प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केन्द्र, बुदबुद

कृषि विज्ञान केन्द्र, बुदबुद में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित 'पौधा किस्मों और कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा' पर एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन केन्द्र के परिसर में 24 फरवरी 2014 को किया गया। पूरे जिले में फसलों की सदियों पुरानी किस्मों के संरक्षण में रत किसानों तथा प्रगतशील किसानों ने इसमें भाग लिया तथा उन्हें अनेक संबंधित मुद्दों से अवगत कराया गया। किसानों के अतिरिक्त इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के बर्धवान जिले के विभिन्न ब्लॉकों के सहायक निदेशक (कृषि) के माध्यम से आस-पास के किसानों को आमंत्रित किया गया था। जिले के कुल 33 ब्लॉकों में से 24 ब्लॉकों के किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, चुने गए प्रगतशील किसानों के अलावा कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा अपनाए गए गांवों के किसानों ने भी इस जागरूकता शिविर में भाग लिया। इस प्रकार, इस कार्यक्रम में कुल 175 किसानों ने भाग लिया।



कार्यक्रम का शुभारंभ पंजीकरण के साथ हुआ और भाग लेने वाले किसानों को सौम्य सारथी कुंडू संदीपन गरै, सुब्रत सरकार और दीपांकर घोरई द्वारा बंगाली भाषा में 'उदविध बैचित्र संरक्षण ओ तत्संबंधिया कृषकोंकर अधिकार' पर एक ब्रोशर किसानों को दिया गया जो मूलतः 'पौधा किस्म और कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा' के बारे में अंग्रेजी में था। प्रो. दिलिप कुमार डे, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण और विधान चन्द्र विश्वविद्यालय, मोहनपुर, पश्चिम बंगाल के पीपीवी और एफआर प्रकोष्ठ के प्रमुख संसाधन व्यक्ति थे जिन्होंने प्रतिभागियों को पादप किस्मों की सुरक्षा के बारे में उनके अधिकारों से अवगत कराया। अन्य उपस्थित विशिष्ट व्यक्ति थे डॉ. सुब्रत विश्वास, प्रभारी वैज्ञानिक, केन्द्रीय बीज अनुसंधान केन्द्र, पटसन एवं सम्बद्ध रेशा संस्थान (सीएसआरएसजेएफ), बुद बुद; डॉ. अमित बेरा, वैज्ञानिक, सीएसआरएसजेएफ; डॉ. देवतनु मैती, सहायक निदेशक (कृषि), एडीए, औसग्राम-I, बर्दवान, डॉ. राजेश शाह, सहायक निदेशक (कृषि), गालसी-I बर्दवान।

डॉ. मोनिका सिंह, एसएमएस, कृषि विस्तार, कृषि विज्ञान केन्द्र ने जागरूकता कार्यक्रम के प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य के बारे में संक्षेप में बताया। डॉ. दिपांकर घोरई, कार्यक्रम समन्वयक (प्रभारी) ने बाद में संसाधन व्यक्तियों का स्वागत किया और मंच पर आसीन अन्य महानुभावों का आभार ज्ञापित किया। उन्होंने प्रतिभागियों को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, उसकी भूमिका और कार्यों तथा पौधा किस्मों के बारे में कृषकों व प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में संक्षेप में बताया। बासमती चावल का उदारण देते हुए उन्होंने किसानों से तथा उनके आस-पास के अन्य किसानों से किसी भी समय पादप आनुवंशिक संसाधनों को उपलब्ध कराने व उनके सुधार में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका से अवगत कराते हुए कहा कि इससे वे नई पौधा किस्मों के विकास में योगदान दे सकते हैं जिससे देश में कृषि के विकास में तेजी लाई जा सकती है और उच्च गुणवत्तापूर्ण बीजों व रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करके बीज उद्योग की वृद्धि में सुविधा प्रदान की जा सकती है।

प्रो. डे ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत कृषकों के विभिन्न अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की क्योंकि बर्दवान जिला चावल की खेती का प्रमुख क्षेत्र है। इसलिए उन्होंने चावल की उन संदर्भ किस्मों का जिक्र किया जिन्हें विभिन्न समयों पर प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत

किया गया है। उन्होंने बताया कि चावल के अलावा क्षेत्र की अन्य फसलों जैसे आलू और सब्जियों की विभिन्न किस्मों को भी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराते हुए सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।

डॉ. अमित बेहरा ने पीपीवी और एफआर अधिनियम के संदर्भ में फसलों के विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व संबंधी गुणों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने संबंधित पणधारियों को ऐसी सूचना को व्यापक रूप से पहुंचाने के लिए इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. एस. विश्वास ने अपने व्याख्यान में अधिनियम के माध्यम से पंजीकृत कराई जाने वाली पादप किस्मों के परंपरागत ज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. मैती, निदेशक, डी.एम.पी.एस., आनंद, गुजरात और डॉ. साहा, एडीए ने जिन समूहों को सदियों पुरानी चावल की किस्मों के संरक्षण के संबंध में उनके फार्मों पर की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बताया। परिचर्चा सत्र में संसाधन व्यक्तियों ने भाग लेने वाले किसानों के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए। चावल की किस्मों के 6 आवेदन प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने के लिए इस कार्यक्रम में तैयार किए गए।

### 8.19 प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम, उद्यमिता विद्यापीठ, चित्रकूट



'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001' पर प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 25 फरवरी 2014 को उद्यमिता विद्यापीठ, चित्रकूट द्वारा किया गया। डॉ. भरत पाठक, महासचिव, दीन दयाल अनुसंधान संस्थान और महात्मा श्री रामहृदयदास जी महाराज इस अवसर पर मुख्य अतिथि व प्रमुख वक्ता थे। डॉ. आर.आर. हंचिनाल अध्यक्ष पीपीवीएण्डएफआरए तथा अन्य संसाधन व्यक्तियों

में डॉ. नरेन्द्र सिंह, परियोजना समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्रकूट; श्री विनय कुमार, एसएमएस (बागवानी), कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्रकूट; डॉ. गोविंद वर्मा, एसएमएस (पशु विज्ञान), कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश भी शामिल थे।

## 8.20 प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र, पुणे

'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली की अध्यक्षता में 5 मार्च 2014 को राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र, पुणे में आयोजित किया गया। डॉ. एस.वी. शिखामणि, पूर्व कुलपति, डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी विश्वविद्यालय, पश्चिम गोदावरी, आंध्रप्रदेश; डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली; डॉ. एस.बी. सावंत, निदेशक, एनआरसी – अंगूर, पुणे; श्री सुभाष आर्य, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य द्राक्षा बागयतदार संघ (एमआरडीबीएस), पुणे इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करने वाले अन्य महानुभाव थे। अंगूर उगाने वालों, वैज्ञानिकों, अनुसंधान अध्येताओं तथा तकनीकी व्यक्तियों सहित लगभग 75 व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।



इस अवसर पर 'करेक्टराइजेशन ऑफ ग्रेप वेराइटीज फॉर डीयूएस (डिस्ट्रिक्टिवनेस, यूनिफार्मेटी एंड स्टेबिलिटी)', पर एक तकनीकी बुलेटिन भी डॉ. आर.आर. हंचिनाल द्वारा जारी किया गया। अपने स्वागत भाषण में डॉ. एस.डी. सावंत ने कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में संक्षेप में बताया तथा अंगूर उत्पादकों से किसानों द्वारा विकसित नए क्लोनों/उत्प्रजनकों की सुरक्षा के लिए गंभीर प्रयास करने का अनुरोध किया, ताकि वे अपने दावे कर सकें तथा उनके नाम से अपनी किस्मों/क्लोनों को पंजीकृत करा सकें और पंजीकृत किस्मों से संबंधित लाभ उठा सकें।

श्री सुभाष आर्य, उपाध्यक्ष, एमआरडीबीएस, पुणे में किसानों के नाम से उचित सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उनके खेत में अंगूर उगाने वालों द्वारा नए क्लोनीय चयनों के प्रलेखन पर बल दिया। डॉ. एस.डी. शिखामणि ने कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए किस्मों के पंजीकरण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि देश में अंगूर उगाने वालों द्वारा नए क्लोनीय चयन नहीं किए जा रहे हैं और इन चयनों को चुनने वाले वास्तविक व्यक्तियों द्वारा सुरक्षा नहीं प्राप्त की जा रही है और इस प्रकार ये लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं। डॉ. आर.सी. अग्रवाल ने अधिनियम के महत्व और किस्मों के पंजीकरण के लिए डीयूएस परीक्षण के बारे में बताया। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के सृजन के संक्षिप्त इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसके कार्यों, उद्देश्यों, इसके द्वारा नई किस्मों, सामान्य ज्ञान की किस्मों, विद्यमान किस्मों आदि के पंजीकरण में निर्भाई जाने वाली भूमिका का उल्लेख किया।



डॉ. आर.आर. हंचिनाल ने अपने भाषण में उन नए क्लोनों और उत्प्रजनकों की पहचान में अंगूर उत्पादकों द्वारा निर्भाई जाने वाली भूमिका की सराहना की जो अंगूर के क्षेत्र में प्रमुख कार्य कर रहे हैं और देश में इसका उत्पादन बढ़ा रहे हैं एक आनुवंशिक विद और पादप प्रजनक होने के नाते किसी किस्म के गुणप्ररूपी लक्षणों का पता लगाने में जीन तथा पर्यावरण की अंतरक्रिया के महत्व की व्याख्या की जो किस्मों के लक्षण–वर्णन में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस अवसर पर पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के कार्यों को बेहतर समझने, किस्मों के पंजीकरण के लाभों, कॉपीराइट आदि के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी देने के लिए प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई एक लघु वीडियो फिल्म भी प्रदर्शित की गई। चार तकनीकी प्रस्तुतीकरण किए गए जो पीपीवी और एफआर अधिनियम, के विभिन्न पहलुओं, डीयूएस परीक्षण के महत्व, विटिस प्रजातियों के डीयूएस

विवरणों और किस्मों के पंजीकरण की क्रियाविधि के बारे में थे। ये प्रस्तुतीकरण डॉ. जी.एस. करिबासप्पा, डॉ. जे. सतीश और रोशनी आर समर्थ ने दिए।

## 8.21 कृषक किस्म पंजीकरण पर जागरूकता अभियान, अम्बिकापुर का आदिवासी गांव, छत्तीसगढ़

कृषक किस्मों के पंजीकरण के लिए जागरूकता अभियान 8 मार्च 2014 को छत्तीसगढ़ जिले के अम्बिकापुर के बंसाजल और नकाना गांवों में आयोजित किया गया। बंसाजल तथा नकाना आदिवासी किसानों वाले गांव हैं। बंसाजल को 'जीरा फूल' के लिए जाना जाता है जो अम्बिकापुर जिले के आस-पास के क्षेत्र में आंशिक रूप से पर्वतीय इलाकों में प्राकृतिक आवासों में उगने वाली चावल की एक सुगंधित प्रमुख किस्म है। जब जीरा फूल चावल की फसल पुष्पन अवस्था में होती है तो इस किस्म की सुगंध वायु के साथ बहते हुए पूरे पर्यावरण को महका देती है। कुल 177 परिवारों में से लगभग 117 किसान इस विशेष परंपरागत किस्म को उगा रहे हैं। अन्य गतिविधियों के लिए जीरा फूल किसानों का एक समूह भी गठित किया गया है। चावल की अन्य सुगंधित किस्में नामतः कोसमधूल (गुच्छेदार पुष्पगुच्छ), हथुआ (अत्यधिक सुगंधित), रामदी और रास कदम इस गांव में पंजीकरण की प्रक्रियाधीन हैं।



श्रीमती अगस्ती टोपो और श्रीमती राम बाई दो स्थानीय कृषक महिलाओं ने चावल की किस्म कतकी तथा अरहर की

किस्म बंसा माखी के पंजीकरण के लिए आवेदन दिया है। यह विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित जागरूकता अभियान का एक प्रमुख क्रियाकलाप है। इस कार्यक्रम का समन्वयन भी एक महिला श्रीमती आशा तिर्की जो इस गांव की जनपद सदस्य हैं, ने किया। एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि दलहनों और तिलहनों की



स्थानीय किस्मों/भू-प्रजातियों का अनेक किसानों द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन देना है। इन दो गांवों के किसानों से पंजीकरण हेतु कुल 55 आवेदन प्राप्त हुए। एक आदिवासी युवा किसान श्री मंगल खालका को अनेक सब्जियों, दलहनों और तिलहनों के संकलन तथा उनकी खेती के लिए सम्मानित किया गया। ये भी नाकना गांव के थे।

डॉ. रविन्द्र तिगा, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, अम्बिकापुर और श्री चौकसे ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने में सहायता की। कृषि विभाग के श्री फिल्मोन तिर्की भी समन्वयक के रूप में सक्रिय रहे।

## 8.22 प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केन्द्र, गनिवान, चित्रकूट

कृषि विज्ञान केन्द्र, गनिवान, चित्रकूट में 8 मार्च 2014 को 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001' एक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

डॉ. नंदिता पाठक, निदेशक, जैवप्रभा तानिकी अनुसंधान प्रतिष्ठान उद्यमिता विद्यापीठ, चित्रकूट ने इस अवसर पर स्वागत भाषण दिया। डॉ. आर.एल.एस. शिकरवार, निदेशक, जन शिक्षण संस्थान, चित्रकूट और महांत श्री रामहृदयदास जी महाराज इस अवसर पर उपस्थित थे। किसानों सहित लगभग 110 प्रतिभागियों ने इस समारोह में भाग लिया। डॉ. नरेन्द्र सिंह, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र,

चित्रकूट; श्री वी.के. गौतम, एसएमएस (सस्यविज्ञान) और श्री के.एस. शुक्ला, एसएमएस, कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्रकूट ने संसाधन व्यक्तियों के रूप में कार्य किया।



**प्रशिक्षण का प्रभाव :** चावल की लगभग 100 परंपरागत किस्में, ज्वार और लघु छोटे अनाजों में प्रत्येक की तीन किस्में और बैंगन की दो किस्में इस जिले में पहचानी गई और इनके पंजीकरण के लिए शीघ्र ही पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में आवेदन दिया जाएगा। यह चित्रकूट और सतना में आयोजित चार जागरूकता कार्यक्रमों का परिणाम है।

### 8.23 पीपीवी एवं एफआरए का प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान, बलरामपुर—रामानुजगंज



रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ जिले के जाबेर गांव में 9 मार्च 2014 को पीपीवी और एफआर अधिनियम के अंतर्गत कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु एक दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में बलरामपुर के विभिन्न जिलों

के लगभग 80 किसानों ने भाग लिया। डॉ. अरुण त्रिपाठी, कायक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बलराम पुर ने प्राथमिक संवाद आरंभ किया तथा क्षेत्र में समृद्ध जैवविविधता व स्थानीय किस्मों के बारे में सूचना प्रदान की। डॉ. दीपक शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, आईजीकेवी, रायपुर ने पीपीवी और एफआर अधिनियम के अंतर्गत कृषक किस्मों के पंजीकरण पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन भरने के बारे में भी चर्चा की। स्थानीय किसानों के पास विभिन्न फसलों जैसे अनाजों, दलहनों, तिलहनों, लघु मोटे अनाजों, मसालों, कपास, अमरूद, पपीता और आंवला की विभिन्न कृषक किस्मों के 61 आवेदन प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने हैं।

बलरामपुर जिले के कोटसर, मगरहारा और सागरपुर गांव में अपार कृषि जैवविविधता मौजूद है। दो किसानों नामतः श्री आनंदीकुमार मंडल और श्री निरंजन दास को विभिन्न फसलों की स्थानीय किस्मों के श्रेष्ठ संकलन के लिए पुरस्कृत किया गया। किसानों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार यह कार्यक्रम बहुत शिक्षाप्रद था तथा इससे किसान उनके द्वारा उगाई जाने वाली स्थानीय विशिष्ट किस्मों को सुरक्षित व संरक्षित करने की दिशा में प्रोत्साहित हुए हैं।



इस अवसर पर आकर्षण का एक मुख्य केन्द्र किसान शिवराम थे जो कोटसरी गांव के निवासी हैं और जिन्होंने अनेक जड़ी-बूटियों व सर्गंधित पौधों का संकलन किया है जैसे कुछ फलों की वृक्षों के पत्ते और तने, सतवार (एस्पेरेगस) की कुछ किस्में तथा वन में मिलने वाली अनेक जड़ी-बूटियां व औषधीय पौधे। उन्होंने इन पौधों के औषधीय मूल्यों के बारे में विस्तार से बताया। डॉ. त्रिपाठी के साथ चर्चा में एक अन्य प्रगतशील किसान श्री रामेश्वर तिवारी ने

चिंग सौरा गांव में सामुदायिक बीज बैंक स्थापित करने के बारे में बताया। श्री रामेश्वर तिवारी पूरे गांव को स्थानीय किस्मों के उन्नत बीजों को बांटने में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। कुल मिलाकर डॉ. अरुण त्रिपाठी, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, आईजीवीके, बलरामपुर के गहन प्रयासों के कारण कार्यक्रम बहुत सफल रहा।

## 8.24 केन्द्रीय औषधीय एवं सगंधीय पौधा संस्थान (सीएसआईआर— सीआईएमएपी), लखनऊ

दुधवा बाघ अभ्यारण्य, पालिया ब्लॉक, लखीमपुर जिला, उत्तर प्रदेश में 13 मार्च 2014 को प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें क्षेत्र के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के 110 किसानों ने भाग लिया। डॉ. ओ.पी. धवन, डॉ. ए.के. गुप्ता, डॉ. वी.के. एस. तोमर और डॉ. संजय कुमार ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के प्रावधानों पर व्याख्यान दिए और बताया कि प्रजनकों व किसानों के अधिकार क्या हैं और किसान अपनी विकसित हुई किस्मों को किस प्रकार पंजीकृत करा सकते हैं। किसानों को पीपीवी और एफआर अधिनियम, पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों, प्रतिवानों व सम्मानों के बारे में भी बताया गया जिन्हें प्राधिकरण ने शुरू किया है।

## 8.25 जौ पर पीपीवी एवं एफआर मुद्दों पर कृषक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम,

गेहूं अनुसंधान निदेशालय (डी डब्ल्यू आर), करनाल द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वावधान में कृषि विज्ञान केन्द्र, झज्जर, हरियाणा में ‘पौधा किस्म और कृषक अधिकारों की सुरक्षा’ और इससे संबंधित मुद्दों पर 14 मार्च 2014 को एक दिवसीय कृषक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीडब्ल्यूआर, करनाल की ओर से डॉ. विष्णु कुमार (पीआई, डीयूएस जौ) ने सभी प्रतिभागियों और महानुभावों का स्वागत किया। उन्होंने कार्यक्रम की विषय सूची और पीपीवी और एफआर अधिनियम का आरंभिक परिचय दिया। डॉ. अरुण गुप्ता, प्रधान वैज्ञानिक (फसल सुधार) ने पीपीवी और एफआर से संबंधित मुद्दों का सामान्य परिचय दिया तथा भारत में उपलब्ध सहायता और प्रणाली पर प्रकाश डाला। डॉ. ए.एस. खरूब, प्रधान अन्वेषक (जौ), नेटवर्क और डॉ. विष्णु कुमार, प्रधान अन्वेषक, डीयूएस (जौ) ने जौ में पीपीवी और एफआर की स्थिति तथा जौ की खेती

की आधुनिक तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया। डॉ. खरूब ने ‘ठेके पर खेती प्रणाली में’ माल्ट प्रकार के जौ की खेती की संभावना का वर्णन किया और बताया कि पंजाब व हरियाणा में निजी उद्योग के सम्पर्क से इसका लाभ उठाया जा सकता है। डॉ. आर.के. शर्मा, प्रधान अन्वेषक (संसाधन प्रबंध) ने गेहूं और जौ के लिए संसाधन प्रबंध संबंधी मुद्दों पर किसानों को सम्बोधित किया तथा संरक्षण कृषि पर भी बल दिया।

कृषि विज्ञान केन्द्र, झज्जर और रोहतक के वैज्ञानिकों/अधिकारियों ने भी इस जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. सुरेन्द्र दहिया, समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, झज्जर ने क्षेत्र में गेहूं और जौ की खेती के प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार में कृषि विज्ञान केन्द्र की भूमिका पर प्रकाश डाला। डॉ. राजेश कुमार, कृषि विज्ञान केन्द्र, झज्जर ने पादप सुरक्षा के उपायों के बारे में किसानों से चर्चा की। दो प्रगतशील किसानों, नामतः श्री अजित सिंह और श्री अरुण कादयान ने अन्य प्रतिभागियों के साथ अपनी सफलता की कहानियों की चर्चा की। श्री अरुण कादयान ने प्रतिभागियों को गेहूं की कृषक किस्म एचजेपी 181 भी दिखाई।



मुख्य अतिथि डॉ. (श्रीमती) सुशीला कुमार, प्रधान वैज्ञानिक, डीडब्ल्यूआर, करनाल ने किसान समूह को सम्बोधित किया और यह आशा व्यक्त की कि किसान जौ की किस्मों का पंजीकरण कराएंगे और इसके साथ ही वे अपने परंपरागत और ज्ञान से विकसित गेहूं तथा अन्य फसलों की किस्मों को पंजीकृत कराके उसका लाभ उठायेंगे। किसान इस क्षेत्र में लंबे समय से विभिन्न फसलों की परंपरागत किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं। जौ इस क्षेत्र की परंपरागत फसल है, इसलिए किसानों के पास स्थानीय किस्मों के पंजीकरण के बहुत अवसर पर कृषक महिलाओं द्वारा

बड़ी संख्या में भाग लेना प्रमुख विशेषता थी जिसकी मुख्य अतिथि ने सराहना की। किसानों को एकत्रित करने तथा स्थानीय सहायता प्रदान करने में कृषि विज्ञान केन्द्र, झज्जर ने बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया।

खेतिहर महिलाओं सहित लगभग 140 किसानों ने डीडब्ल्यूआर के स्टॉफ की सहायता से इस जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया तथा कार्यक्रम के मुद्दों पर गहन रुचि प्रदर्शित की। गोष्ठी के दौरान विभिन्न विषयों के वैज्ञानिकों ने किसानों के साथ चर्चा की तथा जौ के उत्पादन की व सुरक्षा की प्रौद्योगिकियों को किसानों तक पहुंचाया। इसके अलावा झज्जर जिले की कृषि पारिस्थितिक स्थितियों में जौ और गेहूं की फसलों की खेती की उत्पादन व सुरक्षा प्रौद्योगिकियों को भी किसानों तक पहुंचाने में इस कार्यक्रम से सहायता मिली।

इसके अतिरिक्त इस जागरूकता कार्यक्रम में किसानों की फसल से संबंधित शंकाओं पर चर्चा हुई और कृषकों के अधिकारों, प्रजनकों के अधिकारों, राष्ट्रीय जीन निधि, किस्म पंजीकरण प्रक्रिया, ग्रो आउट परीक्षण, पादप जीनोम संरक्षण समुदाय पुरस्कार पर भी प्रतिभागियों के साथ गंभीर चर्चा की गई।

## 8.26 तोरिया—सरसों अनुसंधान निदेशालय (डीआरएमआर), भरतपुर

**‘पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001’** पर तोरिया—सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर में 23 मार्च 2014 को एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। भरतपुर के आस—पास के क्षेत्रों से लगभग 1000 किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. धीरज सिंह, निदेशक, डीआरएमआर, भरतपुर; डॉ. एच.के. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक और डीआरएमआर में डीयूएस प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी; डॉ. अशोक शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विस्तार; और डॉ. पंकज शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, पादप रोगविज्ञान ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 से संबंधित विभिन्न विषयों पर किसानों को व्याख्यान दिए। इस कार्यक्रम का स्थानीय समाचार—पत्रों में व्यापक प्रचार—प्रसार किया गया।

## 8.27 कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएस), धारवाड़

कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के सहयोग से 15 मार्च 2013 को कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, पर एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया ताकि किसानों में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के बारे में जागरूकता सृजित की जा सके। डॉ. एन.के. बिरादरपाटिल, विशेष अधिकारी (बीज) बीज इकाई, यूएस, धारवाड़ ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा जागरूकता कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. आर.आर. हंचिनाल

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम पर एक दिवसीय जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। डॉ. एन.के. बिरादरपाटिल, विशेष अधिकारी (बीज), बीज इकाई, यूएस, धारवाड़ ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का उद्घाटन पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली के महापंजीकार डॉ. आर.सी.अग्रवाल ने किया तथा उन्होंने कृषकों के अधिकारों के बारे में किसानों को प्रेरित किया और बताया कि किस प्रकार प्राधिकरण किसानों के हितों की रक्षा करने और पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में उन्हें प्रोत्साहित करने तथा किस्मों के विकास में योगदान देने के प्रति प्रतिबद्ध है। विशेष अधिकारी (बीज), बीज इकाई, यूएस, धारवाड़ ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों तथा किसानों के अधिकारों की सुरक्षा का लाभ उठाने पर व्याख्यान दिया। उत्तर कर्नाटक के विभिन्न जिलों से आय 200 से अधिक किसानों ने इस जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और वर्तमान संदर्भ में कृषि से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में ज्ञान अर्जित किया।



कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के सहयोग से 25 मार्च 2013 को कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, पर एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया ताकि किसानों में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के बारे में जागरूकता सृजित की जा सके। डॉ. एन.के. बिरादरपाटिल, विशेष अधिकारी (बीज) बीज इकाई, यूएस, धारवाड़ ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा जागरूकता कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. आर.आर. हंचिनाल

ने किया जो तत्कालीन कुलपति थे। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने भूप्रजातियों के संरक्षण में किसानों, विशेष रूप से खेतिहर महिलाओं की प्रशंसा की। उन्होंने किसानों द्वारा संरक्षित किस्मों और भूप्रजातियों की सुरक्षा के लिए उन्हें पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में पंजीकृत कराने का परामर्श दिया। डॉ. एस. प्रभु कुमार, परियोजना निदेशक, दक्षिणी अंचल, भा.कृ.अ.प., बंगलौर ने जनसमूहों को सम्बोधित करते हुए किसानों के बड़ी संख्या में आने पर प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए भूप्रजातियों की सुरक्षा की सलाह दी। डॉ. ए.सी. घोष (कृषि विस्तार और सामान्य प्रशासन), भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली; डॉ. एल. कृष्ण नायक, विस्तार निदेशक, यूएस, धारवाड़; डॉ. जी.एस. दासोग, डीन (कृषि), यूएस, धारवाड़, मुख्य अतिथि थे और डॉ. एम.बी. चेट्टी (शिक्षा निदेशक, यूएस, धारवाड़) ने समारोह की अध्यक्षता की। अपनी अध्यक्षीय टिप्पणियों में उन्होंने किसानों को उनके द्वारा संरक्षित जीनप्रूरूपों के विशेष गुणों को प्रलेखित करने तथा अधिकारों के उल्लंघन के बिना अपनी किस्मों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पंजीकृत कराने की सलाह दी। उत्तर कर्नाटक के विभिन्न जिलों से लगभग 180 किसानों ने इस प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया और वर्तमान संदर्भ में कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। डॉ. रवि हुंजे, एसोसिएट प्राध्यापक, बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

## 8.28 विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (वीपीकेएस), अल्मोड़ा



**'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीपीवी और एफआरए), 2001'** पर एक विचारोत्तेजक कार्यशाला वीपीकेएस, अल्मोड़ा द्वारा आईवीआरआई,

मुक्तेश्वर के क्षेत्रीय केन्द्र पर दिनांक 23 मार्च 2014 को पर्वतीय किसानों के लिए आयोजित की गई। इस कार्यशाला को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य किसानों के बीच पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना था। डॉ. पी.के. अग्रवाल, अध्यक्ष, फसल सुधार प्रभाग, वीपीकेएस ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और उन्हें कार्यशाला के उद्देश्यों से अवगत कराया। उन्होंने किसानों को उनकी परंपरागत किस्मों को सुरक्षित करने हेतु प्रोत्साहित किया और आश्वासन दिया कि इस दिशा में उन्हें हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। कार्यशाला के दौरान दिए गए व्याख्यानों का विवरण इस प्रकार है :

1	पौधा किस्म तथा कृषि अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001	डॉ. एच.एस. हंचिनाल
2	जैवविविधता संरक्षण, उपयोग एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकार मुद्दे	डॉ. ए.के. त्रिवेदी
3	पौधों किस्मों का व्यावासायीकरण	डॉ. पी.के. अग्रवाल
4	आईटीके का कृषि एवं महत्व में भौगोलिक संकेतक (जीआई)	डॉ. राजेश खुल्बे
5	डीयूएस परीक्षण के आधार पर पौधा किस्मों का पंजीकरण	श्रीमती शेफालिका आप्रपाली
6	उत्तराखण्ड में बागवानी फसलों की खेती	डॉ. बी. एल. अत्री

किसानों और वैज्ञानिकों सहित कुल 72 प्रतिभागियों ने इस विचारोत्तेजन कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. अतीकुलाह जी.ए. विस्तार वैज्ञानिक, वीपीकेएस, अल्मोड़ा ने अधिनियम तथा किसानों के लाभ के लिए अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में पूर्व सूचना के संबंध में एक सर्वेक्षण किया। अधिकांश किसान इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हें दिए जाने वाले अधिकारों से अपरिचित थे। इस अवसर पर '**पौधा किस्म की सुरक्षा एवं कृषक अधिकार**' पर एक पम्फलेट भी प्रकाशित किया गया।

## 8.29 केन्द्रीय रोपण फसलें अनुसंधान संस्थान (सीपीसीआरआई), कासरगोड़

**सीपीसीआरआई** ने रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान दो जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 मार्च 2014 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 में उल्लिखित किसानों

के अधिकारों के बारे में सूचित करते हुए स्टेकहोल्डरों को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान के कीडू स्थित क्षेत्रीय केन्द्र में आयोजित किया गया। आमंत्रित मुख्य अतिथि तथा अन्य महानुभावों में श्री कृष्ण प्रसाद मदथिला, अध्यक्ष, कुक्के श्री सुब्रामाण्य मंदिर; श्रीमती शारदा, अध्यक्ष, ग्राम पंचायत, बिलिनेले; श्रीमती कुमारी वासुदेवन, सदस्य जिला पंचायत; श्रीमती सरोजनी जयप्रकाश, सदस्य, ताल्लुक पंचायत; डॉ. अनीता करुण, अध्यक्ष, फसल सुधार प्रभाग, सीपीसीआरआई, कैसरगोड; डॉ. के.एस. आनन्द, अध्यक्ष, सीपीसीआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, विट्टल थे। दिए गए व्याख्यानों का विवरण निम्नानुसार है :

- पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 एवं कृषक अधिकार
- चावल में पौधा किस्म संरक्षण एवं डीयूएस परीक्षण
- पौधा किस्म संरक्षण एवं मसालों के लिए डीयूएस दिशानिर्देश
- फल फसलों के लिए डीयूएस दिशानिर्देश
- औषधीय पौधे एवं पूर्वी घाटों की प्रजातियां
- काजू – विवरणों के लिए डीयूएस दिशानिर्देश
- नारियल, सुपारी और कोको के लिए डीयूएस दिशानिर्देश



साज–संसाधनों व्यक्तियों नामतः डॉ. निरंजर मूर्ति, प्राध्यापक, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलुरु; डॉ. पी. महादेव, प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, मांड्या; डॉ. एस.के. आंके गौड़ा, अध्यक्ष, इलायची अनुसंधान केन्द्र, अप्पनगाला; डॉ. प्रभाकर, एसएमएस, कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनिकोप्पा, कोडाग्; श्री एम दिनेश नायक, परामर्शक, हरित पट्टी, एमएसईजैड, मंगलौर; डॉ. जी.एस. मोहन, वरिष्ठ वैज्ञानिक, काजू अनुसंधान निदेशालय, पुन्तूर; डॉ. वी. निराल, प्रधान वैज्ञानिक, सीपीसीआरआई, कैसरगोड। इस

कार्यशाला में कुल मिलाकर 140 प्रतिभागी थे।

द्वितीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम केवीके एलेप्पी, सीपीसीआरआई द्वारा केवीके – सीपीसीआरआई क्षेत्रीय केन्द्र, कायांगुलम में 21 नवम्बर 2013 को आयोजित किया गया। डॉ. वी.के. राजू, एसोसिएट अनुसंधान निदेशक, केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लर निकारा इस प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे जिसमें आस–पास के क्षेत्र के किसानों सहित 125 से अधिक प्रतिभागी मौजूद थे।

इस अवसर पर पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 व कृषकों के अधिकारों, कृषक किस्मों के पंजीकरण, कंद फसलों के डीयूएस दिशानिर्देश, पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों व नारियल के डीयूएस दिशानिर्देशों पर व्याख्यान दिए गए। तीन संसाधन व्यक्ति नामतः डॉ. एस. रेगीना, अध्यक्ष, फार्मिंग प्रणाली अनुसंधान केन्द्र, सदानन्दपुरम; डॉ. एम.एन. शीला, अध्यक्ष, फसल सुधार प्रभाग, सीटीसीआरआई, श्रीकार्याम; और डॉ. रेगी जे. थॉमस, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीपीसीआरआई क्षेत्रीय केन्द्र, कायमकुलम भी इस अवसर पर मौजूद थे।

### 8.30 केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएफ), बैरकपुर

केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएफ, बैरकपुर पटसन की किस्मों के डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र है। डीयूएस परीक्षण सीआरआईजेएफ फार्म, बैरकपुर में किए जाते हैं और इसके साथ ही ये केन्द्रीय बीज अनुसंधान केन्द्र – पटसन एंव सम्बद्ध रेशा, बुद बुद, बर्दवान में भी किए जाते हैं। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) की वित्तीय सहायता से सीआरआईजेएफ, बैरकपुर में 20 जून 2013 को एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों के बीच बौद्धिक सम्पदा अधिकारों, पटसन की किस्मों और कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाना था। डॉ. डी.के.डे, पूर्व प्राध्यापक, पादप प्रजनन विभाग, बीसीकेवी और सदस्य डीयूएस परीक्षण निगरानी दल; डॉ. ए.के. बसु, अध्यक्ष, बीज विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग, बीसीकेवी तथा अन्य महानुभाव इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। बदुरिया, 24 परगना (उत्तर), बालागढ़, नादिया, हुगली, पुरुलिया, तारमेश्वर, करियापाड़ा, बैरकपुर, 24 परगना (दक्षिण) से लगभग 80 किसानों ने इस कार्यक्रम

में भाग लिया। अपने स्वागत भाषण में डॉ. एस. सतपती, निदेशक, सीआरआईजेएफ ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व व पादप किस्मों की सुरक्षा के महत्व व आवश्यकता के बारे में संक्षेप में बताया। डॉ. जे. मित्रा (नोडल अधिकारी, डीयूएस) ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिकारों, अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों, राष्ट्रीय जीन निधि के अधिदेश और इस अधिनियम के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताया। तकनीकी सत्र 1 और 2 में डॉ. डी.के. डे और डॉ. ए.के. बसु की अध्यक्षता में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश – पटसन, पटसन का संदर्भ संकलन व इसका रखरखाव, नई किस्मों की सुरक्षा के लिए आवेदन–पत्र भरने, पटसन की वाणिज्यिक किस्मों की पहचान हेतु आणिक टैग का विकास और इसके साथ–साथ पटसन के डीयूएस परीक्षण की वर्तमान स्थिति पर 5 संसाधन व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान दिए गए। कार्यक्रम के अंत में डॉ. एस. सतपती, निदेशक, सीआरआईजेएफ ने प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र प्रदान किए।

### 8.31 बाजरा पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, जोधपुर



एआईसीपीएमआईपी, मंदौर, जोधपुर में 20 सितम्बर 2013 को 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिकार एवं डीयूएस परीक्षण' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 21 वैज्ञानिकों/ तकनीकी व्यक्तियों (17 सार्वजनिक व 4 निजी) को बाजरा में पीपीवी और एफआर द्वारा दिए गए डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार पर्यवेक्षण रिकॉर्ड करने का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया गया।

### 8.32 मक्का अनुसंधान निदेशालय (डीएमआर), नई दिल्ली

'मक्का में डीयूएस परीक्षण' शीर्षक से एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम एनआरसीपीबी सभागार, पूसा परिसर, नई दिल्ली में 22 सितम्बर 2013 को आयोजित किया गया। भा.कृ.अ.प. के विभिन्न संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों व निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित कुल 45 प्रजनकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. जे. एस. चौहान (सहायक महानिदेशक, बीज, भा.कृ.अ.प.) तथा डॉ. साई दास (पूर्व परियोजना निदेशक, डीएमआर) इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। डॉ ओ.पी. यादव, परियोजना निदेशक ने प्रतिभागियों को नवीनता से युक्त डीयूएस संबंधी विशेषताओं, डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत प्रत्याशी प्रविष्टियों की समरूपता व स्थायित्व के महत्व से अवगत कराया। इसे ध्यान में रखते हुए डॉ. ज्योति कौल, नोडल अधिकारी ने 'मक्का के 31 गुणों को किस प्रकार रिकॉर्ड करें' पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। इसके बाद एक फील्ड दौरा आयोजित किया गया जहां प्रजनकों को दिशानिर्देशों के अनुसार मक्का में 31 डीयूएस गुणों की सही अभिव्यक्ति को रिकॉर्ड करने के बारे में सिखाया गया।

### 8.33 प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केन्द्र, रोहर



कृषि विज्ञान केन्द्र, रोहरु (शिमला) में 23 सितम्बर 2013 को एक दिवसीय जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री मोहन लाल ब्रावटा जी, श्री आई डी छुहारू जी, अध्यक्ष, कांग्रेस रोहरु थे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी कृषि विज्ञान केन्द्र, रोहरु के औपचारिक स्वागत से हुआ तथा माननीय कुलपति, डॉ. के.के. कटोच, सीएसएचपीकेवी, पालमपुर ने अध्यक्षीय भाषण दिया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा एक सेब प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें किसानों को पुरस्कार प्रदान किए गए। महिलाओं सहित लगभग 150 किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. डी.एस. पिलानिया, तकनीकी अधिकारी ने प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया तथा ‘पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001’ पर व्याख्यान दिया तथा प्राधिकरण की गतिविधियों पर प्रकाश डाला।

### 8.34 प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केन्द्र, धौला कुंआ



कृषि विज्ञान केन्द्र, धौला कुंआ (सिरमौर) में सीएसएचपीकेवी द्वारा 25 सितम्बर 2013 को एक अन्य एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस), हिमाचल प्रदेश सरकार थे। पीसी, कृषि विज्ञान केन्द्र, धौला कुंआ ने इस अवसर पर स्वागत भाषण दिया। सीएसएचपीकेवी के माननीय कुलपति डॉ. के.के. कटोच ने अध्यक्षीय भाषण दिया। महिलाओं सहित लगभग 170 किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. डी.एस. पिलानिया, तकनीकी अधिकारी, पीपीवी और एफआरए ने ‘पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001’

पर व्याख्यान दिया।

### 8.35 उदयपुर में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम



महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर में 26 सितम्बर 2013 को प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आस-पास के क्षेत्र के छात्रों, संकाय सदस्यों तथा महिला किसानों सहित लगभग 150 प्रतिभागी उपस्थित थे। डॉ. मनोज श्रीवास्तव, पंजीकार, पीपीवी और एफआरए ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम पर एक व्याख्यान दिया। एक महिला सरपंच ने स्वैच्छिक रूप से इस कार्यक्रम में भाग लिया। किसानों और छात्रों से बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं।

### 8.36 राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीएस), ताबिजी, अजमेर



‘पौधा किस्मों और कृषकों के अधिकारों’ पर कृषकों के लिए प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एन आर सी एस एस, ताबिजी, अजमेर में 30 सितम्बर 2013 को किया गया। इसका प्रायोजन पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली ने किया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. बलराज सिंह, निदेशक, एन आर सी एस एस, अजमेर थे और डॉ. आर.के. काकनी,

प्रधान वैज्ञानिक (पादप प्रजनन), एन आर सी एस एस, अजमेर सम्मानीय अतिथि थे। इस कार्यक्रम के संयोजक डीयूएस परियोजना के प्रधान अन्वेषक डॉ. आर.एस. मीना थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी वैज्ञानिक, प्रशासनिक स्टाफ तथा ठेके पर कार्यरत अन्य स्टाफ भी उपस्थित थे। आरंभ में प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषक अधिकार कृषि का विकास शीर्षक का हिन्दी में तैयार किया गया एक वृत्त चित्र दिखाया गया जिसे पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया था। इसके पश्चात् डॉ. बलराज सिंह, निदेशक, एनआरसीएसएस ने 'किसानों के लाभ के लिए लाभदायक



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम' पर एक व्याख्यान दिया जिसके पश्चात् डॉ. आर.एस. मीना ने 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण कानून का क्रियान्वयन' पर व्याख्यान दिया; तत्पश्चात् डॉ. आर.के. काकनी, प्रधान वैज्ञानिक (पादप प्रजनन), एनआरसीएसएस ने 'कृषि जैवविविधता का संरक्षण' पर; डॉ. शारदा चौधरी, वैज्ञानिक, जैवप्रौद्योगिकी, एन आर सी एस एस ने 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण से अपेक्षा' तथा अंत में डॉ. आर.के. सोलंकी, वैज्ञानिक (पादप प्रजनन) ने 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित फसलें' पर इस कार्यक्रम में व्याख्यान दिया। 39 खेतिहार महिलाओं सहित लगभग 101 प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इन प्रतिभागियों में 9 छात्र तथा 2 कृषि पर्यवेक्षक थे तथा शेष राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए किसान, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि व वैज्ञानिक थे। किसानों को किस्मों के पंजीकरण व कृषकों के अधिकारों से अवगत कराया गया। डॉ. कृष्णकांत, वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा श्री एस. आर. बालर्ज, वरिष्ठ तकनीशियन ने प्रतिभागियों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की। डॉ.

आर.एस. मेहता, वरिष्ठ वैज्ञानिक और श्री पी.के. अग्रवाल, वरिष्ठ तकनीशियन ने प्रतिभागियों के लिए परिवहन सुविधा की व्यवस्था की। सभी प्रतिभागियों का डॉ. अल्का पवार, एसआरएफ, डीयूएस परियोजना ने पंजीकरण किया।

### 8.37 बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान इकाई, एमपीकेवी, राहुड़ी

एमपीकेवी, राहुड़ी द्वारा 19 अक्टूबर 2013 को एक प्रशिक्षण—व—जागरूकता कार्यक्रम, कृषक किस्मों की प्रदर्शनी और कृषक किस्मों के तत्काल पंजीकरण का कार्यक्रम 19 अक्टूबर 2013 को आयोजित किया गया। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे और डॉ. टी.ए. मोरे, माननीय कुलपति, एम.पी.केवी. ने समारोह की अध्यक्षता की। डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण भी इस अवसर पर मौजूद थे। कृषक किस्मों के 16 विभिन्न फसलों से संबंधित 100 आवेदन तत्काल भरे गए और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली को एमपीकेवी, राहुड़ी से प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केन्द्रों ने निम्नानुसार 7 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।



क्र. सं.	संस्थान के नाम	तिथि	स्थान
1	के वी के, बारामती	4 दिसम्बर 2013	भार, जिला पुणे
2	के वी के, जालना	28 जनवरी 2014	जालना
3	के वी के, बभलेश्वर	31 जनवरी 2014	बभलेश्वर
4	एसटीआरयू, डॉ. पीडीकेवी, अकोला	18 फरवरी 2014	यावतमल

5	डीएसआर, हैदराबाद	4 मार्च 2014	सोलापुर
6	एनआरसी, अंगूर, पुणे	4 मार्च 2014	पुणे
7	एसटीआरयू, डॉ. पीडीकेवी, अकोला	9 मार्च 2014	बुलढाना

### 8.38 डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, क्षेत्र बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, मशोबरा, शिमला

‘शीतोष्ण फसलों के विशेष संदर्भ में पौधा किस्म और कृषक अधिकारों की सुरक्षा’ पर प्रशिक्षण—व—जागरूकता कार्यक्रम मशोबरा में 26 नवम्बर 2013 को आयोजित किया गया। 73 किसानों, सार्वजनिक क्षेत्र के 22 प्रतिनिधियों व 6 अनुसंधानकर्ताओं सहित कुल 101 प्रतिभागी इस अवसर पर मौजूद थे। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के पंजीकार डॉ. तेजबीर सिंह ने ‘पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001’ किस्मों के पंजीकरण और प्रजनकों के अधिकारों पर एक व्याख्यान दिया। डॉ. एम.एस. मनकोटिया, प्राध्यापक (फल विज्ञान), आर एच आर और टी एस, मशोबरा में शीतोष्ण फलों के संदर्भ में डीयूएस परीक्षण से जुड़े मुद्दों पर एक प्रस्तुतीकरण दिया व डॉ. बी.एस. ठाकुर, एसोसिएट निदेशक (आर और ई), आर एच आर और टी एच, मशोबरा ने शीतोष्ण फलों की जैवविविधता और पौधा किस्मों की सुरक्षा में इसकी संभावना पर प्रकाश डाला।

### 8.39 केरल कृषि विश्वविद्यालय (केएयू), पालककड़



कृषि विज्ञान केन्द्र, पट्टम्बी व आई पी आर प्रकोष्ठ,

केरल कृषि विश्वविद्यालय ने 11 दिसम्बर 2013 को पालककड़ में संयुक्त रूप से प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। उद्घाटन समारोह में श्री के. रामचन्द्रन, जिलाधीश, पालककड़ मुख्य अतिथि थे। डॉ. सी.आर. एल्से, आई पी आर कोष्ठ, केरल कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक व्याख्यान दिया। उन्होंने किसानों तथा उनके समुदायों द्वारा पादप आनुवंशिक संसाधनों और भूप्रजातियों के संदर्भ में निभाई जाने वाली भूमिका के लिए प्राधिकरण द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए शुरू किए गए विभिन्न पुरस्कारों के बारे में चर्चा की। श्री पी. नारायणन उन्नी प्राधिकरण के एक पूर्व सदस्य और पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार प्राप्तकर्ता व डॉ. बी. प्रदीश ने अपने अनुभव बताए। डॉ. सी.आर. एल्सी, प्राध्यापक (आई पी आर कोष्ठ), केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लानिकारा, त्रिशूर; डॉ. एम. इब्राहिम थॉमस, एसोसिएट प्राध्यापक, कृषि विस्तार, कृषि विज्ञान केन्द्र, पालककड़ और डॉ. सी.के. यामिनी वर्मा, एसोसिएट प्राध्यापक, पादप सुरक्षा, कृषि विज्ञान केन्द्र, पालककड़ संसाधन व्यक्ति थे। किसानों



को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के कार्यक्रमों से अवगत कराया गया तथा उन्हें अपनी नवीन विधियों और कृषक अन्वेषके के रूप में अपनी किस्मों को पंजीकृत कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कुछ किसानों ने कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों की सहायता से पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के निर्धारित फार्मेट में पंजीकरण फार्म भरे। इस जागरूकता कार्यक्रम से किसानों की अपने अधिकारों के बारे में समझ स्पष्ट हुई तथा वे अपनी नई युक्तियों और किस्मों को पंजीकृत कराने के प्रति प्रेरित हुए। पालकाड जिले के विभिन्न स्थानों से आए 134 किसानों ने इस जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।

## 8.40 केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर



**'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001'** के प्रावधानों के बारे में किसानों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) जाधपुर द्वारा भुज (कच्छ) 13 सितम्बर 2013 को प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कच्छ में स्थित भुज कृषि जैवविविधता का एक प्रमुख हॉट स्पॉट है। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल जो इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे ने भू-प्रजातियों के संरक्षण, चयन व उनकी खेती करने में किसानों की बहु भूमिकाओं की सराहना की और उनसे अनुरोध किया कि वे इन भूप्रजातियों के पंजीकरण पर ध्यान दें। श्री टी के छंगा, प्रमुख, जिला पंचायत भुज ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने किसानों से इस अधिनियम के सकारात्मक पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध किया तथा यह अनुरोध किया कि वे इसका उपयोग अपने स्वयं तथा समुदाय के लाभ के लिए करें। डॉ. एम.एम. राय, निदेशक, काजरी ने कच्छ क्षेत्र में कृषि के विकास में काजरी की भूमिका के बारे में बताया। काजरी तथा भुज में मौजूद राज्य विभागों के 9 संसाधन व्यक्तियों ने जैव विविधता और इसके संरक्षण तथा कृषकों के अधिकारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं से किसानों को अवगत कराया। डॉ. आर.के भट्ट, प्रधान अन्वेषक ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 व पाधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करते हुए एक परियोजना पर प्रकाश डाला और उन्होंने कृषक किस्मों के पंजीकरण तथा समुदाय

को दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में जानकारी दी। कुल 105 किसानों, 30 कृषक महिलाओं, 15 संबंधित विभाग के स्थानीय अधिकारियों और कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्मिकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

## 8.41 तिलहन अनुसंधान निदेशालय (डीओआर), राजेन्द्रनगर, हैदराबाद

**'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण'** पर प्रशिक्षण—व—जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 19 दिसम्बर 2013 को श्री अरोबिन्दो केवीके, गददीपल्ली गांव (गरिदीपल्ली मंडल), नालगोडा जिले में किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों अंचल 5 के सरकारी व स्वयं सेवी संगठनों, नव प्रवर्तक/प्रगतशील किसानों जो आंध्र प्रदेश के नालगोडा और कृष्णा जिलों से आए थे, उनके सहित लगभग सौ प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य कृषकों तथा समुदाय के अधिकारों पर बल देते हुए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करना था। इस अवसर पर कृषकों के अधिकारों, राष्ट्रीय जीन निधि, पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों, कृषक किस्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन भरने से संबंधित तेलुगू में अनुवाद किए गए पोस्टर प्रशिक्षण स्थल पर लगाए गए।



श्री गोपाल रेड्डी, सचिव, श्री अरोबिन्दो कृषि विज्ञान केन्द्र, उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे। डॉ. दत्तात्रे, प्रधान वैज्ञानिक, जैडपीडी-ट मुख्य अतिथि थे। जागरूकता कार्यक्रम में डॉ. सी. लावण्य, प्रधान वैज्ञानिक, डीओआर ने कृषकों के अधिकारों पर और डॉ. जी.डी. सतीश, वरिष्ठ वैज्ञानिक, डीओआर ने राष्ट्रीय जीन निधि पर समुदाय पुरस्कारों पर व्याख्यान दिए। एनबीपीजीआर, क्षेत्रीय

केन्द्र, हैदराबाद के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. सरथ बाबू ने संजीवीन रुरल डेवलपमेंट सोसायटी, विशाखापत्नम का उदाहरण देते हुए सामुदायिक अधिकारों के लिए आवेदनों हेतु क्रियाविधि पर एक व्याख्यान दिया। कृषक किस्मों के पंजीकरण की क्रियाविधि का वर्णन डॉ. एन. मुक्ता, प्रधान वैज्ञानिक, डीओआर और डॉ. ए. प्रवीण रेड्डी, एस आर एफ, डीयूएस परियोजना, डी ओ आर ने किया।

किसान कृषक किस्मों की सुरक्षा तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत किसानों व समुदायों के अन्य अधिकारों के बारे में जानने को बहुत उत्सुक थे। चर्चा सत्र के दौरान किसानों से पूछा गया कि वे पुरस्कारों के पात्र होने पर किस प्रकार आवेदन करेंगे तथा उन्हें आवेदन—पत्र भरने में संसाधन व्यक्तियों से सम्पर्क करने के बारे में बताते हुए और सहायता प्रदान की गई।

#### **8.42 चावल अनुसंधान निदेशालय (डीआरआर), हैदराबाद**

डी आर आर, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद में 21 दिसम्बर 2013 और 5 मार्च 2014 को ‘पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 तथा इसके प्रावधानों’ पर 2 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित किए गए थे, ताकि कृषि विभाग के कृषि अधिकारियों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहायक प्राध्यापकों/वैज्ञानिकों, स्वयंसेवी संगठनों और प्रगतशील किसानों के बीच इस संबंध में जागरूकता सृजित की जा सके। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के कार्यों, कृषकों के अधिकारों, सामुदायिक सम्मान पुरस्कारों, कृषक किस्मों के पंजीकरण आदि के बारे में जागरूकता पैदा करना था।

#### **8.43 कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएएस), बंगलुरु**

यूएएस, बंगलुरु में प्रशिक्षा—व—जागरूकता कार्यक्रम : पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम जीकेवीके, बंगलुरु में 21 दिसम्बर 2013 को आयोजित किया गया। पादप आनुवंशिक एवं संसाधन विभाग, जैवप्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिकों, छात्रों, अनुसंधान कर्ताओं और प्रगतशील किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.

आर. हंचिनाल को इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमत्रित किया गया तथा जीकेवीके, बंगलुरु के विस्तार निदेशक और अनुसंधान निदेशक तथा माननीय कुलपति ने भी इस अवसर की शोभा बढ़ाई। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के पंजीकार डॉ. रवि प्रकाश और विधिक सलाहकार श्री टी.एस. राजगणेश भी इस अवसर पर उपस्थित थे और उन्हें पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत कृषक किस्मों के पंजीकरण के महत्व व कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डाला। प्राधिकरण की गतिविधियों को दर्शाने के लिए इस अवसर पर प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें कृषक किस्में प्रदर्शित की गई तथा पौस्टर, चार्ट व अन्य साहित्य भी दर्शाए गए। कृषि जैवविधिता पर नुककड़ नाटक के साथ प्रतिभागियों के लाभ के लिए एक वृत्त चित्र भी दिखाया गया।

#### **8.44 जागरूकता कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केन्द्र, हलकोटी**

के.एच. पाटिल, कृषि विज्ञान केन्द्र हलकोटी ने कर्नाटक के गडग जिले में स्टेक होल्डरों के लिए जिनमें किसान भी शामिल थे, 28 दिसम्बर 2013 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों पर जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने किसानों से उनकी परंपरागत बीज किस्मों के पंजीकरण और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 का लाभ उठाने का आहवान किया। उन्होंने बताया कि परंपरागत बीज किस्मों का उपयोग नई किस्मों को विकसित करने में किया जा सकता है और जिससे लोगों को खाद्य और पोषणिक सुरक्षा दिलाई जा सकती है।

श्री सी.वी. बालारेड्डी, संयुक्त निदेशक – कृषि भी कृषक समुदाय के साथ इस अवसर पर मौजूद थे। श्री सी.आर. बुदिहाल, चेन्ना वीरेश्वर, बीज बैंक के अध्यक्ष ने अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा राज्य सरकार से परंपरागत बीजों की किस्मों के बीजोत्पादन कार्यक्रम को आरंभ करने के उपाय शुरू करने का अनुरोध किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजू, सी. कोरानुवर, धारित्री, जो परंपरागत बीज किस्मों के प्रवर्धन में लगा है, नामक

संगठन के निदेशक हैं, ने की। डॉ. एल.जी. हीरेगाउडर, कार्यक्रम समन्वयक ने कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्यों के बारे में बतायां उद्घाटन कार्यक्रम के बाद पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों पर किसानों को प्रेरित करने के लिए एक अन्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की गतिविधियों पर कन्नड़ भाषा में संसाधन सामग्री किसानों के बीच बांटी गई। इस अवसर पर किसानों द्वारा संरक्षित परंपरागत बीज किस्मों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसका उद्घाटन डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली ने किया। कृषि विज्ञान केन्द्र ने गडग जिले के उन 13 किसानों को सम्मानित किया जो परंपरागत बीज किस्मों के उत्पादन व संरक्षण के कार्य में रत थे। इन किसानों की किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन भी पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

इस अवसर पर ज्वार, गेहूं, मक्का, मूंग, चना, लोबिया, मटर, उड़द, मूंगफली, बैंगन आदि की परंपरागत किस्में भी प्रदर्शित की गई।

#### 8.45 केन्द्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र (सीटीसीआरआई), भुवनेश्वर

'कंद फसल किस्मों की सुरक्षा और कंद फसलों के माध्यम से आजीविका में सुधार के प्रति जागरूकता' पर सीटी सी आर आई द्वारा तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जो किसानों, स्वयं सहायता समूहों व स्वयं सेवी संगठनों के लिए थे जो निम्नानुसार हैं :



- रांची, झारखण्ड और नारायणपुर, छत्तीसगढ़ से कुल 180 किसानों को 7-9 अक्टूबर 2013 व 28-30 दिसम्बर 2013 को आरसी-सीटीसीआरआई, ओडिशा में प्रशिक्षण
- महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और आदिवासी किसानों को कोरापुट, ओडिशा में 24-27 जून 2013 को प्रशिक्षण
- ब्रह्मागिरि, पुरी और ब्यालिस मौजा, ओडिशा के कृषकों, खेतिहर महिलाओं व स्वयं सेवी संगठनों को तारो की खेती की विभिन्न अवस्थाओं पर प्रशिक्षण

#### 8.46 भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हैसरगट्टा लेक पोस्ट, बंगलुरु

बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा एचसी और आरआई, तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर जो पपीते के डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास का सह नोडल केन्द्र है, में 'पौधा किस्मों और कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा' पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 'फल फसलों में आईपीआर मुद्दों पर डॉ. जे. ऑक्सीलिया, जो इस परियोजना के सह-प्रधान अन्वेषक हैं, ने एक व्याख्यान दिया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में किसानों द्वारा फलों की विभिन्न किस्में प्रदर्शित की गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 100 किसानों ने भाग लिया।

#### 8.47 भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर), लखनऊ

रिपोर्टर्धीन वर्ष के दौरान पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से संस्थान ने दो प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। पहला जागरूकता कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र, आईआईएसआर, लखनऊ में 28 मार्च 2014 को आयोजित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रो. मुन्ना सिंह, कुलपति, चंद्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर थे तथा डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महापंजीकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण सहित इस प्राधिकरण के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। कार्यशाला के संसाधन व्यक्तियों में डॉ. ओ.के. सिन्हा, डॉ. पी.के. सिंह, डॉ. जे. सिंह, डॉ. आर.के. सिंह और सुश्री अर्चना भट्ट शामिल थे। उद्घाटन भाषण कुलपति महोदय ने दिया। जबकि डॉ. आर.सी. अग्रवाल ने अपने उद्घाटन भाषण में प्रतिभागियों का स्वागत किया और उन्हें प्राधिकरण की गतिविधि से अवगत कराया। डॉ. पी.के. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, आई आई एस आर ने पौधा

किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा कृषकों के अधिकारों की व्याख्या की। दूसरे सत्र में एक अन्य संसाधन व्यवित ने गन्ना में डीयूएस परीक्षण प्रणाली की मूल संकल्पना, विशेषकर आम के वृक्षों में डीयूएस परीक्षण तथा आलू बीजोत्पादन पर पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रभाव के बारे में बताया। कार्यक्रम के अंत में आईआईएसआर परिसर, लखनऊ का एक भ्रमण भी कराया गया। कार्यशाला के तात्कालिक प्रभाव के मूल्यांकन में यह पाया गया कि प्रशिक्षु किसान इस विषय से अनभिज्ञ थे और वे अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में इस कार्यशाला से सजग हुए। अनेक किसानों ने कृषक किस्मों के पंजीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की और प्रशिक्षण के दौरान उन्हें पंजीकरण हेतु आवेदन—पत्र वितरित किए गए। किसानों सहित इस कार्यक्रम में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

#### 8.48 चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसएयूए एवं टी), कानपुर



विश्वविद्यालय ने 30 मार्च 2014 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में विश्वविद्यालय से 50 कि.मी. दूर पतरसा गांव में एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 20 महिलाओं सहित लगभग 100 किसानों ने भाग लिया। डॉ. सी.पी. सचांग, नोडल अधिकारी, डीयूएस ने कृषकों के अधिकारों का

एक परिदृश्य प्रस्तुत किया जिसके बाद डॉ. महक सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, तोरिया और सरसों ने 'सरसों फसलों की कृषक किस्म के पंजीकरण की क्रियाविधि' पर एक और प्रस्तुतीकरण दिया। डॉ. संजीव कुमार सिंह, वैज्ञानिक, सब्जी विज्ञान विभाग ने 'सब्जियों में जैवविविधता और उनका संरक्षण' पर एक उपयोगी व अनौपचारिक प्रस्तुतीकरण दिया। डॉ. पी.एन. कटियार, प्राध्यापक, बागवानी विभाग व डॉ. एस. पी. त्यागी ने 'पुराने बागों के रखरखाव की तकनीकें' पर व्याख्यान दिया तथा इंदरजीत सिंह, उपनिदेशक, उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण ने 'भारत में पौधा किस्मों की सुरक्षा : एक परिदृश्य' पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम के अंत में किसानों को एक वृत्तचित्र दिखाया गया जिसका उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा वे प्रादिकरण में पंजीकरण हेतु अपनी सदियों पुरानी प्रजातियों को संरक्षित करने हेतु प्रेरित हुए। डॉ. सचान ने किसानों को संसाधन व्यवितरणों के साथ चर्चा करने हेतु प्रोत्साहित किया, ताकि वे किसानों के अधिकारों से संबंधित अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें व अपनी समस्याओं को हल कर सकें और कृषि से जुड़ी अपनी अन्य समस्याओं के भी समाधान पा सकें। इस कार्यक्रम से क्षेत्र के किसान बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्रादिकरण की सहायता से इस आयोजन को सम्पन्न करने के प्रयासों की सराहना की।



## 9. प्राधिकरण के सामान्य क्रियाकलाप

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान प्राधिकरण ने अपने मामलों तथा शासकीय कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनेक आयोजन किए व बैठकें आयोजित कीं। वर्तमान में किसानों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों को सुरक्षा हेतु अपनी किस्मों को पंजीकृत कराने में सुविधा प्रदान कराने के लिए प्राधिकरण के गुवहाटी और रांची में दो शाखा कार्यालय हैं। अध्यक्ष ने विभिन्न संगठनों/एजेंसियों के आमंत्रण पर अनेक स्थानों का दौरा किया। प्राधिकरण ने मुख्यालय तथा अन्य स्थानों पर अनेक बैठकें भी आयोजित कीं। इसकी गतिविधियों से संबंधित कुछ मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

### 9.1 प्राधिकरण का स्थापना दिवस

प्राधिकरण का नौवां स्थापना दिवस 11 नवम्बर 2013 को समिति कक्ष, नास (एनएएससी परिसर), नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आरंभ में डॉ. आर.सी.अग्रवाल, महा पंजीकार ने स्थापना दिवस पर अधिकारियों व स्टाफ का स्वागत किया तथा उन्हें विशेष रूप से पिछले एक वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा की गई प्रगति के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल ने प्राधिकरण के स्टाफ को सम्बोधित किया तथा उन्हें प्राधिकरण की प्रगति के लिए उनके द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए बधाई दी। उन्होंने स्टाफ से प्राधिकरण की आगामी प्रगति तथा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलकर दल के रूप में कार्य करने की अपील की। डॉ. आर.सी. अग्रवाल ने भी उपस्थित जनों को सम्बोधित किया तथा सभी अधिकारियों व स्टाफ सदस्यों से एक परिवार के रूप में व दल भावना से कार्य करने का अनुरोध किया।

### 9.2 प्राधिकरण का सतर्कता जागरूकता सप्ताह

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया। प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर. आर. हंचिनाल ने अपने मुख्य व्याख्यान में प्राधिकरण के अधिकारियों व स्टाफ को कर्तव्यनिष्ठा व इमानदारी से कार्य करने का परामर्श दिया। उन्होंने सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में कार्यों को निपटाने की अपील की। डॉ. आर.सी.अग्रपाल, महा

पंजीकार ने भी उपस्थित जनों को सम्बोधित किया और प्राधिकरण की भावी प्रगति के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दल के रूप में एकजुट होकर कार्य करने की स्टाफकर्मियों व अधिकारियों से अपील की। डॉ. मनोज श्रीवास्तव, डॉ. तेजवीर सिंह और डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार एवं अन्य अधिकारियों व स्टाफ इस अवसर पर उपस्थित थे तथा अध्यक्ष ने उन्हें एक सादे समारोह में ईमानदारी के साथ कार्य करने की शपथ दिलाई।



### 9.3 सरकारी कामकाज में हिन्दी के उपयोग की प्रगति



रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में 1-30 सितम्बर 2013 को हिन्दी चेतना मास का आयोजन किया गया। अधिकारियों के बीच हिन्दी के उपयोग के बढ़ावा देने के लिए 13 सितम्बर 2013 को 'पौधा संरक्षण में किसानों के अधिकार से देश के विकास

में सहयोग' पर एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। एक माह के इस अभियान के दौरान दिन-प्रतिदिन के सरकारी काम में हिन्दी के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए गए। अधिकारियों व स्टाफ को टिप्पण व मसौदा लेखन सहित उनके दिन-प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी का उपयोग करने की सलाह दी गई। उत्तर भारत के राज्यों से हिन्दी में शासकीय पत्राचार करने सहित जो पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए उनका उत्तर हिन्दी में देने के नियम का पालन किया गया।



डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने विजेताओं को प्राधिकरण के अधिकारियों की उपस्थिति में पुरस्कार तथा सराहना प्रमाण-पत्र प्रदान किए।

क्र. सं.	नाम	पद	पुरस्कार	रूपये
1	श्री श्याम नारायण प्रसाद	कंप्यूटर सहायक	प्रथम	500/-
2	कु. विजया चौधरी	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	द्वितीय	300/-
3	श्री नितेश कुमार वर्मा	कंप्यूटर सहायक	तृतीय	200/-
4	डॉ. धर्मेन्द्र सिंह पिलानियाँ	तकनीकी सहायक	सांत्वना	100/-
5	डॉ. मीनाक्षी भारद्वाज	पौधा किस्म परीक्षक	सांत्वना	100/-
6	डॉ. अमित दीक्षित	तकनीकी परीक्षक	सांत्वना	100/-

7	श्री. टी. स्टीफन	तकनीकी परीक्षक	सांत्वना	100/-
8	श्री. जतिन कुमार	कार्यालय सहायक	सांत्वना	100/-
9	श्री. प्रमोद कुमार छाबड़ा	रक्षक	सांत्वना	100/-
10	श्री. भगवती प्रसाद	चपरासी	सांत्वना	100/-

#### 9.4 सद्भावना दिवस

भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के जन्म दिवस को मनाने के लिए प्रति वर्ष सद्भावना दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी की सरकार का एकमात्र मिशन दूसरों के प्रति सद्भावना रखना था। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने भी 20 अगस्त 2013 को सद्भावना दिवस मनाया तथा प्राधिकरण के अध्यक्ष ने प्राधिकरण के सभी अधिकारियों व स्टाफ सदस्यों को सद्भावना बनाए रखने की शपथ निम्नानुसार दिलाई :

मैं शपथ लेता हूं कि मैं जाति, धर्म, क्षेत्र या भाषा के भेद-भाव के बिना भारत के सभी लोगों के साथ भावनात्मक एकता और सद्भावना से कार्य करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि मैं अपने सभी मतभेदों को वार्तालाप के माध्यम से संवैधानिक उपायों से बिना हिंसा का सहारा लिए मिटाऊंगा।

#### 9.5 शाखा कार्यालय, गुवहाटी

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के शाखा कार्यालय ने गुवहाटी में असम कृषि विश्वविद्यालय, एएयू खानपाड़ा, गुवहाटी के परिसर में 20 मई 2011 से कार्य करना प्रारंभ किया था। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट के बीच एक समझौते के करार पर हस्ताक्षर किए गए और कार्यालय को 5 मार्च 2012 को नए परिसर में हस्तांतरित किया गया। यह कार्यालय अब सभी सुविधाओं सहित पूर्णतः कार्य कर रहा है। शाखा कार्यालय के प्रमुख डॉ. ए.सी. सर्मा, उप पंजीकार हैं जिन्हें डॉ. ए.के. सिंह, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी की सहायता प्राप्त है। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान शाखा कार्यालय को पंजीकरण हेतु 308 आवेदन प्राप्त हुए। प्रारंभिक जांच के पश्चात् इन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु मुख्यालय को भेजा गया। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के गुवहाटी में शाखा कार्यालय की स्थापना उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों की आशाओं व अपेक्षाओं को पूरा

करने के लिए की गई है। यह क्षेत्र कृषि जैवविविधता के देश के हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में से एक है और कृषि जैवविविधता से सम्पन्न है। पीपीवी और एफआर अधिनियमों के प्रावधानों के प्रति जागरूकता लाने व शिक्षा देने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भा.कृ.अ.प. के संस्थानों, उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय व कृषि विज्ञान केन्द्रों की सहायता से गहन अभियान चलाया गया। उप पंजीकार ने मुख्यालय के अधिकारियों के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आयोजित कार्यबल की बैठकों के अलावा विभिन्न कार्यशालाओं, सेमिनार और बैठकों में भाग लिया। उन्हें डीयूए परीक्षणों की निगरानी करने असम कृषि विश्वविद्यालय में जीओ टी और टोकलई प्रायोगिक केन्द्र जोरहट में डीयूएस परीक्षणों को देखने के अलावा क्षेत्र में वर्ष भर प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। उप पंजीकार, गुवहाटी द्वारा जिन कार्यक्रमों में भाग लिया गया उनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार है :

- पेटेंट सूचना केन्द्र, असम विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद (एएसटीईसी), गुवहाटी द्वारा भारत सरकार, नई दिल्ली के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दी गई सहायता और प्रेरणा से 'आईपीआर पर



**अद्यतन जानकारी देने के लिए पुनर्शर्या पाठ्यक्रम'** आयोजित किया गया। यह पाठ्यक्रम ग्रीन बुड रिजोर्ट, खानपाड़ा, गुवहाटी में 15 –17 मई 2013 को आयोजित किया गया जिसमें डॉ. ए.सी. सर्मा, उप पंजीकार ने पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम पर एक प्रस्तुतीकरण दिया और परिचर्चात्मक सत्र भी आयोजित किया।

- डॉ. ए.सी. सर्मा, उप पंजीकार ने कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों व असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट के आर ए आर एस के समक्ष 29 मई 2013 को असम कृषि विश्वविद्यालय, खानपाड़ा में **पीपीवी और एफआर अधिनियम तथा पीजीएससी पुरस्कारों** के बारे में एक व्याख्यान दिया।
- बॉटनीकल सोसायटी ऑफ असम द्वारा 21–22 जून 2013 को आर्या विद्यापीठ महाविद्यालय, गुवहाटी में **नम भूमि पारिस्थितिक प्रणाली** : उत्तर भारत के विशेष संदर्भ में संरक्षण और प्रबंध पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, वनस्पतिविदों, प्राध्यापकों और छात्रों ने भाग लिया था। उप पंजीकार ने इस मंच का उपयोग 'पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 तथा कृषकों के अधिकारों' पर एक विस्तृत व्याख्यान देने के लिए किया ताकि सिविल सोसायटी के सदस्यों में इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में चेतना का संचार किया जा सके।
- जागरूकता कार्यक्रम / व्याख्यान**



- उप पंजीकार ने डॉ. ए.के. सिंह, एसटीओ के साथ 16 जुलाई 2013 को अनुसंधान निदेशक, एएयू, जोरहट के साथ आयोजित एक बैठक में भाग लिया जिसमें अध्यक्ष, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी (पीबीजी), आरएआरएस, तिताबर के वैज्ञानिक और असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट के आईपीआर कोष के वैज्ञानिक भी मौजूद थे। इसमें विशेष रूप से कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदनों के प्रस्तुतीकरण पर चर्चा की गई।
- विस्तार समन्वयक, आत्मा, जोरहट के कार्यालय में 16 जुलाई 2013 को जोरहट के आत्मा अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। यह विचार-विमर्श आवेदनों को करने के बारे में, पीजीएससी पुरस्कारों के

लिए कृषकों को नामित करने, पीजीएसएफ पुरस्कारों व पीजीएसएफ सम्मानों के बारे में था जिन पर विस्तार से चर्चा हुई और आवेदन—पत्र वितरित हुए।



अधिकारी (डीएओ), एसडीएओ, वरिष्ठ ए डी ओ और ए डी ओ को सम्बोधित किया गया जिसमें उन्हें पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने के लिए प्रेरित किया गया।



- पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर एक परिचर्चा बैठक डॉ. एन. मुरलीधरन, निदेशक, टी आर ए की उपस्थिति में टी आर ए के वैज्ञानिकों व अधिकारियों के साथ आयोजित की गई। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण व इसके शाखा कार्यालय, पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 व पी जी एस सी पुरस्कारों, पी जी एस एफ प्रतिदानों और पी जी एस एफ सम्मानों पर एक वार्ता प्रस्तुत की गई।
- उप पंजीकार ने आर ए आर एस, करीमगंज और कृषि विज्ञान केन्द्र, करीमगंज के वैज्ञानिकों व अधिकारियों व जिला कृषक अधिकारी, सिल्वर से 5 अगस्त 2013 को चर्चा की, 6 अगस्त 2013 को सालगाना, अदोईबस्ती, कोइरीबस्ती व देसुलीबस्ती गांवों में किसानों के खेतों का दौरा किया तथा 6 अगस्त 2013 को काचर जिले के कृषि अधिकारियों के साथ विचार—विमर्श किया।
- भा.कृ.अ.प. मणिपुर द्वारा 13 नवम्बर 2013 को कृषक



- पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत कृषकों के अधिकारों संबंधी प्रावधानों व प्राधिकरण की गतिविधियों को उजागर करने के लिए 18 जुलाई 2013 को आरएफआरआई, जोरहट के वैज्ञानिकों के साथ एक परिचर्चा बैठक आयोजित की गई जिसमें प्राधिकरण की उपलब्धियों के अलावा पी जी एस सी पुरस्कारों, प्रतिदानों और सम्मानों के बारे में भी बताया गया।
- डी ए ओ, जोरहट, श्री कल्परंजन गोगोई के कार्यालय में 19 जुलाई 2013 को जोरहट जिले के जिला कृषक

और विद्यमान किस्मों के पंजीकरण पर एक विचारोत्तेजक सत्र का आयोजन किया गया। डॉ. एन. प्रकाश, संयुक्त निदेशक, भा.कृ.अ.प., मणिपुर ने उपस्थित जनों का स्वागत किया। अध्यक्ष तथा महा पंजीकार और पंजीकार ने कृषकों के अधिकारों, लाभ में भागीदारी और पंजीकरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने प्रस्तुतीकरण दिए। डॉ. एस. वी. नाचन, निदेशक, भा.कृ.अ.प. (एन ई एच), उमियम और डॉ. एस. राजेन्द्र प्रसाद, निदेशक, बीज अनुसंधान निदेशालय, मऊ ने

किसानों को भारत की पादप सम्पदा के रूप में संरक्षण हेतु कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित किया। इस जागरूकता कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया जिनमें क्षेत्र के किसान और वैज्ञानिक भी शामिल थे। आल मणिपुर ट्रेंड मेडिशनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स प्रमोटर्स कंसोर्टियम (एएमएपीसीओएन) ने डॉ. आर.आर. हंचिनाल, प्राधिकरण के अध्यक्ष को बैठक में प्राधिकरण में पंजीकरण हेतु चावल की 157 कृषक किस्में सौंपी। एक किसान मेला भी आयोजित किया गया जिसमें मणिपुर के किसानों ने बहुमूल्य फसल प्रजातियों के साथ-साथ देसी कृषि उत्पादों का भी प्रदर्शन किया।



- मिजोरम में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम :** किसानों, कृषक समुदायों, वैज्ञानिकों व सरकारी कार्मिकों के बीच पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए मिजोरम में 5–6 दिसम्बर 2013 को दो जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री सी. लालनीनियाना, निदेशक, कृषि (अनुसंधान एवं शिक्षा), मिजोरम सरकार भी इस अवसर पर उपस्थित थे। जागरूकता कार्यक्रम में 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें कार्यक्रम समन्वयक, विषय वस्तु विशेषज्ञ तथा मिजोरम के सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों के फार्म प्रबंधक शामिल थे। यह आयोजन 5 दिसम्बर 2013 को हुआ। इस अवसर पर एक परिचर्चा सत्र भी आयोजित किया गया जिसमें निदेशक कृषि (अनुसंधान एवं शिक्षा), मिजोरम सरकार ने भी चर्चा में भाग लिया। दूसरे दिन अर्थात् 6 दिसम्बर 2013 को कृषि विज्ञान केन्द्र, शेरछिप द्वारा प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें किसानों, कृषक समुदायों के नेताओं, आल मिजोरम फार्मर्स यूनियन के

पदाधिकारियों, कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों और मिजोरम के कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारियों सहित 121 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री पु लालरम थांगा, प्रधान सचिव (कृषि), मिजोरम सरकार ने किया। डॉ. सी. लालजानियाना, निदेशक कृषि (फसल) मिजोरम समानीय अतिथि थे। श्री पु सी. लालनिलियाना, निदेशक कृषि (आर और ई) मिजोरम ने तकनीकी सत्र के दौरान अध्यक्ष के रूप में स्वागत भाषण दिया।



प्रधान सचिव, मिजोरम सरकार ने पौधा किस्मों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने अधिकारियों व वैज्ञानिकों से पंजीकरण हेतु फसलों/प्रजातियों के आवेदन दाखिल करने के लिए किसानों व किसान समुदायों की सहायता करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष और महासचिव, ऑल मिजोरम फार्मर्स यूनियन (एएमएएफयू) श्री जोसेफ एच. थानजुआला और श्री जियान लालमेरुआता ने भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया



तथा चावल की कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु 47 आवेदनों का एक सैट प्रस्तुत किया।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एक विशेष अभियान के अंतर्गत पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने कृषक किस्मों के पंजीकरण के लिए एक सप्ताह (12–16 नवम्बर

2013) को गहन प्रयास किए। इस अवधि में प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. हंचिनाल, डॉ. आर.सी.अग्रवाल, महापंजीकार; डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार; और डॉ. ए.सी. सर्मा, उप पंजीकार के साथ उपरिथित थे। इस दौरान मणिपुर, नागालैंड में अनेक तथा असम में जोरहट में एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशालाओं/विचारोत्तेजक सत्रों/प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है :



- बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल, नई दिल्ली की बैठक: डॉ. ए.सी. सर्मा, उप पंजीकार ने पिराकोटा गांव का दौरा किया तथा बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल (बीआई), एन ए एस सी परिसर, नई दिल्ली की 14 जनवरी 2014 को आयोजित बैठक में भाग लिया ताकि 'पारिस्थितिक प्रणाली सेवाओं को सुनिश्चित करने और खतरे को कम करने के लिए कृषि क्षेत्र में मुख्य धारा के अंतर्गत कृषि जैवविविधता का संरक्षण व उपयोग' शीर्षक की



परियोजना के अंतर्गत उत्तर पूर्वी भारत में आधारभूत सूचना एकत्र करने के लिए क्रियाविधि तैयार करने व आधारभूत सर्वेक्षण को अंतिम रूप देने व इस पर चर्चा करने की दिशा में कार्यवाई की जा सके। उपरोक्त परियोजना जी ई एफ की निधि सहायता प्राप्त परियोजना है। डॉ. पी.एन. माथुर,

क्षेत्रीय निदेशक, एशिया, प्रशांत और ओसियाना तथा दक्षिणी एशिया समन्वयक, बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल; डॉ. वी. रामाराव और डॉ. एम.दादलानी, परामर्शक, बी आई; डॉ. डी.के. होरे, परामर्शक, आईएसडीबी, इम्फाल तथा अन्य वैज्ञानिक और स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में उत्तर पूर्वी राज्यों में तीन स्थालों को लेने का निर्णय लिया गया।

- उप पंजीकार ने अपने दल जिसमें डॉ. वी. रामतराव तथा डॉ. श्रीमती मालविका दादलानी, परामर्शक, बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल, नई दिल्ली; डॉ. डी.के. होरे, परामर्शक, इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सिस एंड सर्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट (डी बी टी), टाकीयेलपाठ, इम्फाल ने 29 जनवरी 2014 को जोरहट जिले के पीराकोटा गांव का दौरा किया। इसी दल ने बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल की जीईएफ निधि प्राप्त परियोजना के लिए स्थल के चुनाव हेतु 30 जनवरी 2014 को अरुणाचल प्रदेश के चौखाम क्षेत्र का दौरा किया।



#### उत्तर-पूर्वी पर्वतों में कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु विशेष अभियान

- **केवीके, जोरहट :** उप पंजीकार, ने संसाधन व्यक्ति के रूप में 30 जनवरी 2014 को कृषि विज्ञान केन्द्र, जोरहट में आयोजित प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम का दौरा किया। डॉ. आर. बोरगोहेइन, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जोरहट, डॉ. ताल्लुकदार, डॉ. आर.एन. शर्मा, डॉ. एन.एस. बसु, सभी प्राध्यापक, पादप प्रजनन और आनुवंशिकी, असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिए। डॉ.

वी. रामताराव, डॉ. एम. दादलानी, दोनों परामर्शक, बायोडायर्सिटी इंटरनेशनल, नई दिल्ली; डॉ. डी.के. होरे, परामर्शक, इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सिस एंड सर्टेनेबल डेवलपमेंट, टेकेइलपाट, इम्फाल, मणिपुर ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में डॉ. एम. नियोग और डॉ. (श्रीमती) उत्पल गोस्वामी, एसोसिएट विस्तार निदेशक, असम कृषि विश्वविद्यालय भी उपस्थित थे। जोरहट जिले के विभिन्न विभागों से लगभग 80 किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।



- कृषि विज्ञान केन्द्र, करबी, आंगलांग, दिफु : उप पंजीकार ने कृषि विज्ञान केन्द्र, करबी, आंगलांग, दिफु में 17 फरवरी 2014 को आयोजित एक अन्य प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। इस जागरूकता कार्यक्रम में 80 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित थे। डॉ. आर. सर्मा, डॉ. यू.बोरठाकुर, वैज्ञानिक, आरएआरएस**



दीफु: कार्यक्रम समन्वयक, विषय वस्तु विशेषज्ञ और करबी आंगलांग के कृषि अधिकारी, करबी आंगलांग के जिला कृषि अधिकारी भी मौजूद थे। डॉ. आर.एन. शर्मा, प्राध्यापक, पादप प्रजनन और आनुवंशिकी विभाग,

असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट और डॉ. ए.के. डेका, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र ने संसाधन व्यक्तियों के रूप में कार्य किया। परिचर्चा सत्र के दौरान किसानों ने परंपरागत किस्मों पर सूचना उपलब्ध कराई। उन्होंने पंजीकरा हेतु आवेदन भरने में रुचि दिखाई और ऐसा करने का आश्वासन दिया।

- कृषि विज्ञान केन्द्र, अरुणाचल, साचर :** कृषि विज्ञान केन्द्र, अरुणाचल में 20 फरवरी 2014 को एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 100 से अधिक प्रतिभागी थे जिनमें कृषक, वैज्ञानिक व साचर जिले के ग्राम सेवक भी उपस्थित थे। डॉ. बी.पी. बरुआ, मुख्य वैज्ञानिक, आरएआरएस करीमगंज; डॉ. एस. सन्नीग्राही, परामर्शक अधिकारी और प्रभारी, साचर एडवाइजरी सेंटर ऑफ टी रिसर्च एसोसिएशन ने व्याख्यान दिए तथा क्षेत्र के किसानों को उनके अपने हित में उनकी संरक्षित किस्म सम्पदा को पंजीकृत कराने हेतु आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया।



- कृषि विज्ञान केन्द्र जयंतियां पहाड़ियां :** कृषि विज्ञान केन्द्र जयंतियां पहाड़ियां, मेघालय में 11 मार्च 2014 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के बारे में क्षेत्र के किसानों और सिविल सोसायटी को सजग करने के लिए एक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. ए.के.गोगोई, आंचलिक परियोजना निदेशक, आंचल प्प, भा.क्.अ.प. उमियम ने किया। श्री डी.लिंगदोह, संयुक्त निदेशक – बागवानी, मेघालय सरकार; श्री एम. तारियांग, जिला कृषि अधिकारी, जयंतिया पहाड़ियां; श्री वाई सिल्ला, जिला कृषि अधिकारी, पश्चिम जयंतियां पहाड़ियां; श्रीमती आई पारवेत, जिला कृषि अधिकारी, पूर्वी जयंती पहाड़ियां; डॉ. एम. जे. स्यांगकोम, परियोजना

समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जयंतिया पहाड़ियां भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे जिन्होंने किसानों के साथ विचार-विमर्श किया।



- बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, असम सरकार :** दिनांक 12 मार्च 2014 को बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में एक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 50 किसान उपस्थित थे। श्री टी.डी. हंसे, निदेशक बागवानी व खाद्य प्रसंस्करण व असम सरकार; डॉ. बी. पाठक और श्री जी.के. हजारिका, सहायक निदेशक तथा 6 कृषि अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे, जिन्होंने किसानों के साथ चर्चा की। डॉ. ए.के.सिंह, एस टी ओ ने भी किसानों से वार्तालाप किया तथा उन्हें अधिनियम के अंतर्गत किसानों के अधिकारों से संबंधित प्रावधानों से अवगत कराया।



- टोक्कलई प्रायोगिक केन्द्र, टी रिसर्च एसोसिएशन (टीआरए), जोरहट :** दिनोक 13 मार्च 2014 को एक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें टी रिसर्च एसोसिएशन के चाय बागानों के मालिकों, वैज्ञानिकों तथा परामर्शक अधिकारियों ने भाग लिया। डॉ. एन. मुरुलीधरन, निदेशक, टी आर ए व डॉ.

एस. पाठक, उप निदेशक, टी आर ए ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. पी.के. बर्लआ, अध्यक्ष, पादप प्रजनन और आनुवंशिकी विभाग व डॉ. पी.के. बोरा, नोडल अधिकारी, चावल के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र, असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट ने संसाधन व्यक्तियों के रूप में कार्य किया।



- केवीके मोकोकचुंग, नागालैंड :** एक अन्य प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र, मोकोकचुंग, नागालैंड में 14 मार्च 2014 को आयोजित किया गया। नागालैंड के मोकोकचुंग जिले के लगभग 60 किसानों ने इस कार्यक्रम समन्वयक, विषय-वस्तु विशेषज्ञ भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। किसानों ने अपनी परंपरागत किस्मों के बीजों/रोपण सामग्री का प्रदर्शन किया। किसानों द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में पंजीकरण के उद्देश्य से कुछ आवेदन भी दाखिल किए गए।



## 9.6 शाखा कार्यालय रांची

श्री उमा कांत दुबे, उप पंजीकार शाखा कार्यालय रांची का कार्य देख रहे हैं। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का शाखा कार्यालय, रांची बिरसा कृषि

विश्वविद्यालय, कांके, रांची (झारखंड) के कम्प्यूटर केन्द्र भवन में स्थित है और इसकी कार्यसीमा झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। यह कार्यालय मई 2011 से कार्य कर रहा है। इस शाखा का अधिदेश विभिन्न कृषि संस्थाओं/कृषि विश्वविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्रों/विभागों/एजेंसियों द्वारा उनके कार्य क्षेत्र में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के संबंध में ज्ञान का प्रचार—प्रसार करने के लिए प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों, बैठकों/सेमिनारों में भाग लेना है। इसके द्वारा यह कार्यालय कृषकों के अधिकारों, पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों, प्रतिदानों और मान्यताओं से लोगों को अवगत कराता है और कृषक किस्मों के पंजीकरण को लोकप्रिय बनाता है।

#### ● पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदन

- रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान शाखा कार्यालय को विद्यमान, नई और कृषक किस्मों सहित विभिन्न फसलों से पंजीकरण हेतु 364 आवेदन प्राप्त हुए जिन्हें आरंभिक जांच के बाद अगली कार्रवाई के लिए मुख्यालय को भेजा गया।
- उप पंजीकार, रांची ने निदेशक कृषि एवं खाद्य उत्पादन, ओडिशा से कृषकों द्वारा उनके माध्यम से दाखिल की गई कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदनों पर सूचना एकत्र करने के लिए 12–13 सितम्बर 2013 को भुवनेश्वर का दौरा किया।
- शाखा कार्यालय रांची को डीयूएस और ग्रो आउट परीक्षण (जीओटी) के लिए 35 बीज नमूने प्राप्त हुए जिन्हें संसाधन के पश्चात् राष्ट्रीय जीन बैंक भेजा गया।

#### ● प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम और विचारोत्तेजन कार्यशाला

- श्री उमाकांत दुबे, उप पंजीकार ने विभिन्न संस्थानों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा पाधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण व जागरूकता के 15 दिवसीय कार्यक्रमों में भाग लिया जिसका विवरण निम्नानुसार है :
- एग्रीकल्चरल टैक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी (आत्मा), कृषि और गन्ना विकास विभाग द्वारा गांव सोनाती, ब्लॉक गोला, जिला रामगढ़ (झारखंड) में पंचायत बरियातू के अंतर्गत 10 सितम्बर 2013 को कृषक

पाठशाला का आयोजन किया गया।

➤ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी क्षेत्र के लिए अनुसंधान परिसर के अनुसंधान केन्द्र, प्लांट्स, रांची द्वारा प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन : श्री उमा कांत दुबे, उप पंजीकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी क्षेत्र के लिए अनुसंधान परिसर के अनुसंधान केन्द्र, प्लांट्स, रांची में 8 अक्टूबर 2013 को आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर व्याख्यान कृषक किस्मों के पंजीकरण सहित पौधों की किस्मों और किसानों को पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व परिरक्षण में उनके योगदान के लिए दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों व प्रतिदानों पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के संबंध में था। इस अवसर पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के 80 किसान और अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक भी उपस्थित थे। इसी प्रकार, एग्रीकल्चरल टैक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, आत्मा, कृषि और गन्ना विकास विभाग ने ग्राम हप्पू पंचायत हप्पू ब्लॉक गोला, जिला रामगढ़, झारखंड में 23 अक्टूबर 2013 को ‘कृषक पाठशाला’ का आयोजन किया।



- पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम डॉ. जे.एस. उरकुर्कर, निदेशक, विस्तार सेवाएं (डीईएस), आईजीकेवी, रायपुर में 1 दिसम्बर 2013 को आयोजित किया गया। प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल मुख्य अतिथि थे और डॉ. अनुपम मिश्र, जैड पी डी अंचल VII, भाक.अ.प., डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार; डॉ. उमा कांत दुबे, उप

पंजीकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण; डॉ. एस.आर. पाटिल, डीन, कृषि महाविद्यालय, कांकेर; डॉ. दीपक शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, श्री मायाराम नेतम, सदस्य, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण भी इस अवसर पर उपस्थित थे।



- उप पंजीकार ने होली क्रॉस कृषि विज्ञान केन्द्र, हजारीबाग द्वारा 4 और 30 जनवरी 2014 को आयोजित प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। होली क्रॉस कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों व स्टाफ के अलावा श्री बृजकिशोर जायसवाल, अध्यक्ष, जिला पंचायत, हजारीबाग; श्री आर.एन. प्रसाद, संयुक्त निदेशक (कृषि), छोटा नागपुर मंडल, सुरेश कुमार, केन्द्रीय बारानी उपराज वावल अनुसंधान केन्द्र, हजारीबाग; श्री लल्लन राम, इफको के प्रतिनिधि और 100 से अधिक किसान इस जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित थे। किसानों ने पंजीकार हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जिन्हें तत्काल जांचने के बाद आवश्यक कार्रवाई

के लिए मुख्यालय को अग्रेषित किया गया।

- उप पंजीकार ने कृषि विज्ञान केन्द्र, सारन में एक फरवरी 2014 को आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. ए.के.सिंह, आंचलिक परियोजना निदेशक, भा.कृ.अ.प., अंचल-II, कोलकाता; डॉ. वी.के. चौधरी, विश्वविद्यालय प्राध्यापक (आनुवंशिकी), राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर (बिहार); श्रीमती बेबी सिंह, मुखिया, सारन तथा कृषि विज्ञान केन्द्र, सारन के अधिकारी व स्टाफ सहित 100 से अधिक किसान इस जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित थे जिन्होंने पंजीकरण हेतु कृषक किस्मों के आवेदन प्रस्तुत किए।
- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबौर, भागलपुर (बिहार) में 6 फरवरी 2014 को आयोजित प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम में उप पंजीकार ने भाग लिया। यह कार्यक्रम बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबौर, भागलपुर के विश्वविद्यालय सभागार में 6 फरवरी 2014 को आयोजित किया गया था। डॉ. एम.एल. चौधरी, कुलपति; डॉ. रवि गोपाल सिंह, निदेशक, अनुसंधान, डॉ. दरबेशर राय, डीन (कृषि), डॉ. आर.एन. शर्मा, अध्यक्ष (पीबीजी), डॉ. जे.बी. तोमर, एसोसिएट निदेशक (अनुसंधान) और डॉ. चंदन रॉय, साहयक प्राध्यापक ने भी समारोह की शोभा बढ़ाई। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबौर, भागलपुर के अधिकारियों और स्टाफ के अलावा भागलपुर, मुंगेर, जमुई, शेखपारपाड़ा तथा आस-पास के जिलों के 225 से अधिक किसान इसमें मौजूद थे जिन्होंने पंजीकरण हेतु कृषक किस्मों के आवेदन दाखिल किए।
- एक अन्य प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम 7 फरवरी 2014 को बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबौर, भागलपुर के कृषि विज्ञान केन्द्र, कटिहार द्वारा आयोजित किया गया। श्री बी एन पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटिहार; डॉ. आर.एन. शर्मा, अध्यक्ष (पीबीजी), बी ए यू साबौर और डॉ. जे.बी. तोमर, एसोसिएट निदेशक (अनुसंधान), प्राचार्य, भोला पासवान शास्त्री, कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया; डॉ. एस.बी. सिंह, परियोजना समन्वयक (पीसी), कृषि विज्ञान केन्द्र, किशनगंज (बिहार), डॉ. जे. रहमान, प्रधान वैज्ञानिक, पटसन अनुसंधान केन्द्र, कटिहार (बिहार), परियोजना समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, अररिया, परियोजना समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पूर्णिया और डॉ. चंदन रॉय, सहायक प्राध्यापक व

- नोडल अधिकारी ने भी अवसर की शोभा बढ़ाई। कृषि विज्ञान केन्द्र, कटिहार के अधिकारियों और स्टाफ के अलावा कटिहार तथा पड़ोस के जिलों से आए 125 से अधिक किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
- कृषि विज्ञान केन्द्र, बांका, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबोर, भागलपुर में 8 फरवरी 2014 को आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. एम. एल. चौधरी, कुलपति, बी ए यू साबोर, भागलपुर; डॉ. रवि गोपाल सिंह, निदेशक अनुसंधान, बी ए यू साबोर; डॉ. आर.एन. शर्मा, अध्यक्ष (पीबीजी), बी ए यू साबोर, भागलपुर; जिला कृषि अधिकारी, बांका, मृदा संरक्षण अधिकारी, जिला बागवानी अधिकारी, बांका; डॉ. चंदन राँय चौधरी, सहायक प्राध्यापक, बी ए यू साबोर; वकीलों तथा सार्वजनिक प्रतिनिधि (ब्लॉक प्रमुख ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई)। केवीके बांका के अधिकारियों व स्टाफ के अलावा बांका व पड़ोसी जिलों के 100 से अधिक किसान भी इसमें उपस्थित थे।
- कृषि विज्ञान केन्द्र, रोहताश (विक्रम गंज), बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बिहार) द्वारा 11 फरवरी 2014 को आयोजित प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. डी.पी.एस. दिवाकर, प्राचार्य, वीर कुमार कृषि महाविद्यालय, दुमाराव, बक्सर; डॉ. पी.के. सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, वीर कुंवर कृषि महाविद्यालय, दुमा राव; समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, भोजपुर आरा, नित्यानंद परियोजना समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, औरंगाबाद और डॉ. साहीवाल डे और कृषि विज्ञान केन्द्र ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। कृषि विज्ञान केन्द्र, रोहताश विक्रम गंज के अधिकारियों व स्टाफ के अलावा रोहताश और पड़ोसी जिलों के 100 से अधिक किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रतिभागियों और आयोजकों ने उनके स्थान पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए प्राधिकरण को धन्यवाद दिया।
- दिव्यायन कृषि विज्ञान केन्द्र, राम कृष्ण मिशन, रांची (झारखण्ड) द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली की वित्तीय सहायता से 18 फरवरी 2014 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उप पंजीकार ने भाग लिया। स्वामी शशांकानंद, सचिव, आर.के. मिशन, डी. के.वी.के. स्वामी तत्सेवानंद, प्रभारी, विस्तार प्रभाग, श्री विकास कुमार, जिला कृषि अधिकारी, रांची, डॉ. ए.के.

- सिंह, परियोजना समन्वयक, दिव्यायन कृषि विज्ञान केन्द्र, राम कृष्ण मिशन रांची मौजूद थे। दिव्यायन कृषि विज्ञान केन्द्र, राम कृष्ण मिशन, रांची के अधिकारियों व स्टाफ सदस्यों के अलावा रांची तथा पड़ोसी राज्यों के 100 से अधिक किसान, छात्र तथा प्रक्षिशु भी उपस्थित थे। किसानों ने कृषक किस्मों के आवेदन पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किए।
- कृषि विज्ञान केन्द्र, पश्चिम मेदनीपुर (पश्चिम बंगाल) द्वारा 5 मार्च 2014 को आयोजित प्रशिक्षण व जागरूकता के एक दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया। श्री तापस कुमार मैत्री, सचिव एवं सी ई ओ, सेवा भारती कृषि विज्ञान केन्द्र, डाक घर कापगिरि, पश्चिम मेदनीपुर (पश्चिम बंगाल); डॉ. ए.के. मैती, परियोजना समन्वयक, सेवा भारती कृषि विज्ञान केन्द्र, डाकघर कापगिरि पश्चिम मेदनीपुर; डॉ. एस. प्रमाणिक, विषय वस्तु विशेषज्ञ, पादप विज्ञान, कृषि विज्ञान केन्द्र, नादिया भी उपस्थित थे। कृषि विज्ञान केन्द्र, पश्चिम मेदनीपुर, पश्चिम बंगाल के अधिकारियों व स्टाफ सदस्यों के अलावा मेदनीपुर तथा पड़ोसी राज्यों के 100 से अधिक किसान, छात्र तथा प्रक्षिशु भी उपस्थित थे। किसानों ने कृषक किस्मों के आवेदन पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किए।
  - भारतीय कृषि जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, गढ़खाटांग, रांची द्वारा भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद अनुसंधान संस्थान, नामकुम, रांची में 7 मार्च 2014 को एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. आर. रमणी, निदेशक, भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, नामकुम, रांची; डॉ. जटा शंकर चौधरी, निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, रांची; डॉ. निर्मल कुमार, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, गढ़खाटांग, रांची, डॉ. एन.के. सिधु, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय कृषि जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, गढ़खाटांग, रांची भी उपस्थित थे। भाक्.अ.प. संस्थानों के अलावा नामकुम (रांची) तथा पड़ोसी जिलों के लगभग 100 किसान भी इस अवसर पर मौजूद थे।
  - कृषि विज्ञान केन्द्र, लालगंज, बक्सर द्वारा 13 मार्च 2014 को आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. के.एम. सिंह, सामाजिक, अर्थशास्त्र विस्तार प्रभाग, भा.कृ.अ.प., आर सी ई आर, पटना; डॉ. विश्वेन्दु द्विवेदी, परियोजना समन्वयक, कृषि

विज्ञान केन्द्र, लालगंज, बक्सर; श्री रामेश्वर प्रसाद वर्मा, वरिष्ठ एडवोकेट, सिविल न्यायालय, बक्सर उपस्थित थे। कृषि विज्ञान केन्द्र, लालगंज, बक्सर के अधिकारियों व स्टाफ के अलावा बक्सर तथा पड़ोसी जिलों कके 100 से अधिक किसान भी मौजूद थे। किसानों को भविष्य में उनके हितों की रक्षा के लिए कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने का परामर्श दिया गया।

- उप पंजीकार ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची के सभागार में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली की वित्तीय सहायता से आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. एम. पी. पाण्डे, कुलपति, बी ए यू. रांची; डॉ. आर. ठाकुर, डीन (कृषि), आर ए यू. रांची; डॉ. जैड ए हैदर, अध्यक्ष, आनुवंशिक एवं पादप प्रजनन, बी ए यू. रांची; डॉ. आर.पी. सिंह, निदेशक, बीज एवं फार्म, बी ए यू. रांची; डॉ. बी०एन० सिंह, मुख्य वैज्ञानिक, पी बी जी, बी ए यू. रांची ने भी समारोह की शोभा बढ़ाई। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची के अधिकारियों, स्टाफ व छात्रों के अलावा रांची तथा पड़ोसी जिलों के 80 से अधिक किसान भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

## 9.7 चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का दौरा

प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल और महापंजीकार डॉ. आर.सी.अग्रवाल ने पालमपुर में शाखा कार्यालय खोलने के लिए आबंटित किए गए कार्यालय स्थान के नवीकरण व उसकी साज–सज्जा के लिए विस्तृत आकलन तथा लेआउट के बारे में चर्चा करने के लिए 11 मई 2014 को चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का दौरा किया। इसका एक अन्य उद्देश्य कृषक किस्मों के प्रलेखन हेतु विश्वविद्यालय से और अधिक सहयोग की संभावनाओं को तलाशना तथा राज्य स्तर पर पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में जागरूकता के कार्यक्रम चलाना था।

## 9.8 पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की बैठक

बैठकें	दिनांक	स्थान
प्राधिकरण की 18वीं बैठक	22 मई 2013	एनएएससी परिसर, नई दिल्ली

प्राधिकरण की 18 अक्टूबर 2013	एनएएससी परिसर, नई दिल्ली
------------------------------	--------------------------

### 9.8.1 बैठकों में प्राधिकरण के प्रमुख निर्णय

- यह निर्णय लिया गया कि ईवीआरसी द्वारा अनुमोदित आवेदनों के पंजीकरण हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए। प्राधिकरण ने वार्षिक लेखों का अनुमोदन किया तथा प्राधिकरण के अध्यक्ष को सीएजी को भेजने के पूर्व प्राधिकरण की ओर से वार्षिक लेखों को अनुमोदित करने हेतु प्राधिकृत किया।
- सदस्यों ने पुरस्कार समारोह आयोजित करने और इसे सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना की। पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार 2011–12 श्री तारीक अनवर, माननीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री द्वारा कृषक समुदायों को प्रदान किए गए।
- निर्णय लिया गया कि पादप जीनोम संरक्षक कृषक पुरस्कार को 1.0 लाख रुपये बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किया जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मान के लिए 1.0 लाख रुपये का आर्थिक पुरस्कार देने पर विचार किया जाए। सुझाव दिया गया कि पुरस्कार के उद्देश्य से जीन निधि के लिए केन्द्र सरकार से एक समय अनुदान लेने के लिए प्रस्ताव भेजा जाए।
- सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की कि प्राधिकरण को और अधिक शाखा कार्यालय खोलकर अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए।
- कानून के अनुसार कार्यवृत्तों पर निर्णय लेने और उन्हें निपटाने के लिए प्राधिकरण ने अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित किसी अधिकारी/अधिकारियों को जिसकी तकनीकी या वैधानिक पृष्ठभूमि हो, न्यायिक शक्तियां प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- उदीयमान किस्मों के बारे में सूचना संबंधित राज्यों को दी जाए, ताकि बीज प्रगतुन श्रृंखला में शामिल किए जाने के लिए वे विचार कर सकें।
- प्राधिकरण ने डॉ. ए.आर. पाठक, कुलपति, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, एरु चार रास्ता, नवसारी, गुजरात की अध्यक्षता के अंतर्गत अन्य प्रतिनिधियों से युक्त तृतीय विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति (ईवीआरसी) गठित

- करने की अनुशंसा की।
- बीस फसल प्रजातियों नामतः केटलेया, फैलीनॉप्सिस, अनार, कैसुरीना, सफेदा, करेला, लौकी, खीरा—ककड़ी, कद्दू जौ, धनिया, मेथी, बादाम, सेब, नाशपाती, खुबानी, चेरी, अखरोट, अंगूर और बेर के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश अनुमोदित किए गए।
- निर्णय लिया गया कि संरक्षण संबंधी गतिविधियों के लिए जीन निधि के माध्यम से कृषि विज्ञान केन्द्रों के निधिकरण की जांच के लिए पीएयू लुधियाना के कुलपति डॉ. बी.एस. ढिल्लो की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए। डॉ. के.सी. बंसल, निदेशक, एनबीपीजीआर को भी इस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है तथा अन्य अतिरिक्त सदस्यों को भी नामित किया जा सकता है जिसके लिए आवश्यकता होने पर अनुशंसाएं प्रस्तुत की जाएं।
- पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा के अंतर्गत अध्यक्ष को फसलों के आधार पर पंजीकारों के कार्य क्षेत्र के निर्णय लेने की शक्ति के प्रत्यायन को स्वीकृति प्रदान की गई जो पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विनियम, 2006 के विनियम 4 के अनुसार किया जाना था।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के वर्ष 2013–14 के बजट आकलनों तथा संशोधित आकलनों पर चर्चा करके उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई।

## 9.9 प्राधिकरण भवन का निर्माण

प्राधिकरण के मुख्यालय, अपीलीय न्यायाधीकरण और राष्ट्रीय जीन बैंक तथा पौधा किस्म रजिस्ट्री के लिए 20 करोड़ रुपये की लागत से पीपीवी और एफआरए परिसर के निर्माण की 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृति प्रदान की गई थी। केन्द्र सरकार द्वारा पूसा परिसर में हरभजन सिंह इन्क्लेव के निकट 10480 वर्ग मी. की भूमि एनबीपीजीआर, नई दिल्ली की आवासीय कालोनी में आबंटित की गई थी। इसके निर्माण का कार्य सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसी को सौंपा गया है तथा वांछित कानूनी अनापत्तियां प्राप्त की जा रही हैं। इस दौरान योजना आयोग ने राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण और कृषि एवं सहकारिता विभाग को प्रस्तावित पौधा किस्म परिसर में स्थान उपलब्ध कराए जाने की संभावना तलाशने के लिए मामले को कृषि एवं सहकारिता

विभाग के पास भेजा है। सचिव (कृषि एवं सहकारिता) ने अपने पत्र संख्या 1:4 / 2007 – एसडी ट दिनांक 22 अगस्त 2012 को इच्छा व्यक्त की कि प्लॉट क्षेत्र का सर्वाधिक फर्श क्षेत्र अनुपात उपयोग में लाया जाए ताकि राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग को भी यहां समायोजित किया जा सके।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), और राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरए) द्वारा क्षेत्र में हिस्से का विवरण निम्नानुसार है :

उप शीर्ष का विवरण	कुल क्षेत्र	पीपीवी और एफआरए का हिस्सा	डीएसी का हिस्सा	एनआरए का हिस्सा
निर्मित क्षेत्र का अनुपात	19,166.0 वर्ग मी.	12,586.0 वर्ग मी. (भूतल : 5 तल + भूमिगत तल + दूसरे भूमिगत तल का हिस्सा)	2100.0 वर्ग मी. (छठा तल + दूसरे भूमिगत तल का हिस्सा)	4,480.0 वर्ग मी. (7वां और 8वां तल + दूसरे भूमिगत तल का हिस्सा)

पौधा किस्म भवन के निर्माण के लिए कुल 62.67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के हिस्से में आता है। इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रावस्था ढंग से व्यय किया जाएगा। निर्माण से संबंधित विभिन्न सिविक एजेंसियों की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर ली जा रही है।

## 9.10 स्टाफ कल्याण तथा समाचार

- डॉ. यू.के. दुबे को 22 अप्रैल 2013 को उप पंजीकार, मुख्यालय के पद से शाखा कार्यालय रांची के उप पंजीकार के रूप में स्थानांतरित किया गया जहां उन्होंने पदभार ग्रहण किया।
- डॉ. आर.आर. हंचिनाल, कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड ने 1 मई 2013 को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकरण में पदभाग ग्रहण किया।
- डॉ. ए.के. सिंह, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी को 3 अप्रैल 2013 को शाखा कार्यालय गुवहाटी में 25 जून 2013 को स्थानांतरित किया गया।

## 9.11 डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की भागीदारी

- अध्यक्ष पीपीवी और एफआरए ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में अंचल I के कृषि विज्ञान केन्द्रों के आंचलिक कार्यशाला व प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में भाग लिया तथा लुधियाना में 4–5 जुलाई 2013 को आयोजित इस कार्यक्रम के तकनीकी सत्र 1 में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों पर एक व्याख्यान दिया।
- पाठनमथिथा, केरल में अंचल VIII के कृषि विज्ञान केन्द्रों की केरल में 8–10 जुलाई 2013 को आयोजित वार्षिक आंचलिक समीक्षा कार्यशाला 2012–13 के उद्घाटन सत्र में भाग लिया और **पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण** के बारे में जागरूकता पर कृषि विज्ञान केन्द्रों की भूमिका पर तकनीकी सत्र 1 में व्याख्यान दिया। उन्होंने इस सत्र की अध्यक्षता भी की।
- केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ द्वारा आयोजित आम विविधता संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। संस्थान के दौरे के दौरान उन्होंने 16–17 अगस्त 2013 को आम, आंवला, जामुन और बेल जैसी विभिन्न फसलों के डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास में हुई प्रगति की समीक्षा की और संदर्भ/उदाहरण किस्मों के अनुरक्षण प्रजनन कार्य का भी जायजा लिया।
- प्राधिकरण के अध्यक्ष को कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा 12–14 सितम्बर 2013 को लखनऊ में आयोजित छठी बीज कांग्रेस में आमंत्रित किया गया। उन्होंने किसमगत सुधार व बीज गुणवत्ता बढ़ाने में प्रगति व बौद्धिक सम्पदा अधिकारों, कृषकों के अधिकारों व बीज उत्पादन में कृषकों की भागीदारी पर आयोजित तकनीकी सत्रों 1 और 4 की अध्यक्षता की। इसके साथ ही कृषकों द्वारा किए गए नवोन्मेषों और उनकी किस्मों की सुरक्षा पर वे एक अग्रणी वक्ता थे।
- अध्यक्ष को 17–19 सितम्बर 2013 को बीज अनुसंधान निदेशालय, मऊ, वाराणसी की बीज सलाहकार समिति बैठक की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया। इस अवसर का लाभ उन्होंने डीएसआर के तथा आस-पास के कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिक व स्टाफ को संबोधित करने के अलावा किसानों को शिक्षित करने में उनकी भूमिका के बारे में प्रेरित करने तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 में उल्लिखित किसानों के अधिकारों के बारे में बताने के लिए किया।
- प्रो. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने 22 अक्टूबर 2013 को ओषधीय एवं संगीधीय पौधा शोध निदेशालय (डीएमएपीआर), आनंद का दौरा किया। अध्यक्ष के साथ प्राधिकरण के महा पंजीकार डॉ. आर.सी. अग्रवाल भी थे। अध्यक्ष तथा महापंजीकार ने डीयूएस परीक्षण फील्ड, औषधीय पौधों के वानस्पतिक उद्यान जो लामभवेल फार्म में है, का दौरा किया तथा बोरियावी रिस्त डी एम ए पी आर की विभिन्न प्रयोगशालाओं को भी देखा। उन्होंने कालमेघ (एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटान नीस) के विभिन्न विशिष्ट गुणों को देखा और वंशक्रमों की पहचान की तथा केन्द्र में किए जा रहे कार्य की प्रगति के प्रति संतोष व्यक्त किया तथा विवरणों को विकसित करने की सलाह भी दी। उन्होंने निदेशालय द्वारा अनुरक्षित वनस्पति उद्यान तथा फील्ड जीन बैंक का भी दौरा किया तथा औषधीय पौधों के संकलन में गहन रुचि दिखाई। उन्होंने देश की महत्वपूर्ण सम्पदा के संरक्षण में निदेशालय के प्रयासों की सराहना की। अपने डी एम ए पी आर के दौरान इस दौरे की याद में उन्होंने वनस्पति उद्यान में कैरमबोला (एवेरोहा कैरमबोला एल.) का एक पौधा भी रोपा। अध्यक्ष महोदय ने वैज्ञानिकों को सम्बोधित किया और उन्हें लाखों ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में चिकित्सा की परंपरागत प्रणालियों और भारतीय औषधीय पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाई। उनका विचार था कि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें अपने प्रमुख औषधीय पौधों की चिकित्सीय क्रिया का वैज्ञानिक आधार पता लगाने की जरूरत है। उन्होंने निदेशक तथा उनके दल के सदस्यों को इस दिशा में किए गए सराहनीय प्रयासों के लिए बधाई दी।
- उद्यमिता विद्यापीठ, चित्रकूट में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम : उद्यमिता विद्यापीठ, चित्रकूट द्वारा 26 फरवरी 2014 को '**पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001**' पर प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था, डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण

प्राधिकरण, नई दिल्ली; डॉ. अनुपम मिश्रा, आंचलिक परियोजना निदेशक, अंचल 7, जबलपुर; प्रो. वी.एस. तोमर, कुलपति, जे एन के वि वि, जबलपुर; श्री ए.एन. त्रिपाठी, परियोजना निदेशक (आत्मा); और प्रो. पी.के. मिश्रा, जे एन के वी वी, जबलपुर क्रमशः मुख्य अतिथि तथा सम्मानीय अतिथि थे। लगभग 101 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. एस.पी. शुक्ला, एसोसिएट प्राध्यापक, पादप प्रजनन, जीवीपीयू ए और टी पंत नगर तथा डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा पंजीकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली संसाधन व्यक्ति थे।

- प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम :** दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट ने फरवरी और मार्च 2014 में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की सहायता से चार प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित कीं। इन कार्यशालाओं से 26 फरवरी 2014 को आयोजित प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम में जो पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के बारे में कृषकों व अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के बारे में था, पाधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष व महा पंजीकार को उद्घाटन हेतु क्रमशः मुख्य अतिथि और सम्मानीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 25 मार्च 2014 को कृषि विज्ञान केन्द्र, प्लांगू द्वारा '**पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001**' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों जो मुख्यतः किसान तथा अन्य स्टेकहोल्डर थे, को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों तथा किसानों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों से अवगत कराया गया। डॉ. एल.के. दास, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र ने स्वागत भाषण दिया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया। डॉ. ए. पाल और डॉ. माजिद अंसारी, कनिष्ठ वैज्ञानिक, जैड आर एस; डॉ. अखिलेश साह, डॉ. संजय कुमार, कृषि विज्ञान केन्द्र, चयनिकी और डॉ. मनीष कुमार ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संसाधन व्यक्तियों के रूप में कार्य

किया। श्री नरेश चौधरी, जिला कृषि अधिकारी, श्री उमेश कुमार, जिला बागवानी अधिकारी, श्री प्रमोद कुंजुर, परियोजना प्रबंधक, सी एच डी पी, पलामु; सचिन अखतर, जे जे के वी एस और श्री अरुणदया विकास सांकन, पलामू विशिष्ट अतिथि थे जो इस अवसर पर मौजूद थे। इस अवसर पर मक्का (9), धान (4), मंडवा (3), अरहर (4), सावां (3), कुलथी (4), सेमी-4 और जई-1 की कृषक किस्मों के आवेदन दाखिल किए गए। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर एक प्रकाशन भी किसानों व प्रतिभागियों के बीच बांटा गया।

## 9.12 महापंजीकार की भागीदारी

- मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, स्वयं सेवी संगठनों और कृषक समुदायों के सहयोग से पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम पर राज्य स्तर के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कार्यक्रम विकसित करने व चर्चा करने के लिए 11–13 जुलाई 2013 को दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट का दौरा किया जिससे बुंदेलखण्ड और मांडवा हॉट-स्पॉट क्षेत्रों में जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं और जहां प्राधिकरण प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर पाई है वहां अधिनियम में कृषक के अधिकारों के बारे में संदेश को फैलाया जा सके।
- विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) द्वारा 'आनुवंशिक संसाधनों में बौद्धिक सम्पदा के साथ-साथ परंपरागत ज्ञान की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों' पर 18 जुलाई 2013 को इंडिया हैबिटेट सैटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित विचारोत्तेजन सत्र में भाग लिया।
- ए पी शिंदे सिम्पोजियम सभागार, एनएससी परिसर, नई दिल्ली में 19 जुलाई 2013 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित एग्रो टैक निवेशकों की बैठक में भाग लिया।
- औद्योगिक नीति और प्रवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2013 को 'आईपीआर पर सैक्टोरियल इनोवेशन काउंसिल द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय आई पी आर कार्यनीति के मसौदे' पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों की बैठक में भाग लिया।

- बी एम एस इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी जो विश्वेसरैया, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बंगलुरु से सम्बद्ध है, के आमंत्रण पर डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा पंजीकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने 4 जनवरी 2014 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 में उल्लिखित 'कृषकों के अधिकारों' अंतिथि प्रस्तुतीकरण दिया।
- कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा लखनऊ में 12–14 सितम्बर 2013 को आयोजित छठी राष्ट्रीय बीज कांग्रेस के दौरान 'भारत में आई पी आर मुद्दे और कृषि नवोन्मेषों' पर एक व्याख्यान दिया।
  - आंचलिक परियोजना निदेशालय, अंचल VIII बंगलुरु में 30 सितम्बर 2013 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के बारे में कृषकों तथा अन्य स्टेक होल्डरों के लिए विचारोत्तोजन सत्र में भाग लिया।
  - बी एम एस इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी जो विश्वेसरैया, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बंगलुरु से सम्बद्ध है, के आमंत्रण पर डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा पंजीकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने 4 जनवरी 2014 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 में उल्लिखित 'कृषकों के अधिकारों' अंतिथि प्रस्तुतीकरण दिया।
- #### 9.12.1 अन्य बैठकें
- **पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण तथा बीज उद्योगों के बीच एक सम्पर्क बैठक** 5 अप्रैल 2013 को एनएससी परिसर, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. आर. सी.अग्रवाल, महा पंजीकार ने की तथा डॉ. एन.के. दादलानी, निदेशक, नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसके सह—अध्यक्ष थे। इस बैठक में बीज उद्योगों के 29 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पंजीकरण, डीयूएस परीक्षण और निगरानी, पराजीनी फसलों, विशेष परीक्षणों आदि से संबंधित अनेक तकनीकी— कानूनी मुद्दों पर चर्चा हुई। बीज उद्योग के प्रतिनिधियों ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बैठक आयोजित किए जाने की सराहना की।
  - **पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियमावली और विनियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर समिति की बैठक** पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण
- अधिनियम, 2001 को सुसंगत बनाने के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियमावली व विनियमन में संशोधन के प्रस्ताव पर समिति की बैठकों में विचार किया गया। कृषि एवं सहकारिता विभाग ने प्राधिकरण से पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 को सुचारू बनाने में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियमावली और विनियमों में संशोधनों के संबंध में एक समेकित प्रस्ताव को अग्रेषित करने के लिए कहा था, ताकि कथित अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा सके। तदनुसार अध्यक्ष पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने डॉ. एस. नागराजन, पूर्व अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक उच्च समिति गठित की, ताकि मामले की जांच की जा सके और अधीनस्थ विधानों में वाचित सुझाए जा सकें। इस समिति की उपरोक्त बैठक नास में 12 जुलाई 2013 को आयोजित की गई जहां नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर समिति की अंतिम अनुशंसाओं पर चर्चा हुई, ताकि कृषि और सहकारिता विभाग को विचारार्थ अग्रेषित किया जा सके। उपरोक्त बैठक में जो अंतिम अनुशंसाएं तय की गई थीं उन पर 23 जुलाई 2013 को एक अन्य अंतरिक बैठक व चर्चा हुई, ताकि कृषि एवं सहकारिता विभाग के विचारार्थ पाधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियमावली और विनियमों में प्रस्तावित संशोधनों का मसौदा तैयार किया जा सके।
- **ईवीआरसी की बैठक :** विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति (ईवीआरसी) की 21वीं बैठक 12 जुलाई 2013 को डॉ. डी.पी. रे, पूर्व कुलपति, ओयूए और टी की अध्यक्षता में नास समिति कक्ष, नई दिल्ली में आयोजित हुई। बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित 67 विद्यमान किस्मों पर विचार किया गया और पंजीकरण हेतु अनुशंसा की गई।
  - **पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण और राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के बीच संश्लेषण/पारस्परिक चर्चा बैठक :** यह अनुभव करते हुए कि दो प्राधिकरणों अर्थात् एनबीए या राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता है क्योंकि दोनों ही के कार्य तथा कार्यक्रम में बहुत

- समानता है। डॉ. बालकृष्ण पिसुपति, अध्यक्ष, एनबीए ने अपने अधिकारियों के साथ पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल के उस प्रस्ताव को सहमति प्रदान की जिसमें 17 जुलाई 2013 को एनएससी परिसर, नई दिल्ली में एक समिलित बैठक आयोजन करना प्रस्तावित किया गया था। इस बैठक से कृषक समुदायों के हित में कुछ कार्यक्रमों व क्रियाकलापों को दोनों प्राधिकरणों द्वारा मिल-जुलकर करने के बारे में बहुत अच्छे सुझाव प्राप्त हुए।
- पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण – नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एन एस ए आई) परिचर्चा बैठक :** पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण – एन एस ए आई परिचर्चा बैठक तिलहन अनुसंधान निदशालय, हैदराबाद में 20 जुलाई 2013 को आयोजित की गई। डॉ. एन.के. दादलानी, निदेशक, एनएसएआई ने डॉ. आर.आर. हंचिनाल को उनके पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद का कार्यभार संभालने के लिए बधाई दी और यह विचार व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में प्राधिकरण नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, प्राधिकरण ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन में निजी उद्योग को एक महत्वपूर्ण स्टॉक होल्डर मानने पर, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकियों में सार्वजनिक-निजी समन्वयन, राष्ट्रीय जीन निधि में उदारतापूर्वक दान करने के लिए बीज उद्योग से अनुरोध करते हुए शुल्क की प्रस्तावित संरचना को अंतिम रूप देने पर बल दिया। बीज उद्योग के प्रतिनिधि ने जनक वंशक्रमों की स्थिति, डेटाबेस की साझीदारी, डीयूएस परीक्षणों को सम्पन्न करने, संदर्भ प्रजनन के अनुरक्षण प्रजनन से संबंधित मुद्दे उठाए। इसके साथ ही उन्होंने ईडीवी परीक्षण, मिर्च के लिए दिशानिर्देश विकसित करने तथा आवेदनों को ऑनलाइन दाखिल करने आदि संबंधी मुद्दे भी सामने रखे। इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और स्पष्टीकरण दिए गए जिनसे प्रतिभागी संतुष्ट थे। सभी प्रतिभागियों ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि यह परिचर्चा बैठक बहुत उपयोगी रही तथा पौधा किस्मों के पंजीकरण के बारे में प्रावधानों तथा दिशानिर्देशों से संबंधित अनेक शंकाओं का समाधान

हुआ।

- अधीनस्थ विधान पर संयुक्त संसदीय समिति, राज्य सभा (मौखिक साक्ष्य) की पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियमावली, 2003 पर एक बैठक 30 जुलाई 2013 को कमरा नं.53, प्रथम तल, राज्य सभा, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई जिसमें कृषि एवं सहकारिता विभाग और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों ने भाग लिया।**
- आईटीपीजीआरएफए के अंतर्गत पादप आनुवंशिक संसाधनों के बहुपक्षीय विनियम के संबंध में बैठक :** सचिव (कृषि एवं सहकारिता) की अध्यक्षता में एक बैठक 1 अगस्त 2013 को महालेनोबिस समिति कक्ष संख्या 138, कृषि भवन, नई दिल्ली में संबंधित स्टेकहोल्डरों अर्थात् निदेशक, एन बी पी जी आर; उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भा.कृ.अ.प.; नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया; राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चैन्नई; श्री ए.के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त सचिव सहित बीज प्रभाग के अधिकारियों; डॉ. अतनु पुरकायरथ, संयुक्त सचिव (बीज), श्रीमती स्मृति शरण, निदेशक (बीज); श्री आर. के. त्रिवेदी, डीसी (व्यूसी) और श्री गोरेलाल, सहायक आयुक्त (बीज) के साथ आयोजित की गई। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष भी इस बैठक में आमंत्रित किए गए थे। श्री हेम पाण्डे, अपर सचिव तथा डॉ. सुजाता अरोड़ा, निदेशक, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भी इस बैठक में उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि एन बी पी जी आर को जननद्रव्य के आदान-प्रदान, विशेष रूप से संधि के अंतर्गत बहुपक्षी प्रणाली के अंतर्गत इस आदान-प्रदान के लिए दिशानिर्देश, प्रक्रियाएं और प्रोटोकोल विकसित करने चाहिए, ताकि एनबीए की अनुशंसाओं पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एक राजपत्रित अधिसूचना जारी करते हुए जैवविविधता अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत छूट मांगी जा सके।
- आईटीपीजीआरएफए के शासी निकाय की एनबीपीजीआर में 5वें सत्र की कार्यसूची का जायजा लेने के लिए बैठक:** पादप आनुवंशिक संसाधन व्यूरो – खाद्य एवं कृषि पर अंतरराष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) के शासी निकाय के 5वें सत्र की कार्यसूची पर कार्य करने के लिए 6 अगस्त 2013 को एनबीपीजीआर में एक बैठक हुई। इस बैठक में आईटीपीजीआरएफए से संबंधित

नीतिगत मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को आमंत्रित किया गया था। इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. आर.आर. हंचिनाल, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने की, जबकि डॉ. एस.के. दत्ता, उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भा. कृ.अ.प., सह अध्यक्ष थे। सुश्री शालिनी भूटानी जो एक स्वतंत्र वकील हैं और जैव-विविधता अनुसंधानकर्ता भी हैं, जैवविविधता पर संरक्षण व समुदाय के नियंत्रण के लिए अभियान चला रही हैं, उन्हें भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया। बैठक के दौरान विशेषज्ञों ने कार्यसूची की विभिन्न मदों पर चर्चा की और विभिन्न नीति संबंधी मामलों पर देश की स्थिति के बारे में तैयार की गई टिप्पणियों के मसौदे पर चर्चा हुई, ताकि कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय इन पर विचार कर सकें। इसके साथ ही एक प्रतिनिधि मंडल के ओमान दौरे पर भी बैठक में विचार-विमर्श हुआ।

- जैवविविधता पर बैठक: बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल ने 'पारिस्थितिक सेवाओं को सुनिश्चित करने और संकट को कम करने के लिए कृषि क्षेत्र में कृषि जैवविविधता के संरक्षण व उपयोग को मुख्य धारा में लाने' परियोजना की सहायता से यूएनईपी— जीईएफ की निरीक्षण बैठक आयोजित की। यह बैठक 2–4 सितम्बर 2013 को एनएएससी परिसर, पूसा परिसर, नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक का उद्देश्य परियोजना के औचित्य पर राष्ट्रीय साझेदारों को राजी करना तथा कार्यान्वयन की व्यवस्थाएं देखना व रिपोर्टिंग प्रणालियों को अंतिम रूप देते हुए यूएनईपी/जीईएफ सहायता प्राप्त परियोजना की कार्य योजना के लिए प्रबंधन क्रिया विधियों को अंतिम रूप देना था। बायोडायवर्सिटी ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को एक साझीदार के रूप में आमंत्रित किया और प्राधिकरण से अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। भा.कृ.अ.प.; बीज प्रभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भा.कृ.अ.सं., एनबीपीजीआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, स्वयं सेवी संगठनों, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी तीन दिन चलने वाली इस बैठक में भाग लिया।
- 'फार्म नव प्रवर्तनों का अनुकूलन' पर राष्ट्रीय कार्यशाला: ट्रस्ट फार एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसिस (टास) ने भा.कृ.अ.प. और अपारी के सहयोग से फार्म नव प्रवर्तनों के अनुकूलन पर 3–5 सितम्बर 2013

को ए.पी. शिंदे सिम्पोजियम सभागार, एन ए एस सी परिसर, नई दिल्ली में एक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण इस कार्यशाला का एक सह प्रायोजक था।



दिनांक 4 सितम्बर 2013 को आयोजित कार्यशाला के सत्र VIII को कृषि जैवविविधता के संरक्षण पर समर्पित किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. पी.एल. गौतम, कुलपति, कैरियर प्लाइट यूनिवर्सिटी तथा पूर्व अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने की और सह अध्यक्षता डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने की। सत्र के अग्रणी वक्ता डॉ. महादेवप्पा, निदेशक, जेएसएस रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन ने कृषि जैवविविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग में नव प्रवर्तनों को बढ़ाने के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों के बारे में विस्तार से बताया। इस सत्र के पैनलिस्ट चार नव प्रवर्तक तथा प्रगतशील किसान श्री पी. नारायण उन्नी (नवारा चावल); श्री दत्तात्रेय हेगडे (सेब और आम की किस्म); श्री सुंडाराम वर्मा (नव प्रवर्तन तथा फसल सुधार) और श्री सुल्तान सिंह (मात्स्यकी) थे। सत्र का संचालन डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा पंजीकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने किया।

- कृषकों के अधिकारों पर एक सेमिनार का आयोजन नवभारत एजुकेशन एंड सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनईएसआरआई), विधि संकाय, मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एंड साइंस (एम आई टी एस) तथा पाधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने सम्मिलित रूप से 7 सितम्बर 2013 को बरसिंघपुर (खांडेला), सीकर, राजस्थान में किया। इसका उद्घाटन माननीय न्यायाधीश डॉ. बी.एस. चौहान, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किया। डॉ. अर्जित पसायत, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा अध्यक्ष एडवांस रूलिंग

एथोरिटी और फार्मसी राइट कार्यक्रम के संरक्षक ने उद्घाटन भाषण दिया। डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने श्रोताओं के समक्ष एक विशेष व्याख्यान दिया तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के तहत पंजीकरण के द्वारा कृषकों के अधिकारों के संरक्षण व सुरक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए।

### 9.13 सीआईसीआर, नागपुर में 9–13 फरवरी 2014 को कृषि वसंत में भागीदारी



हमारी कृषि अर्थव्यवस्था में कृषकों के महान योगदानों को मनाने के लिए सी आई सी आर, नागपुर में 9–13 फरवरी

2014 को कृषि वसंत 2014 का आयोजन किया गया जिसमें पूरे देश से बड़ी संख्या में किसानों व अन्य स्टेकहोल्डरों ने भाग लिया। इस राष्ट्रीय स्तर के मेले व प्रदर्शनी में लाखों किसानों व अन्य आगंतुकों ने भाग लिया। यह भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकार का एक सम्मिलित प्रयास था। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 9 फरवरी 2014 को दिया तथा श्री पृथ्वीराज चव्हाण, माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र सरकार; श्री शरद पवार, माननीय केन्द्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री तथा राज्य कृषि मंत्री, महाराष्ट्र भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने भी भाग लिया तथा अपना स्टाल लगाया। प्रदर्शनी के दौरान पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 व कृषकों के अधिकारों पर ब्रॉशर तथा आईपीआर से संबंधित अन्य साहित्य किसानों व अन्य आगंतुकों के बीच बांटा गया। प्राधिकरण से श्री आर.आर. प्रधान और डॉ. डी.एस. पिलानिया को स्टाल लगाकर प्राधिकरण की गतिविधियां दर्शाने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। इसके अलावा कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कृषि वसंत को देखा तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के स्टाल का भी भ्रमण किया। डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष तथा डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा पंजीकार, प्राधिकरण ने 12 फरवरी 2014 को नागपुर का दौरा किया और किसानों के साथ वार्ता की।



## 10. अंतरराष्ट्रीय सहयोग

भारतीय विधान में पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर विदेशों के नागरिकों से पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त करने के उस दिशा में विशेष प्रावधान हैं जहां केन्द्र सरकार द्वारा धारा 31 की उप धारा (1) के अंतर्गत शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है और इस धारा की यह उप धारा भारतीय नागरिकों को किसी किस्म के पंजीकरण और सुरक्षा के मामले में वही अधिकार नहीं देती है जैसा कि अन्य देशों में लागू है। इसी प्रकार, ऐसे देश का कोई भी राष्ट्र अकेले या संयुक्त रूप से किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी किस्म के पंजीकरण हेतु आवेदन करने की अनुमति नहीं देगा या इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्म के लिए पात्र नहीं होने देगा। चूंकि भारत उपोव कलब का सदस्य नहीं है, अतः अनेक देश भारत के साथ कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग का लाभ उठा रहे हैं।

अवधि 2013–14 के दौरान पौधा किस्मों की सुरक्षा, पौधा प्रजनकों के अधिकारों, डीयूएस परीक्षण और क्षमता निर्माण के लिए अनेक विदेशी प्रतिनिधि मंडलों ने द्विपक्षीय सहयोग की संभावना तलाशने के लिए भारत का दौरा किया। भारत खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) का संस्थापक सदस्य है और अनेक अंतरराष्ट्रीय समझौतों में भी शामिल है। भारत सरकार की ओर से आईटीपीजीआरएफए का द्विवार्षिक योगदान प्राधिकरण द्वारा अदा किया जाता है। प्राधिकरण शासी निकाय के सत्रों/बैठकों में भी भाग लेता है तथा अंतरराष्ट्रीय संधि और उपोव के लिए तकनीकी कार्यक्रम तैयार करता है। भारत की उपोव की सदस्यता विचाराधीन है और इसे प्रेक्षक का दर्जा दिया गया है।

भारत गणराज्य के कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय तथा फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फूड, एग्रीकल्चरल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के बीच बीजों के विकास पर एक संयुक्त घोषणा पर 11 अप्रैल 2013 को हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्ष आरंभ में दो वर्ष के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की तिथि से द्विपक्षीय सहयोग आरंभ करने पर सहमत हुए। दोनों पक्ष दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व सहयोग जारी रखने की संभावना

पर भी सहमत हुए।

इस समझौते से पौधा किस्मों की सुरक्षा, डीयूएस परीक्षण और पादप प्रजनकों के अधिकारों के बारे में जर्मन एसोसिएशन ऑफ प्लांट ब्रीडर्स (बीडीपी) और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के बीच द्विपक्षीय सहयोग के एक नए युग की शुरुआत होगी। नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया दोनों देशों को पादप किस्म सुरक्षा के बारे में सूचना के आदान-प्रदान और अनुभव के आदान-प्रदान के बारे में समझ बढ़ाने में सहायता करेगी। इस संयुक्त घोषणा पर श्रीमती सुजाता सिंह, जर्मनी में भारत की राजदूत द्वारा भारत की ओर से और डॉ. गेर्ड म्यूलर, पार्लियामेंट्री स्टेट सैक्रेटरी द्वारा फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फूड एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की ओर से हस्ताक्षर किए गए।

जर्मनी के अलावा कृषि एवं सहकारिता विभाग ने अनेक देशों जैसे अर्जेण्टीना, अजरबैजान, बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, ब्रिक्स, कनाडा, फांस, हंगरी, स्लोवाकिया, इराक, जॉर्डन, पाकिस्तान, फिलीपाइंस, सर्बिया, स्लोवाकिया, सूरीनाम, यूएसए, यूक्रेन और जिम्बाब्वे के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर प्राधिकरण की टिप्पणियां मांगी।

डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा पंजीकार ने 14 जून 2013 को कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय में अर्जेण्टीनी अधिकारियों और कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के बीच आयोजित बैठक में भाग लिया। अर्जेण्टीनी प्रतिनिधि मंडल में 6 सदस्य थे जिनका नेतृत्व डॉ. गार्स्टन फ्यून्स, एग्रीकल्चरल एटेची – यूरोपी संघ, कृषि मंत्रालय, पश्चिम एवं मात्स्यकी, अर्जेण्टीनी गणराज्य ने किया तथा भारत की ओर से इस बैठक में श्री उपल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (पीपी), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने भी भाग लिया। डॉ. अग्रवाल ने दो देशों के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले कार्य योजना में पारस्परिक सहयोग के क्षेत्र में पीवीपी विधान के कार्यान्वयन से संबंधित अनुभवों की भागीदारी को भी इसमें शामिल करने का अनुरोध किया।

डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महापंजीकार ने 24 जून 2013 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में भारत-अफीका कृषि पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। डॉ. विलियम डार, महा निदेशक, इक्रीसेट; डॉ. एस. अय्यप्पन, महानिदेशक,

भा.कृ.अ.प.; डॉ. एल. एस. राठौर, महानिदेशक, आईएमडी, डॉ. पूर्वी मेहता, दक्षिण एशिया निदेशक, इंटरनेशनल लाइब्रेरी स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएलआरआई), अफ्रीकी देशों के डिप्लोमेट इस बैठक में उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण प्रतिभागियों में से थे।

### अंतरराष्ट्रीय दौरे

प्राधिकरण के अधिकारियों तथा भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने रिपोर्टर्डीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित विदेशी दौरे किए :

- डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महापंजीकार ने 12 अप्रैल 2013 को, रोम, इटली में मानक सामग्री हस्तांतरण समझौते 'एनएमटीए' की तदर्थ परामर्श तकनीकी समिति और खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि की बहुपक्षीय प्रणाली (एम एल एस) की आयोजित की गई चौथी बैठक में भाग लिया।
- श्री दीपल रॉय चौधरी, संयुक्त पंजीकार ने नीदरलैंड्स के आमंत्रण पर सैंटर फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, वेजिनिंजन, विश्वविद्यालय, यूआर का दौरा किया। यह दौरा उन्होंने 24 अप्रैल 2013 को 'पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग पर समकालिक दृष्टिकोणों' पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन' पर व्याख्यान देने के लिए किया था। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य वर्तमान पादप आनुवंशिक संसाधन प्रबंध की कार्यनीतियों व नीतियों की बेहतर समझ के लिए प्रतिभागियों की क्षमताओं को बढ़ाना था। विभिन्न देशों नामतः बांग्लादेश, फिलीपाइंस, भारत, श्रीलंका, थाइलैंड, नाइजीरिया, घाना, सूडान, इथोपिया, पॉलैंड, कोस्टा रिका, ब्राजील तथा अन्य देशों के 22 प्रत्याशी जो विश्वविद्यालयों/ अनुसंधान संस्थानों/ जीन बैंकों, सरकारी विभागों/ मंत्रालयों, सी जी आई ए आर केन्द्रों (इक्रीसेट), स्वयं सेवी संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने भी इसमें भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में वे सभी शामिल थे जो उपरोक्त संगठनों में जैवविविधता के संरक्षण व अनुसंधान कार्य में लगे हुए थे।

### 10.1 अंतरराष्ट्रीय दौरे

- आईटीपीजीआरएफए के शासी निकाय के 5वें सत्र में भागीदारी  
डॉ. अतनु पुरकायस्थ, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं

सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने जिसमें डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष और डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा पंजीकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण भी शामिल थे, 22–28 सितम्बर 2013 को मस्कट, ओमान में आयोजित खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि के शासी निकाय के पांचवें सत्र में भाग लिया।

### ● श्री लंका में उपोव का सेमिनार

'उपोव समझौते के संदर्भ में पौधा किस्म सुरक्षा प्रणालियों के लाभ' पर एक सेमिनार का आयोजन कृषि विभाग, श्री लंका; उपोव, जेनेवा; यू.एस.पी.टी.ओ, यू.एस.ए और कृषि, वानिकी एवं मात्स्यकी मंत्रालय (एम ए एफ एफ), जापान ने 25–26 नवम्बर 2013 को प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिस सेंटर (पीजीआरसी), गैन्नोरोआ, पेराडेनिया, श्री लंका में संयुक्त रूप से किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल जिसमें डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण; डॉ. आर.के. त्रिवेदी, उपायुक्त (गुणवत्ता नियंत्रण), कृषि एवं सहकारिता विभाग; और डॉ. एस. मौर्या, सहायक महानिदेशक (आई.पी.आर और टी.एम), भा.कृ.अ.प.; तथा डॉ. सुधीर कोच्चर, राष्ट्रीय समन्वयक, एन.ए.आई.पी, भा.कृ.अ.प. भी शामिल थे, ने सेमिनार में भाग लिया तथा भारत में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में अद्यतन जानकारी दी।

### ● सिमिट, मैक्रिस्को का दौरा

डॉ. अतनु पुरकायस्थ, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय और प्रो. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने 22–28 मार्च 2014 को बोलाग रस्ट इनिशिएटिव जो भा.कृ.अ.प., इकार्डा, सिमिट, खाद्य एवं कृषि संगठन, कॉर्नल विश्वविद्यालय का सम्मिलित प्रयास है, के आमंत्रण पर सिमिट, मैक्रिस्को का दौरा किया। इस अवसर पर दो सम्मेलन आयोजित किए गए जिनमें विश्व के प्रमुख कृषि अनुसंधान एवं विकास संघ लखनऊ के 700 से अधिक अनुसंधानकर्ताओं, नीति निर्माताओं व प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत की ओर से संयुक्त सचिव बीज और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष के अलावा मैक्रिस्को के लिए भारत के राजदूत, अपर सचिव, डेयर तथा सचिव, भा.कृ.अ.प.; उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भा.कृ.अ.प.; कृषि आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता

विभाग; निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली तथा गेहूं कार्यक्रम के वैज्ञानिकों के दल ने इसमें भाग लिया।

बोर्लांग ग्लोबल रस्ट इनिसिएटिव (बीजीआरआई) की तकनीकी कार्यशाला (22–25 मार्च 2014) का उद्देश्य गेहूं के तने के पीले और पत्ती रतुओं के प्रति विश्व की संवेदनशीलता को कम करने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य की समीक्षा करना था, ताकि खाद्य सुरक्षा के वैश्विक खतरे से निपटने के लिए गेहूं की विश्व उत्पादकता बढ़ाई जा सके। इस कार्यशाला के बाद गेहूं खाद्य सुरक्षा पर बोरलॉग सम्मेलन का आयोजन किया गया (26–28 मार्च 2014) जिसका लक्ष्य उस बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराना था जो वर्ष 2050 तक 9.6 बिलियन से अधिक हो जाएगी और वैश्विक ऊष्मन तथा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में गेहूं की मांग 60 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है।

## 10.2 विदेशी अतिथि



एफो-एशियन रुरल डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (एआरडीओ) सदस्य देशों के अधिकारियों के लिए 3–16 मार्च 2014 को 'बीज उत्पादन तथा गुणवत्ता मूल्यांकन' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के बीज विज्ञान प्रभाग में आयोजित हुआ। इसमें 10 प्रतिभागी थे जो घाना (1), मलेशिया (2), ओमान (1), श्रीलंका (1), सूडान (1), ताईवान (2), यमन (1) और जाम्बिया (1) से आए थे। कुछ चुनी हुई खेत तथा सब्जी फसलों की बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, गुणवत्तापूर्ण बीज परीक्षण के लिए प्रक्रियाओं और सिद्धांतों, बीज भंडारण, फसल किस्म के विकास से जुड़े नीतिगत मुददों, विमोचन तथा अधिसूचनाकरण, बीज

अधिनियम, 1966 और बीज नियमावली, 1968 पर सूचना उपलब्ध कराई गई जिसमें नया बीज विधेयक 2004 और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 को भी शामिल किया गया। यह प्रशिक्षण कक्षा व्याख्यानों तत्काल प्रशिक्षण, प्रायोगिक कक्षाओं, प्रदर्शनों और चर्चा सत्रों के माध्यम से विदेशी अतिथियों को दिया गया और उन्हें खेतों का भ्रमण भी कराया गया। डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण प्रमुख संसाधन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने प्रशिक्षुओं के साथ चर्चा की तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 और कृषकों के अधिकारों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अधिनियम की कार्यान्वयन की स्थिति के साथ विस्तार से बताया।

- पौधा किस्मों की सुरक्षा, डीयूएस परीक्षण तथा पादप प्रजनकों के अधिकारों पर दिसम्बर 2011 में नीदरलैंड के साथ पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए। परिणामस्वरूप छह सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने कृषि तथा बागवानी के विकास में पीवीपी के प्रभावों के अध्ययन के लिए नीदरलैंड का दौरा किया तथा पादप प्रजनन उद्योग के विकास पर भी चर्चा की। इसी प्रकार, 10 सदस्यीय डच प्रतिनिधि मंडल ने डीयूएस परीक्षण में शामिल वैज्ञानिक समुदाय को प्रशिक्षण देने के लिए भारत स्थित शिमला / मोदीपुरम, वाराणसी, बंगलुरु और दिल्ली का दौरा किया। डॉ. कीस वान एटेकोवन, अध्यक्ष, वैरायटी टेस्टिंग नेकतुर्झनॉबोउव, नीदरलैंड ने 24 जून 2013 को प्राधिकरण के कार्यालय का दौरा किया तथा समझौता ज्ञापन के अनुसार जो भारत और नीदरलैंड सरकारों के बीच नई दिल्ली में 7 जून 2011 को हस्ताक्षरित हुआ था, कार्य योजना के पीवीपी के क्षेत्र में भावी सहयोग के बारे में चर्चा की।
- सुश्री एम. ऐन ट्वीटविलेर, महानिदेशक तथा डॉ. स्टेफेन वेइजे, उप महानिदेशक, बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल ने दक्षिण एशिया समन्वयक डॉ. पीएन. माथुर के साथ 13 अगस्त 2013 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल से उनके कार्यालय में एक सौहार्दपूर्ण मुलाकात की। कृषकों के अधिकारों के विशेष संदर्भ में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के कार्यान्वयन सहित बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल तथा

- पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों के बारे में इस बैठक में चर्चा हुई। इस अवसर पर प्राधिकरण के महा पंजीकार, पंजीकार व संयुक्त पंजीकार भी मौजूद थे।
- **डॉ. मेझरे हेगा, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ग्लोबल क्रॉप डायवर्सिटी ट्रस्ट,** जर्मनी ने अपने दल के सदस्यों श्री माइकेल फेडरिच विल्हेल्म कोच और श्री ल्यूह़गी मैरिया गुआरिनो के साथ 20 नवम्बर 2013 को प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल से उनके कार्यालय में मुलाकात की। चर्चा के दौरान पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, अधिनियम के कार्यान्वयन में प्राधिकरण की प्रगति, कृषक किस्मों पर विशेष बल देते हुए उनके पंजीकरण पर विशेष बातचीत हुई। पारस्परिक सहयोग के क्षेत्रों को तलाश गया और उन पर भी बातचीत हुई। डॉ. प्रेम माथुर, दक्षिण एशिया समन्वयक, बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल और डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा पंजीकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण भी इस चर्चा में मौजूद थे।
  - **जर्मन प्रतिनिधि मंडल का 2–6 दिसम्बर 2013 को भारत का दौरा :** श्री उदो वॉन क्रोचर, प्रेसिडेंट, फेडरल ऑफिस ॲफ प्लांट वेरायटीज (बुंडेसॉर्टनाम्ट) के नेतृत्व में उच्च स्तर के प्रतिनिधि मंडल ने 5 दिसम्बर 2013 को एन ए एस सी परिसर, नई दिल्ली स्थित पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का दौरा किया। इस प्रतिनिधि मंडल में 7 सदस्य थे, जिनमें सुश्री ब्रिगिट रिस्क, अध्यक्ष, दक्षिण पूर्व एशिया प्रभाग, फेडरल मिनिस्ट्री ॲफ फूड एंड कंज्यूमर प्रोडक्शन, श्री डेइटर रूकेर, प्रभागाध्यक्ष, इंटरनेशनल एफेयर्स, जर्मन प्लांट ब्रीडर्स एसोसिएशन (बीडीपी); सुश्री सैबिने राडाज, काउंसलर, फूड, एशियाक्ल्यूर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जर्मनी दूतावास, नई दिल्ली बैठक में पौधा किस्मों की सुरक्षा, पादप प्रजनकों के अधिकारों, डीयूएस परीक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा हुई। डॉ. अतनु पुरकायरथ, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं सहकारिता विभाग ने एनबीपीजीआर, एनएससी, एसकृषकआई, एनएसएआई और पीपीवी व एफआर प्राधिकरण के प्रतिनिधियों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ दो देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग में हुई सकल प्रगति की समीक्षा के लिए 6 दिसम्बर 2013 को कृषि भवन, नई दिल्ली में एक पृथक बैठक का आयोजन किया। दोनों देशों की प्रतिभागी एजेंसियों अर्थात् पीपीवी और एफआर प्राधिकरण तथा फेडरल ऑफिस ॲफ प्लांट वेरायटीज (बुंडेसॉर्टनाम्ट), जर्मनी के बीच विस्तृत कार्य योजना का कार्य प्रगति पर है।

## 11. प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 2013–14

वित्तीय विवरण सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों (जीएएपी), लागू अधिदेशित लेखा मानकों (एएस) जो भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए हैं और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीजीए) द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों की प्रासंगिक प्रस्तुतीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। प्राधिकरण जब तक अन्यथा उल्लेखन न हो व्यय तथा आय की सभी मदों के संदर्भ में लेखाकरण की संभूति प्रणाली का पालन करता है। 31 मार्च 2014 को तुलन-पत्र, 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के आय और व्यय के लेखे तथा प्राप्तियों और अदायगियों के लेखे निम्नानुसार हैं :

लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा प्रबंधन के उत्तर के साथ लेखापरीक्षित लेखों को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की

नई दिल्ली में दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 को आयोजित 21वीं बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई।

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 62(2) के अनुपालन में प्राधिकरण के लेखे भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक को प्रस्तुत किए गए। लेखापरीक्षित लेखे तथा लेखापरीक्षा की रिपोर्ट तथा प्रबंधन संबंधी उत्तर मंत्रालय को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए अलग से भेजे जाएंगे। वर्ष 2013–14 के दौरान प्राधिकरण को कृषि एवं सहकारिता विभाग से 1511.96 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त हुई जिसमें से 1525.38 लाख रुपये की अनुदान राशि का उपयोग हुआ तथा पिछले वर्ष की गैर खर्च हुई 13.51 लाख रुपये को समायोजित करने के पश्चात् 0.09 लाख रुपये शेष बचे।

### 31 मार्च 2014 को तुलन पत्र

राशि (रुपये में)

कॉर्पस/पूँजी निधि तथा देयताएं	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कॉर्पस/पूँजी निधि	15,04,85,802	13,24,08,267
आरक्षित राशि और अतिरिक्त राशि	—	—
निर्धारित/स्थायी निधि	—	—
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	—	—
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	—	—
आगे खिसकाई गई ऋण देयताएं	—	—
चालू देयताएं और प्रावधान	5,72,12,802	4,03,40,487
<b>योग</b>	<b>20,76,98,604</b>	<b>17,27,48,754</b>
<b>परिसम्पत्तियां</b>		
स्थिर परिसम्पत्तियां	2,88,46,845	2,76,74,241
घटाएं : संचयित मूल्यहास	2,10,04,948	1,78,53,194
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां	78,41,897	98,21,047
पूँजीगत कार्य में प्रगतियां	1,78,38,219	1,78,38,219
निवेश – निर्धारित/स्थायी निधियों से	—	—

निवेश – अन्य से	—	—
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, पेशगियां आदि	18,20,18,488	14,50,89,488
फुटकर व्यय	—	—
(जो बढ़ते खाते में न डाली गई हों या समायोजित न की गई हो)		
योग	20,76,98,604	17,27,48,754

### 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के आय और व्यय का लेखा

राशि (रुपये में)

	प्राधिकृत निधि		जीन निधि	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
<b>आय</b>				
बिक्री/सेवाओं से हुई आय	—	—	—	—
अनुदान/सहायता	15,00,23,396	1,53,270,863	85,00,000	50,00,000
शुल्क/चंदा	1,86,96,550	31,72,900	19,05,498	8,49,983
निवेशों से हुई आय	—	—	—	—
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से हुई आय	—	—	—	—
अर्जित ब्याज	51,83,817	38,22,363	3,61,096	1,44,301
अन्य आय	42,417	2,36,569	—	—
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (गिरावट) और चालू कार्य	—	—	—	—
आस्थगित आय (अचल सम्पत्तियों पर मूलधार्स)	31,51,754	35,83,531	—	—
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध क)	—	—	—	—
<b>कुल (क)</b>	<b>17,70,97,934</b>	<b>6,40,86,226</b>	<b>1,17,66,594</b>	<b>69,94,284</b>
<b>व्यय</b>				
स्थापना व्यय	4,10,80,100	3,64,99,570	—	—
अन्य प्रशासनिक आय आदि	4,20,33,831	2,84,59,357	61,10,817	46,04,021
अनुदान/चंदों आदि पर हुआ व्यय	6,43,97,379	6,30,04,554	—	—
ब्याज	1,321	3,632	—	—
मूलधार्स (अनुसूची 8 से सम्बद्ध वर्ष के अंत में निवल योग)	31,51,754	35,83,531	—	—
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध—क)	1,20,32,641	70,70,668		81,191
<b>योग (ख)</b>	<b>16,26,97,026</b>	<b>13,86,21,312</b>	<b>61,10,817</b>	<b>46,85,212</b>
<b>व्यय की तुलना में आय घटाकर शेष राशि (क—ख)</b>	<b>1,44,00,908</b>	<b>2,54,64,914</b>	<b>56,55,777</b>	<b>23,09,072</b>
विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरण (प्रत्येक को अलग—अलग बताए)	—	—	—	—
सामान्य आरक्षित निधि को/से हस्तांतरण	—	—	—	—
कॉर्पस/पूँजी निधि तक ले जाई गई शेष अतिरिक्त राशि (अंतर)	1,44,00,908	2,54,64,914	56,55,777	23,09,072

## 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष की प्राप्ति एवं अदायगी का लेखा

राशि (रुपये में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगीयां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
<b>1. आदिशेष</b>			<b>1. व्यय</b>		
क. मौजूद नकद राशि	10,000	5,000	क. स्थापना व्यय	2,69,69,070	2,69,32,784
ख. बैंक अधिशेष			ख. प्रशासनिक व्यय	2,73,93,982	2,28,34,027
एसबीआई (मोड लेखा सहित )	1,61,84,501	4,63,722	<b>2. निधियों के विरुद्ध अदायगीयां</b>		
सिंडिकेट बैंक	58,28,425	2,41,96,312	क. विद्यमान डीयूएस केन्द्र	3,93,85,671	3,24,08,334
लेन-देन में वापसी	3,739	—	ख. नए डीयूएस केन्द्र	2,30,61,424	2,96,31,098
एस बी आई जीन निधि	1,12,88,001	58,53,950	ग. संदर्भ प्रयोगशालाएं	11,83,254	63,70,000
गुवहाटी बैंक	17,160	48,856	घ. फील्ड जीन बैंक	46,30,000	53,42,243
रांची बैंक	14,825	93,062	<b>3. अचल सम्पत्तियों पर व्यय तथा पूँजी कार्य में प्रगति</b>		
<b>2. प्राप्त अनुदान</b>			क. अचल सम्पत्ति की खरीद (प्राधिकरण)	7,04,129	68,60,060
भारत सरकार से	15,11,96,000	16,02,33,000	ख. चालू पूँजी कार्य पर व्यय	—	64,93,543
<b>3. प्राप्त ब्याज</b>			<b>4. प्रशिक्षण केन्द्रों को पेशागी</b>		81,03,165
क. बैंक में जमा राशि पर			5. आपूर्तिकर्ताओं को पेशागी	—	7,16,653
जीन निधि	5,41,753	40,268	<b>6. बाहरी व्यक्तियों को पेशागी</b>	6,76,050	27,53,256
प्राधिकरण निधि	16,94,768	10,86,257	<b>7. डीयूएस परीक्षण शुल्क के विरुद्ध पेशेगी</b>	—	51,79,250
<b>4. प्रशिक्षण केन्द्रों से प्राप्त पेशागीयां</b>	8,27,471	4,12,626	<b>8. फैंकिंग मशीन को पुनः भरना</b>	2,50,000	1,50,000
<b>5. शुल्क/अंशदान/अन्य आय</b>			<b>9. संगठनों/संस्थाओं को योगदान</b>	—	26,24,015
प्राप्त आवेदन/पंजीकरण शुल्क	49,72,000	30,32,000	<b>10. स्टाफ को पेशागी</b>	29,37,484	41,43,829

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
पीवीजे शुल्क	59,200	39,800	11. वित्त प्रभार	1,777	7,909
आपत्ति के नोटिस के लिए शुल्क	53,000	1,48,500	12. प्राप्त पेशगी के विरुद्ध अदायगियां	50,000	55,000
वार्षिक शुल्क—जीन निधि	17,91,498	7,39,983	13. मियादी जमा	7,22,00,000	13,24,00,000
पुराने समाचार—पत्रों, रद्दी की बिक्री	2,233	26,240	14. रद्दी डिमांड डाफ्ट की समाप्ति	—	32,600
प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क	1,36,19,500	2,03,61,000	15. अदा की गई वैधानिक देयताएं	43,58,258	44,09,252
अन्य आय	5,666	5,693	16. अंतर्शेष		
प्रकाशनों की बिक्री	17,220	—	क. मौजूद नकद राशि	15,000	10,000
वाहन बीमे से प्राप्त दावा	9,867	—	ख. बैंक में शेष राशि		
विस्तार स्वीकृत के लिए शुल्क	4,500	—	भारतीय स्टेट बैंक (एमओडी सहित)	3,18,54,153	1,61,84,501
7. स्टाफ से पेशगी की वसूली (अनुबंध ण)	4,27,222	11,99,503	सिंडिकेट बैंक	26,29,758	58,28,425
8. मियादी जमा का नकदीकरण	6,56,24,338	11,16,80,872	एसबीआई (जीन निधि)	1,60,10,435	1,12,88,001
9. पुराने चैकों की राशि की वापसी	—	38,503	गुवहाटी बैंक	14,409	17,160
10. सीपीएफ (एफडी) का नकदीकरण	—	7,99,394	रांची बैंक	2,498	14,825
11. जीवन बीमा निगम से प्राप्त अनुदान का दावा	—	2,88,927	लेन—देन में वापसी	34,372	3,739
12. बैंक में गलत नामे जिसे अब सुधार लिया गया है	—	200			
13. जमा सिक्योरिटी	50,000	—			
<b>कुल</b>	<b>27,42,42,887</b>	<b>33,07,93,669</b>	<b>कुल</b>	<b>27,42,42,887</b>	<b>33,07,93,669</b>



## 12. नागरिक आचार संहिता

### परिदृश्य

पौधा किस्मों, कृषकों के अधिकारों तथा पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली सुनिश्चित करना।

### मिशन

पौधा किस्मों के नवोन्मेषों को उद्दीप्त करने के लिए पौधा किस्मों के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की सुरक्षा तथा पादप आनुवंशिक संसाधनों व परंपरागत किस्मों की संपदा के परिरक्षण और संरक्षण में किए गए योगदानों के लिए किसानों को सम्मान व पुरस्कार प्रदान करना।

### उद्देश्य

- पौधा किस्मों और कृषक के अधिकारों, पादप प्रजनकों व अनुसंधानकर्ताओं की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रणाली प्रदान करना।
- अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ावा देने तथा नई किस्मों के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए पादप प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा।
- पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार व उन्हें उपलब्ध कराने के लिए किसानों के योगदानों को मान्यता प्रदान करना।
- किसानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण बीजों तथा रोपण सामग्री का उत्पादन व उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बीज उद्योग की वृद्धि में सुविधा प्रदान करना।

### कार्य

- कृषकों और पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना।
- परंपरागत बीज के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक और बहुवार्षिक फसलों के लिए फील्ड जीन बैंक की स्थापना।
- पौधों की नई और विद्यमान किस्मों का पंजीकरण
- पंजीकृत पौधा किस्मों के गुणों का निर्धारण व उनका प्रलेखन
- कृषक किस्मों का प्रलेखन, सूचीकरण और सूची पत्रकरण

- पौधों की सभी किस्मों के लिए अनिवार्य सूचीपत्रकरण की सुविधा
- यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध हों और यदि आवश्यकता हो तो अनिवार्य लाइसेंस उपलब्ध कराना।
- पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव सुनिश्चित करना।
- पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग को सहायता देने तथा इस प्रकार का संरक्षण करने के लिए पंचायतों की क्षमता निर्माण व टिकाऊ उपयोग तथा लाभ में भागीदारी से संबंधित स्कीमों के व्यय के साथ-साथ पणधारियों को क्षतिपूर्ति के लिए दी जाने वाली राशि पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए जीन निधि का उपयोग।

### स्टेकहोल्डर्स

पौधा किस्म और कृषक अधिकारों की सुरक्षा एक अनूठा विषय है जिसमें विविध क्रियाकलाप पहले व स्टेकहोल्डर शामिल हैं। पौधा किस्मों और कृषक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित स्टेकहोल्डर हैं, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, कृषि विश्वविद्यालयों सहित अनुसंधान संगठन, बीज उद्योग, स्वयं सेवी संगठन और इन सबसे बढ़कर आदिवासी कृषक समुदायों सहित सभी किसान।

### प्रदान की गई सेवाएं

- कृषकों, अनुसंधानकर्ताओं/पादप प्रजनकों द्वारा प्रजनित पौधों की किस्मों को पौधा किस्म पंजीकरण के रूप में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) की सुरक्षा प्रदान करना।
- पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव जिसमें पौधा किस्मों तथा संबंधित प्रजनकों के अधिकारों का उल्लेख हो।
- यदि कोई पंजीकृत किस्म उस प्रकार निष्पादन नहीं करती है, जिसका दावा प्रजनकों द्वारा किया गया है तो किसानों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना।
- समुदायों/किसानों को पादप आनुवंशिक संसाधनों के योगदान/साझीदारी के लिए लाभ में भागीदारी।

- पीपीवी और एफआर अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पौधा प्रजनकों तथा किसानों के अधिकारों के लिए जागरूकता का सृजन व क्षमता का निर्माण।
- स्टेकहोल्डरों को पौधा किस्मों का डेटाबेस उपलब्ध कराना।
- आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार तथा परिरक्षण में लगे किसानों, कृषक समुदायों, विशेष रूप से आदिम जाति और ग्रामीण समुदायों को सहायता प्रदान करना व पुरस्कृत करना।

#### **शिकायत के निपटारे की क्रियाविधि**

महा पंजीकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, जन-शिकायतों के निपटान के लिए पद-नामित अधिकारी हैं और शिकायतें निम्न पते पर भेजी जा सकती हैं :

#### **महा पंजीकार**

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण  
एस-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, टोडापुर गांव के  
निकट

नई दिल्ली— 110 012

फोन — 011—25843316, फैक्स : 011—25840478

ई—मेल : ppvfra-agri@nic.in

[www.plantauthority.gov.in](http://www.plantauthority.gov.in)

#### **आरटीआई कोच्च**

डॉ. रवि प्रकाश

मुख्य जन-सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण  
एस-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, टोडापुर गांव के  
निकट

नई दिल्ली— 110 012

फोन — 011—25843853

ई—मेल : prakash.ravi@nic.in

#### **डॉ. आर.सी.अग्रवाल**

अपीलीय प्राधिकारी

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय,

कृषि एवं सहकारिता विभाग

एस-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, टोडापुर गांव के  
निकट

नई दिल्ली— 110 012

फोन — 011—25843316,

ई—मेल : rg-ppvfra@nic.in

## प्राधिकरण के सदस्य (1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014)

- प्राधिकरण के अध्यक्ष : डॉ. स्वप्न कुमार दत्ता, पदेन अध्यक्ष, 19 दिसम्बर 2012 से  
डॉ. आर.आर. हंसीनाल – 1 मई 2013 के बाद से

### पदेन सदस्य

- डॉ. जे.एस. संधु, कृषि आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली
- डॉ. स्वप्न कुमार दत्ता, उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), फसल विज्ञान प्रभाग, भा.के.अ.प, कृषि भवन, नई दिल्ली
- डॉ. अतनु पुरकायरथ, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली
- डॉ. गोरख सिंह, बागवानी आयुक्त, 9 अक्टूबर 2013 तक; (डॉ. एस.के. मल्होत्रा – 10 अक्टूबर 2013 से) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली
- डॉ. के.सी. बंसल, निदेशक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, पूसा परिसर, नई दिल्ली
- डॉ. के.एस. चरक, परामर्शक ग्रेड 1, भारत सरकार, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
- श्री हेम पाण्डे, संयुक्त सचिव (जैवविविधता से संबंधित), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली
- श्री इंद्र कुमार, संयुक्त सचिव एवं विधिक सलाहकार, विधायी मामले विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, ए विंग, चौथा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

### नामित सदस्य

- श्री देबाशीष पांडा, प्रधान सचिव (कृषि), उत्तर प्रदेश सरकार, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ
- श्री पी. चेंगल रेड्डी, महासचिव, कंसोर्टियम ॲफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन, फ्लैट नं. 209, विजया टावर्स, शांति नगर, ए सी गार्डेस, हैदराबाद
- श्री माया राम नेतम, वृद्धावन कालोनी, मकान नं. 1/21, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़
- डॉ. उषा बार्वे, महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स सं. 76, जालना महाराष्ट्र
- डॉ. बी.एस. ढिल्लों, कुलपति, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब
- श्रीमती नीलम त्यागी, लक्ष्मी जन कल्याण सेवा संस्थान, रावली रोड, जीतपुर, गली नं.5, मुरादनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
- डॉ. सुधीर कुमार गोयल, प्रधान सचिव (कृषि), महाराष्ट्र सरकार, कृषि विभाग, मंत्रालय, मुम्बई

### सदस्य सचिव (पदेन)

- डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली

## पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के स्वीकृत पद

(31 मार्च 2014 को)

प्रधान कार्यालय (नई दिल्ली)	स्वीकृत पद
वेतनमान सहित पदनाम	
अध्यक्ष	
₹ 80000/- (निर्धारित)	1
महा पंजीकार	
₹ 67000–79000/-.	1
पंजीकार	
₹ 37400–67000 (ग्रेड पे 8700)	3
वित्तीय सलाहकार	
₹ 37400–67000 (ग्रेड पे 8700)	1
संयुक्त पंजीकार	
₹ 15600–39100 (ग्रेड पे 7600)	2
उप पंजीकार	
₹ 15600–39100 (ग्रेड पे 6600)	1
विधि सलाहकर	
15600–39100 (ग्रेड पे 6600)	2
वरिष्ठ लेखा अधिकारी	
₹ 15600–39100 (ग्रेड पे 6600)	1
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	
₹ 9300–34800 (ग्रेड पे 4600)	3
तकनीकी सहायक	
₹ 9300–34800 (ग्रेड पे 4200)	1
कम्प्यूटर सहायक	
₹ 9300–34800 (ग्रेड पे 4200)	6
उप योग	22

प्रधान कार्यालय (नई दिल्ली)	स्वीकृत पद
शाखा कार्यालय (गुवहाटी एवं रांची)	
उप पंजीकार	
₹ 15600—39100 (ग्रेड पे 6600)	2
पौधा किस्म परीक्षक	
₹ 15600—39100 (ग्रेड पे 5400)	2
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	
₹ 9300—34800 (ग्रेड पे 4600)	2
कार्यकारी सहायक	
₹ 9300—34800 (ग्रेड पे 4200)	2
उप योग	8
योग	30

### मानव संसाधन का विवरण प्रधान कार्यालय एवं शाखा कार्यालय

पदनाम एवं उनके पदस्थ	भरे गए	रिक्त
<b>अध्यक्ष</b>		
डॉ. आर.आर. हंचिनाल (1 मई 2013 से)	1	—
महा पंजीकार	1	—
डॉ. आर.सी. अग्रवाल		
<b>पंजीकार</b>		
1. डॉ. मनोज श्रीवास्तव		
2. डॉ. तेजबीर सिंह		
3. डॉ. रवि प्रकाश	3	—
<b>वित्तीय सलाहकार</b>	1	—
श्री जे.पी.सिंह		
<b>संयुक्त रजिस्ट्रार</b>	2	—
1. श्री डी.आर.चौधरी		
2. श्री डी.एस.मिश्रा		.
<b>उप पंजीकार</b>	—	1
<b>विधि सलाहकार</b>	2	—
1. श्री डी.एस.राज गणेश		
2. श्री आर.आर. प्रधान		2
<b>वरिष्ठ लेखा अधिकारी</b>	—	1
<b>वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी</b>	—	3
<b>तकनीकी सहायक</b>	1	—
डॉ. डी.एस. पिलानिया		.
<b>कम्प्यूटर सहायक</b>	5	1
1. श्री अरविंद कुमार राय		
2. श्री संजय कुमार गुप्ता		
3. श्रीमती सिप्रा माथुर		
4. श्री नितेश कुमार वर्मा		

पदनाम एवं उनके पदस्थ	भरे गए	रिक्त
5. श्री श्याम नारायण प्रसाद		
<b>शाखा कार्यालय गुवहाटी</b>		
1. उप पंजीकार, डॉ. ए.सी.शर्मा	1	—
2. पौधा किस्म परीक्षक	—	1
3. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, डॉ. ए.के.सिंह	1	—
4. कार्यपालक सहायक	—	1
<b>शाखा कार्यालय रांची</b>		
1. उप पंजीकार, श्री उमा कांत दुबे	1	—
2. पौधा किस्म परीक्षक	—	1
3. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	—	1
4. कार्यपालक सहायक	—	1
<b>उप योग</b>	<b>19</b>	<b>11</b>
<b>योग</b>	<b>30</b>	

## वर्ष 2013–14 के दौरान विद्यमान डीयूएस केन्द्रों को जारी की गई राशियों का विवरण

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	राशि (लाख रु. में)
1	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट ( <b>चावल</b> )	4.01
2	आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद ( <b>मक्का, उड़द</b> )	8.11
3	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ( <b>कपास, चना</b> )	6.72
4	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कैसरगोड ( <b>नारियल</b> )	4.75
5	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला ( <b>आलू</b> )	6.00
6	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक ( <b>चावल</b> )	9.27
7	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर ( <b>कपास</b> )	9.52
8	केन्द्रीय औषधीय एवं सगंधीय पौधा संस्थान, लखनऊ ( <b>मैथाल, दमस्क गुलाब, सदाबहार, ब्रह्मी</b> )	7.33
9	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ ( <b>आम</b> )	3.00
10	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	4.00
11	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर ( <b>आढू और आलूचा</b> )	5.00
12	केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर और सी एस आर एस, बुद बुद ( <b>पटसन</b> )	7.24
13	चंद्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर ( <b>सरसों, गेहूं</b> )	5.25
14	सब्जी विज्ञान प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ( <b>बंदगोभी और फूलगोभी</b> )	5.00
15	सब्जी विज्ञान प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ( <b>सब्जियां</b> )	5.00
16	पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्यनिर्माण प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ( <b>गुलाब और गुलदाउदी</b> )	2.00
17	मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली ( <b>मक्का</b> )	16.40
18	सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, इंदौर ( <b>सोयाबीन</b> )	3.00
19	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद ( <b>सूरजमुखी और अरण्ड</b> )	8.27
20	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद ( <b>चावल</b> )	7.44
21	ज्वार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद ( <b>ज्वार</b> )	10.25
22	पुष्पविज्ञान प्रभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली ( <b>गुलाब और गुलदाउदी</b> )	4.00
23	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल ( <b>गेहूं</b> )	12.31
24	औषधीय एवं सगंधीय पौधा अनुसंधान निदेशालय, आनंद ( <b>ईस्वरगोल</b> )	6.62
25	मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़ ( <b>मूंगफली</b> )	5.40
26	प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, राजगुरुनगर ( <b>प्याज और लहसुन</b> )	4.86

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	राशि (लाख रु. में)
27	तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर ( <b>तोरिया और सरसों</b> )	5.86
28	गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर ( <b>ज्वार</b> )	5.18
29	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु ( <b>गुलाब और गुलदाउदी</b> )	6.10
30	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु ( <b>शोभाकारी पौधे</b> )	5.48
31	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु ( <b>सब्जियाँ</b> )	12.89
32	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर ( <b>चना, अरहर</b> )	4.73
33	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर ( <b>मुग, उड्ड, मसूर</b> )	1.00
34	भारतीय मसाले अनुसंधान संस्थान, कोज़ीकोड ( <b>मसाले</b> )	11.52
35	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी ( <b>भिण्डी, बैंगन, टमाटर, बंदगोभी, फूलगोभी</b> )	11.50
36	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी ( <b>खीरावर्गीय सब्जियाँ</b> )	10.63
37	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ( <b>गन्ना</b> )	5.94
38	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जामनगर ( <b>अरण्ड</b> )	3.63
39	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ( <b>खेत मटर, मसूर</b> )	4.07
40	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुड़ी ( <b>ज्वार, बाजरा</b> )	9.10
41	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुड़ी ( <b>कार्नेशन</b> )	2.00
42	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद ( <b>जौ</b> )	2.00
43	राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिची ( <b>केला</b> )	3.00
44	राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र, नागपुर ( <b>नींबूवर्गीय फल</b> )	7.61
45	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र, पुणे ( <b>अंगूर</b> )	2.00
46	राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, पॉकयांग, सिक्किम ( <b>ऑर्किड</b> )	7.31
47	राष्ट्रीय बीज मसाले अनुसंधान केन्द्र, तेबीजी, अजमेर ( <b>बीज मसाले</b> )	7.00
48	परियोजना समन्वयक (बाजरा), मंदौर, आरएयू, बीकानेर ( <b>बाजरा</b> )	7.50
49	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ( <b>गेहूं कपास</b> )	8.25
50	परियोजना समन्वयक (कपास), सीआईसीआर, अनुसंधान केन्द्र, कोयम्बत्तूर ( <b>कपास</b> )	12.50
51	परियोजना समन्वयक (अलसी), सी एस ए यू और टी कानपुर ( <b>अलसी</b> )	4.23
52	परियोजना समन्वयक (तिल और नाइजर), जे एन के वी वी, जबलपुर ( <b>तिल और नाइजर</b> )	6.88
53	पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला ( <b>चना</b> )	5.12
54	क्षेत्रीय केन्द्र, भाकृ.अ.सं., इदौर ( <b>गेहूं</b> )	5.00

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	राशि (लाख रु. में)
55	क्षेत्रीय केन्द्र, भा.कृ.अ.सं., करनाल (चावल)	3.69
56	क्षेत्रीय केन्द्र, भा.कृ.अ.सं., कटराई (बंदगोभी, फूलगोभी)	4.33
57	क्षेत्रीय केन्द्र, गन्ना प्रजनन संस्थान, करनाल (गन्ना)	3.50
58	क्षेत्रीय केन्द्र, गन्ना प्रजनन संस्थान, अगाली (गन्ना)	3.50
59	केन्द्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ईटानगर (ऑर्किड)	1.50
60	गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर (गन्ना)	5.50
61	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर, (कपास, सूरजमुखी)	2.21
62	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ (कपास, गेहू़)	17.03
63	विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा (राजमा, सोयाबीन, मक्का)	3.83
कुल		<b>393.86</b>

### वर्ष 2013–14 के दौरान नए डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी की गई राशियों का विवरण

क्र . सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	राशि (लाख रु. में)
1	आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद (लघु मोटे अनाज)	3.42
2	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी (परवल)	1.07
3	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी (पान लता)	1.50
4	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी (याम और तारो)	2.83
5	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर (नौनी)	4.00
6	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (अनार)	1.00
7	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर (आंवला)	3.42
8	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर (बेल)	1.00
9	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर (जामुन)	2.00
10	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर (बेर)	2.00
11	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर (खजूर)	2.00
12	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (आंवला)	2.00
13	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (आम)	2.00
14	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ (जामुन)	2.00
15	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर (स्ट्राबेरी)	4.00
16	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम (शकरकंद)	1.00
17	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर (शकरकंद)	7.93
18	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम (याम और तारो)	2.00
19	केन्द्रीय रेशम पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर (शहतूत)	2.00

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	राशि (लाख रु. में)
20	केन्द्रीय चवल अनुसंधान संस्थान, कटक (आनुवंशिक विविधता)	6.61
21	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ (बैल)	2.50
22	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर (तरबूज, खरबूजा, जामुन)	4.82
23	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर (सेब, नाशपाती, अखरोट, बादाम, खुबानी और चेरी)	4.47
24	कृषि एवं खाद्य उत्पादन निदेशक, भुवनेश्वर (चावल)	8.48
25	पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण प्रभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली (रजनी गंधा)	2.00
26	पुष्पविज्ञान अनुसंधान निदेशालय, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली (ग्लेडियोलस)	1.00
27	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन (कार्नेशन)	3.00
28	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन (पॉपलर)	3.00
29	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल (जौ)	1.00
30	पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण प्रभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली (बोगेनवीलिया)	5.91
31	सब्जीविज्ञान प्रभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली (लौकी)	2.00
32	सब्जीविज्ञान प्रभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली (मिर्च)	1.00
33	सब्जीविज्ञान प्रभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली (चौलाई)	2.04
34	पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण प्रभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली (गेंदा)	4.73
35	जीन कैम्पेन, नई दिल्ली (कपास)	2.50
36	गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर (लघु मोटे अनाज)	2.00
37	हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान, शिमला (शंकु वृक्ष)	2.00
38	उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, बड़ापानी (कोलेकेसिया)	3.53
39	वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर (चीड़)	3.00
40	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु (मिर्च)	7.50

क्र . सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	राशि (लाख रु. में)
41	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु ( <b>चाइना स्टार</b> )	6.22
42	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु ( <b>चमेली</b> )	2.00
43	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु ( <b>पपीता और शरीफा</b> )	2.00
44	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु ( <b>स्ट्रोबेरी</b> )	1.00
45	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु ( <b>कोसैङ्ग्रा</b> )	1.00
46	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु ( <b>चौलाई</b> )	5.03
47	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु ( <b>कार्नेशन</b> )	4.09
48	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु ( <b>गेंदा</b> )	4.24
49	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु ( <b>रजनीगंधा</b> )	2.00
50	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु ( <b>पान लता</b> )	6.00
51	वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर ( <b>कैसुरिना और सफेदा</b> )	2.00
52	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु ( <b>लौकी</b> )	3.25
53	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ( <b>लघु मोटे अनाज</b> )	2.42
54	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर ( <b>ऑर्किड</b> )	4.00
55	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली ( <b>दाना चौलाई</b> )	1.00
56	नरेन्द्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद ( <b>जौ</b> )	1.00
57	राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र, शोलापुर ( <b>अनार</b> )	4.50
58	एनबीपीजीआर (क्षेत्रीय केन्द्र), फागली, शिमला ( <b>दाना चौलाई</b> )	2.81
59	राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ( <b>कैली</b> )	5.69
60	राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ( <b>बोगनवीलिया</b> )	5.50
61	राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ( <b>ग्लेडियोलस</b> )	6.25

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	राशि (लाख रु. में)
62	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ( <b>गिनी घास</b> )	2.00
63	परियोजना समन्वयक (लघु मोटे अनाज), कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीकेवीके परिसर, बंगलुरु ( <b>लघु मोटे अनाज</b> )	20
64	वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहट ( <b>बांस</b> )	8.66
65	क्षेत्रीय केन्द्र, अकोला, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ( <b>दाना चौलाई</b> )	2.01
66	राज्य वन अनुसंधान संस्थान, ईटानगर ( <b>ऑर्किड</b> )	1.00
67	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर ( <b>पपीता और शरीफा</b> )	1.00
68	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर ( <b>लघु मोटे अनाज</b> )	3.25
69	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर ( <b>चमेली</b> )	5.62
70	तोकलई प्रायोगिक अनुसंधान केन्द्र, जोरहट ( <b>चाय</b> )	6.61
	<b>कुल</b>	<b>230.61</b>

### वर्ष 2013–14 के दौरान संदर्भ प्रयोगशाला को जारी की गई राशि

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	राशि (लाख रु. में)
1	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	11.83

## वर्ष 2013–14 के दौरान फील्ड जीन बैंक (बैंको) / जीन बैंक को जारी की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	राशि (लाख रु. में)
1	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	7.00
2	डॉ. बाला साहब कोंकण कृषि विद्यापीठ, धपोली	16.00
3	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	3.00
4	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, मशोबरा	10.50
5	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली	9.80
	<b>कुल</b>	<b>46.30</b>

**वर्ष 2013–14 के दौरान प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के लिए विभिन्न संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता**

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	राशि (लाख रु. में)
1.	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद	1.59
2.	अपर निदेशक (एफसी), कृषि विभाग, सिविकम	0.80
3.	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद, गुजरात	0.80
4.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट	4.80
5.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	1.60
6.	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	0.80
7.	विरसा कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर	3.20
8.	विरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	3.20
9.	बी एस इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, बंगलुरु	0.80
10.	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्टब्लेयर	3.02
11.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर	0.80
12.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	0.80
13.	कृषि एवं ग्रामीण विकास केन्द्र, नई दिल्ली	0.80
14.	चौधरी एस. के के विश्वविद्यालय, पालमपुर	4.00
15.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	0.80
16.	छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़	0.80
17.	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड, केरल	1.60
18.	केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर	0.80
19.	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	0.80
20.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	1.60
21.	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	1.60

22.	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	0.80
23.	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ	0.80
24.	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर	1.95
25.	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि	0.80
26.	केन्द्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	0.80
27.	केन्द्रीय कंदफसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रग	0.80
28.	कम्परीहैसिव एरिया डेवलपमेंट कारपोरेशन, कोलकाता	0.80
29.	डॉ. बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, धपोली	1.60
30.	दीन दयाल कृषि अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट	3.20
31.	कृषि निदेशालय, मेघालय	2.40
32.	कृषि में महिलाओं पर अनुसंधान निदेशालय, भुवनेश्वर	0.80
33.	सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, इंदौर	0.80
34.	कृषि वानिकी निदेशालय, झांसी	0.80
35.	केला निदेशालय, त्रिची	0.80
36.	अंगूर निदेशालय	0.80
37.	बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, असम	0.80
38.	काजू अनुसंधान निदेशालय, दक्षिण कन्नड़	0.80
39.	कृषि विभाग, मिजोरम	1.60
40.	कृषि विभाग, नागालैंड	1.60
41.	अरुणाचल प्रदेश निदेशालय, ईटानगर	1.60
42.	कृषि निदेशक, पुदुचेरी	0.80
43.	कृषि निदेशक, गोआ	0.80
44.	आर एम आर निदेशालय, भरतपुर	0.80
45.	औषधीय एवं सगंधीय पौधा अनुसंधान निदेशालय, आनंद	1.21
46.	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल	0.80

47.	बीज अनुसंधान निदेशालय, मऊ	0.80
48.	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल	0.80
49.	डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला	0.80
50.	पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	0.80
51.	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	0.80
52.	डॉ. वाइ.एस. परमार, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	2.40
53.	डॉ. वाई एस आर बागवानी विश्वविद्यालय, वैंकटरमनगुड़ेम	0.80
54.	एफ वी सी के, बंगलुरु	0.80
55.	खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास विभाग, तादौंग	0.80
56.	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	1.60
57.	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	2.40
58.	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोएडा	0.80
59.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	1.60
60.	हॉलीक्रॉस वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हजारीबाग	0.80
61.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	8.00
62.	गोवा के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, तिसवाड़ी, पुराना गोवा	1.60
63.	भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, बड़ापानी	3.20
64.	भा.कृ.अ.प. परिसर, पुराना गोवा	0.80
65.	भा.कृ.अ.प. अनुसंधान केन्द्र, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, उमियम, मेघालय	7.20
66.	भारतीय कृषि जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, रांची	0.80
67.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	0.80
68.	भारतीय मसाले अनुसंधान संस्थान, कोऱीकोड	0.80
69.	भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर – उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र त्रिपुरा	0.80
70.	भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर – पूर्वी क्षेत्र, पटना	0.80
71.	भा.कृ.अ.प. इकाई, डीएसआर, हैदराबाद	0.80

72.	भा.कृ.अ.प. इकाई, एनआरसीपी, शोलापुर	0.80
73.	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी	0.80
74.	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	1.60
75.	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	0.80
76.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	4.80
77.	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़	0.80
78.	कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मात्स्यकी विज्ञान विश्वविद्यालय, बिदर	0.80
79.	कर्नाटक राज्य बीज निगम लिमि., बंगलुरु	1.60
80.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर	3.20
81.	के वी के, मेदनीपुर	0.80
82.	के वी के, हलकोटी, कर्नाटक	0.80
83.	अ के वी के, शारदानगर, बारामती	0.80
84.	के वी के,, अहमदनगर	0.80
85.	के वी के,, अमरावती	0.80
86.	के वी के, जाना	0.80
87.	के वी के, धाले	0.80
88.	के वी के, इरोड	0.80
89.	के वी के, इडुक्की, केरल	0.80
90.	के वी के, जयपुर	0.80
91.	के वी के, कुरनूल	0.80
92.	के वी के, सुतर, कर्नाटक	0.80
93.	के वी के, तिरुवल्ला, केरल	0.80
94.	के वी के, उदयपुर	0.80
95.	के वी के, विवेकानन्दपुरम	0.80
96.	के वी के, पश्चिम त्रिपुरा	0.80

97.	के वी के, मजगावन, सतना	0.80
98.	के वी के, जम्मीकुंटा	0.80
99.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	1.60
100.	एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, चैन्नई	1.60
101.	महात्मका फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी	0.80
102.	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	1.60
103.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली	1.25
104.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी	1.60
105.	राष्ट्रीय नींबूवर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र, नागपुर	0.80
106.	राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिविकम	0.80
107.	राष्ट्रीय बीज मसाले अनुसंधान केन्द्र, अजमेर	0.80
108.	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली	0.80
109.	राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर	0.80
110.	राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र, मेदजीफेमा	0.80
111.	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	4.00
112.	आर ए एस एस, केवीके, चित्रकूट	0.80
113.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	1.60
114.	राजा दिनेश सिंह कृषि विज्ञान केन्द्र, प्रतापगढ़	0.80
115.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समरस्तीपुर	1.60
116.	राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर	2.40
117.	राम कृष्ण आश्रम, दक्षिण 24 परगना	0.80
118.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा	0.80
119.	राम कृष्ण मिशन आश्रम, रांची	0.80
120.	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ	0.80
121.	सरदार कृषि नगर, दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, पालनपुर	0.80
122.	शेर-ए-कश्मीर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय, राजोरी, जम्मू	5.60

123.	साम हिंगनबोटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल, टैक्नोलॉजी एंड साइंसेस, इलाहाबाद	0.80
124.	तमिल नाडु पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चैन्नई	0.80
125.	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर	3.20
126.	टोकलय प्रायोगिक अनुसंधान केन्द्र, जोरहट	0.80
127.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचुर	2.40
128.	यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया – केवीके, नीलगिरि	0.80
129.	यू ए और एच एस, शिमोगा, कर्नाटक	0.80
130.	बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, बगलकोट	0.80
131.	यू ए एस, धारवाड़ वानिकी महाविद्यालय, सिरसी	0.80
132.	यू ए एस, जीवीकेवी, बंगलुरु	6.40
133.	उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल	2.40
134.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड	4.00
135.	उत्तराखण्ड बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल	0.80
136.	विश्व भारती विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	0.80
137.	वसंत राव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभणी	0.80
138.	विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा	1.60
139.	विकास भारती, गुमला	0.80
140.	पश्चिम बंगाल पशु एवं मात्स्यकी विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता	0.80
141.	आंचलिक परियोजना निदेशालय – अंचल VIII बंगलुरु	0.20
	<b>कुल</b>	<b>198.82</b>

वर्ष 2013–14 के दौरान प्राप्त कृषक किस्मों का फसलवार व अंचलवार आवेदन

क्र. सं.	फसल/राज्य	असम	आंध्र प्रदेश	बिहार	छत्तीसगढ़	झारखण्ड	कर्नाटक	केरल	महाराष्ट्र	मणिपुर	मिजोरम	मेघालय	निपुण	नागार्जुन	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	कुल
1	उड़ीसा	3	—	2	4	7	3	1					1			3		24
2	बैंगान	5	—	—	—	3	4			1		2	1			1	17	
3	काली मिर्च	—	—				1	3								4		
4	अरण्ड	—	—				1									1		
5	चना	—	—				1	5								6		
6	नारियल	2					1							2			5	
7	द्विपुणित कपास												4				4	
8	खेत मटर		1	3		2		2					1				9	
9	लहसुन	1				1		1		1			1			5		
10	अदरक	2			2					3			3			3	12	
11	मूंगा				1	4							3	2			6	
12	मूगफली				1	1									1		2	
13	भारतीय सरसों (करन राइ)		2	1									1				4	
14	भारतीय सरसों (सरसों राइ)	4		4	8						2		2			20		
15	पटसन													1			1	
16	सेम						5						2	2	1		10	
17	मसूर	2		3		1		1							1		8	
18	अलसी	1	2	4													8	
19	मक्का			2	9	2							21	5	8		47	
20	आम		8				2	5							16		31	

क्र. सं.	फसल/राज्य	असम	आंध्र प्रदेश	बिहार	छत्तीसगढ़	झारखण्ड	कर्नाटक	केरल	महाराष्ट्र	मणिपुर	मिजोरम	मेघालय	निपुण	नागालैंड	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	कुल	
21	गोडी							2	2				1					5	
22	प्याज	1	—															1	
23	ऑर्किट	—	—										3					3	
24	बाजरा	—	—			1	1											3	
25	अरहर	2	1			9	5	3			1		1			1		23	
26	आलू	1	—										2	1				4	
27	चावल	312	—	6	207	73	73	3	36	157	80	131	65	35		104	1281		
28	तोरिया	1	—	2				1					1					5	
29	कुम्भम	—				1	1											2	
30	तिल	1	—	3	2			2			4		3	2	1		16		
31	छोटी इलायची	—	—			7												7	
32	ज्यार	—	—			23	3				2						28		
33	सोयाबीन	—	—					1		1								2	
34	गन्ना	3	—	—				2		1	1							7	
35	चतुर्भुजित कपास	—	—													1	1		
36	टमाटर	1	—	—	1	1	2				1						6		
37	हल्दी	2	—	—		9				1	3				1		16		
38	गेहूं	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—			1	1		7		
	<b>कुल</b>	<b>346</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>238</b>	<b>126</b>	<b>148</b>	<b>13</b>	<b>48</b>	<b>157</b>	<b>118</b>	<b>131</b>	<b>109</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>107</b>	<b>1641</b>	

## पौधा किस्म फार्म

फार्म सं.	धारा और नियम	शीर्षक
PV 1	धारा 16(1) (ई) और नियम 25	प्राधिकरण हेतु आवेदन
PV 2	धारा 18(3) और नियम 27(2)	आवेदन दाखिल करने के अधिकार का प्रमाण
PV 3	धारा 21(2) और नियम 31	विरोध का नोटिस
PV 4	धारा 21(4) और नियम 31 (5)	प्रति-दावा
PV 5	धारा 21(1) और नियम 33(6)	समय बढ़ाने का अनुरोध
PV 6	धारा 24(6) और नियम 39	पंजीकरण का नवीकरण
PV 7	धारा 26(2) और नियम 41	लाभ में भागीदारी का आवेदन
PV 8	धारा 26(3) और नियम 42	विरोध का नोटिस
PV 9	धारा 28(4) और नियम 45	एजेंट या लाइसेंस के रूप में पंजीकरण
PV 10	धारा 28(9) और नियम 48	पंजीकरण की अवधि बदलने/रद्द करने के लिए आवेदन
PV 11	धारा 28(10) और नियम 49	परिवर्तन के विरुद्ध विरोध/पंजीकरण की अवधि रद्द करने का नोटिस
PV 12	धारा 33(1) और नियम 50	पौधा किस्म के पंजीकरण के प्रमाण—पत्र को समर्पित करने हेतु आवेदन
PV 13	धारा 33(3) और नियम 51(2)	प्रमाण—पत्र समर्पित करने के आफर के विरोध में नोटिस
PV 14	धारा 33(4) और नियम 51(4)	सुनवाई के लिए इरादे का नोटिस
PV 15	धारा 34) और नियम 52	पंजीकरण प्रमाण—पत्र पुनः जारी करने का आवेदन
PV 16	धारा 34 और नियम 53	पंजीकरण प्रमाण पत्र पुनः जारी करने के आवेदन के विरोध का नोटिस
PV 17	धारा 34 और नियम 53(4)	सुनवाई के अवसर हेतु आवेदन
PV 18	धारा 36(1)और नियम 55	पौधा किस्म पंजीकरण के प्रमाण—पत्र को रद्द करने या उसमें परिवर्तन हेतु आवेदन
PV 19	धारा 36(2) और नियम 57	राष्ट्रीय पौधा किस्म रजिस्टर में सुधार हेतु आवेदन
PV 20	धारा 36(4) और नियम 59	राष्ट्रीय पौधा किस्म रजिस्टर में सुधार के आवेदन के विरोध का नोटिस
PV 21	धारा 37(1) और नियम 60	स्वामी/प्रजनक द्वारा राष्ट्रीय पौधा रजिस्टर में सुधार का आवेदन
PV 22	धारा 37(2) और नियम 62	पंजीकृत एजेंट या लाइसेंसी द्वारा राष्ट्रीय पौधा किस्म में संशोधन का आवेदन
PV 23	धारा 38(1) और नियम 64	पंजीकृत पौधा किस्म के नाम में परिवर्तन का आवेदन
PV 24	धारा 38(2) और नियम 65	पंजीकृत पौधा किस्म के नाम में परिवर्तन के विरोध में नोटिस
PV 25	धारा 39(2) और नियम 66	क्षतिपूर्ति दावा करने के लिए आवेदन
PV 26	धारा 39(2) और नियम 67(2)	क्षतिपूर्ति दावे हेतु आवेदन के विरोध का नोटिस

PV 27	धारा 41(3) और नियम 68	क्षतिपूर्ति दावा हेतु आवेदन के विरोध का नोटिस
PV 28	धारा 47(1) और नियम 71 (1)	अनिवार्य लाइसेंस की स्वीकृति हेतु आवेदन
PV 29	धारा 47(3) और नियम 71 (5)	अनिवार्य लाइसेंस की स्वीकृति हेतु आवेदन के विरोध का नोटिस
PV 30	धारा 52(1) और नियम 73(1)	अनिवार्य लाइसेंस को पुनः जारी करने के लिए आवेदन
PV 31	धारा 53 और नियम 73(3)	अनिवार्य लाइसेंस पुनः जारी करने के लिए आवेदन के विरोध का नोटिस
PV 32	धारा 81 और नियम 75(1)	संस्थान मुकदमे के प्राधिकरण हेतु फार्म
PV 33	धारा 84 और नियम 76	प्रमाणित प्रति का अनुरोध

### पौधा किस्म रजिस्ट्री फार्म

O-1	धारा 21(1) और नियम 30	विज्ञापन का फार्म
O-2	धारा 23(8) और 24(2) तथा नियम 36, 37	पंजीकरण का प्रमाण—पत्र
O-3	धारा 24(3) और नियम 38	पंजीकरण अपूर्ण होने के लिए नोटिस
O-4	धारा 26(7) और नियम 44	लाभ में भागीदारी की राशि एकत्र करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट का संदर्भ
O-5	धारा 28(4) और नियम 47	एजेंट/लाइसेंसी के रूप में पंजीकरण का प्रमाण—पत्र
O-6	धारा 28(10) और नियम 49	प्रजनक/एजेंट/लाइसेंसी को नोटिस
O-7	धारा 33(2) और नियम 51	पंजीकृत किस्म को समर्पित करने के लिए किए गए ऑफर को अधिसूचित करना
O-8	धारा 34 और नियम 53	पंजीकृत किस्म को पुनः जारी करने के लिए आवेदन का नोटिस
O-9	धारा 36 (4) और नियम 59	राष्ट्रीय रजिस्टर में परिवर्तन
O-10	धारा 37(2) और नियम 63	राष्ट्रीय रजिस्टर में सुधार
O-11	धारा 38 (2) नियम 65 (3)	नाम परिवर्तन का विज्ञापन
O-12	धारा 41(1) और नियम 68	नाम परिवर्तन के लिए नोटिस

## Crops with Genus and species under Registration (79)

S. No.	Crop species	Botanical name	S. No.	Crop species	Botanical name
1	Rice / चावल	<i>Oryza sativa</i> L	28	Diploid Cotton / कपास (द्वयुणित)	<i>Gossypium arboreum</i> L. <i>Gossypium herbaceum</i> L.
2	Bread wheat/ गेहूँ (चपाती)	<i>Triticum aestivum</i> L.	29		
3	Durum wheat / ड्यूरम गेहूँ	<i>Triticum durum</i> Desf.	30	Tetraploid Cotton / कपास (चतुर्युणित)	<i>Gossypium hirsutum</i> L. <i>Gossypium barbadense</i> L.
4	Dicoccum wheat/ डिकोक्कम गेहूँ	<i>Triticum dicoccum</i> L.	31		
5	Other Triticum/ ट्रिटिकम प्रजातियाँ	<i>Triticum species</i>	32	Jute / पटसन	<i>Corchorus olitorius</i> L.. <i>Corchorus capsularis</i> L.
6	Maize/मक्का	<i>Zea mays</i> L.	33		
7	Sorghum/ज्वार	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	34	Sugarcane / गन्ना	<i>Saccharum</i> L.
8	Barley /जौ	<i>Hordeum vulgare</i> L.	35	Black pepper / कालीमिर्च	<i>Piper nigrum</i> L.
9	Pearl millet/ बाजरा	<i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R. Br.	36	Coriander/ धनिया	<i>Coriandrum sativum</i> L.
10	Chickpea / चना	<i>Cicer arietinum</i> L.	37	Fenugreek/ मेथी	<i>Trigonella foenum</i> <i>graecum</i> L.
11	Mungbean / मूँग	<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek	38	Turmeric /हल्दी	<i>Curcuma Longa</i> L.
12	Urdbean / उड्ढ	<i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper	39	Ginger /अदरक	<i>Zingiber officinale</i> Rosc.
13	Fieldpea / मटर	<i>Pisum sativum</i> L.	40	Small cardamom/ छोटीइलायची	<i>Elettaria cardamomum</i> Maton
14	Kidney bean/राजमा	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	41	Tomato / टमाटर	<i>Lycopersicon</i> <i>lycopersicum</i> (L.) Karsten ex. Farw.
15	Lentil / मसूर	<i>Lens culinaris</i> Medik	42	Brinjal / बैंगन	<i>Solanum melongena</i> L.
16	Pigeon pea/अरहर	<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp	43	Okra/ भिन्डी	<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench
17	Indian mustard/ सरसो	<i>Brassica juncea</i> L. Czern & Coss	44	Cauliflower / फूलगोभी	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i>
18	Karan rai / राई	<i>Brassica carinata</i> A Braun	45	Cabbage / पत्तागोभी	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> L.
19	Rapeseed/ रेप्सीड	<i>Brassica rapa</i> L.	46	Bitter Gourd/ करेला	<i>Momordica charantia</i> & L.
20	Gobhisarson/ गोभीसरसो	<i>Brassica napus</i> L.	47	Bottle Gourd/लोकी (धिया)	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol) Standl.
21	Groundnut/ मूँगफली	<i>Arachis hypogaea</i> L.	48	Cucumber/खीरा	<i>Cucumis:sativus</i> L.
22	Soybean/ सोयाबीन	<i>Glycine max</i> (L.) Merrill	49	Pumpkin/ कद्दू	<i>Cucurbita moschata</i> Duch. ex Pair.
23	Sunflower/ सूरजमुखी	<i>Helianthus annuus</i> L.	50	Potato / आलू	<i>Solanum tuberosum</i> L.
24	Safflower/ कुसुम	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	51	Onion/ प्याज	<i>Allium cepa</i> L.
25	Castor / अरंडी	<i>Ricinus communis</i> L.	52	Garlic/लहसून	<i>Allium sativum</i> L.
26	Sesame /तिल	<i>Sesamum indicum</i> L..	53	Rose/ गुलाब	<i>Rosa spp. other than R.</i> <i>damascena</i>
27	Linseed /अलसी	<i>Linum usitatissimum</i> L.			

S. No.	Crop species	Botanical name
54	Chrysanthemum / गुलदाउदी	<i>Chrysanthemum</i> L..
55	Mango / आम	<i>Mangifera indica</i> L.
56	Pomegranate/ अनार	<i>Punica granatum</i> L.
57	Apple/सेब	<i>Malus domestica</i> Borkh
58	Pear/नाशपाती	<i>Pyrus communis</i> L.
59	Grapes/अंगूर	<i>Vitis spp.</i>
60	Indian jujube (Ber)/ बेर	<i>Ziziphus mauritiana</i> <i>Lamk.</i>
61	Apricot/खुबानी	<i>Prunus armeniaca</i> L.
62	Cherry/चेरी	<i>Prunus avium</i> L.
63	Almond/ बदाम	<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) <i>D.A. Webb</i>
64	Walnut/अखरोट	<i>Juglans regia</i> L.
65	Isabgol /इसबगोल	<i>Plantago ovata</i> Forsk.
66	Menthol Mint / पुदिना	<i>Mentha arvensis</i> L.
67	Damask Rose/ गुलाब (इत्र)	<i>Rosa damascena</i> Mill
68	Periwinkle / सदाबहार	<i>Catharanthus roseus</i> L. <i>G Don</i>

S. No.	Crop species	Botanical name
69	Brahmi / ब्राह्मी	<i>Bacopa monnieri</i> L. <i>Pennell</i>
70	Coconut / नारियल	<i>Cocos nucifera</i> L.
71	Bamboo Leaf Orchid or Boat Orchid/ साइमबिडम	<i>Cymbidium</i> Sw.
72	Spray Orchid or Singapore Orchid/ जीवंती	<i>Dendrobium</i> Sw.
73	Vanda or Blue Orchid/रसना	<i>Vanda Jones ex R. Br.</i>
74	Orc hid/आर्चिड	<i>Cattleya Lindl.</i>
75	Orchid/ मोथआर्चिड	<i>Phalaenopsis blume</i>
76	Eucalyptus/ सफेदा	<i>Eucalyptus comaldulensis</i> <i>Dehmb</i>
77		<i>Eucalyptus tereticornis</i> <i>Sm.</i>
78	Casurina/ जंगली सरू	<i>Casuarina equisetifolia</i> L.
79		<i>Casuarina funghuhnica</i> <i>Miq.</i>

### वर्ष 2013–14 के दौरान प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण—पत्र

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	आवेदक का नाम
1.	2013 / 5–4–2013 का 56	कृषक	चेन्नेलू	चावल	सीड केयर कम्युनिटी, एम एस स्वामीनाथ रिसर्च फाउंडेशन
2.	2013 / 5–4–2013 का 57	कृषक	गंधका साला	चावल	सीड केयर कम्युनिटी, एम एस स्वामीनाथ रिसर्च फाउंडेशन
3.	2013 / 5–4–2013 का 58	कृषक	चोमाला	चावल	सीड केयर कम्युनिटी, एम एस स्वामीनाथ रिसर्च फाउंडेशन
4.	2013 / 5–4–2013 का 59	कृषक	जीरा कसाला	चावल	सीड केयर कम्युनिटी, एम एस स्वामीनाथ रिसर्च फाउंडेशन
5.	2013 / 5–4–2013 का 60	कृषक	वेलियान	चावल	सीड केयर कम्युनिटी, एम एस स्वामीनाथ रिसर्च फाउंडेशन
6.	2013 / 5–4–2013 का 61	कृषक	थोंडी	चावल	सीड केयर कम्युनिटी, एम एस स्वामीनाथ रिसर्च फाउंडेशन
7.	2013 / 5–4–2013 का 62	कृषक	छोहारितु	चावल	नेहर सिंह, ग्राम शिरोदखाला, डाकघर कलोटी, तहसील चिरगांव, उप मंडल रोहरू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
8.	2013 / 5–4–2013 का 63	कृषक	मुश्कन	चावल	कुलदीप सिंह संधु, ग्राम व डाकघर बनूर, पटियाला, पंजाब
9.	2013 / 6–4–2013 का 64	विद्यमान	ए के – 159	मूँगफली	डॉ. पंजाब राव देशमुख विद्यापीठ
10.	2013 / 6–4–2013 का 65	विद्यमान	ए के – 303	मूँगफली	डॉ. पंजाब राव देशमुख विद्यापीठ
11.	2013 / 6–4–2013 का 66	विद्यमान	ए के – 265	मूँगफली	डॉ. पंजाब राव देशमुख विद्यापीठ
12.	2013 / 6–4–2013 का 67	विद्यमान	ए आर सी एच 12 बी टी	चतुर्गुणित कपास	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
13.	2013 / 6–4–2013 का 68	विद्यमान	एम आर सी 6301 बी टी	चतुर्गुणित कपास	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
14.	2013 / 29–4–2013 का 69	नई	पी – 1524	चावल	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
15.	2013 / 30–4–2013 का 70	नई	एच एम – 10 (एच के एच – 1200)	मक्का	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
16.	2013 / 30–4–2013 का 71	विद्यमान	एम आर सी 6025 बी टी	चतुर्गुणित कपास	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
17.	2013 / 30–4–2013 का 72	विद्यमान	एम आर सी 7326	चतुर्गुणित कपास	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	आवेदक का नाम
18.	2013 / 30-4-2013 का 73	नई	पी 1628	चावल	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
19.	2013 / 30-4-2013 का 74	नई	पी 1523	चावल	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
20.	2013 / 1-5-2013 का 75	विद्यमान	जे जी एल – 1798	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
21.	2013 / 1-5-2013 का 76	विद्यमान	अंजली (आई ई टी 16430) (आर आर – 347 – 166)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
22.	2013 / 1-5-2013 का 77	विद्यमान	जे जी एल – 384	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
23.	2013 / 1-5-2013 का 78	विद्यमान	इंदुर सम्बा (पी डी आर – 763)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
24.	2013 / 1-5-2013 का 79	विद्यमान	वीआरआई (जी एन) 7	मूँगफली	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय
25.	2013 / 2-5-2013 का 80	विद्यमान	जवाहर कपास – 35 (जे के – 35)	चतुर्गुणित कपास	राजमाता विजया राजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय
26.	2013 / 2-5-2013 का 81	विद्यमान	पूसा बासमती – 1121	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
27.	2013 / 16-5-2013 का 82	विद्यमान	पूसा अंकुर (डी बी एस आर – 9)	बैंगन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
28.	2013 / 16-5-2013 का 83	विद्यमान	पूसा मेघना (डी सी – 98 – 2)	फूलगोभी	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
29.	2013 / 16-5-2013 का 84	नई	आर सी 86	चतुर्गुणित कपास	राशि सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
30.	2013 / 16-5-2013 का 85	नई	एच एम – 8 (एच के एच – 1188)	मक्का	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
31.	2013 / 16-5-2013 का 86	नई	एच टी – सी ओ – 5101	मक्का	हाइटेक सीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
32.	2013 / 16-5-2013 का 87	विद्यमान	फुले – 492 (आर एच एच – 0492)	चतुर्गुणित कपास	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ
33.	2013 / 17-5-2013 का 88	विद्यमान	जी एच बी – 732 (एम एच – 1307)	बाजरा	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
34.	2013 / 17-5-2013 का 89	विद्यमान	जी एच बी – 757 (एम एच – 1328)	बाजरा	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	आवेदक का नाम
35.	2013 / 20—5—2013 का 90	विद्यमान	डी आर एफ एफ — 108	सूरजमुखी	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
36.	2013 / 20—5—2013 का 91	विद्यमान	सी ओ आर ए एल 432 (पीएसी 432)	भारतीय सरसों	एडवेंटा इंडिया लिमिटेड
37.	2013 / 24—5—2013 का 92	विद्यमान	के पी एम एच — 1	बाजरा	कावेरी सीड़स कंपनी लिमिटेड
38.	2013 / 24—5—2013 का 93	विद्यमान	जवाहर कापस — 5 (जे के —5)	द्विगुणित कपास	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
39.	2013 / 28—5—2013 का 94	विद्यमान	नटरावति एन आई ए डब्ल्यू 1415	चपाती गेहूं	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ
40.	2013 / 29—5—2013 का 95	विद्यमान	पिन्नाकल (एम ओ एन 25)	मक्का	मोनसेंटो फोलिडंग्स प्राइवेट लिमिटेड
41.	2013 / 29—5—2013 का 96	विद्यमान	फुले उनाप जे एल — 286	मूंगफली	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ
42.	2013 / 29—5—2013 का 97	विद्यमान	जे एल — 501	मूंगफली	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ
43.	2013 / 29—5—2013 का 98	विद्यमान	फुले व्यास (जे एल — 220)	मूंगफली	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ
44.	2013 / 31—5—2013 का 99	नई	स्वदेश	चावल	पान सीड़स प्राइवेट लिमिटेड
45.	2013 / 31—5—2013 का 100	नई	एम आर पी 5401	चावल	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड़स कंपनी लिमिटेड
46.	2013 / 17—6—2013 का 101	विद्यमान	एम आर एस 4094	ज्वार	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड़स कंपनी लिमिटेड
47.	2013 / 17—6—2013 का 102	नई	तुलसी 45 बी जी प	चतुर्गुणित कपास	तुलसी सीड़स प्राइवेट लिमिटेड
48.	2013 / 17—6—2013 का 103	नई	तुलसी— 9 बी जी प	चतुर्गुणित कपास	तुलसी सीड़स प्राइवेट लिमिटेड
49.	2013 / 25—6—2013 का 104	विद्यमान	जे के विजय	चपाती गेहूं	जे के एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड
50.	2013 / 1—7—2013 का 105	विद्यमान	एम आर एम 3838	मक्का	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड़स कंपनी लिमिटेड
51.	2013 / 1—7—2013 का 106	विद्यमान	जे के एस एच— 234	ज्वार	जे के एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड
52.	2013 / 1—7—2013 का 107	विद्यमान	जे के एस एच— 434	ज्वार	जे के एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	आवेदक का नाम
53.	2013 / 2-7-2013 का 108	विद्यमान	सी ओ (एफ एस) 29	ज्वार	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय
54.	2013 / 3-7-2013 का 109	नई	अंकुर— केदार	गेहूं	अंकुर सीड़स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
55.	2013 / 10-7-2013 का 110	विद्यमान	एम आर डब्ल्यू— 7070	गेहूं	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड़स कंपनी लिमिटेड
56.	2013 / 10-7-2013 का 111	विद्यमान	एस वाई ई— 2001	चावल	डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ
57.	2013 / 17-7-2013 का 112	विद्यमान	86 एम 52	बाजरा	पायनियर आवेरसीस कारपोरेशन— भारतीय शाखा कार्यालय
58.	2013 / 17-7-2013 का 113	नई	एम आर एस 4649	ज्वार	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड़स कंपनी लिमिटेड
59.	2013 / 17-7-2013 का 114	नई	एस वाई एन —आर आई— 5251	चावल	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड
60.	2013 / 17-7-2013 का 115	विद्यमान	एम आर बी 204	बाजरा	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड़स कंपनी लिमिटेड
61.	2013 / 22-7-2013 का 116	विद्यमान	एम आर बी 2210	बाजरा	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड़स कंपनी लिमिटेड
62.	2013 / 14-8-2013 का 117	नई	एस वाई एन —सी ओ— 7313	मक्का	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड
63.	2013 / 14-8-2013 का 118	विद्यमान	27 पी 04	चावल	पायनियर आवेरसीस कारपोरेशन— भारतीय शाखा कार्यालय
64.	2013 / 14-8-2013 का 119	विद्यमान	एम आई जे — 005	ज्वार	देवगन एन बी
65.	2013 / 14-8-2013 का 120	विद्यमान	धानी	चावल	बायर बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
66.	2013 / 14-8-2013 का 121	नई	बी 088	चावल	बायर बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
67.	2013 / 14-8-2013 का 122	नई	आर सी एच 386 बी टी	चतुर्गुणित कपास	रासी सीड़स प्राइवेट लिमिटेड
68.	2013 / 19-8-2013 का 123	विद्यमान (वीसीके)	हर्षा— एन पी 45	चावल	नीजुवीडु सीड़स लिमिटेड
69.	2013 / 19-8-2013 का 124	विद्यमान (वीसीके)	गल्ली— एन पी 222	चावल	नीजुवीडु सीड़स लिमिटेड

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	आवेदक का नाम
70.	2013 / 21–8–2013 का 125		जवाहर ग्राम काबुली –1 (जे केजी – 92337)	चना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
71.	2013 / 21–8–2013 का 126	विद्यमान	जवाहर ग्राम –16 (की – 9516)	चना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
72.	2013 / 22–8–2013 का 127	विद्यमान	मानसरोवर	गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
73.	2013 / 22–8–2013 का 128	विद्यमान	हरियाणा काबुली चना –2 (एचके 94 – 134)	चना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
74.	2013 / 22–8–2013 का 129	विद्यमान (वीसीके)	सुरज – एन पी 504	चावल	नीजुवीडु सीड्स लिमिटेड
75.	2013 / 14–8–2013 का 130	विद्यमान (वीसीके)	मोती–एन पी 360	चावल	नीजुवीडु सीड्स लिमिटेड
76.	2013 / 14–8–2013 का 131	विद्यमान (वीसीके)	आर सी एच 20 बीटी	चतुर्गुणित कपास	रासी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
77.	2013 / 14–8–2013 का 132	विद्यमान (वीसीके)	आर सी एच 308 बीटी	चतुर्गुणित कपास	रासी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
78.	2013 / 14–8–2013 का 133	विद्यमान (वीसीके)	आर सी एच 134 बी टी	चतुर्गुणित कपास	रासी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
79.	2013 / 23–8–2013 का 134	नई	बायो 6007110	चतुर्गुणित कपास	बयोसीड रिसर्च इंडिया पाइवेट लिमिटेड
80.	2013 / 23–8–2013 का 135	नई	सी एस वी 17	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
81.	2013 / 2–9–2013 का 136	नई	सी एस एच 23	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
82.	2013 / 3–9–2013 का 137	नई	एस वाई एन–सी ओ– 6621	मक्का	सिंजेंटा इंडिया प्रा. लिमिटेड
83.	2013 / 3–9–2013 का 138	विद्यमान	वी आर आई (जी एन) 6 (वीजी 9816)	मूँगफली	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय
84.	2013 / 3–9–2013 का 139	विद्यमान	ए एल आर – 3 (ए एल जी – 63)	मूँगफली	तमिलनाडू कृषि विश्वविद्यालय
85.	2013 / 3–9–2013 का 140	विद्यमान (वीसीके)	आर सी एच 314 बीटी	चतुर्गुणित कपास	रासी सीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	आवेदक का नाम
86.	2013 / 11-9-2013 का 141	नई	सी 5171	चतुर्गुणित कपास	महाराष्ट्र सीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
87.	2013 / 11-9-2013 का 142	नई	एस वाई एन – आरआई – एनबी 403	चावल	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड
88.	2013 / 11-9-2013 का 143	नई	एसवाईएन – आर आई – एनबी 922	चावल	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड
89.	2013 / 12-9-2013 का 144	विद्यमान	सी ओ- 94012	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
90.	2013 / 12-9-2013 का 145	विद्यमान	दामोदर (सी ओ 99004)	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
91.	2013 / 12-9-2013 का 146	नई	सी एस एच एच – 243	चतुर्गुणित कपास	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
92.	2013 / 12-9-2013 का 147	नई	एस वाई एन – आर आई – एन बी 203	चावल	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड
93.	2013 / 13-9-2013 का 148	नई	ए एन 105	चावल	पान सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
94.	2013 / 13-9-2013 का 149	नई	एस वाई एन – आर आई – एन बी 927	चावल	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड
95.	2013 / 16-9-2013 का 150	विद्यमान (वीसीके)	सौरभ – एन पी 950	चावल	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
96.	2013 / 25-9-2013 का 151	विद्यमान	राजस (फूले जी – 9425 – 9)	चना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
97.	2013 / 25-9-2013 का 152	विद्यमान	सी एस जे डी – 884 (आकाश)	चना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
98.	2013 / 30-9-2013 का 153	विद्यमान	सी एन एच ओ 12	चतुर्गुणित कपास	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
99.	2013 / 7-10-2013 का 154	नई	एस वाई एन – आर आई – 6302	चावल	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड
100.	2013 / 7-10-2013 का 155	विद्यमान	सी ओ एस ई – 95255 (रचना)	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
101.	2013 / 7-10-2013 का 156	विद्यमान	स्वेता (सी ओ एस 94270)	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	आवेदक का नाम
102.	2013 / 7–10–2013 का 157	विद्यमान	सी ओ जे 89	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
103.	2013 / 7–10–2013 का 158	विद्यमान	राजभोग (एस ओ एस ई 92423)	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
104.	2013 / 7–10–2013 का 159	विद्यमान	मिठास (सी ओ एस 96268)	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
105.	2013 / 7–10–2013 का 160	विद्यमान	हरियाणा— 92 (सी ओ एच 92201)	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
106.	2013 / 7–10–2013 का 161	विद्यमान	सी ओ एम 7714 (कृष्णा) / (सी ओ एम 88121)	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
107.	2013 / 7–10–2013 का 162	विद्यमान	सी ओ – 2001 – 15	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
108.	2013 / 7–10–2013 का 163	विद्यमान	सी ओ – 0232	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
109.	2013 / 8–10–2013 का 164	विद्यमान	करण –1 (सीओ 98014)	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
110.	2013 / 8–10–2013 का 165	विद्यमान	सुलभ (सीओ – 2001 – 13)	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
111.	2013 / 8–10–2013 का 166	विद्यमान	सी ओ एच 119 (हरियाणा गन्ना – 119)	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
112.	2013 / 8–10–2013 का 167	विद्यमान	प्रमोद (बी ओ 128)	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
113.	2013 / 8–10–2013 का 168	विद्यमान	रसभरी (सी ओ एस ई 95422)	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
114.	2013 / 8–10–2013 का 169	विद्यमान	सी ओ पंत – 90223	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
115.	2013 / 8–10–2013 का 170	विद्यमान	रसीली (सी ओ एस 91230)	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
116.	2013 / 8–10–2013 का 171	विद्यमान	सी ओ – 0218	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
117.	2013 / 8–10–2013 का 172	विद्यमान	करण 5 (सी ओ 0124)	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	आवेदक का नाम
118.	2013 / 8–10–2013 का 173	विद्यमान	स्वीटी (सी ओ एस 96275)	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
119.	2013 / 8–10–2013 का 174	विद्यमान	सी ओ एस ई 96434 (जलपरी)	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
120.	2013 / 8–10–2013 का 175	कृषक	रामचन्द्रा बोज्ता	चावल	गोराचंद्रपाद्रा अहा, ब्लॉक हतादीहि जिला केंझार, ओडिशा
121.	2013 / 8–10–2013 का 176	कृषक	समुलेई	चावल	श्री पूरन च. राउत, निवासी तारीमूल ब्लॉक घासीपुर, जिला क्योंझार, ओडिशा
122.	2013 / 8–10–2013 का 177	कृषक	मेडी	चावल	पूर्ण चंन्द्र बेहरा, निवासी रसूलपुर, ब्लॉक सदर, ओडिशा
123.	2013 / 8–10–2013 का 178	कृषक	कालीजीरा	चावल	जोगिन्द्र साहू, निवासी जामुजोड़ी, ब्लॉक हरचंद्रपुर, ओडिशा
124.	2013 / 8–10–2013 का 179	कृषक	काठिया	चावल	उमाकांत महापात्रा, निवासी कुसुधिया, ब्लॉक सदर, ओडिशा
125.	2013 / 8–10–2013 का 180	कृषक	कराकोइली	चावल	बलराम नायक, निवासी डुमरागुडा, ब्लॉक जेयपोर, जिला कोरापुट, ओडिशा
126.	2013 / 8–10–2013 का 181	कृषक	रानी काजल	चावल	बसुधा निवासी, विनोदबती, डाकघर लेइकबंध, बांकुरा, पश्चिम बंगाल
127.	2013 / 8–10–2013 का 182	कृषक	बहुरूपी	चावल	बसुधा निवासी, विनोदबती, डाकघर लेइकबंध, बांकुरा, पश्चिम बंगाल
128.	2013 / 10–10–2013 का 183	विद्यमान	बिरेन्द्र (सी ओ एल के 94184)	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
129.	2013 / 10–10–2013 का 184	विद्यमान	पंत धान 16 (आई ई टी – 14807)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
130.	2013 / 10–10–2013 का 185	विद्यमान	सूर्या (बी पी टी – 4358)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
131.	2013 / 10–10–2013 का 186	विद्यमान	पीकेवी – एसकेएल – 3– 11 – 25	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
132.	2013 / 11–10–2013 का 187	विद्यमान	कॉटनडोरा सुन्नालु (एम टी यू 1010)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
133.	2013 / 11–10–2013 का 188	विद्यमान	वीएल धान 81 (आई ई टी 13792)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
134.	2013 / 11–10–2013 का 189	विद्यमान	हेमा वति (डी डब्ल्यू आर 4107)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	आवेदक का नाम
135.	2013 / 11–10–2013 का 190	विद्यमान	सी एस आर – 23 (सी एस आर 891 आर–5) (आई ई आर 13769)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
136.	2013 / 11–10–2013 का 191	विद्यमान	जी आर – 7	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
137.	2013 / 11–10–2013 का 192	विद्यमान	एच आर के – 46	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
138.	2013 / 11–10–2013 का 193	विद्यमान	वेदागिरी (एन एल आर – 33641)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
139.	2013 / 11–10–2013 का 194	विद्यमान	डब्ल्यू जी एल 3962	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
140.	2013 / 14–10–2013 का 195	विद्यमान	गुरजारी	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
141.	2013 / 14–10–2013 का 196	नई	जी के 5003 (आई ई टी 18160)	चावल	गंगा कावेरी सीड प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद
142.	2013 / 14–10–2013 का 197	नई	बी आई ओ 4311 बी एच	चावल	बायो सीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
143.	2013 / 14–10–2013 का 198	विद्यमान	बी एस एफ एच – 1008 (सी एल ई ओ)	सूरजमुखी	विभा एग्रोटैक इंडिया लिमिटेड
144.	2013 / 14–10–2013 का 199	नई	बायो 60502 आई ओ	चतुर्गुणित कपास	बायो सीड रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
145.	2013 / 14–10–2013 का 200	विद्यमान	आर सी एच 317 बी टी	चतुर्गुणित कपास	रासी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
146.	2013 / 14–10–2013 का 201	विद्यमान	बायो 404	चावल	बायो सीड रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
147.	2013 / 15–10–2013 का 202	नई	के एस एल 120014	चावल	कृषि धन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
148.	2013 / 29–10–2013 का 203	कृषक	एल ए डी ए आर आई	चावल	बाउलुरा पोराजा निवासी कादलीमुंडा, ब्लॉक कुंदरा, कुंदरा, ओडिशा
149.	2013 / 29–10–2013 का 204	कृषक	रतन चुड़ी	चावल	परमेश्वर महापात्रा, निवासी रामाबिली, ब्लॉक टांगी, टांगी, ओडिशा

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	आवेदक का नाम
150.	2013 / 29–10–2013 का 205	कृषक	कालाभुतिया	चावल	दिलिप कुमार राजला, निवासी रानपा, ब्लॉक खुंटूनी, खुंटूनी, ओडिशा
151.	2013 / 29–10–2013 का 206	कृषक	डेनगबारी	चावल	भागीरथी साहू, निवासी भूति बहल, ब्लॉक गाइसिलट, ओडिशा
152.	2013 / 29–10–2013 का 207	कृषक	कुसुमखुंटला	चावल	धनुधाला, निवासी दुहुपली, ब्लॉक बीरामहाराजपुर, बिरामहापुर, ओडिशा
153.	2013 / 29–10–2013 का 208	कृषक	जकसारू	चावल	धनंजय चियूरिया, निवासी नवागाड़ा, ब्लॉक कुंदरा, जिला कोरापुट, ओडिशा
154.	2013 / 29–10–2013 का 209	कृषक	बासपतारी	चावल	दिलीप कुमार बेहरा, निवासी अनतपाली, ब्लॉक भाटी, जिला बारागढ़, ओडिशा
155.	2013 / 29–10–2013 का 210	कृषक	लाल गोरी	चावल	जुगल बेहरा, निवासी घरधारा, ब्लॉक खलियार, जिला नौपाड़ा, ओडिशा
156.	2013 / 29–10–2013 का 211	कृषक	दानिसरिया	चावल	संतोष साहा, निवासी साइलेपली, ब्लॉक पदमपुर, जिला बारागढ़, ओडिशा
157.	2013 / 29–10–2013 का 212	कृषक	सपारी	चावल	श्री प्यारी दुरिया, निवासी साइपाला, ब्लॉक नौपाड़ा, जिला नौपाड़ा, ओडिशा
158.	2013 / 29–10–2013 का 213	कृषक	सेनकारा	चावल	मदन मांझी, निवासी टुंडामुही, जी पी नकरूंदी, ब्लॉक रामपुर, रामपुर, ओडिशा
159.	2013 / 29–10–2013 का 214	कृषक	पुआगी	चावल	सुनील कुमार गांझी, निवासी, चिकालचुआन, ब्लॉक बोदीन, जिला नौपाड़ा, ओडिशा
160.	2013 / 5–11–2013 का 215	विद्यमान (वीसीके)	क्रांति (एन आर 89)	चावल	निर्मल सीड़स प्राइवेट लिमिटेड
161.	2013 / 5–11–2013 का 216	विद्यमान (वीसीके)	वी एस एफ एच 2006 (फेम)	सूरजमुखी	नुसुन जेनेटिक रिसर्च लिमिटेड
162.	2013 / 5–11–2013 का 217	विद्यमान (वीसीके)	वी एस एफ एच 1006 (सीएलएआरई)	सूजरमुखी	विभा एग्रोटेक लिमिटेड
163.	2013 / 5–11–2013 का 218	विद्यमान (वीसीके)	के एस एफ एच-678	सूरजमुखी	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
164.	2013 / 5–11–2013 का 219	विद्यमान	माया (आर के 9902)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
165.	2013 / 5–11–2013 का 220	विद्यमान	बसंती (आर के 8501)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	आवेदक का नाम
166.	2013 / 6–11–2013 का 221	विद्यमान	आर सी सी–4	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
167.	2013 / 6–11–2013 का 222	विद्यमान	नीलम (एच पी एन 3)	तोरिया (गोभी सरसों)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
168.	2013 / 6–11–2013 का 223	विद्यमान	केबीएस–3	तोरिया (गोभी सरसों)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
169.	2013 / 6–11–2013 का 224	विद्यमान	वाई एस एच 0401	तोरिया (गोभी सरसों)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
170.	2013 / 6–11–2013 का 225	विद्यमान	वसुंधरा (आर एच 9304)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
171.	2013 / 6–11–2013 का 226	विद्यमान	आर एच ओ 0119	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
172.	2013 / 7–11–2013 का 227	विद्यमान	स्वर्ण ज्योति (आर एच 9801)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
173.	2013 / 7–11–2013 का 228	विद्यमान	आर बी— 50	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
174.	2013 / 7–11–2013 का 229	विद्यमान	जी एस सी 5	तोरिया (गोभी सरसों)	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय
175.	2013 / 7–11–2013 का 230	विद्यमान	ओ सी एन— 3	तोरिया (गोभी सरसों)	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय
176.	2013 / 8–11–2013 का 231	विद्यमान	डी एस पी 222	अरण्ड	दांतीवाड़ा सीड प्राइवेट लिमिटेड, 211, सरकार—बी, बी / एच नटराज सिनेमा, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद, गुजरात
177.	2013 / 8–11–2013 का 232	विद्यमान	बिनवा (के एल— 210)	अलसी	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
178.	2013 / 8–11–2013 का 233	विद्यमान	बनेरी (के एल —224)	अलसी	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
179.	2013 / 8–11–2013 का 234	नई	एस वाई एन — आर आई —एन आर 7098	चावल	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	आवेदक का नाम
180.	2013 / 19–11–2013 का 235	विद्यमान	हिम सरसों–1	तोरिया (गोभी सरसों)	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर– 176 062
181.	2013 / 19–11–2013 का 236	विद्यमान	कांति (आर के 9807)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
182.	2013 / 19–11–2013 का 237	विद्यमान	उर्वशी (आर के 9501)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
183.	2013 / 19–11–2013 का 238	नई	कावेरी राइस –1	चावल	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
184.	2013 / 19–11–2013 का 239	विद्यमान	कैएसएफएच – 7049	सूरजमुखी	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
185.	2013 / 19–11–2013 का 240	विद्यमान	उत्तरा (पी टी – 2002– 25)	तोरिया (गोभी सरसों)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
186.	2013 / 19–11–2013 का 241	विद्यमान	जवाहर सोयाबीन 97 – 52 (जे एस 97– 52)	सोयाबीन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
187.	2013 / 19–11–2013 का 242	विद्यमान	समरूद्धि (एसीएन – 9)	सोयाबीन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
188.	2013 / 19–11–2013 का 243	विद्यमान	शताब्दी (ए सी एन – 9)	भारतीय सरसों	डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ
189.	2013 / 19–11–2013 का 244	विद्यमान	जेएस – 93 – 05 (जवाहर सोयाबीन 93 – 05)	सोयाबीन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
190.	2013 / 19–11–2013 का 245	विद्यमान	सीएस 56 (सीएस 234 –2)	भारतीय सरसों	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल
191.	2013 / 19–11–2013 का 246	विद्यमान	जवाहर सोयाबीन 05 – 60 (जे एस 95 – 60)	सोयाबीन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
192.	2013 / 19–11–2013 का 247	कृषक	लीलाबती	चावल	बसुधा, निवासी विनोद बाटी, डाकघर लेइकबांध, बांकुरा, पश्चिम बंगाल
193.	2013 / 19–11–2013 का 248	कृषक	कोलिहा	चावल	छाबिला मांझी एवं अन्य
194.	2013 / 19–11–2013 का 249	कृषक	सरसोफुल	चावल	किशोर चन्द्र देवता, जमुतपाली, ब्लॉक गाइसेलट, जिला बारागढ़, ओडिशा

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	आवेदक का नाम
195.	2013 / 19–11–2013 का 250	कृषक	केरेला सुंदरी	चावल	बसुधा, निवासी विनोद बाटी, डाकघर लेइकबांध, बांकुरा, पश्चिम बंगाल
196.	2013 / 19–11–2013 का 251	कृषक	दुधसार	चावल	बसुधा, निवासी विनोद बाटी, डाकघर लेइकबांध, बांकुरा, पश्चिम बंगाल
197.	2013 / 19–11–2013 का 252	कृषक	हल्दीचुड़ी	चावल	त्रिनाथ चल्लान, खोरीमुंडी ब्लॉक जेयपोर, जिला कोरापुट ओडिशा
198.	2013 / 19–11–2013 का 253	कृषक	केलास	चावल	बसुधा, निवासी विनोद बाटी, डाकघर लेइकबांध, बांकुरा, पश्चिम बंगाल
199.	2013 / 19–11–2013 का 254	कृषक	आसित कलामा	चावल	बसुधा, निवासी विनोद बाटी, डाकघर लेइकबांध, बांकुरा, पश्चिम बंगाल
200.	2013 / 19–11–2013 का 255	कृषक	मच्छाकांटा	चावल	के श्रीनिवास राव, महुली, ब्लॉक बोईपिरागुड़ा, जिला कोरापुट, ओडिशा
201.	2013 / 19–11–2013 का 256	कृषक	कनकचुर	चावल	बसुधा, निवासी विनोद बाटी, डाकघर लेइकबांध, बांकुरा, पश्चिम बंगाल
202.	2013 / 19–11–2013 का 257	कृषक	करणी	चावल	बेनुधर सेठ, जामुतबहल, ब्लॉक गाइसेलट, जिला बारागढ़, ओडिशा
203.	2013 / 19–11–2013 का 258	कृषक	शिवली	चावल	बसुधा, निवासी विनोद बाटी, डाकघर लेइकबांध, बांकुरा, पश्चिम बंगाल
204.	2013 / 21–11–2013 का 259	विद्यमान (वीसीके)	एस वाई एन – एस एफ – 275 पी आर	सूरजमुखी	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड
205.	2013 / 21–11–2013 का 260	विद्यमान (वीसीके)	एम आर एस एफ 1144	सूरजमुखी	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड
206.	2013 / 21–11–2013 का 261	विद्यमान (वीसीके)	एस वाई एन – एस एफ – आर्मोनी	सूरजमुखी	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड
207.	2013 / 3–12–2013 का 262	विद्यमान	गीता (आरबी – 9901 / आरबी – 24)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.)
208.	2013 / 3–12–2013 का 263	विद्यमान	जेएलटी – 408 (जेएलटी – 9848–2)	तिल	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ
209.	2013 / 3–12–2013 का 264	विद्यमान	एनयूडीबी – 26 – 11	तोरिया (गोभी सरसों)	मदर डेरी फूट एंड वेजिटेबल प्रा. लिमिटेड

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	आवेदक का नाम
210.	2013 / 16–12–2013 का 265	विद्यमान	नरसिंहा (नंदयाल 1325)	चतुर्गुणित कपास	आचार्य एन जी रंगा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
211.	2013 / 16–12–2013 का 266	विद्यमान	वीएसएफएच – 1003 (जी एल ई एन)	सूरजमुखी	विभा एग्रोटैक इंडिया लिमिटेड
212.	2013 / 16–12–2013 का 267	नई	सी सी एच 510 –4	चतुर्गुणित कपास	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.)
213.	2013 / 16–12–2013 का 268	विद्यमान	एस पी एच – 1567	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.)
214.	2013 / 16–12–2013 का 269	विद्यमान	नंदयाल टेल्ला जन्ना-3 (एन टी एच – 3)	ज्वार	आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद
215.	2013 / 16–12–2013 का 270	विद्यमान	सी ओ सी (एस सी) 23 (सी ओ सी 91 – 061)	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.)
216.	2013 / 16–12–2013 का 271	विद्यमान (वीसीके)	बी पी एम 901	बाजरा	बायर बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
217.	2013 / 16–12–2013 का 272	नई	ए सी एच – 21 – (ए जे ई ई टी – 21 बी टी)	चमुर्गुणित कपास	अजित सीडस लिमिटेड
218.	2013 / 16–12–2013 का 273	विद्यमान	टी के एम – 11	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.)
219.	2013 / 16–12–2013 का 274	विद्यमान	आर सी 91	चतुर्गुणित कपास	रासी सीडस प्राइवेट लिमिटेड
220.	2013 / 16–12–2013 का 275	कृषक	जी एच ई ओ एस	चावल	बसुधा, निवासी विनोद बाटी, डाकघर लेइकबांध, बांकुरा, पश्चिम बंगाल
221.	2013 / 16–12–2013 का 276	कृषक	एन ए जी आर ए	चावल	बसुधा, निवासी विनोद बाटी, डाकघर लेइकबांध, बांकुरा, पश्चिम बंगाल
222.	2013 / 16–12–2013 का 277	कृषक	बेनाफूल	चावल	बसुधा, निवासी विनोद बाटी, डाकघर लेइकबांध, बांकुरा, पश्चिम बंगाल
223.	2013 / 16–12–2013 का 278	कृषक	एन आई एन आई	चावल	चेमू मुँडली, तालागड़डी, ब्लॉक दवमतपुर, जिला कोरापुट, ओडिशा
224.	2013 / 16–12–2013 का 279	कृषक	कालिया	चावल	अनंद मांझी, पोदापादर ब्लॉक रामपुर, जिला कालाहांडी, ओडिशा

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	आवेदक का नाम
225.	2013 / 16–12–2013 का 280	कृषक	पोरा सेनकारा	चावल	बाई मांझी, दामेश्वर कार्लापट्ट, ब्लॉक रामपुर, जिला कालाहांडी, ओडिशा
226.	2013 / 16–12–2013 का 281	नई	एस पी एस 14	चावल	कृषि धनसीड्स प्राइवेट लिमिटेड
227.	2013 / 16–12–2013 का 282	विद्यमान	निर्मल – 40 (एन पी एच 40)	बाजरा	निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
228.	2013 / 16–12–2013 का 283	विद्यमान	एन बी 14ए	बाजरा	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
229.	2013 / 19–12–2013 का 284	विद्यमान (वीसीके)	सइ (एन आर – 212)	चावल	निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
230.	2013 / 19–12–2013 का 285	विद्यमान (वीसीके)	एन बी – 10आर	बाजरा	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
231.	2013 / 19–12–2013 का 286	विद्यमान (वीसीके)	पार्वती (एन आर – 48)	चावल	निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
232.	2013 / 20–12–2013 का 287	विद्यमान (वीसीके)	एन बी – 61ए	बाजरा	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
233.	2013 / 23–12–2013 का 288	विद्यमान (वीसीके)	वी एन आर 2355 प्लस	चावल	वी एन आर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
234.	2013 / 26–12–2013 का 289	नई	डी जी बी – 013	बाजरा	देवगन एन वी
235.	2013 / 26–12–2013 का 290	विद्यमान (वीसीके)	एन बी – 86 आर	बाजरा	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
236.	2013 / 26–12–2013 का 291	विद्यमान (वीसीके)	एन बी 153आर	बाजरा	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
237.	2013 / 26–12–2013 का 292	विद्यमान	आर जी एन 145	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
238.	2013 / 26–12–2013 का 293	विद्यमान	आर जी एन 48	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
239.	2013 / 30–12–2013 का 294	विद्यमान	ए डी टी (आर) 45 (आई ई टी 15924)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
240.	2013 / 30–12–2013 का 295	विद्यमान	सी ओ – 0233	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	आवेदक का नाम
241.	2013 / 30-12-2013 का 296	विद्यमान	आर जी एन- 73	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
242.	2013 / 31-12-2013 का 297	विद्यमान	आर जी एन – 13	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
243.	2013 / 31-12-2013 का 298	विद्यमान	वंदना (आर आर- 167- 982)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
244.	2013 / 31-12-2013 का 299	विद्यमान (वीसीके)	बी पी एम 904	बाजरा	बायर बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
245.	2013 / 31-12-2013 का 300	विद्यमान (वीसीके)	जी के 1044	बाजरा	गंगा कावेरी सीड प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद
246.	2013 / 31-12-2013 का 301	विद्यमान (वीसीके)	एन बी- 151 आर	बाजरा	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
247.	2013 / 31-12-2013 का 302	विद्यमान (वीसीके)	एन बी- 151 आर	बाजरा	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
248.	2013 / 31-12-2013 का 303	विद्यमान	के एम एच- 22198	मक्का	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.)
249.	2013 / 31-12-2013 का 304	विद्यमान	प्रताप मक्का चरी- 6 (ई सी 3135)	मक्का	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.)
250.	2014 / 2-1-2014 का 1	विद्यमान (वीसीके)	एन बी- 101ए	बाजरा	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
251.	2014 / 2-1-2014 का 2	विद्यमान (वीसीके)	एन बी- 102ए	बाजरा	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
252.	2014 / 2-1-2014 का 3	विद्यमान (वीसीके)	एन बी- 20आर	बाजरा	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
253.	2014 / 9-1-2014 का 4	विद्यमान (वीसीके)	एन बी- 60ए	बाजरा	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
254.	2014 / 9-1-2014 का 5	विद्यमान (वीसीके)	बी पी एम 906	बाजरा	बायर बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
255.	2014 / 9-1-2014 का 6	नई	ए सी एच - 155 -2 (अजीत - 155 बजी प्प)	चतुर्गुणित कपास	अजित सीड्स लिमिटेड
256.	2014 / 9-1-2014 का 7	नई	के बीए च बॉस 65	बाजरा	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	आवेदक का नाम
257.	2014 / 9-1-2014 का 8	विद्यमान (वीसीके)	इंदम 200 – 011 (ऐश्वर्या)	चावल	इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स (आई) लिमिटेड
258.	2014 / 9-1-2014 का 9	नई	एचटी – पीएम – 4201	बाजरा	हाइटेक सीड इंडिया प्रा. लिमिटेड
259.	2014 / 9-1-2014 का 10	नई	बायो 448 एच	बाजरा	बायोसीड रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
260.	2014 / 9-1-2014 का 11	कृषक	पंका पोटा	चावल	कैंडल माथी एवं अन्य
261.	2014 / 9-1-2014 का 12	कृषक	धबाला भुता	चावल	गौरा चन्द्र पाडा आहा ब्लॉक हाटाडिही, जिला कर्योङ्झर, ओडिशा
262.	2014 / 9-1-2014 का 13	कृषक	सुनामुखी	चावल	रंजीत साहू एवं अन्य
263.	2014 / 9-1-2014 का 14	कृषक	बस्ता भोगा	चावल	बृंदा चौधरी एवं अन्य
264.	2014 / 9-1-2014 का 15	कृषक	बिदान सपु	चावल	मंजूला गुंजली एवं अन्य
265.	2014 / 9-1-2014 का 16	कृषक	बस्तुल	चावल	मादा लाल मांझी एवं अन्य
266.	2014 / 9-1-2014 का 17	कृषक	निनिबुधि	चावल	जगन्नाथ बुरीदी एवं अन्य
267.	2014 / 9-1-2014 का 18	कृषक	कांता डुमेर	चावल	बिष्णु साहू एवं अन्य
268.	2014 / 9-1-2014 का 19	कृषक	सुनापानी	चावल	कुबेर दाश
269.	2014 / 9-1-2014 का 20	कृषक	कादाली केंदा	चावल	बहादुल बाग एवं अन्य
270.	2014 / 9-1-2014 का 21	कृषक	जुगल	चावल	बसुधा, निवासी विनोद बाटी, डाकघर लेइकबांध, बांकुरा, पश्चिम बंगाल
271.	2014 / 9-1-2014 का 22	कृषक	लोछे 1	चावल	पीतू-हलबा एवं अन्य
272	2014 / 9-1-2014 का 23	कृषक	गेलेइ	चावल	श्री पदमन बाग एवं अन्य
273.	2014 / 9-1-2014 का 24	कृषक	डांगर चुड़ी	चावल	बिमला माही एवं अन्य
274.	2014 / 9-1-2014 का 25	कृषक	करपुर भोग	चावल	दानेश्वर मगराज एवं अन्य
275.	2014 / 20-1-2014 का 26	विद्यमान	टी ए एम एस – 38	सोयाबीन	डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ
276.	2014 / 20-1-2014 का 27	विद्यमान (वीसीके)	बी पी एम 905	बाजरा	बायर बायो साइंसिस प्राइवेट लिमिटेड
277.	2014 / 20-1-2014 का 28	विद्यमान	गिरनार – 2 (पी बी एस 24030)	मूंगफली	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.)
278.	2014 / 20-1-2014 का 29	विद्यमान	फुले पंचामी (आर पी ओ एस वी 3)	ज्वार	महात्मका फुले कृषि विद्यापीठ

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	आवेदक का नाम
279.	2014 / 21-1-2014 का 30	विद्यमान	प्रताप (एम एच 1642)	बाजरा	नीजुवीडु सीड कंपनी लिमिटेड
280.	2014 / 22-1-2014 का 31	विद्यमान (वीसीके)	एन एस एच - 54	ज्वार	नीजुवीडु सीड कंपनी लिमिटेड
281.	2014 / 22-1-2014 का 32	नई	के बी आर 621	बाजरा	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
282.	2014 / 22-1-2014 का 33	नई	के बी एम एस 329	बाजरा	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
283.	2014 / 22-1-2014 का 34	विद्यमान	सी ओ - 4	चना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
284.	2014 / 22-1-2014 का 35	विद्यमान	टी ए एम एस - 98 - 21	सोयाबीन	डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ
285.	2014 / 22-1-2014 का 36	विद्यमान	टी आर वाई 1	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर)
286.	2014 / 23-1-2014 का 37	विद्यमान	एस एस एफ - 708	कुसुम	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ
287.	2014 / 23-1-2014 का 38	नई	सी एस वी 20	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
288.	2014 / 23-1-2014 का 39	विद्यमान (वीसीके)	कोमल 101	चावल	कृषि धन सीड प्राइवेट लिमिटेड
289.	2014 / 23-1-2014 का 40	विद्यमान	टी आर वाई (आर) 2	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
290.	2014 / 24-1-2014 का 41	विद्यमान	फुले रेवती (आर एस वी 1006 / एस पी वी 1830)	ज्वार	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ
291.	2014 / 24-1-2014 का 42	विद्यमान (वीसीके)	अंकुर- रूपाली	चावल	अंकुर सीड प्राइवेट लिमिटेड
292.	2014 / 28-1-2014 का 43	नई	विमल (ए के ए डब्ल्यू 3722)	गेहूं	पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ
293.	2014 / 5-2-2014 का 44		एनएच - 615	चतुर्गुणित कपास	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय
294.	2014 / 5-2-2014 का 45	नई	वी बी बी एच 3040	बाजरा	विभा एग्रो टैक लिमिटेड
295.	2014 / 6-2-2014 का 46	कृषक	चिंगेर	चावल	गणेश नाग एवं अन्य
296.	2014 / 6-2-2014 का 47	कृषक	हरिशंकर	चावल	गुनासाहू एवं अन्य
297.	2014 / 6-2-2014 का 48	नई	अंकुर - 3313	चावल	अंकुर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	आवेदक का नाम
298.	2014 / 6-2-2014 का 49	विद्यमान (वीसीके)	वी एस एफ एच – 180 (ओलिंडा)	सूरजमुखी	विभा एग्रोटेक लिमिटेड
299.	2014 / 6-2-2014 का 50	विद्यमान (वीसीके)	वी एस एफ एच – 1044 (रेफलो)	सूरजमुखी	नुसुन जेनेटिक रिसर्च लिमिटेड
300.	2014 / 12-2-2014 का 51	विद्यमान (वीसीके)	टी सी एच एच 117	चतुर्गुणित कपास	तुलसी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
301.	2014 / 12-2-2014 का 52	नई	डी जी जे 015	ज्वार	देवेगन एन वी
302.	2014 / 12-2-2014 का 53	नई	एच टी जी एस 3201	ज्वार	हाइटेक सीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
303.	2014 / 12-2-2014 का 54	नई	डी जी जे 018	ज्वार	देवेगन एन वी
304.	2014 / 3-3-2014 का 55	नई	डी जी जे 017	ज्वार	देवेगन एन वी
305.	2014 / 3-3-2014 का 56	नई	के एस आर 6195	ज्वार	कावेरी सीड प्रा. लि..
306.	2014 / 3-3-2014 का 57	विद्यमान	पी बी डब्ल्यू 533	गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.)
307.	2014 / 3-3-2014 का 58	विद्यमान	आर जी – 18	द्विगुणित कपास	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
308.	2014 / 3-3-2014 का 59	नई	डी जी जे – 020	ज्वार	देवेगन एन वी
309.	2014 / 11-3-2014 का 60	नई	जे आर सी 532 (सी – 532)	पटसन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.)
310.	2014 / 11-3-2014 का 61	नई	जे आर सी – 517 (सी 517)	पटसन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.)
311.	2014 / 11-3-2014 का 62	नई	एस वाई एन – आर आई – एन आर 7328	चावल	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड
312.	2014 / 11-3-2014 का 63	विद्यमान (वीसीके)	इंडम 99 – 01 (सुहासिनी)	चावल	इंडो – अमेरिकन हाइबिड सीड (आई) लिमिटेड
313.	2014 / 11-3-2014 का 64	विद्यमान (वीसीके)	इंडम 98 – 55 (रोशनी)	चावल	इंडो – अमेरिकन हाइबिड सीड (आई) लिमिटेड
314.	2014 / 13-3-2014 का 65	कृषक	समुद्रा	चावल	गोबर्धन सरलिया एवं अन्य
315.	2014 / 13-3-2014 का 66	कृषक	सपुरी चुड़ी	चावल	बुद्धदेव मांझी एवं अन्य
316.	2014 / 13-3-2014 का 67	कृषक	क्रसुदा	चावल	श्री ओम्मा पदयामी एवं अन्य
317.	2014 / 13-3-2014 का 68	कृषक	बादकेशरी	चावल	संजय बेहरा

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	आवेदक का नाम
318.	2014 / 13–3–2014 का 69	कृषक	केंदूफूल	चावल	टासिटभोई एवं अन्य
319.	2014 / 13–3–2014 का 70	कृषक	मालाती	चावल	सतारी बिरुआ
320.	2014 / 13–3–2014 का 71	कृषक	कुसमा	चावल	चमारू हेरना एवं अन्य
321.	2014 / 13–3–2014 का 72	कृषक	केंची	चावल	नंद किशोर मोहंत
322.	2014 / 13–3–2014 का 73	कृषक	बागदा चिनामल	चावल	पदमलोचन प्रधान
323.	2014 / 13–3–2014 का 74	कृषक	चिंगुड़ी	चावल	गुरु च. मोहंत
324.	2014 / 13–3–2014 का 75	कृषक	मारफल	चावल	गुप्त बुरुदा एवं अन्य
325.	2014 / 13–3–2014 का 76	कृषक	किनारी	चावल	अद्मा सादी
326.	2014 / 13–3–2014 का 77	कृषक	महुला कुंची	चावल	मंगलू जानी एवं अन्य
327.	2014 / 27–3–2014 का 78	विद्यमान (वीसीके)	डी जी टी 021	ज्वार	देवेगन एन वी
328.	2014 / 27–3–2014 का 79	विद्यमान (वीसीके)	रत्ना (एन जे एच – 40)	ज्वार	निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
329.	2014 / 27–3–2014 का 80	विद्यमान (वीसीके)	इंडम 200 – 012 (सम्राट)	चावल	इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड(आई) लिमिटेड
330.	2014 / 27–3–2014 का 81	विद्यमान (वीसीके)	बी जी एस 802	ज्वार	बायर बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड

## संक्षिप्तियां

ए आई सी आर पी	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना
ए टी एम ए	एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मेनेजमैन्ट एजेन्सी
बी ए यू	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
बी एम सी	जैवविविधता प्रबंध समिति
बी सी आई एल	बायोटैक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड
सी ए जी	भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
सी ए आर आई	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान
सी बी डी	जैविक विविधता पर सम्मेलन
सी एस आई आर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सी एच ई एस	केन्द्रीय बागवानी प्रायोगिक केन्द्र
सी एस एस आर आई	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान
डी ए सी	कृषि एवं सहकारिता विभाग
डी यू एस	विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थायित्व
ई बी आर सी	विद्यमान किस्म संस्तुति समिति
जी ए टी टी	सीमा शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता
जी बी पी आई एच ई डी	गोबिन्द बल्लभ पन्त इन्स्टिटियूट ऑफ हिमालयन एनवायरोनमेन्ट डिवलपमेन्ट
जी ई एफ	ग्लोबल एनवायरोनमेन्ट फैसिलिटी
एच ए डी ए	हिल एरिया डिवलपमेन्ट एजेन्सी
आई ए आर आई	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
आई सी ए आर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आई सी एफ आर ई	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
आई एफ एफ सी ओ	भारतीय किसान उर्वरक संघ लिमिटेड
आई जी पी	इन्डो-गेनोटिक प्लेन्स
आई एन डी यू एस	डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय सूचना प्रणाली
आई पी जी आर आई	बायोवर्सिटी इंटरनेशनल
आई टी पी जी आर एफ ए	खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन पर अंतरराष्ट्रीय संधि

आई वी आर आई	इन्डियन वेटरनरी रिसर्च इन्सटिट्यूट
के ए यू	केरल कृषि विश्वविद्यालय
के वी के	कृषि विज्ञान केन्द्र
एन ए एस सी	राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र
एन जी ओ	गैर-शासकीय संगठन
एन ओ आर वी	भारत की अधिसूचित एवं जारी की गई किस्में
एन एस ए आई	नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एन आर सी पी बी	राष्ट्रीय पादप जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र
एन एस आर टी सी	राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र
एम एस ई जैड	मंगलौर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड
पी एस / पी आई / पी डी	प्रधान वैज्ञानिक / प्रधान समन्वयक / परियोजना निदेशक
पी जी आर	पादप आनुवंशिक संसाधन
पी पी वी एंड एफ आर ए	पौधा किस्म सुरक्षा एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
पी वी ई	पौधा किस्म परीक्षक
पी वी आई एस	पौधा किस्म सूचना प्रणाली
पी वी जे	भारतीय पौधा किस्म जरनल
आर एंड डी	अनुसंधान एवं विकास
आर टी आई	सूचना का अधिकार
एस एयू	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
एस ए यू	राज्य कृषि विश्वविद्यालय
एस टी ओ	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी
टी आर आई पी एस	बौद्धिक सम्पदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू
यू पी ओ वी	पौधों की नई किस्मों की सुरक्षा की अंतरराष्ट्रीय यूनियन
वी सी के	सामान्य ज्ञान की किस्म
डब्ल्यू टी ओ	विश्व व्यापार संगठन

